Seventeenth Series, Vol. XIV No. 9 Thursday, December 09, 2021
Agrahayana 18, 1943 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Seventh Session

(Seventeenth Lok Sabha)

सत्यमेव जयते

(Vol. XIV contains Nos. 01 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh
Secretary-General
Lok Sabha

Suman Arora
Joint Secretary

Mahavir Singh
Director

Narad Prasad Kimothi
Sunita Arora
Joint Director

Anil Kumar Chopra
Editor

© 2021 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

CONTENTS

Seventeenth Series, Vol. XIV, Seventh Session, 2021/1943 (Saka)
No. 09, Thursday, December 9, 2021 / Agrahayana 18, 1943 (Saka)

SUBJECT	PAGES
REFERENCE BY THE SPEAKER	14
Loss of lives of Gen. Bipin Rawat, CDS and other Armed Forces personnel in an unfortunate crash of Military Helicopter on 8.12.2021	
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 161 to 166	15-42
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 167 to 180	43-92
Unstarred Question Nos. 1841 to 2070	93-646

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Unfortunate crash of Military Helicopter with Gen. Bipin Rawat, CDS and other Armed Forces personnel on Wednesday, December 8, 2021

Shri Raj Nath Singh 12-13

(ii)(a) Status of implementation of the recommendations contained in the 251st Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2017-18) pertaining to the Ministry of Civil Aviation 668

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 263rd Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Civil Aviation 669

(c) Status of implementation of the recommendations contained in the 276th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Civil Aviation

General (Retd.) Dr. V.K. Singh 670

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 12th Report of the Standing Committee on Energy on 'Measures To Check Commercial Losses' pertaining to the Ministry of Power

Shri Krishan Pal 671

PAPERS LAID ON THE TABLE 647-661

COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN
5th Report 662

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES
52nd and 53rd Reports 663

STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL
Statements 664-666

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE
165th and 166th Reports 667

MATTERS UNDER RULE 377 723-746

(i) Regarding alleged irregularity in admission in Rural Institute of Ayurveda Research and hospital, Medical college in Madha Parliamentary Constituency

Shri Ranjeetsinha Hindurao Naik Nimbalkar 724

(ii) Need to allocate funds for construction of houses in rural areas under Pradhan Mantri Awas Yojana at par with houses constructed in urban areas under the scheme

Shri Ramdas Tadas 725

(iii) Need to set up a university in Sidhi district headquarters in Madhya Pradesh

Shrimati Riti Pathak 726

(iv) Regarding relaxation of norms of Pradhan Mantri Awas Yojana for people in Gadchiroli-Chimur Parliamentary Constituency, Maharashtra

Shri Ashok Mahadeorao Nete 727

(v) Regarding auction of Bharat Pump & Compressors Limited, Prayagraj, Uttar Pradesh

Prof. Rita Bahuguna Joshi 728

(vi) Need to upgrade National Highway 15 into four lane

Shri Dilip Saikia 729

(vii) Need to develop Dhar district in Madhya Pradesh as a Tourist place

Shri Chattar Singh Darbar 730

(viii) Regarding construction of Nisarg Gram Project of National Institute of Naturopathy, Pune

Shri Girish Bhalchandra Bapat 731

(ix) Need to sanction and construct Alwar-Dadri railway line

Shri Dharambir Singh 732

(x) Regarding setting up of three Kendriya Vidyalayas in Santhal Pargana region

Dr. Nishikant Dubey 733

(xi) Regarding inclusion of the 'Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) (Amendment) Act, 2019' in the Ninth Schedule to the Constitution

Dr. Manoj Rajoria 734

(xii) Need to establish an additional branch of public sector bank at Chakur Tehsil in Latur district, Maharashtra

Shri Sudhakar Tukaram Shrangre 735

(xiii) Need to establish a sports stadium under Khelo India Programme in Shahjahanpur district, Uttar Pradesh

Shri Arun Kumar Sagar 736

(xiv) Need to construct underpasses and railway over bridges on level crossings between Mandhana and Makanpur in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

Shri Ashok Kumar Rawat 737

(xv) Regarding water stagnation in railway underpasses in Karur Parliamentary Constituency

Sushri S. Jothimani 738-739

(xvi) Regarding opening of a new Kendriya Vidyalaya at North Chennai

Shri Kalanidhi Veeraswamy 740

(xvii) Regarding posting of ex-servicemen

Shri Pocha Brahmananda Reddy 741

(xviii) Need to include Supaul district of Bihar in Aspirational Districts Programme

Shri Dileshwar Kamait 742

(xix) Need to address the issues pertaining to the Medical College at Jaunpur, Uttar Pradesh

Shri Shyam Singh Yadav 743-744

(xx) Regarding condition of undertrials in the country

Shri E.T. Mohammed Basheer 745

(xxi) Regarding inclusion of Grapes Research Station Anaimalayapatti as one of the regular centres under ICAR

Shri P. Ravindhranath 746

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF CENTRAL VIGILANCE COMMISSION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021

AND

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION (AMENDMENT) BILL, 2021

AND

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF - DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021

AND

DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT (AMENDMENT) BILL, 2021 747-918

Motion to Consider 747

Shri N.K. Premachandran 747, 751-763, 903-904

Dr. Jitendra Singh 747-750, 890-903

Shri Manish Tewari 748, 763-772

Col. (Retd.) Rajyavardhan Rathore	773-778
Shri A. Raja	779-786
Shri Kalyan Banerjee	787-795
Shri Talari Rangaiah	796-798
Shri Vinayak Bhaurao Raut	799-804
Shri Rajiv Ranjan Singh 'Lalan'	805-806
Shri Bhartruhari Mahtab	807-814
Shrimati Supriya Sadanand Sule	815-821
Shri Adhir Ranjan Chowdhury	822-828
Dr. Satyapal Singh	829-835
Adv. A.M. Ariff	836-839
Shri Ritesh Pandey	840-842
Shri Benny Behanan	843-846
Prof. Sougata Ray	847-852
Shri Brijendra Singh	853-857
Shri Kuruva Gorantla Madhav	858-859
Shri Asaduddin Owaisi	860-864
Shri Hanuman Beniwal	865-868
Dr. D. Ravikumar	869-870
Shri Dulal Chandra Goswami	871-873
Sushri Sunita Duggal	874-877
Sushri S. Jothimani	878-881

Kunwar Danish Ali 882-885

Shri Thomas Chazhikadan 886-887

Dr. Thol Thirumaavalavan 888-889

Statutory Resolution Re: Disapproval of Central Vigilance Commission (Amendment) Ordinance, 2021 -Negatived 904

Clauses 2, 3 and 1 905-909

Motion to Pass 910-912

Statutory Resolution Re: Disapproval of Delhi Special Police Establishment (Amendment) Ordinance, 2021 - Negatived 913

Clauses 2, 3 and 1 914-918

Motion to Pass 918

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions 824

Member-wise Index to Unstarred Questions 825-831

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions 832

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 833

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Thursday, December 9, 2021/Agrahayana 18, 1943 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष : माननीय रक्षा मंत्री जी ।

11.01 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i) Unfortunate crash of Military Helicopter with Gen. Bipin Rawat, CDS and other Armed Forces personnel on Wednesday, December 8, 2021

रक्षा मंत्री (श्री राज नाथ सिंह): अध्यक्ष महोदय, आज मैं बड़े दुख और भारी मन से 8 दिसम्बर, 2021 की दोपहर में हुई मिलिटरी हेलिकॉप्टर, जिसमें भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी एवं 12 अन्य सवार थे, की दुर्घटना के दुर्भाग्यपूर्ण समाचार से अवगत कराने के लिए आप सबके बीच खड़ा हुआ हूं। जनरल बिपिन रावत डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंग्टन के स्टूडेंट-ऑफिसर से इंटरएक्ट करने के लिए अपनी एक शिड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के एमआई-17वी 5 हेलिकॉप्टर ने कल 11 बजकर 48 मिनट पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12 बजकर 15 मिनट पर वेलिंग्टन में लैण्ड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12 बजकर 8 मिनट पर हेलिकॉप्टर से अपना कांटैक्ट खो दिया। बाद में कुन्नूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिटरी हेलिकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंग्टन के मिलिटरी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलिकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई, उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती

मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविन्दर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिन्दर सिंह और एयरफोर्स हेलिकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेज के अन्य नौ लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं – विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेन्द्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी. साईतेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंग्टन के मिलिटरी हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वी.आर. चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंग्टन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया है। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन फोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई-सर्विस इनक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इनक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंग्टन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिटरी ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिटरी पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिटरी ऑनर के साथ किया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 5371/17/21]

11.05 hrs

REFERENCE BY THE SPEAKER

Loss of Lives of General Bipin Rawat, CDS and other Armed Forces personnel in an unfortunate crash of Military Helicopter on 8.12.2021

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के प्रथम चीफ आफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी श्रीमती मधुलिका रावत की हेलिकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल बिपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। दिवंगत पुण्यात्माओं को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि।

मैं सदन की ओर से इस दुर्घटना में वीरगति को प्राप्त हमारी सशस्त्र सेना के वीर सैनिकों, ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट आफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट आफिसर अरक्कल प्रदीप, हवलदार सतपाल राय, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेन्द्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी. साई तेजा के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सभा इस दुर्घटना में गम्भीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। सभा की ओर से मैं सभी वीर सैनिकों के परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दे। अब सभा दिवंगत पुण्यात्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी।

The Members then stood in silence for a short while.

माननीय अध्यक्ष : ॐ शान्ति: शान्ति: शान्ति:।

11.08 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नकाल प्रश्न संख्या –161, डॉ. हिना विजयकुमार गावीत ।

(Q. 161)

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत : अध्यक्ष जी, धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी । मेरा मंत्री जी से पहला प्रश्न यह है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स परियोजना में तापी और नर्मदा है । मैं नन्दुरबार लोक सभा का प्रतिनिधित्व करती हूं, जो कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और ह्यूमैन डेवलपमेंट इंडेक्स पैरामीटर में भी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार नर्मदा और तापी को जोड़ने वाली परियोजना में नन्दुरबार जिले में कोई बांध या टनल बनाने की योजना कर रही है, जिससे नन्दुरबार, जो कि एक ऐस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहां सिंचाई और पेयजल की समस्या का निवारण हो सके?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के ऐसे बेसिस, जहां पानी बहुतायत में उपलब्ध है, सरप्लस है, वहां से डेफिसिट बेसिस में पानी ट्रांसफर करना, ऐसी महत्वपूर्ण योजना है, जिससे देश की लॉन्ग टर्म पानी की अवेलेबिलिटी को सस्टेनेबल बनाया जा सकता है । माननीय अटल जी के समय इस पर विचार हुआ था । दुर्भाग्य से बीच के कालखण्ड में उस पर जिस गति से काम होना चाहिए, उस गति से काम नहीं हो पाया ।

मैं अपनी बात कहूं, उससे पहले आपके माध्यम से एक शुभ समाचार से सदन को अवगत कराना चाहता हूं और देश को अवगत कराना हूं कि देश में नदियों को जोड़ने के जो 30 लिंक आइडेंटिफाई किए गए थे । एक नए युग की शुरूआत करते हुए, कल माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने फैसला करके केन और बेतवा नदी के जोड़ने की शुरूआत को अनुमति प्रदान की है । यह प्रोजेक्ट 44 हजार करोड़ रुपये का साइन हुआ है । माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा

है, पार-तापी नर्मदा और दमन-गंगा पिंजाल दोनों नदियों को जोड़कर इसमें गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में वाटर शेयरिंग, ऐसा करने का प्रावधान है।

लेकिन हम सभी जानते हैं कि जल राज्यों का विषय है और प्रारंभिक तौर पर राज्यों को इसमें सहमति बनाने की आवश्यकता होती है। गत लंबे समय से लगातार जल शक्ति मंत्रालय उसके लिए प्रयास कर रहा था। अभी हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के सचिव और दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के बीच में बैठक हुई, जिसमें इस पर विस्तार से चर्चा हुई थी। उसके बाद यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र की सरकार ने इस नेशनल प्रोजेक्ट्स से अपने-आप को विद्ड्रा करने की घोषणा करते हुए चिट्ठी लिखी है। मैं माननीय सदस्या और महाराष्ट्र से आने वाले अन्य सदस्यों से भी आग्रह करूंगा कि महाराष्ट्र की सरकार से निश्चित रूप से इस पर बात करें और हम अपने स्तर पर भी पत्र लिखेंगे। महाराष्ट्र की सरकार इस पर पुनर्विचार करें कि हम बाद में बैठ कर किस तरह से इस मुद्दे को और अधिक सुगमता से सुलझा सकते हैं। यह एक बहुत बड़ा विषय है, जो मुंबई की पानी की सिक्योरिटी से संबंधित है। दोनों राज्य पानी का बेहतर तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इस काम को पूरा किया जाए।

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न जल-जीवन मिशन से संबंधित है। इस जल-जीवन मिशन की घोषणा वर्ष 2019 में हुई थी। वर्ष 2024 तक सरकार का लक्ष्य है कि हर घर तक जल पहुंचाया जाए, लेकिन महाराष्ट्र में इस योजना का कार्य बहुत ही धीमी गति से हो रहा है। पांच जिलों के डीपीआर बनाने के लिए एक ही एजेंसी अप्वाइंट की जा रही है और वह भी पिछले महीने अप्वाइंट हुई है, तो अभी तक उस एजेंसी ने डीपीआर बनाने का कार्य शुरू भी नहीं किया है। इसके अतिरिक्त स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिर्सोसेज ने अपनी फोर्थ रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि जल-जीवन मिशन के डीपीआर बनाने की प्रक्रिया में संबंधित माननीय सांसद के इनपुट्स को लेना अनिवार्य होना चाहिए। मैंने यह प्रश्न इस साल के बजट सत्र में भी पूछा था, जिसका माननीय मंत्री ने बहुत ही विस्तार से उत्तर दिया था, लेकिन अभी भी डीपीआर बनाने की

प्रक्रिया में माननीय सांसदों के इनपुट्स नहीं लिए जाते हैं। अधिकारी यह जवाब देते हैं कि हमें सरकार की ओर से कोई निर्देश नहीं है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगी कि इस संबंध में सरकार क्या कर रही है? क्या मंत्री जी महाराष्ट्र सरकार को यह निर्देश देंगे कि एक जिले के लिए एक एजेंसी डीपीआर बनाने के लिए अप्वाइंट की जाए, ताकि डीपीआर बनाने का कार्य जल्द हो? क्या सरकार इस योजना की गाइडलाइन्स को अमेंड करके माननीय सांसद के इनपुट्स को भी डीपीआर में जोड़ने का प्रावधान करेंगे?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने एक पूरक प्रश्न में दो प्रश्न मेरे सामने रखे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न का जवाब दूं, उससे पहले आपका संरक्षण चाहता हूं कि यह प्रश्न आपके सेक्रेटेरियट को देखना चाहिए। जो प्रश्न क्रमांक -1 का ए, बी, सी और डी चार कम्पोनेंट्स हैं, उन चारों में आपसे में कहीं कोई संबंध नहीं है। चारों ही प्रश्न, मंत्रालय के जितने भी विभाग हैं, उनसे जुड़े हुए हैं और अलग-अलग प्रश्न हैं। मुझे उत्तर देने में आपत्ति नहीं है, लेकिन जो परंपराएं हैं, उनको फॉलो किया जाना चाहिए।

माननीय सदस्या ने दो प्रश्न पूछे हैं कि महाराष्ट्र की शासन ने जो टेंडर किया है, डीपीआर बनाने के लिए जिन एजेंसीज को नॉमिनेट किया है, जिनको नामित किया है, हम सभी जानते हैं कि जल राज्य का विषय है। इसलिए इन प्रक्रियाओं को करना राज्यों का अधिकार है। इसमें हम उनको किसी तरह का दिशा-निर्देश दें कि आप इस तरह से इसको करेंगे, यह फेडरल स्ट्रक्चर में उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए काम की गति बनी रहे, हम लगातार राज्यों के साथ में सेक्रेट्रीज के लेवल पर मिनिस्टर्स लेवल पर बात करते हैं और हम हर तीन महीने में प्रोग्रेस की समीक्षा भी करते हैं। माननीय सदस्या का यह कहना सही है कि वर्ष 2019 से कार्य प्रारंभ हुआ था, तब से महाराष्ट्र में जिस अपेक्षित गति से काम होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है, लेकिन इस वर्ष महाराष्ट्र की सरकार ने अपने बजट में इसके लिए पांच हजार करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। मुझे लगता है

कि महाराष्ट्र में इस वर्ष से लेकर आने वाले दो वर्षों में जल-जीवन मिशन के कार्यक्रम में और अधिक गति मिलेगी।

माननीय सदस्या ने माननीय सदस्यों से इनपुट्स लेने के संबंध में गाइडलाइन में अमेंडमेंट के लिए प्रश्न पूछा है। यह ऑलरेडी पार्ट ऑफ गाइडलाइन भी है और हमने नवम्बर, 2020 में इसको एक बार नोटिफिकेशन करके स्टेट्स को भेजा है। यह दो स्तर पर है। एक, जल-जीवन मिशन का जो भी डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बनता है, उसमें माननीय सदस्य से आपको अनुमति लेने के लिए उसको भेजना आवश्यक है।

इसके बाद अगर 15 दिनों में सांसद का रिप्लाई नहीं आता है, तो उसे डीम्ड अनुमति मानते हुए उस विषय में आगे बढ़ा जा सकता है। इसके साथ-साथ इसके उद्घाटन और शिलान्यास, दोनों में माननीय सदस्यों को आवश्यक रूप से, उनकी गरिमा के अनुरूप कार्यक्रम आयोजित करके बुलाया जाना चाहिए। हमने इस बारे में दो बार राज्यों को चिट्ठी लिखी है।

मैं आप सब सदस्यों से कहूंगा कि मैंने आप सबको आपके ई-मेल पर उस नोटिफिकेशन की कॉपी भेजी है। आप अपने ई-मेल को चैक कराइए। मैं उसे एक बार फिर आप सबके ई-मेल पर भेज दूंगा। उसे लेकर आप अपने राज्यों की सरकार के सामने, राज्यों के प्रशासन के सामने इस विषय को रख सकते हैं। इसके बाद भी यदि आपको नहीं बुलाया जाता है, तो माननीय अध्यक्ष महोदय हम सबके अधिष्ठाता हैं, हमारे संरक्षक हैं और गार्जियन हैं। हम अपनी इस दुविधा के समाधान के लिए उनके पास जाकर अपनी बात रख सकते हैं।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी।

महोदय, हमारे देश में बाढ़ के कारण बीते पांच सालों में 29 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्रफल में फसलों का नुकसान हुआ है और दस हजार से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ 90 हजार करोड़ से अधिक का नुकसान पूरे देश को भुगतना पड़ा है। बाढ़ के अलावा हमारे यहां भीषण सूखा भी पड़ता है। युनाइटेड नेशन्स की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी को डेढ़ से ढाई प्रतिशत का नुकसान आने वाले समय में इसके कारण होने वाला है।

माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का पूरा ब्यौरा दिया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2014 में एक कमेटी की भी स्थापना हुई है, जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स पर काम करेगी। मेरा माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न है कि इंटरलिंकिंग का उद्देश्य बाढ़ प्रबंधन है और हमारे देश में और महाराष्ट्र में भीषण बाढ़ से हर वर्ष बहुत नुकसान होता है। मुझे लगता है कि इसके लिए कोऑडिनेटेड एफर्ट्स की आवश्यकता है, जैसे permanent institutional structure in the form of the National Integrated Flood Management group. जैसे टैक्स और रेवेन्यु के लिए जीएसटी काउंसिल है, उसी तरह इस ग्रुप की फॉर्मेशन हो और इसके अध्यक्ष माननीय जल शक्ति मंत्री हों और जिन राज्यों में बाढ़ आती है, उन राज्यों के मंत्री इसके सदस्य हों। इससे कोऑडिनेटेड एफर्ट्स की प्लानिंग हो सकेगी और फ्लड कंट्रोल के लिए हम काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि यह कोऑपरेटेव फेड्रेलिज़्म का एक अच्छा उदाहरण होगा।

इसका एक सुझाव स्टैंडिंग कमेटी ऑन वॉटर रिसोर्सेज़ ने भी मंत्रालय को दिया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय इस दिशा में कोई काम कर रहा है? इसी के साथ माननीय मंत्री जी ने कहा कि महाराष्ट्र ने इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के प्रोजेक्ट में से खुद को विदड्रॉ किया है। मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि इसका एक कारण है। जो दमनगंगा-पिंजल लिंक प्रोजेक्ट है, इसके लिए तापी नदी पर जो डैम बांधना है, वह तापी नदी एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर जाती है। हमने गुजरात से रिक्वेस्ट की थी, गुजरात में जो 434 मिलियन क्यूसेक वॉटर जाता है, हम उसको लेने की परमीशन गुजरात सरकार से कर रहे थे, लेकिन गुजरात सरकार ने वर्ष 2017 से इसको

पेंडिंग रखा है। इस कारण उसका कोई भी साल्यूशन नहीं निकल रहा था, इसलिए महाराष्ट्र ने डिसाइड किया कि अपना प्रोजेक्ट वह खुद करेगा।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, आदरणीय श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी ने जो विषय रखा है, वह सुझाव के रूप में ज्यादा है। मैंने जैसे प्रश्न के उत्तर में भी कहा और अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में भी कहा कि देश के लगभग 16-17 प्रतिशत हिस्से में हर साल बाढ़ आती है। लगभग इतने ही या इससे कुछ कम हिस्से में हर साल सूखा पड़ता है। इसको दृष्टिगत रखते हुए नदियों को जोड़ने की कल्पना की गई थी। निश्चित रूप से ऐसा करने के माध्यम से हम देश में बाढ़ की समस्या और सूखे की चुनौती पर बहुत लंबे समय के लिए विराम लगा सकते हैं, इस चुनौती को समाप्त कर सकते हैं।

जैसा कि मैंने कहा और मैं फिर कहूंगा, क्योंकि जल संविधान प्रदत्त व्यवस्था के अनुरूप राज्यों का विषय है, इसलिए राज्यों को इसमें खुले मन के साथ आने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने केन-बेतवा के लिए आप सबसे आग्रह किया, आप सबको अभी सूचित किया है कि केन-बेतवा नदी को जोड़ने का डीपीआर वर्ष 2005 में बना था और वर्ष 2008 में नेशनल प्रोजेक्ट हुआ। लेकिन इसके बाद राज्यों को वॉटर शेयरिंग पर एमओयू करने में 13 वर्ष लगे। माननीय प्रधान मंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद यह हो पाया। मैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इन दोनों राज्यों के माननीय मुख्य मंत्रियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि यह केवल नदी जोड़ने का विषय नहीं है। यह एक नए युग की शुरूआत उनके माध्यम से हुई है। देश के अन्य राज्यों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, ताकि उनके यहां भी इस तरह की शुरूआत हो, इस तरह का काम हो।

महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में यदि किसी विषय पर सहमति न बन पा रही हो, तो हमें सहमति बनाने के रास्तों को खोजने का प्रयास करना चाहिए। मैं माननीय सदस्यों से फिर आग्रह करूंगा कि अपनी राज्य सरकारों से बात करके इसमें किस तरह सहमति बन सकती है, इसका

मार्ग खोजें, बजाए इसके कि उससे विदड्रॉ किया जाए, ऐसे में इसका लॉन्ग-टर्म नुकसान नेशनल पर्सपेक्टेव प्लान में होगा।

SHRI A. RAJA: Sir, besides the river linking, the question also pertains to the Dam Rehabilitation and Improvement Project (DRIP). Yesterday, we passed the Dam Safety Bill in spite of the protests made by various political parties, including the DMK Party. Right or wrong, the Bill has been passed. One of the reasons cited by the hon. Minister when the Bill was passed was that we are going to get huge funds for dam safety under the Dam Rehabilitation and Improvement Project. Also, the Government is claiming that the first phase of the DRIP is successful and the Government promised that phase II and phase III would get Rs.10,000 crore to improve the safety of 700 dams across the country. I want to know, with the assistance of the World Bank, as assured in the House, whether Rs.10,000 crore for Phase I and Phase II are going to be utiised for improving the safety of 700 dams? If so, out of 700 dams, how many dams in Tamil Nadu would be taken up for improvement of safety?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष जी, डैम रिहेब्लीटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम का फेज-1 वर्ष 2012 से शुरू होकर अब कम्प्लीट हुआ है और उसमें जिन राज्यों ने सहभागिता की थी, उन राज्यों के ऐसे हमने 250 से ज्यादा डैम्स पर उल्लेखनीय कार्य किया है। टू एंड थ्री पर जिन राज्यों ने सहमति व्यक्त की है, उन राज्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए हम आगे बढ़े हैं। तमिलनाडु के बांधों की सूची मैं माननीय सदस्य को आज ही इनके आफिस में उपलब्ध करा दूंगा।

SHRI MADDILA GURUMOORTHY : Sir, Andhra Pradesh is a land of many rivers and lakes and it is popularly referred to as a riverine State. There are 40 major, medium, and minor rivers in Andhra Pradesh, of which Godavari, Krishna and Pennar are prominent rivers in peninsular India. All these rivers carry 2,765 tmc. of water annually and cater to 75 per cent of the dependable needs. Can the Minister provide the details of approved DPRs of Inter-Basin Water Transfer Links involving Andhra Pradesh?

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : अध्यक्ष जी, इंटर स्टेट लिंक्स की चर्चा माननीय सदस्य ने की है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स के प्रोग्राम में हमने 30 ऐसे लिंक्स आइडेंटीफाई किए हैं, जहां सरप्लस बेसिन से डेफिसिट बेसिन पर पानी ट्रांसफर करना है। इंटर स्टेट लिंक्स के लिए जो डीपीआर स्टेट्स प्रपोज करके देते हैं, हम सिर्फ उसके अप्रेजल का काम करते हैं। माननीय सदस्य ने इंटर स्टेट लिंक्स का जो विषय रखा है, उसके संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि राज्य यदि इस तरह का प्रस्ताव करेगा, तो हम जरूर उसकी समीक्षा करके राज्य के सहयोग से काम करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्यों का इस विषय पर आग्रह है। मैंने कल ही माननीय सदस्यों से आग्रह किया था कि एक सप्ताह में एक प्रश्न पर एक ही सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी और यदि बहुत आवश्यक होगा तो दो सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछने दिए जाएंगे। कई माननीय सदस्य जो इस सप्ताह में सप्लीमेंटरी प्रश्न पूछ चुके हैं, उन्हें मौका नहीं मिलेगा। मेरा आग्रह है कि वे हाथ खड़ा न करें।

श्री राजीव प्रताप रूडी : अध्यक्ष जी, यह प्रशंसा का विषय है कि प्रश्न काल में चार विषय हैं और उन चारों का उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे हैं। ऐसा हमने कभी नहीं देखा कि इंटरलिंकिग, डैम, अवेयरनेस और ड्रिंकिंग वॉटर के संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर अकेले माननीय मंत्री जी दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं।

श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी : महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वे इस बात का विवरण देंगे कि नदी जोड़ो योजना में कहां काम प्रारम्भ हुआ है? ओडिशा में महानदी बेसिन, कृष्णा-गोदावरी का काम कब तक प्रारम्भ होगा और कब तक काम समाप्त होने की संभावना है? क्या यह सत्य है कि नदी जोड़ो योजना के द्वारा सरप्लस रेन वॉटर डेफिसिट एरिया को सहज रूप से ट्रांसफर हो जाता है और इसके फलस्वरूप सूखे का सहज प्रतिकार हो जाता है। क्या इससे नदी के अविरल प्रवाह में कोई अंतर आएगा और क्या इसके ऊपर कोई स्टडी हुई है? इसके द्वारा इरीगेशन, फिशरीज और विद्युत उत्पादन की क्या कोई योजना है, यदि हाँ, तो इसका विस्तृत विवरण देने के लिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि पहले दो प्रश्नों के जो उत्तर दिए गए थे, उन दोनों में इसका उत्तर समाहित था। मैंने सदन को हर्ष के साथ सूचित किया था कि पहली नदी जोड़ने की ऐसी परियोजना को कल ही कैबिनेट ने अनुमति दी है, क्योंकि शेष परियोजनाओं पर अभी राज्यों के बीच सहमति नहीं बनी है। अत: यह कहना कि वे कब प्रारंभ होंगी या कब तक समाप्त हो जाएंगी, मेरे लिए संभव नहीं होगा। जिस केन-बेतवा लिंक परियोजना को कल अनुमति दी गई है, उसमें जो कम्पोनेंट्स हैं, उन्हें माननीय सदस्य और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि 44 हजार करोड़ रुपये की लागत से केन और बेतवा के बीच में नदी जोड़ने के प्रकल्प को जो मंजूरी दी गई है, उसके माध्यम से बिजली का उत्पादन 138 मेगावाट का होगा। 25 मेगावाट बिजली नॉनकनवेंशनल रिसोर्सेज से आएगी। 62 लाख लोगों को पेयजल की सुरक्षा मिलेगी और लगभग 12 लाख हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के ऐसे क्षेत्र जो पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसते हैं, वहां सिंचाई की सुविधा हो सकेगी।

महोदय, मुझे लगता है कि उस पूरे एरिया के लिए यह निश्चित रूप से एक गेम चेंजर होगा। माननीय सदस्य ने फिशरीज के संबंध में जो प्रश्न किया है, मैं बताना चाहूंगा कि स्वीट वाटर फिशरीज को डेवलप करने के लिए ऐसे बांधों पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनें, इस हेतु माननीय प्रधान मंत्री जी का मार्गदर्शन कल ही प्राप्त हुआ है। निश्चित रूप से इस दृष्टिकोण से सोचते हुए हम उसमें काम करेंगे। जहां तक नदियों की अविरलता को लेकर माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है कि नदियों के हाइड्रोलॉजी को देखते हुए सरप्लस पानी जो बरसात के समय में होता है, उसी को इसके माध्यम से ट्रांसफर किया जाता है, इसलिए नदी के कंटीनुअस फ्लो को लेकर इसमें किसी भी तरह एडवर्स इम्पैक्ट इंटरलिंकेज के न हों, इसका विचार हम उसकी तथा हाइड्रोलॉजी की स्टडी के समय करते हैं।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नकाल प्रश्न संख्या –162, कुंवर दानिश अली।

(Q. 162)

कुंवर दानिश अली : सर, सेंट्रल हज कमेटी पिछले ढाई वर्षों में कॉंस्टीट्यूट क्यों नहीं हुई, इसका जवाब माननीय मंत्री जी ने दिया है। मेरे एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर दिनांक 2 दिसम्बर को माननीय मंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा था, उसमें भी यही प्रक्रिया समझाई गई। विभिन्न इंस्टीट्यूशन्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में आते हैं, उनका री-कॉंस्टीट्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? पिछले ढाई सालों में इस सदन से भी दो माननीय सदस्य कई इंस्टीट्यूशन्स में गए, लेकिन उनको भी नहीं लिया गया। मंत्री जी ने इसमें अंत में प्रक्रिया समझाते हुए लिखा है कि मैटर सब-ज्यूडिस है। मैटर पिछले ढाई सालों में सब-ज्यूडिस नहीं था। 3 दिसम्बर को कोर्ट ने नोटिस किया है, तो आप मैटर को सब-ज्यूडिस बता रहे हैं। हज कमेटी का कॉन्स्टीट्यूशन समय से न होने से पिछले कई वर्षों से काफी दिक्कत हुई है। भले ही पिछले दो सालों में हज यात्रा नहीं हुई हो, लेकिन 21 जगहों से हज के लिए जो फ्लाइट्स जाती थीं, जिनमें वाराणसी, चेन्नई राज्य भी थे। इस संबंध में कई मुख्य मंत्रियों ने पत्र भी लिखे हैं।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप कृपया अपना प्रश्न पूछें।

कुंवर दानिश अली : महोदय, मैं अपना प्रश्न पूछने जा रहा हूं। मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपको संरक्षण तब मिलेगा, जब आप प्रश्न पूछेंगे।

कुंवर दानिश अली : महोदय, मैं यह पूछना चाहता हूं कि आखिर यह री-कॉंस्टीट्यूशन क्यों नहीं किया गया? इसके साथ ही साथ हज की तरफ से यह भी सुनने में आता था कि काफी सब्सिडी दी जाती है। अच्छा हुआ कि यह सब्सिडी खत्म हो गई, क्योंकि जो हाजी थे, उनकी हज यात्रा पर जाने वाले समाज के लोगों से बार-बार यह पहल की जाती थी कि यह सब्सिडी महाराजा को न देकर इसे खत्म किया जाए। आज महाराजा टाटा को यह सुविधा दी जा रही है, क्योंकि पहले एयर

इंडिया को सब्सिडी दी जाती थी। वह सब्सिडी कभी हाजियों को नहीं दी जाती थी। सरकार ने यह वायदा किया था कि सब्सिडी खत्म करके मुस्लिम लड़कियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी।

मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि पिछले सालों में स्कॉलरशिप का कितना पैसा उन गरीब लड़कियों को दिया गया है?

श्री मुख्तार अब्बास नकवी: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि हज कमेटी और उसके कारण पूरी की पूरी हज व्यवस्था में दिक्कत आ रही है। मैं बताना चाहूंगा कि हज प्रक्रिया में हज कमेटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम तथा कई विभागों के साथ-साथ जद्दा में हमारे सीजीआई की पूरी टीम लगकर इस काम को करती है, ताकि हज सुगम तरीक से और सरल तरीके से हो सके।

महोदय, पिछले दो वर्षों से कोरोना महामारी के चलते और सउदी अरब किंगडम के जो भी दिशा-निर्देश हैं, उसके कारण हज वर्ष 2020 और वर्ष 2021 में नहीं हुआ। आपके माध्यम से हमें इस बात को कहने में खुशी है कि प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत से सबसे ज्यादा, इतिहास में, हज यात्री हज यात्रा पर वर्ष 2019 में जा चुके हैं। जितने भी देश हैं, उनमें यह संख्या सभी से ज्यादा है, केवल इंडोनेशिया के कुछ हजार ज्यादा हैं।

माननीय सदस्य जी को मैं केवल एक चीज बताना चाहूँगा कि `इज ऑफ डूइंग हज` की दृष्टि से कई रिफॉर्म इस दौरान किए गए हैं । इन रिफॉर्म्स में, जो आपने कहा हज सब्सिडी खत्म करना, उसके साथ-साथ महरम के साथ ही मुस्लिम महिलाएं हज यात्रा पर जा सकेंगी। यह जो बाध्यता थी, उसको खत्म किया गया और बिना महरम भी हज यात्रा पर हजारों की संख्या में मुस्लिम महिलाएं गईं। उन्होंने हज यात्रा की और इस बार भी अगर हज होगा तो जरूर करेंगी। इसके साथ-साथ हमने 100 परसेंट, पूरी की पूरी हज प्रक्रिया को ऑनलाइन और डिजिटल बनाया है। मुझे इस बात को इस सदन में कहने में खुशी है कि भारत पहला देश है, जिसने पूरी की पूरी

अपनी हज प्रक्रिया को ऑनलाइन और डिजिटल किया है, जिसकी वजह से पारदर्शिता आई है, जो मिडिल मैन हैं, उनका खात्मा हुआ है और सरल और सफल तरीके से हज यात्रा हो रही है। इसके अलावा ई-टैगिंग की व्यवस्था इसी दौरान, तीन-चार सालों के अंदर हमने की है। ई-मसीहा यानी कि जो भी हज यात्री जाते हैं, उनके स्वास्थ्य की, उनकी सुरक्षा की और सुविधा की व्यवस्था हम यहाँ और सउदी अरब में जो हमारा कांसुलेट है, वह करता है। मोबाइल ऐप, इस बार हमने, इससे पहले तीन सालों में जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं, वे डिजिटल आ रही हैं या मोबाइल ऐप के जरिए आ रही हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया कि जो बाध्यताएं थीं, उन्हें खत्म किया है। आपने एक बात कही कि हज सब्सिडी के खात्मे का आपको फायदा क्या हुआ है? फायदा क्या हुआ है मतलब उसका लाभ क्या हुआ है? देखिए, हज सब्सिडी हमारे समय, हमने तो की नहीं थी, हज सब्सिडी तो बहुत दिनों से एक झुनझुना था। झुनझुना भी नहीं था, बल्कि एक पॉलिटिकल छल था। मैं आपको केवल इतनी जानकारी देना चाहता हूँ कि हज सब्सिडी खत्म करने के बाद भी हमारी सरकार की ट्रांसपेरेंसी, हमारी सरकार की नेक-नीयती का नतीजा है कि जब सब्सिडी थी तो श्रीनगर से जो हज यात्री हज यात्रा पर जाते थे, उन्हें 1,97,783 रुपये देने पड़ते थे और जब हमने हज सब्सिडी खत्म कर दी तो हज यात्रियों को 86 हजार रुपया देना पड़ रहा है। इसी तरह से मंगलुरु से जो हज यात्री हज यात्रा पर हज सब्सिडी के साथ जाते थे, उन्हें एक लाख 33 हजार चार सौ कुछ रुपया देना पड़ता था। हज सब्सिडी खत्म करने के बाद 80 हजार रुपया मंगलुरु के हज यात्रियों को देना पड़ा। भोपाल से लेकर, नागपुर से लेकर, मुम्बई से लेकर सभी जगहों से बहुत बड़ी तादाद में, हज सब्सिडी खत्म तो हुई, लेकिन हज का किराया नहीं बढ़ा। इसका मुख्य कारण है कि बिचौलियों का और जो बीच में इस तरह के लोग गड़बड़झाला करते थे, उनका खात्मा हुआ है।

अब सवाल हज कमेटी का आता है। आपने कहा कि हज कमेटी के न बनने से सारे काम रूक गए। मैंने आपको पहले ही बताया कि हज प्रक्रिया में अलग-अलग विभाग, अलग-अलग संस्थाएं लगकर के काम करती हैं। उसमें हज कमेटी का भी महत्वपूर्ण योगदान और भूमिका है।

लेकिन, क्योंकि, दो वर्षों से कोरोना महामारी के कारण हज नहीं हो पा रहा है, वह प्रक्रिया प्रोसेस में थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पीआईएल वगैरह की, उसकी वजह से हम उसका पूरा डिटेल्ड उत्तर आपको नहीं दे पाये और इसीलिए मैंने कहा है कि मैटर सब-जूडिस है।

कुंवर दानिश अली : महोदय, माननीय मंत्री जी ने इधर-उधर की बात खूब की, लेकिन जो मेरा स्पेसिफिक प्रश्न था कि हज कमेटी पिछले 2.5 वर्ष में क्यों नहीं कांस्टीट्यूट हुई। कोर्ट में कोई पुराना हज कमेटी का मेंबर दिसम्बर में गया है। आपको परसों तीन तारीख को नोटिस मिला है।

आप कह रहे हैं कि पेंडेमिक के चलते हज कमेटी नहीं बनी। पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया है कि सेंट्रल हज कमेटी को कॉन्स्टीट्यूट करना है। कितने स्टेट्स में हज कमेटी काम कर रही है। यह आपकी जिम्मेदारी है। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर इस दौरान हज कमेटी होती तो आप कंसल्ट करते। आपने 11 इम्बार्केशन पॉइंट्स को खत्म कर दिया, चेन्नई से खत्म कर दिया, वाराणसी से जहां से पूरा पूर्वांचल, बिहार, ईस्टर्न यूपी के हाजी लोग जाते थे, वह खत्म कर दिया। मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में जितने इंस्टीट्यूशन्स हैं, आप उनको री-कॉन्स्टीट्यूट क्यों नहीं कर रहे हैं? जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, उनका कॉन्स्टीट्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? सेंट्रल वक्फ काउंसिल के लिए दो मैम्बर्स यहां से जाने चाहिए, आपने आज तक क्यों नहीं लिए? हज कमेटी क्यों नहीं कॉन्स्टीट्यूट की? आप सीधा-सीधा जवाब दीजिए। आप कहते हैं और आपका नारा **है** "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास", तो हज कमेटी वाला भी प्रयास करें। आप सब कुछ कंट्रोल में रखना चाहते हैं। …**(व्यवधान)**

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य भाषण मत दो, यह प्रश्न काल है। आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं आएगी। माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान) … *

---

* Not recorded

माननीय अध्यक्ष : आप उनकी तरफ नहीं, मेरी तरफ देखकर जवाब दीजिए। आप उनकी बात मत सुनो। कुछ रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

… (व्यवधान) … *

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : माननीय सदस्य खुद ही सवाल कर रहे हैं और खुद ही जवाब भी दे रहे हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि दो सालों से क्यों नहीं हुआ। अभी मैंने उनके प्रश्न के उत्तर में कहा कि दो वर्षों से कोरोना पेंडेमिक की वजह से हज यात्रा नहीं हुई। पूरा देश और पूरी दुनिया उससे दो-चार रही है। उसके अलावा हमने कहा कि वह प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन किसी सज्जन ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाल दी। वह मैटर सब-जूडिस है। हमने तो बहुत सिम्पल सा जवाब दिया है। आप नाराज क्यों हो रहे हैं। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री अब्दुल खालेक।

… (व्यवधान) …

श्री अब्दुल खालेक : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का मौका देने के लिए धन्यवाद। मंत्री जी ने बोला है कि यह सब-जूडिस है। क्यों सब-जुडिस है, यह नहीं बोला? प्रश्नकर्ता ने सटीक ही पूछा कि सिर्फ हज कमेटी ऑफ इंडिया ही नहीं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल में इस हाउस से भी दो मैम्बर्स जाते हैं, उसका भी री-कॉन्स्टीट्यूशन नहीं हुआ। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं, क्योंकि आप नॉमिनेट करते हैं, हज कमेटी ऑफ इंडिया और सेंट्रल वक्फ काउंसिल का तुरंत री-कॉन्स्टीट्यूशन होना चाहिए। हज सब्सिडी पर बोला गया था कि सब्सिडी के पैसे से मुस्लिम कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा। प्रश्नकर्ता ने प्रश्न भी पूछा था, लेकिन मंत्री जी ने वह जवाब नहीं दिया। …(व्यवधान) उसका जवाब चाहिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान) …

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल कान्स्टीट्यूटेड है और वह काम कर रही है। थैंक यू। …(व्यवधान)

कुंवर दानिश अली : इस हाउस से मैम्बर्स क्यों नहीं लिए? … (व्यवधान)

HON. SPEAKER: Kanimozhi ji.

… (*Interruptions*)

SHRI T. R. BAALU : Hon. Speaker, Sir, more than 10,000 applicants are waiting in Tamil Nadu for Haj pilgrimage. The other day, I raised this issue. I would like to know whether there is any response to the Tamil Nadu Chief Minister's letter which he has written long back. We are waiting for the answer; the Government of Tamil Nadu is waiting for the Minister's answer. I would like to know whether there is an affirmative answer to restore Chennai as ferrying point. … (*Interruptions*)

श्री मुख्तार अब्बास नकवी : आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय बालू जी से आपके निर्देश पर हम लोग, बाद में, मिले थे। इस बार के हज के लिए हम लोग उम्मीद जगाए हुए हैं कि इस बार हज हो। इस बार का जो हज है, वह विशेष परिस्थितियों में हो रहा है। हज करने के लिए हमें सउदी अरब किंगडम जाना होता है और उस सरकार के जो भी प्रॉटोकोल एवं दिशा-निर्देश हैं, उनका हम पालन करते हैं तथा हमें करना ही चाहिए। सर, इन परिस्थितियों में हमारी जो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं … (व्यवधान) मैं बताता हूं। …(व्यवधान) Baalu *ji*, I will let you know. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: No, Baalu ji.

… (*Interruptions*)

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Baalu *ji*, please, I am informing you. … (*Interruptions*) इस दृष्टि से जो बात बालू जी कह रहे हैं, यह बात सही है कि 21 इम्बार्केशन पॉइंट्स थे यानी 21 हवाई अड्डों से हज यात्री जाते थे। लेकिन इस बार दस हवाई अड्डों से जाना है। हम अभी बायलेटरल एग्रीमेंट का वेट कर रहे हैं। सउदी अरब से बाइलेटरल एग्रीमेंट होगा, उनके क्या दिशा-निर्देश होंगे, क्या चीजें होंगी, उसके बाद हम देखेंगे।

माननीय अध्यक्ष : प्लीज़ आप बैठिए, मैं बताता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने क्या जवाब दिया है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने कहा है कि उस देश की गाइडलाइन की पालना करेंगे और उस गाइडलाइन का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ठीक-ठीक जवाब दिया है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर 163 – श्री अरूण कुमार सागर- उपस्थित नहीं।

… (व्यवधान) …

(Q.163)

श्री श्याम सिंह यादव : माननीय मंत्री जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जौनपुर से बनारस जाने वाली सड़क और जौनपुर से सुल्तानपुर जाने वाली सड़क काफी हद तक तो बन गई है, लेकिन बीच-बीच में कई किलोमीटर के उसमें पैचेज़ हैं, जो अभी नहीं बने हैं। जिससे पैसेंजर्स को बहुत तकलीफ होती है, बहुत इनकनवीनियंस होती है तो यह कब तक पूर्ण रूप से बन जाएगी?

जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह: अध्यक्ष जी, वैसे यह सवाल बहुत पर्टिक्युलर था और सीतापुर और बरेली की बीच की रोड से संबंधित था। जहां तक माननीय सदस्य का सवाल है, अगर वे मेरे पास आते हैं तो मैं उनको पूरे तरीके से वाकिफ करा दूंगा। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : केवल क्वालिटी का सवाल था।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे जी ।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : माननीय अध्यक्ष महोदय, जबकि मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि परियोजना में लगे पर्यवेक्षण सलाहकारों ने नियमित रूप से काम की गुणवत्ता की निगरानी की है। मेरा सवाल गुणवत्ता की निगरानी के ऊपर ही है। मेरे चुनाव क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 540 पलिदरी से शहपुर, मुडवार, कर्जत, जाते हुए यह रास्ता मुंबई-आगरा और मुंबई-गोवा राजमार्ग को जोड़ता है। करीब 91 किलोमीटर का यह रास्ता है और मैंने कई बार शिकायत भी की है कि इसका काम पूरी गुणवत्ता से नहीं होता है। आज भी काम चालू है। बारिश की वजह से वहां गड्ढे बन गए हैं। एक वर्ष में पूरी तरह से उस रास्ते का किया हुआ काम खराब हो गया है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि इस गुणवत्ता की जांच कौन करेगा? राष्ट्रीय राजमार्ग का यह काम आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। इसकी निगरानी एमएसआरडीसी करती है। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? एमएसआरडीसी इसकी जवाबदेही लेगी या आपका मंत्रालय इसकी जिम्मेदारी लेगा? यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ।

जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह : अध्यक्ष जी, वैसे यह सवाल इससे संबंधित नहीं है । मैं माननीय सदस्य को सिर्फ एक मोटा-मोटा बताना चाहता हूँ कि नैशनल हाईवे के किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, चाहे कहीं भी चल रहा हो, वहां पर एक सुपरविज़न कनसल्टेंट को नियुक्त किया जाता है, जो कि न तो कॉन्ट्रेक्टर का होता है और न ही एनएचएआई का होता है । यह क्वालिफाइड व्यक्ति होता है, जिसको इस चीज़ की जिम्मेदारी दी जाती है कि वह गुणवत्ता को चैक करे । इसके अलावा अथॉरिटी इंजिनियर होता है, जो कि फिर से स्वतंत्र होता है, जिसको यह काम दिया जाता है । अगर आपको इसके अंदर कोई शिकायत मिलती है तो आप हमारे पास ले कर आएं ।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे : मैंने चार बार शिकायत की है । …(व्यवधान)

जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह : आप हमसे शिकायत कर के मुझे दीजिए, उसके ऊपर एक्शन होगा । …(व्यवधान)

श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर : अध्यक्ष महोदय, नैशनल हाइवे 930 वनी, वरोरा, शेंबल और पलाटा की जमीन अधिग्रहण मुहावज़े में काफी अंतर है । एनएच 361 के पास की जमीन का अधिग्रहण न होना, एनएच का काम रात में न करने की परमिशन महाराष्ट्र माइनिंग डिपार्टमेंट ने नहीं दी है, जिससे काम की गति पर असर हो रहा है । डब्ल्यूसीएल भी, जो कि नैशनल हाईवे के काम में लगी है, डब्ल्यूसीएल और माइनिंग डिपार्टमेंट दोनों रॉयल्टी चार्ज कर रहे हैं । दुगुनी रॉयल्टी की वजह से कॉन्ट्रेक्टर का नुकसान हो रहा है । यह सब समस्याएं कब दूर होंगी?

जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. वी.के. सिंह : अध्यक्ष जी, समस्या प्रदेश की है । रॉयल्टी प्रदेश चार्ज करता है । इसके लिए समय भी प्रदेश नियुक्त करता है । आप प्रदेश सरकार से अगर इस चीज़ का निवेदन करेंगे तो यह सॉल्व हो सकता है । जहां तक मुआवज़े का सवाल है, उसके लिए स्टेट की रेवन्यु अथॉरिटी नियुक्त करती है । जहां तक एनएचएआई का सवाल है, जो अथॉरिटी नियुक्त करती है, वह मुआवज़ा हम पे कर देते हैं ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 164, श्री बालाशौरी वल्लभनेनी ।

(Q.164)

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI : Hon. Speaker, Sir, the MSME sector is playing a very crucial role in the balanced growth of our economy. The sector is not only generating huge employment but is also making a significant contribution in country's export business. Unfortunately, the incentives which are needed to be given to this sector, are missing. We have also not been able to create a MSME-friendly environment in the country; as a result, the entire sector is in distress.

Sir, recently, while replying to the Starred Question no. 36 on 30.11.2021, the hon. Minister of State in the Ministry of Home Affairs informed the House that 11,716 businessmen had committed suicide, which is almost 30 per cent more compared to last year. It can easily be said that most of those businessmen must be from the MSME sector.

In such a situation, small traders and entrepreneurs from MSMEs are eagerly looking to Parliament to find a solution to their problems.

Therefore, I would like to know from the hon. Minister as to what are the monetary, fiscal and other new measures being proposed by the Government to give required boost to the MSME sector? What measures are being proposed to encourage entry of more entrepreneurs in this sector?

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यदि आप प्रश्न को लिखकर लाते हैं तो भी शॉर्ट में लिख कर लाइए। यदि प्रश्न शॉर्ट में पूछेंगे और शॉर्ट में ही उत्तर दी जाएगी तो अच्छा रहेगा। क्योंकि, प्रश्न काल एक घंटे का रहता है। इस एक घंटे में 20 क्वेश्चंस हैं। जिन 20 की लॉटरी आई है, उनके साथ अनजस्टिस हो जाएगी। आप शॉर्ट में जवाब दें और शॉर्ट में क्वेश्चन पूछें तो ठीक रहेगा।

श्री नारायण राणे: माननीय अध्यक्ष महोदय, सम्मानीय सदस्य ने महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। अभी कोरोना का कार्यकाल है। कोरोना काल होने की वजह से जीडीपी पर असर हुआ है। हम इस क्षेत्र को बढ़ावा इसलिए देना चाहते हैं कि हमें बनाना है 'आत्मनिर्भर भारत' ।हमें उद्योग क्षेत्र में काफी काम करना है ।इसलिए , हमने माइक्रो, स्मॉल और मीडियम सेक्टर में काफी योजनाएं शुरू की हैं। मैं चार-पाँच योजनाओं के बारे में पढ़कर बता देता हूँ। इसमें पी.एम.ई.जी.पी., पंतप्रधान रोजगार सृजन योजना, एस.एफ.यू.आर.टी.आई. योजना, खादी ग्रामीण उद्योग और ऐसे ही क्रेडिट गारंटी स्कीम आदि हैं। हमारी ये सभी योजनाएँ है। पिछले साल जीडीपी कम हुई थी, अब उसकी रिकवरी करने के लिए हमने इन योजनाओं को शुरू किया है।

महोदय, हमारे माननीय पंतप्रधान मोदी जी ने इन योजनाओं के लिए काफी फंड भी दिया है।

SHRI BALASHOWRY VALLABHANENI : Hon. Speaker, Sir, considering the significant contribution of MSME sector to the GDP, there is an urgent need to find ways and means to help MSME sector. However, due to the poor cash flows and less demand for end products together with the COVID impact, most of the units are struggling to maintain their standard account status with banks.

Therefore, I would like to put one question to the hon. Minister. What pro-active steps are being taken by the Government to assist these MSMEs to overcome these problems?

श्री नारायण राणे: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इन योजनाओं के बारे में पढ़कर बताया है। इन सभी योजनाओं में केन्द्र सरकार ने काफी पैसा दिया है। इन योजनाओं के लिए हमारे पी.एम. साहब ने साढ़े चार लाख करोड़ रुपए दिए हैं। इन सभी योजनाओं की प्लानिंग हो चुकी है। इसका भी ब्योरा आने वाले मार्च 2022 में आ जाएगा कि इन पाँच सालों में हमने जीडीपी में कितना ग्रोथ किया है।

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI : Sir, in your reply, you have said that there are over 49,000 MSMEs in Tamil Nadu. In a policy note by Tamil Nadu, in 2017-18, they have mentioned that after demonetization, GST and COVID-19, around 50,000 MSMEs have closed down and many are on the verge of closing down. You have mentioned that there are a lot of Government schemes for MSMEs. There are a lot of MSMEs in my Constituency Thoothukkudi. When I spoke to the people over there and to the MSMEs, they seem to have got none of the schemes and they are not even aware of it. What are you doing to reach out to these MSMEs which are on the verge of closing down? If these MSMEs are closed down, then it will have a very bad impact on the economy of the country.

श्री नारायण राणे: महोदय, कोरोना के कार्यकाल में जो उद्योग बंद हुए हैं और अभी जो बंद होने जा रहे हैं, ऐसा आपका प्रश्न है। मैं इसमें कहना चाहता हूं …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: उनका प्रश्न है कि उद्योगपतियों को इन स्कीमों की जानकारी नहीं है।

… (व्यवधान)

श्री नारायण राणे: माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा कैसे हो सकता है? उद्योगपतियों को जानकारी नहीं है तो बंद कैसे हुए? जो बंद हुए हैं, हमने जो सर्वे किया है, उसमें जो बंद निकले हैं, उनकी संख्या हमने यहां लिखी है। जो बंद नहीं हुए हैं या होने वाले हैं, उनकी संख्या इसमें नहीं है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप यह बताएं कि उद्योगपतियों की जानकारी के लिए अभियान चलाएंगे? माननीय सदस्या यह पूछना चाहती हैं।

श्री नारायण राणे: महोदय, अभियान चलाएंगे और ऑन लाइन भी बताएंगे। हम इसके लिए अभियान भी चलाएंगे और इसकी जानकारी भी दे देंगे।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 165. – श्री एस. मुनिस्वामी - उपस्थित नहीं।

(Q.165)

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, in our State, there is a scheme for all educational institutions. If any educational institution is paying an electricity Bill for more than Rs. 10,000, then a solar plant is being installed there. Practically, it could not reach every institution. Some institutions have got it. My question is this. If this kind of solar plant is installed in every educational institution, then it will have two benefits. First, an educational institution will not have to pay a huge amount as electricity cost. Secondly, it can reach even to the rural areas where they face low voltage and face a lot of problems, particularly in summer. Does the Ministry have this kind of scheme?

SHRI RAJ KUMAR SINGH: Hon. Speaker, we do not have specific scheme for institutions. We assist the States in setting up solar parks of large grid scale, of about 500 megawatts to 2000 megawatts each. We have a scheme for rooftop. But that does not extend to educational institutions. So, this is an area for which we do not have any subsidy scheme as of now.

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 166, प्रो. सौगत राय ।

(Q.166)

PROF. SOUGATA RAY : Sir, the Minister has given a reply which is very skimpy. My question was whether the Government has taken any step to improve civil aircraft manufacturing in India. Now, we have to buy of almost seven lakh crore rupees worth aircraft from Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier etc. every year. They are dominating the whole market.

Now, it was expected that with 'Make in India', we shall be starting to manufacture civilian aircraft. May I know from the hon. Minister what steps he is taking to start real manufacturing of passenger aircraft in India?

We have done well in the field of military aircraft. But in passenger aircraft we are far behind. Will the young, enthusiastic Minister take some steps in this regard?

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Hon. Speaker, Sir, the hon. Member is very correct that the civil aviation sector consists of just not only airline operations and airport operations, but the whole ecosystem must also develop. In order for that ecosystem to develop, the industry must go from nascency towards growth phase, which is where we are going today. So, not only airlines and airports, but MROs, FTOs, aircraft manufacturing are very important parts for the growth of the civil aviation sector in any country.

There are two methods to look at this. One is a top-down approach where you build a whole aircraft; or, a bottom-up approach from where you look at building components rising to the level of aircraft.

Sir, I am pleased to report, through you, to the House that India has advanced tremendously over the last three or four years towards manufacturing full aircraft. At the date today, we have Boeing and Tata in a joint venture called Tata Boeing Airspace Limited which is today manufacturing Apache Fuselage in India for not only operations within India but internationally as well. They are being exported. Also, Airbus has tied up with Tata Advance Systems to put in a joint bid to replace the Avro aircraft of the IAF with Airbus C-295 machines for medium transport. Along with that Hindustan Aeronautics Limited, which is really the lynchpin of our manufacturing capability in India, has taken five very important steps in the area of aircraft manufacturing.

First, two civil aviation Donear 228 have already been manufactured in India and is being provided to Alliance Air. Second, under `Make in India' we are manufacturing today, as Prof. Saugata Roy ji mentioned about *Atmanirbhar Bharat'* the Indian version of the Donear 228 which is called the `Hindustan 228' in India and six civil aircraft are under production with our internal funding of HAL. Third, there is an MoU that HAL has entered into with CSR and National Aerospace Laboratories to produce the Saras aircraft. The Saras aircraft is a 14-seater turboprop aircraft which would be used for regional transport within India. Fourth, we are also producing a 90-seater light

transport aircraft within India, again with CSR, to give a new impetus to regional transport. Finally, the LH, the light helicopter Dhruv is also being produced by HAL.

So, we are progressing very rapidly in this area of manufacturing of aircraft which the hon. Member Prof. Saugata Ray rightly pointed out and it is very important to provide the core impetus for aircraft and airlines in the civil aviation sector in India.

PROF. SOUGATA RAY : Sir, China has already built up its own aircraft manufacturing capacity. Brazil has nationalised Embraer and they are manufacturing airplanes. Now, when we are buying small aircrafts, Indigo has ordered 50 ATR-72. Now, these smaller aircraft are necessary for the Udan Scheme to have local taxi services.

Now, my question is this. As the hon. Minister rightly mentioned, the Tata Advance System and Mahindra Airspace are building capacity to manufacture aircraft and only Reliance Defence owned by Shri Anil Ambani is a non-starter. I would like to know from the hon. Minister whether any replacement for ATR-72 is being planned by the Ministry and whether the hon. Minister is putting in place a system to regulate the air taxi system for flying short distances of air taxis under the Udan Scheme.

12.00 hrs

SHRI JYOTIRADITYA M. SCINDIA: Sir, through you, I would like to place on the Table of the House that as far as short distance is concerned, we have two optional aircraft possible to ply for short distances under UDAN. Those short distances are in the range of 300 nautical miles and upwards. That is ATR-72. There is another version of that, a smaller version, called the ATR-42 but we have not got enough fleet as of today. There is also a Bombardier Q400. Both these aircraft are turboprop aircraft which have a capacity of between 55 and 72 seats which are used to ply these routes. UDAN has been a very successful Scheme in terms of viability gap funding to connect the previously unconnected or under-connected locations and under that Scheme, not only have we provided connectivity between smaller cities and large metros but we have also built 63 airports, heliports and waterdromes.

So, our dream is of making sure that we grow from the earlier 74 airports prior to 2014 to 138 airports that we have today which means we have almost doubled the number of airports within seven years. Along with that, we plan to grow to 220 airports in the next four to five years. So, increasing the infrastructure is our imperative and we will surely deliver on that.

I would like to apprise the hon. Member on this aspect.

***WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**
(Starred Question Nos.167 to 180
Unstarred Question Nos.1841 to 2070)
(Page Nos.54 to 646)

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

12.01 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय अध्यक्ष : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

डॉ. वी. के. सिंह जी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (**जनरल** (**सेवानिवृत्त**) **डॉ. वी.के. सिंह**) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 45 की उपधारा (2) के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2020, जो 19 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं.एवी/28060/4/2018-एसडीआईटी(ईआर)-एमओसीए में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5372/17/21]

(2) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 की धारा 37 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, वित्त संवर्ग (उप महाप्रबंधक (वित्त और लेखा), प्रबंधक (वित्त और लेखा), उप प्रबंधक (वित्त और लेखा), सहायक प्रबंधक (वित्त और लेखा) और लेखाकार) (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2020 जो 04 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11012/248/2015-प्रशासन में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) तीसरा संशोधन विनियम, 2020 जो 20 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11012/248/2015-प्रशासन में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि तथा सेवा की अन्य शर्तें) चौथा संशोधन नियम, 2015 जो 12 अक्तूबर, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 774(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सदस्यों की पदावधि तथा सेवा की अन्य शर्तें) (संशोधन) नियम, 2017 जो 6 नवम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1370(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2021 जो 12 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 792(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(3) उपर्युक्त (2) की मद संख्या (एक) से (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5373/17/21]

(4) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.3092(अ) जो 2 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के किलोमीटर 229/2 से 243/6 किलोमीटर तक रीवा बाईपास की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दो) का. आ. 3166 (अ) जो 6 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 69 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 46) के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 8.310 (विद्यमान किलोमीटर 0.000 से

किलोमीटर 8.310) तक और डिजाइन किलोमीटर 20.700 से किलोमीटर 61.500 (विद्यमान किलोमीटर 20.700 से किलोमीटर 63.000) तक ओबेदुल्लागंज से ईटारसी खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तीन) का. आ. 3358 (अ) जो 17 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-46) के डिजाइन किलोमीटर 255.300 से किलोमीटर 301.200 (विद्यमान किलोमीटर 255.300 से किलोमीटर 301.200) तक गौहरगंज से भोपाल खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चार) का. आ. 3412 (अ) जो 19 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 75/76 के डिजाइन किलोमीटर 124.732 से किलोमीटर 162.132 तक झांसी-खजुराहो खंड और राष्ट्रीय राजमार्ग-75 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग-39) के किलोमीटर 57.936 से किलोमीटर 74.000 तक बमीठा-सतना खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पांच) का. आ. 3459 (अ) जो 24 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 354ड़ के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 50.885 तक डबवाली-सितुगुन्नो-अबोहर खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(छह) का. आ. 3506 (अ) जो 26 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 95 और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 के डिजाइन किलोमीटर 0.000 से किलोमीटर 86.199 तक और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 (रूपनगर की ओर) के किलोमीटर 0.445 भाग तक चंडीगढ़ लुधियाना खंड की चार और अधिक लेन खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सात) का. आ. 3589 (अ) जो 2 सितंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग- 53 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 6) के डिजाइन चैनेज किलोमीटर 360.000 से किलोमीटर 422.700 (विद्यमान चैनेज किलोमीटर 359.310 से किलोमीटर 423.680 तक चिखाली-तरसोड खंड के लिए दिनांक 29 अप्रैल, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1711(अ) में संशोधन किए जाने के बारे में हैं।

(आठ) का. आ. 3590 (अ) जो 2 सितंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 42 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग- 219) के डिजाइन किलोमीटर 58.600 से किलोमीटर 140.040 (विद्यमान किलोमीटर 58.600 से किलोमीटर 140.680) तक पलामानेरू से कृष्णागिरी खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(नौ) का. आ. 3616 (अ) जो 3 सितंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 16 (पुराना राज्य राजमार्ग 107) के डिजाइन किलोमीटर 15.320 से किलोमीटर 85.204 (राज्य राजमार्ग 107 के विद्यमान किलोमीटर 15.700 से किलोमीटर 81.400) तक गुंडुगोलानू-देवारापल्ली-कोवुरु खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(दस) का. आ. 3620 (अ) जो 6 सितंबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 के डिजाइन किलोमीटर 140.000 से किलोमीटर 188.826 (विद्यमान किलोमीटर 140.000 से किलोमीटर 188.800) तक लखीमपुर-सिसैया खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(ग्यारह) का. आ. 3654 (अ) जो 9 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 के किलोमीटर 380.000 से किलोमीटर 440.000 तक पिम्पलगांव-नासिक-गोंडे खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बारह) का. आ. 3655 (अ) जो 9 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 552 के विस्तार के मिहोना से लाहर से दबोह खंड के डिजाइन किलोमीटर 2.800 से किलोमीटर 10.955 और डिजाइन किलोमीटर 17.335 से किलोमीटर 36.540 और दबोह से भंदेर से उत्तर प्रदेश सीमा खंड के डिजाइन किलोमीटर 40.230 से किलोमीटर 70.525 और डिजाइन किलोमीटर 76.900 से किलोमीटर 89.860 तक परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेरह) का. आ. 3759 (अ) जो 15 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राष्ट्रीय राजमार्ग- 4 की हुबली-धारवाड़ बाईपास की परियोजना के लिए दिनांक 22 जुलाई, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ. 2414(अ) में प्रकाशित प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना में संशोधन के बारे में है।

(चौदह) का. आ. 3955 (अ) जो 14 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 43 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 78) मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ सीमा से सूरजपुर खंड तक डिजाइन किलोमीटर 245.000 से किलोमीटर 323.100 (विद्यमान किलोमीटर 245.000 से किलोमीटर 331.000) तक की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(पंद्रह) का. आ. 3965 (अ) जो 25 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 के किलोमीटर 536.000 से किलोमीटर 430.100 (लंबाई 105.900 किलोमीटर) तक पालनपुर-राधनपुर-समखियाली खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सोलह) का. आ. 4074 (अ) जो 5 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग- 731 और नया राष्ट्रीय राजमार्ग-31) के डिजाइन किलोमीटर 209.230 से किलोमीटर 272.590 तक (विद्यमान किलोमीटर 205.000 से किलोमीटर 263.000 तक) सुलतानपुर-वाराणसी खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(सत्रह) का. आ. 4211 (अ) जो 11 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 1) के किलोमीटर 387.100 से किलोमीटर 456.100 तक जालंधर से अमृतसर खंड की परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 4212(अ) जो 12 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 168 के 0.00 डिजाइन किलोमीटर से 42.420 किलोमीटर तथा 43.250 डिजाइन किलोमीटर से 68.174 किलोमीटर तक थराड-धनेरा-पंथवाड़ा खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 4213(अ) जो 12 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो हरियाणा राज्य में एनएच-334ख के 0.000 किलोमीटर से

44.800 किलोमीटर तक उत्तर प्रदेश/हरियाणा सीमा से रोहना खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बीस) का.आ. 4214(अ) जो 12 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 (पुराना एनएच-59क) के 129.000 डिजाइन किलोमीटर से 271.400 किलोमीटर तक के खण्ड के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 4497(अ) जो 28 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग 168क के 0.00 डिजाइन किलोमीटर से 33.600 किलोमीटर (मौजूदा 0.00 किलोमीटर से 33.600 किलोमीटर) तक संचोरे से धनेरा से दीसा रोड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 4588(अ) जो 2 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 112 (नया एचएच-25) के 0.000 किलोमीटर से 109.655 किलोमीटर (मौजूदा चेनेज/0.00 किलोमीटर से 111.000 किलोमीटर) तक बार-बिलारा-जोधपुर खण्ड की चार लेन वाली परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 4593(अ) जो 3 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो गुजरात राज्य में एनएच-27 के 589.600 किलोमीटर से 536.000 किलोमीटर (लम्बाई 53.600 किलोमीटर) तक पालनपुर-राधनपुर-समखियाली खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 4765(अ) जो 17 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 (नया एचएच-44) के 546.420 डिजाइन किलोमीटर से 653.770 किलोमीटर तक लखनडोन से मोहगांव से खवासा से मध्य प्रदेश/महाराष्ट्र सीमा खण्ड परियोजना के लिए प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 5374/17/21]

(5) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड नियम, 2021 जो 6 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.क.नि. 615(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) अधिसूचना सं. आरटी-25014/1/2015-आरएस जो 29 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का पुनर्गठन किया गया है।

(तीन) का.आ. 3627(अ) जो 6 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 5375/17/21]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री कृष्ण पाल**) : अध्यक्ष महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:-**

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा-परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5376/17/21]

(2) दामोदर घाटी निगम**,** कोलकाता के वर्ष 2021**-**22 के वार्षिक बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5377/17/21]

(3) (एक) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुड़गांव के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए), गुड़गांव के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 5378/17/21]

(4) (एक)विनियामक मंच, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) विनियामक मंच, नई दिल्ली के वर्ष 2015-2016 से 2019-2020 के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले पांच विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5379/17/21]

(6) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 179 के अंतर्गत विद्युत (पारेषण प्रणाली आयोजना, विकास और अंतर-राज्यीय पारेषण प्रभारों की वसूली) नियम, 2021 जो 1 अक्तूबर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 711(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5380/17/21]

(7) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 59 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी दामोदर घाटी निगम (कामकाज का संचालन) (संशोधन) विनियम, 2021 जो 16 नवम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ सं.01/01/2020-डीवीसी में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5381/17/21]

(8) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 97 के अंतर्गत भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (संशोधन) नियम, 2021 जो 16 अगस्त, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 573(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5382/17/21]

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा) : अध्यक्ष महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:-**

(1) (एक) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2018-2019 और 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5383/17/21]

(3) (एक) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5384/17/21]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर तेली) : अध्यक्ष महोदय**,** मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति ।

(दो) ऑयल इंडिया लिमिटेड, डिब्रूगढ़ के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5385/17/21]

(2) (एक) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5386/17/21]

(3) (एक) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5387/17/21]

(4) (एक) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रह्मपुत्र क्रैकर एण्ड पॉलीमर लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 2020-2021 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5388/17/21]

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कौशल किशोर) : अध्यक्ष महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:-**

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5389/17/21]

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) महाराष्ट्र मेट्रो रेल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र मेट्रो रेल लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 5390/17/21]

(4) मेट्रो रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 1 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 3956(अ) जो 24 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नागपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज- । के 'जीरो माइल' मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर 'जीरो माइल फ्रीडम पार्क' किए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 4447(अ) जो 26 सितम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो सूरत मेट्रो रेल परियोजना कॉरिडोर- । और कॉरिडोर- ।। के संरेखण के बारे में है।

[Placed in Library, See No. LT 5391/17/21]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF JAL SHAKTI (ER. BISHWESWAR TUDU): I beg to lay on the Table:-

(1) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Mission for Clean Ganga, New Delhi, for the year 2020-2021.

(2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Polavaram Project Authority, Hyderabad, for the year 2020-2021.

(ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Polavaram Project Authority, Hyderabad, for the year 2020-2021.

[Placed in Library, See No. LT 5392/17/21]

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री जॉन बर्ला**) : अध्यक्ष महोदय**,** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं**:-**

(1) (एक) हज कमेटी ऑफ़ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(दो) हज कमेटी ऑफ़ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) हज कमेटी ऑफ़ इंडिया, मुम्बई के वर्ष 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5393/17/21]

(2) मौलाना आजाद एजूकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 5394/17/21]

12.03 hrs

COMMITTEE ON EMPOWERMENT OF WOMEN
5th Report

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): I beg to present the Fifth Report (Hindi and English versions) of the Committee on Empowerment of Women (2021-22) on the subject "Empowerment of Women through Education with Special Reference to 'Beti Bachao – Beti Padhao' Scheme".

___

12.03 ¼ hrs

COMMITTEE ON GOVERNMENT ASSURANCES

52nd and 53rd Reports

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ) : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) "आश्वासनों को छोड़ने के लिए अनुरोध (स्वीकार किए गए)" से संबंधित 52वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

(2) "आश्वासनों को छोड़ने के लिए अनुरोध (स्वीकार नहीं किए गए)" से संबंधित 53वां प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा)।

12.03 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON COAL, MINES AND STEEL

Statements

माननीय अध्यक्ष : श्री राकेश सिंह- उपस्थित नहीं ।

श्री कुनार हेम्ब्रम जी।

श्री कुनार हेम्ब्रम (झाड़ग्राम) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोयला, खान और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्रवाई विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) इस्पात मंत्रालय से संबंधित "इस्पात पीएसयू में सीएसआर क्रियाकलाप" के बारे में 48वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी पहले प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(2) "खान मंत्रालय के अधीन पीएसयू द्वारा सीएसआर क्रियाकलाप" के बारे में 49वें प्रतिवेदन (सोलहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी दूसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(3) कोयला मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2019-20)" के बारे में तीसरे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी दसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(4) इस्पात मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2019-20)" के बारे में पांचवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी बारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(5) कोयला मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2020-21)" के बारे में छठे प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी तेरहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(6) इस्पात मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2020-21)" के बारे में आठवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी पंद्रहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(7) कोयला मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2021-22)" के बारे में सोलहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी बाईसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(8) खान मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2021-22)" के बारे में सत्रहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी तेईसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(9) इस्पात मंत्रालय से संबंधित "अनुदानों की मांगों (2021-22)" के बारे में अठारहवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी चौबीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(10) कोयला मंत्रालय से संबंधित "कोयला संरक्षण और देश में कोयला ढुलाई के लिए अवसंरचना का विकास" के बारे में उन्नीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी पच्चीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

(11) इस्पात मंत्रालय से संबंधित "पट्टे पर दी गई लौह अयस्क खानों का विकास और इष्टतम उपयोग क्षमता" के बारे में बीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों संबंधी छब्बीसवें प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) के अध्याय-एक और पांच में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

12.04 hrs

STANDING COMMITTEE ON COMMERCE
165th and 166th Reports

SHRIMATI MANJULATA MANDAL (BHADRAK): I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Commerce:

(1) 165th Report on Action taken by Government on the recommendations/ observations of the Committee contained in its One Hundred and Fifty-ninth Report on Demands for Grants (2021-22) pertaining to Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry.

(2) 166th Report on Action taken by Government on the recommendations/ observations of the Committee contained in its One Hundred and Sixtieth Report on Demands for Grants (2021-22) pertaining to Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry.

12.04 ½ hrs

STATEMENTS BY MINISTERS … Contd.

(ii) (a) Status of implementation of the recommendations contained in the 251st Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2017-18) pertaining to the Ministry of Civil Aviation*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (GEN. (RETD.) DR. V. K. SINGH): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 251st Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2017-18) pertaining to the Ministry of Civil Aviation.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5367/17/21

(b) Status of implementation of the recommendations contained in the 263rd Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Civil Aviation*

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (GEN. (RETD.) DR. V. K. SINGH): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 263rd Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2018-19) pertaining to the Ministry of Civil Aviation.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5368/17/21.

(c) **Status of implementation of the recommendations contained in the 276th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Civil Aviation***

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL AVIATION (GEN. (RETD.) DR. V. K. SINGH): I beg to lay a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 276th Report of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture on Demands for Grants (2020-21) pertaining to the Ministry of Civil Aviation.

Sir, a majority of the recommendations have been accepted by the Government and action has been taken on these.

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5369/17/21.

12.05 hrs

(iii) Status of implementation of the recommendations contained in the 12th Report of the Standing Committee on Energy on 'Measures to Check Commercial Losses' pertaining to the Ministry of Power*

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल): अध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत मंत्रालय से संबंधित के बारे में ऊर्जा "वाणिज्यिक हानियों को रोकने के उपाय" संबंधी स्थायी समिति के 12**वें** प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 5370/17/21

माननीय अध्यक्ष: अधीर रंजन जी, बताइए कि आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): सर**,** मेरी एक छोटी सी बात है । आप मेरी बात को खत्म करने दीजिएगा । Sir, in the wake of the gruesome and tragic killings of the innocent civilians in Nagaland, the Congress Party's President, Madam, Shrimati Sonia Gandhi constituted a team of delegation with an intent to express the condolences to the bereaved families of Mon district of Nagaland.… (*Interruptions*)

But in a brazen and egregious manner, the delegation including the Members of Parliament, Shri Gaurav Gogoi and Shri Anto Antony were detained in the Assam area without any rhyme or reason.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह स्टेट गवर्नमेंट का मामला है।

… (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, in this House, the Home Minister has given a misleading statement.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : यह राज्य का मामला है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री अर्जुन राम मेघवाल**)**:** होम मिनिस्टर साहब ने पूरा स्टेटमेंट दे दिया है।

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY : He has told that those people who have been shot dead after being signalled to stop.… (*Interruptions*).

माननीय अध्यक्ष : राम मोहन नायडू जी।

… (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: But the people who have been admitted in the hospital are saying that they have been shot directly.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : राम मोहन नायडू जी**,** क्या आप बोलना चाहते हैं**?**

… (व्यवधान)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU (SRIKAKULAM): Thank you, hon. Speaker, Sir, for giving me this opportunity to speak in 'Zero Hour' regarding a very important issue of the State of Andhra Pradesh. … (*Interruptions*) This is regarding the creation of a new railway zone. … (*Interruptions*)

In February, 2019, the Central Government had promised to create a new railway zone under the name of South Coast Railway Zone for the State of Andhra Pradesh. … (*Interruptions*) It has already been around three years. … (*Interruptions*).

Sir, recently I asked a question to the Railway Ministry how much budget was allocated for the year 2021-22 for the creation of the railway zone and they have replied. … (*Interruptions*) It is just rupees forty lakh.… (*Interruptions*) This is not just the lack of commitment from the Central Government towards the creation of the railway zone, it is purely an insult to the State of Andhra Pradesh. … (*Interruptions*) Rupees forty lakh is not just for a building that we are talking about, but it is regarding the creation of a new railway zone.… (*Interruptions*)

On top of this, yesterday another question has been answered by the Railway Department. … (*Interruptions*) In that question, there was a part which asks about the existing railway zones in the country. … (*Interruptions*) In the answer, the South Coast Railway Zone has not been mentioned. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दे चुका हूँ।

… (व्यवधान)

SHRI RAM MOHAN NAIDU KINJARAPU: Sir, just one minute I am completing. They also asked a question: Are there any new railway zones that have been created?… (*Interruptions*) In the answer, South Coast Railway Zone has not been mentioned.…(*Interruptions*) Sir, it is not in existence.… (*Interruptions*) It is not in the list of the railway zones created.… (*Interruptions*)

So, we demand a clarity from the Central Government on this issue.… (*Interruptions*) Is it being created or not?… (*Interruptions*) How much Budget has been allocated?.… (*Interruptions*) On behalf of the people of Andhra Pradesh, especially the people of Uttarandhra, we demand the new railway zone from the Central Government and the operation should start immediately.… (*Interruptions*)

On top of that, Railway Recruitment Board examination should also be conducted from Visakhapatnam and seven stations from Khurda Road Division should be added to the South Coast Zone. Their names are Palasa, Mandsaur,

Summadevi, Baruva, Sompeta, Jhadpudi and Ichchapuram. These seven stations from Khurda Road Division should be included in the South Coast Railway Zone.… (*Interruptions*)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे (कल्याण): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । मैं इस सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ । भारतीय रेल की जो जगह है और जहां पर डिलेपिडेटेड स्टाफ क्वार्टर्स हैं, उसके संबंध में यह विषय है । भारतीय रेलवे के पास काफी एरिया में अनऑक्यूपाइड लैंड है । मेरी जानकारी में भारतीय रेलवे के पास 43 हजार हेक्टेयर वेकेंट लैंड है, जिसमें से सेन्ट्रल रेलवे के पास 2022 एकड़ जमीन खाली है ।

कई जगहों पर पहले स्टार्फ क्वार्टर्स हुआ करते थे, जो वर्तमान में जर्जर हालत में हैं और खण्डहर हो चुके हैं । …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर**,** आप मुझे एक मिनट का समय दीजिए ।

माननीय अध्यक्ष : आज के दिन बैठ जाइए ।

… (व्यवधान)

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: सर, ऐसी जमीन और इमारतों के पुनर्निर्माण का कार्य रेल लैण्ड डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिया गया है । आरएलडीए को जुलाई, 2021 में मुंबई की सुपारी बाग कॉलोनी दी गई है । आरएलडीए वर्ष 2020 में दिल्ली की बुलिवर्ड रोड रेलवे कॉलोनी के अलावा, पूरे देश में 84 रेलवे कॉलोनीज रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और इसके अंतर्गत पुराने स्टाफ क्वार्टर्स को डिमॉलिश करके वहां पर रेजिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज डेवलप कर रही है । इनमें से, कल्याण में 21 एकड़ जमीन पर काम सितम्बर, 2020 में आरएलडीए को दिया गया था, लेकिन इसमें कोई भी कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है । …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अधीर रंजन चौधरी जी, आपका क्या विषय है?

… (व्यवधान)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, our MPs have been detained before visiting Nagaland.… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट रुकिए, पहले माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी, आप बोलिए।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: सर, मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि सर्वप्रथम आरएलडीए की कार्यप्रणाली का रिव्यू तत्काल किया जाए, क्योंकि सारी परियोजनाओं में विलम्ब हो रहा है और कॉस्ट एस्केलेशन हो रही है, इसलिए आरएलडीए की इफेक्टिवनेस पर सन्देह उठता है। मुझे लगता है कि जैसे हम स्टेशन रिडेवलपमेंट में पीपीपी मॉडल को अपना रहे हैं, उसी तरह रेलवे की खाली जगह और कॉलोनीज के रिडेवलपमेंट के लिए भी पीपीपी मॉडल को एक्सप्लोर किया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा रेलवे क्वार्टर्स रेलवे को मिलेंगे। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, दो किस्म के मुद्दे हैं। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : एक मिनट रुकिए, पहले माननीय सदस्य को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे: सर, इससे रेलवे को अपने स्टाफ क्वार्टर्स मिलेंगे और इसके साथ ही रेलवे को प्राइवेट प्लेयर्स के माध्यम से कॉमर्शियल प्रापर्टी डेवलप करके राजस्व प्राप्ति के लिए मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। …(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि रेलवे मंत्रालय इस बात के बारे में सोचे, पीपीपी मॉडल का अवलम्बन करे और आरएलडीए के कारण जो देरी हो रही, उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। धन्यवाद। …(व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, पार्लियामेंट के अंदर होम मिनिस्टर जी ने कहा था कि जब उन लोगों को रुकने के लिए कहा गया तो वे भागने लगे और तभी गोली चलाई गई। लेकिन वहां के लोग कहते हैं कि वहां किसी ने कुछ नहीं कहा।

सर, बस दुख जताने के लिए हमारे एमपीज ने मैडम सोनिया गांधी जी के आदेश पर वहां जाने की कोशिश की थी कि नागालैण्ड के मोन जिले में जाएं और शोक संतप्त परिवारों से हम मिलें। उनसे दुख जताएं और कुछ नहीं था, लेकिन उन लोगों को रोका गया। … (व्यवधान) बाकी लोगों को जाने दिया गया। …(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल: यह हाउस का विषय नहीं है, यह राज्य का विषय है। … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह राज्य का विषय है।

… (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी: सर, यह सरकार हमें नागालैण्ड में जाने से रोकती है। …(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सर, यह हाउस का विषय नहीं है, यह राज्य का विषय है। … (व्यवधान)

श्री अधीर रंजन चौधरी : सर, सारे नॉर्थ ईस्ट के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। …(व्यवधान)

श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे (रावेर): सर, आपने मुझे मौका दिया में बोलने का 'ज़ीरो ऑवर', इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं। कोरोना की परिस्थिति में सभी स्कूल और कॉलेज के बच्चों की एजुकेशन ऑनलाइन हो रही है, अभी वे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी इंटरनेट की कमी होने के कारण, इंटरनेट का इश्यू होने के कारण बच्चों की एजुकेशन नहीं हो पा रही है और उनके एग्जाम्स नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए इस सन्दर्भ में मैंने कई बार कम्प्लेंट्स भी की हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूं कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, जो इंटरनेट के क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनको ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए कम्पलसरी-मैंडेटरी किया जाए और उसका डेटा सरकार की

तरफ भी जाना जरूरी है, क्योंकि हम जब भी कम्प्लेंट करने जाते हैं, वहां सरकार की तरफ से कोई भी नोडल ऑफिसर नहीं होता है। प्राइवेट कंपनीज इसका फायदा उठा रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों तक इंटरनेट की फेसिलिटी नहीं पहुंच पा रही है। इसके साथ ही आज बैंक्स में भी इंटरनेट में काफी इश्यूज आ रहे हैं, जिसके कारण आज बहुत से लोग सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। धन्यवाद।

SHRI P. R. NATARAJAN (COIMBATORE): Mr. Speaker, Sir, I thank you for giving me this opportunity to raise a matter of urgent public importance. I would like to impress upon the Government that there is an urgent need to implement the following suggestions for finding appropriate solutions so that the MSME sector is revived and the livelihood of lakhs of people in Coimbatore is saved. The first suggestion is that the prices of raw materials should be regulated so as to make the MSME sector competitive. My other suggestions are as follows: To reduce GST rates to appropriate level; to set-up skill training centre for MSME manpower at Coimbatore; separate marketing facilities for MSME, products bank for MSMEs; to stabilise prices of steel and cement and other vital points related to MSME sector; to give appropriate power subsidy and power facilities; and to have separate bank and industrial estates for MSME sector.

Sir, these are the few suggestions which need to be considered urgently. Thank you.

HON. SPEAKER: Shrimati Kanimozhi-ji: Not present

Dr. Heena Gavit.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI (THOOTHUKKUDI): Sir, I am here.

HON. SPEAKER: I will allow you after Dr. Heena Gavit's submission.

DR. HEENA VIJAYKUMAR GAVIT (NANDURBAR): Sir, I am thankful to you for allowing me raise an important issue related to my Nandurbar Parliamentary Constituency.

Sir, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana provides for covering habitations with population of 250 plus in plain areas and 100 plus population in North-East and Himalayan States, tribal areas, Schedule V Areas and desert areas, and 100 plus habitations for selected tribal and backward districts identified by the Ministry of Home Affairs as per Census 2001, which are to be covered under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.

Sir, my Constituency, Nandurbar is a Schedule V Tribal Area, which also is an Aspirational District, and it has a major tribal population. It also has a hilly terrain. The residents are under extreme distress because there is no connectivity of roads in the tribal areas.

So, I would request the Government to provide road connectivity to 100 plus population in my Nandurbar Parliamentary Constituency to cover the unconnected households. Thank you.

HON. SPEAKER: Now, Shrimati Kanimozhi.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Thank you, Sir.

According to the NFHS-5 Data, women have outnumbered men in terms of population in India. But still India ranks at a dismal position of 146 in women's representation in the country.

It has been 25 years since the Women's Reservation Bill was introduced, but nothing has happened. It was once passed in the Rajya Sabha. This Government, in their Election Manifesto, promised to pass this Bill, but they have not done anything about it.

Sir, more than 22 Questions, both Starred and Unstarred, have been asked since 2014 about this Bill. But the same answers have been given.

माननीय अध्यक्ष : शून्य काल में आपकी मांग क्या है? Put only demand.

SHRIMATI KANIMOZHI KARUNANIDHI: Yes, Sir. I have asked thrice about this Bill and got the same answer: "The Government is making a deep study; it is under careful consideration."

Sir, I want to know, when will this 'deep study', 'careful consideration' and 'trying to create a consensus among all the political parties' end? When will the Bill be passed? Thank you. … (*Interruptions*)

SOME HON. MEMBERS: Sir, we all associated on this. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Shri M.V.V. Satyanarayana: Not present.

Shrimati Himadri Singh.

श्रीमती हिमाद्री सिंह (शहडोल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। वर्ष 2009 में मेरे संसदीय क्षेत्र शहडोल के अंतर्गत मोज़र बेयर पावर प्लांट की स्थापना की गई थी, जिसके तहत जैतहरी, गुआरी, अमगवां, लहरपुर, मुर्रा, क्योटार, रोहिला, कछार, धुरवासीन, पड़ौर गावों के अनेक किसानों की भूमि का कंपनी द्वारा अधिग्रहण किया गया था। पावर प्लांट की स्थापना के बाद कई राज्यों को विद्युत सप्लाई की जा रही है, किन्तु किसानों को कंपनी के द्वारा न तो उचित मुआवजा दिया गया है और न ही रोजगार दिया गया है। आज की तारीख तक उनके जीवनयापन की कोई व्यवस्था नहीं हुई है और न ही रोजगार का कोई साधन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार के समक्ष यह मांग रखती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र शहडोल के ऐसे भू-आश्रित किसान परिवारों को जल्द से जल्द उचित मुआवज़ा व रोजगार प्रदान किया जाए। धन्यवाद।

श्री मलूक नागर (**बिजनौर**) **:** सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । जब पिछले दिनों भारत सरकार में रीशफल हुआ था तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने सदन में खड़े होकर पिछड़ों के बारे में बताया कि पिछड़ों में से ये-ये मंत्री लिए गए हैं। हम उनका दिल से धन्यवाद देते हैं कि पिछड़ों की बातचीत खुलकर हो रही है और उसमें भी इन कांग्रेसियों ने खिलाफत की है। मैं कहना चाहता हूं कि आपने लगभग 70 सालों तक पिछड़ों को नहीं देखा, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उनके वोट लिए, सरकार बनाई और मजे लिए। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपकी मांग क्या है**?** जीरो अवर में आरोप-प्रत्यारोप नहीं।

… (व्यवधान)

श्री मलूक नागर : अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग में जाट, यादव, गुर्जर, पाल, सैनी, कश्यप, सोनार, कुम्हार, इत्यादि सभी वर्ग जो क्रीमी लेयर से संबंधित सरकार ने वर्ष 1993 में क्रीमी लेयर की सीमा आठ लाख रुपए रखी थी। उस समय इनकम टैक्स स्लैब एक लाख रुपए

की थी, लेकिन अभी वह स्लैब साढ़े सात लाख रुपए की हो गई है, अगर इसको आधार मानें तो करीब 60 लाख रुपए होते हैं। इसलिए उस सीमा को आठ लाख रुपए से बढ़ा कर 60 लाख रुपए किया जाना चाहिए।

कल ज्यूडिशियरी से संबंधित एक अमेंडमेंट बिल आया था। ज्यूडिशियरी में भी जाट, यादव, गुर्जर, पाल, सैनी, कश्यप, सोनार, कुम्हार, इत्यादि सभी पिछड़े वर्गों के लोगों को भी रिजर्वेशन दिया जाए। देश में पिछड़े और दलित वर्गों की जो सीट्स खाली पड़ी हैं, सरकार उनको जल्द भरे।

श्री अनिल फिरोजिया (उज्जैन): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह मांग रखता हूं कि आगर-मालवा नैरो गेज को वर्ष 1975 में आपातकाल के समय में तात्कालीक कांग्रेस सरकार ने उखाड़ दिया था। यह रेल लाइन अंग्रेजों के जमाने से हमारे क्षेत्र में थी। यह लाइन आगर-झालावाड़-रामगंज तक बिछी हुई थी, जिससे ग्रामीणों को काफी फायदा हुआ था।

अध्यक्ष महोदय, तात्कालिक रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी एवं नीतीश कुमार जी, दोनों ने इसका सर्वे कराया है, लेकिन आज तक इसका काम चालू नहीं हो पाया है। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया उज्जैन वाया छालावाड़, दिल्ली तक प्रोजेक्ट का कार्य जल्द से जल्द शुरू हो जाए, तो वहां के क्षेत्र के लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। वह क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यह मेरी मांग है।

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): अध्यक्ष महोदय, हर खेत को पानी देना माननीय प्रधान मंत्री जी का भी सपना है और देश की नदियों को जोड़ने के काम में जिस तत्परता से भारत सरकार लगी हुई है, वह बधाई की पात्र है। मेरा लोक सभा क्षेत्र भिवानी-महेन्द्रग्रढ़ है, जहां वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया है। जब गडकरी जी मंत्री थे, तब छ: प्रदेशों - राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली का एमओयू केशव और रेणुका बांध के लिए हो चुका था। लखवार बांध भी बनना था, जिसका एमओयू अभी तक नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से

माननीय शेखावत जी से प्रार्थना करता हूं कि यमुना नदी पर तीनों बांधों में से दो के लिए एमओयू साइन हो चुके हैं। तीसरा लखवार बांध के लिए भी एमओयू साइन करवा कर जल्द से जल्द काम को पूरा करवाया जाए। मेरे क्षेत्र में हमें पीने के पानी की भी दिक्कती होती है। हम आपके माध्यम से आग्रह करते हैं कि यह काम जल्द से जल्द पूरा हो जाए, ताकि हमें पूरा पानी मिल सके।

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज): अध्यक्ष महोदय, सूर्य अराधना का महापर्व छठ पूजा हमारे देश का अत्यंत ही प्राचीन महापर्व है। यह पर्व देश में व्यापक स्तर पर बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। ऐसे पर्व पर राजपत्रित अवकाश की व्यवस्था नहीं है, इससे देश के करोड़ों-करोड़ श्रद्धालुओं को अपनी आस्था के निर्वहन में कठिनाई आती है। यह चार दिवसीय पर्व है। पर्व की विशेषता यह है कि छठवर्ती इसमें डूबते एवं उगते हुए, प्रकृति के साक्षात देवता भगवान सूर्य को नदियों में स्नान करने के बाद, नदी में ही खड़े हो कर अर्घ्य देते हुए पूजा-अर्चना करते हैं। यह महापर्व विश्व का अनोखा महापर्व है। इसलिए छठ पूजा के श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए, इस पर्व के शुभ अवसर पर राजपत्रित अवकाश घोषित किया जाना आावश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह छठ के महापर्व के शुभ अवसर पर राजपत्रित अवकाश देने की घोषणा करे। यह देश के सभी क्षेत्रों में मनाई जाती है। सभी जाति और धर्म के लोग इस पर्व को श्रद्धा के साथ मनाते हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना करता हूं कि इस अवसर पर निश्चित रूप से गजटेड होलीडे घोषित करने की कृपा करे।

SHRIMATI VANGA GEETHA VISWANATH (KAKINADA): Sir, my request to the hon. Minister is to increase the commission of LIC agents. They are fighting since long but the Insurance Company has not taken any decision to increase their commission.

Though according to the Gazette of India No. 48 dated 18.02.2013 and No. 462 dated 20.12.2016, the Insurance Regulatory and Development Authority of India had vested powers to the insurance companies to increase the commission of agents to the optimum level the same is not being followed by LIC. Further, no action has been taken for enhancement of renewal commission.

The rate of commission on premium paid was fixed in the year 1956 but it still remains the same even after 65 years. Despite repeated requests from the Life Insurance Agents' Federation, the commission has not been enhanced. Moreover, the same was reduced in recent years in respect of moneyback policies. … (*Interruptions*)

Hence, I request the hon. Finance Minister to ensure implementation of the abovesaid Gazette notifications so as to increase the commission of LIC agents.

Thank you.

श्री विजय कुमार दुबे (कुशीनगर) : माननीय अध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी ने जब से इस देश की कमान अपने हाथ में ली है, तब से उन्होंने खेल और खिलाड़ियों को हमेशा आगे बढ़ाने के मार्ग का प्रोत्साहन किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, 'खेलो इंडियाइसी क्रम में एक अभियान है ' ।उत्तर प्रदेश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भी युवक मंगल दल से खेलों को जोड़ते हुए हमेशा प्रोत्साहन देने का कार्य किया है। यह दुर्भाग्य है कि 60 वर्षों से इस देश का नेतृत्व करने वाले लोगों ने खेल

और खिलाड़ियों को हमेशा उपेक्षित रखा। मैं स्वयं इसका उदाहरण हूं। मैं इस देश के किनारे छोर पर बसे कुशीनगर का रहने वाला हूं। …**(**व्यवधान**)** सन् 1980 के दशक में मुझे उत्तर प्रदेश की टीम से खेलने का अवसर मिला था। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य**,** शून्य काल में पूरा भाषण नहीं देना है। आप बस अपनी मांग उठाइए और बात समाप्त कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री विजय कुमार दुबे : माननीय अध्यक्ष जी**,** आप सिर्फ आधा मिनट दे दीजिए। …**(**व्यवधान**)** हमारे कुशीनगर में अच्छे प्रशिक्षक**,** अच्छे स्टेडियम और उच्च कोटि के खेल उपकरणों की आवश्यकता है**,** ताकि ग्रामीण अंचल की दबी-छिपी प्रतिभाओं को देश का नेतृत्व करने और नाम रौशन करने का अवसर मिले। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : यह हुई न मांग।

… (व्यवधान)

SHRI RAGHU RAMA KRISHNA RAJU (NARSAPURAM): Thank you, hon. Speaker Sir, for giving me this opportunity.

I would like to make a representation to the hon. Finance Minister to move forward in fulfilling the dream of our hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, with regard to Digital India, wherein the entire transaction should take place through digital mode to prevent corruption and lessen the usage of cash.

In my State, Andhra Pradesh, the major income is from the sale of liquor. Sales of almost Rs. 40,000 crore are being done through cash alone, and no credit card or debit card is being used for the same. I have also made a representation to the hon. CM for the same. The amount of Rs. 40,000 crore is not small.

So, through you, my appeal to the hon. Finance Minister is to move forward in fulfilling the dream of the hon. Prime Minister and ensuring that all the transactions in our State happen through digital mode.

Thank you.

SHRI ASIT KUMAR MAL (BOLPUR): Thank you, Sir, for giving me this opportunity.

I would like to bring to your kind notice that the glorious Visva Bharati University is now in the most miserable and intolerable conditions. The allegations raised against Professor Bidyut Chakrabarty, the Vice-Chancellor, including allegations of financial corruption, suspension of defending staff, holding of pension and salary, etc. know no bounds. The staff and the Professors of the University are extremely troubled with anxiety. It is because the Vice Chancellor has already created the most panicky atmosphere only to enforce his haughty supremacy.

I also met the hon. Minister concerned and gave him a letter to solve this problem but no reply has been received till today. The hon. Prime Minister himself is the Chancellor of this University.

With utmost urgency, I would like to draw the kind attention of the hon. Prime Minister to look into this matter and take necessary steps to save the most dignified institution.

Thank you.

HON. SPEAKER: Shri Anumula Revanth Reddy

… (*Interruptions*)

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Mr. Speaker, Sir, South Coast Railway Zone is the long-pending demand of the people of North Andhra Pradesh. I thank the Union Government and the Railway Ministry for sanctioning the Zone and recently appointing a Special Officer, and sanctioning Rs.300 crore for the zonal activities.

Mr. Speaker, Sir, I have a small demand. It is headquartered in Vishakhapatnam. The Waltair Division is the fifth highest revenue generating division of the Indian Railways. But taking the division 350 kilometres away from Vishakhapatnam to Vijayawada will create operational and disaster management issues in terms of delayed response to accidents and reduced oversight on safety and maintenance.

Hence, keeping these points in view, I request the Government to keep the Waltair Division alive and finalize its contours with the Rayagada Division keeping in mind the sentiments of the people of Andhra Pradesh. Thank you very much, Sir.

श्री किशन कपूर (कांगड़ा): अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान हिमाचल प्रदेश में रेल लाइन विस्तार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में चम्बा जिला है जो देशी और विदेशी पर्यटकों में हिमाचल प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और ऐतिहासिकता व नैसर्गिक आभा के कारण विख्यात है । यहां की विशिष्ट वन-सम्पदा, पर्वत-श्रृंखलाओं के रोचक दृश्य बरबस ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लगभग 6500 वर्ग किलोमीटर में फैले इस जिले के एक तरफ जम्मू-कश्मीर की सीमाएं हैं तो दूसरी ओर पंजाब प्रदेश है। इस जिले की जनसंख्या का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। यह जिला तीर्थाटन के साथ-साथ साहसिक पर्यटन के समुचित अवसर प्रदान करता है । यह अत्यंत ही आकांक्षी जिला है जहां विकास की ओर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है । इसी जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं पर्यटन नगर डलहौजी को पठानकोट, चक्की बैंक रेल लाइन से जोड़ने के एक प्रस्ताव पर विचारार्थ सदन के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूं। डलहौजी का संबंध नेताजी सुभाष चंद्र बोस और क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह के चाचा स्वतंत्रता सेनानी अजीत सिंह से भी रहा है। डलहौजी की दूरी पठानकोट रेलवे स्टेशन से मात्र 85 किलोमीटर है।

महोदय, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण रेल मार्गों के निर्माण में हिमाचल सदैव ही उपेक्षित रहा है। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री श्रद्धेय नरेन्द्र मोदी जी का आभारी हूं जिन्होंने भानुपली (बिलासपुर) जैसी महत्वाकांक्षी रेल मार्ग निर्माण की योजना को स्वीकृति प्रदान कर हिमाचलवासियों की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को बुलंदियां प्रदान की हैं। यदि उपरोक्त पर्यटन

स्थली डलहौजी को रेल मंत्रालय द्वारा पठानकोट रेल लाइन से जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाए, तो प्रदेश के चंबा जिले में भी विकास के नए युग का सूत्रपात होगा।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (अररिया): अध्यक्ष जी, मैं भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं और आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारत के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए 75 मेडिकल देश में बनाने का काम किया है। वर्ष 2019 में हमारे यहां भी चिट्ठी गई थी और हम लोगों को जमीन अधिग्रहण भी हो गया। आज की परिस्थिति में वैश्विक महामारी को देखते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि अररिया में अधिग्रहण, रामपुर कोदार्कात्ति में जमीन दी गई है, लेकिन वहां मेडिकल कालेज नहीं बन रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप इस तरफ ध्यान दें और मंत्री जी से और बिहार सरकार से बात करके यहां मेडिकल कालेज बनवाया जाए। प्रधान मंत्री जी का सपना है और उन्होंने कहा था कि देश के हर जिले में मेडिकल कालेज होगा। इस दिशा में जल्द काम हो, यही मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री वीरेन्द्र सिंह (बलिया): अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद प्रधान मंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और उनके व्यक्तिगत फैसले से किसानों की समृद्धि के लिए जो योजना बनाई गई है, उस तरह की योजना अभी तक किसी सरकार ने नहीं बनाई है। मैं वर्ष 1991 से इस संसद में हूं, इसलिए इस बात को ठीक से जानता हूं। किसानों के बारे में जो चर्चा लोक सभा अध्यक्ष के नाते आपने जितनी चिन्ता और उत्सुकता से कराई, उतनी चर्चा और चिंता इस सदन में इससे पहले कभी नहीं हुई थी।

महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। भारत सरकार के प्रधान मंत्री जी ने दलहन और तिलहन योजना में मिशन बनाकर भारत के किसानों को तिलहन और दलहन की खेती हेतु प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में ऑर्गेनिक खेती करने की योजना बनाई गई है और किसानों को प्रोत्साहन देने का भी फैसला किया गया है, लेकिन इन योजनाओं की जानकारी किसानों को न होने के कारण

बहुत-से किसान उसके लाभार्थी नहीं हो पाते हैं। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार और इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश के हर विकास खंड स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही और जिम्मेदारी तय की जाए, ताकि वे किसानों को जानकारी दें और उन्हें लाभार्थी बनाएं।

महोदय, किसानों की आर्थिक समृद्धि के लिए यह सबसे बड़ा आधार हो सकता है। ग्रामीण विकास मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। मैं इनसे तथा भारत के प्रधान मेंत्री जी से निवेदन करूंगा कि राज्य सरकारों को ऑर्गेनिक खेती करने के लिए और दलहन, तिलहन खेती के मिशन को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन राशि सब्जी, फल की खेती करने हेतु 5 हजार रुपये बीघा किसानों को दी जा रही है। पशुधन को बढ़ाने के लिए पशुपालन हेतु प्रोत्साहन राशि भारत सरकार की तरफ से दी जा रही है, लेकिन इस बात की जानकारी किसानों तक न पहुंच पाने के कारण किसान बहुत लाभ नहीं ले पा रहे हैं। आप इसकी चिंता जरूर करें, मेरी आपसे यही प्रार्थना है।

श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकर (दादरा और नागर हवेली) : माननीय स्पीकर महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं केन्द्र-शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली से काफी कठिन परिस्थितियों में अपना पहला चुनाव जीतकर आई हूं। मुझसे पहले मेरे पति स्व. मोहन भाई देलकर जी इस सदन में सात बार सांसद बनकर अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। मेरा प्रदेश जिन विकट परिस्थितियों से गुजर रहा था, उसकी लड़ाई लड़ते हुए हमारे प्रदेश एवं देश के सबसे वरिष्ठ सांसद को अपना बलिदान देना पड़ा। मेरा प्रदेश आज भी बहुत गंभीर एवं कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है।

महोदय, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने के बावजूद हमारे दोनों प्रदेशों के जनप्रतिनिधि एवं जनता के हक तथा अधिकार छीनकर अत्याचार किए जा रहे हैं। इन गंभीर समस्याओं एवं कठिन परिस्थितियों को देखकर मैं आपसे विनम्र विनती करती हूं कि हमारे दोनों

प्रदेशों को देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने के लिए पुन: असेंबली दी जाए, ताकि दोनों प्रदेशों की जनता को उनके हक और अधिकार वापस मिल सकें।

महोदय, वर्ष-2014 में महामहिम उप राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में होम मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी ने दोनों प्रदेशों को विधान सभा देने की सिफारिश की थी। यह मुद्दा वर्ष-2019 में हमारे प्रदेश के तत्कालीन सांसद श्री मोहन भाई देलकर जी ने सदन में उठाया था। मैं आपके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी एवं भारत सरकार से विनम्र निवेदन करती हूं कि इस मामले में तुरंत आवश्यक कार्रवाई की कृपा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय दादरा-नागर हवेली।

श्रीमती रंजनबेन भट्ट (**वडोदरा**): अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे शून्य काल में बोलने का अवसर दिया। मैं आपके माध्यम से नागर विमानन मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि मेरे लोक सभा क्षेत्र वड़ोदरा में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्थित है 'वड़ोदरा एयरपोर्ट'। वड़ोदरा एयरपोर्ट पर कोरोना महामारी से पहले मुंबई, पुणे, दिल्ली, जयपुर, बंगलुरू, इंदौर की फ्लाइट्स जाती थीं, जिनमें से वर्तमान में जयपुर, इंदौर और पुणे की फ्लाइट्स नहीं जा रही हैं।

वड़ोदरा जिले के आसपास के 9 से 10 जिलों के नागरिक वड़ोदरा एयरपोर्ट से हवाई उड़ान सेवा का लाभ लेते हैं। वड़ोदरा, मध्य गुजरात में उद्योग, वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से प्रमुख शहर है। वड़ोदरा के आसपास के सभी जिलों के नागरिकों को जयपुर, इंदौर और पुणे शहरों की मुसाफरी करने के लिए फिलहाल अहमदाबाद जाना पड़ता है। अगर उक्त फ्लाइट कार्यरत कर दी जाए तो इसका लाभ वड़ोदरा एवं आसपास के सभी जिलों के नागरिकों को मिल सकेगा।

महोदय, आपके सम्माननीय माध्यम से मैं माननीय नागर विमान मंत्री से अनुरोध करना चाहती हूँ कि मेरे संसदीय मत क्षेत्र वड़ोदरा स्थिति वड़ोदरा एयरपोर्ट से इन्दौर, पुणे और जयपुर की फ्लाइट को पुन: संचालित करने की कृपा करें। धन्यवाद।

SHRI B. MANICKAM TAGORE (VIRUDHUNAGAR): Sir, when the hon. Prime Minister speaks about 'Jai Jawan, Jai Vigyan', the Government's words and action do not match because a recent circular dated 02.12.2021 issued by the Ministry of Earth Sciences is shocking. This circular proposes to outsource the recruitment of scientists on the lines of Group D staff and security staff. Therefore, I would like to demand, through you, that the hon. Minister of Earth Sciences withdraw the outsourcing policy with respect to scientists in the Ministry of Earth Sciences.

Thank you.

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती लॉकेट चटर्जी – उपस्थित नहीं ।

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी ।

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद): महोदय, आपने मुझे मेरे क्षेत्र सहित पूर्वी भारत के हिस्सों की एक समस्या की ओर सदन एवं रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद ।

महोदय, आप जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से बहुत बड़ी संख्या में लोग पूरे देश में व्यवसाय के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं। हमारे जो ये मजदूर, श्रमिक जाते हैं, इनके लिए रेल की सुविधा सबसे महत्वपूर्ण है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड को दक्षिणी हरियाणा से जोड़ने के लिए कोई अच्छी ट्रेन उपलब्ध नहीं है। इतना बुरा हाल है कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन, जो पुरी से चलती है, जब वह इन सभी प्रदेशों से होते हुए दिल्ली आती है तो यहाँ से 12 घंटे के बाद उनको अगली ट्रेन दक्षिण हरियाणा के लिए मिलती है। वहाँ नारनौल, रेवाड़ी आदि जो बहुत ही अच्छे औद्योगिक स्थान हैं। मेरा आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन है

कि ट्रेन संख्या 12801 और ट्रेन संख्या 12802, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस जो कि पुरी से चलती है और पुरी वापस जाती है, को एक्सटेंड कर दें ताकि दक्षिण हरियाणा से उसका कनेक्शन हो जाए। धन्यवाद।

श्रीमती गीताबेन वी. राठवा (छोटा उदयपुर): महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में अपने लोक सभा क्षेत्र का एक अति महत्वपूर्ण विषय रखने जा रही हूँ।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के वड़ोदरा जिले के पादरा तहसील के चोकारी गाँव के पास मौजूदा माही नदी से दरिया का खारा पानी खेत-खलिहान में जाने के कारण किसान भाइयों की फसल पूरी तरह नष्ट हो जाती है और साथ ही आसपास के क्षेत्र में जो भी नलकूप या कुएँ हैं, वे भी इसके कारण प्रभावित हो जाते हैं, जिससे पीने का पानी भी खारा हो जाता है और लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ती है।

महोदय, इसके कारण वड़ोदरा जिले के पादरा तहसील के 37 गाँव, वड़ोदरा तहसील के 4 गाँव, भरूच जिले के जम्बुसर तहसील के 4 गाँव और आनंद जिले के 32 गाँव, कुल मिलाकर 77 गाँव इससे प्रभावित हो रहे हैं। खेत-खलिहान में खारा पानी जाने के कारण किसान भाइयों की फसल नष्ट हो रही है और उन्हें काफी नुकसान हो रहा है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि माही नदी के पास बाँध का निर्माण कराने की कृपा करें। इससे कुल तीस हजार हेक्टेयर जमीन और हजारों किसान भाइयों को फायदा मिलेगा। धन्यवाद।

KUMARI RAMYA HARIDAS (ALATHUR): Sir, I would like to point out a serious issue regarding farmers of Kerala, particularly of my constituency.

In the last few years, several acres of crop loss cases have been reported due to wild animals, like elephant and wild boar. Recently, in my constituency, in Nenmara, a person died from the attack of wild boar while he was working in a plantation field; and several people in different regions were seriously injured.

I request the Central Government to declare wild boar as dangerous because most of the attack cases and crop loss cases are not reported in the forest areas but in inhabitancies. So, I request the Government and the Forest Department to take positive steps to exclude wild boar from Schedule III and include it in Schedule V of the Wildlife Protection Act of 1972 with strict guidelines so that farmers can resist the attack of wild boar and loss of crops.

I request the Central Government to conduct a detailed study for remedial measures and solution to prevent wild animals from entering into the inhabitancies. I also request the Government to take positive measures to resolve this serious issue.

Thank you, Sir.

श्रीमती शारदा अनिल पटेल (महेसाणा): अध्यक्ष महोदय, माननीय मोदी जी भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत हैं, जिसे साकार करने में महिलाओं की भूमिका अहम है। कोऑपरेटिव सोसायटी, स्वयंसेवी समूह, कौशल विकास केन्द्र आदि के माध्यम से महिलाएँ आत्मनिर्भर बन रही हैं और बना रही हैं। केन्द्र सरकार की अनेक स्कीम्स इसमें मददगार हो रही हैं। इस कार्य में अक्सर अधिकारियों की उदासीनता, लापरवाह रवैये और कोई सिंगल विन्डो सिस्टम की व्यवस्था नहीं होने के कारण लेटलतीफी एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैंने 300 बहनों को ऑलरेडी ट्रेनिंग दिलवा कर तैयार कर दिया है, इसलिए मैं सरकार से आग्रह करती हूं कि इन कार्यों को गति देने हेतु सिंगल विन्डो सिस्टम की जिला स्तर पर व्यवस्था करें। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती प्रमिला बिसाई।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : 33 परसेंट आरक्षण का सवाल है। इसलिए आज महिला सदस्यों को बोलने का अवसर दिया है।

*SHRIMATI PRAMILA BISOYI (ASKA): Hon'ble Speaker Sir, thank you for giving me this opportunity. Sir, through you, I would like to draw the attention of Hon'ble Minister to an observation made by the Centre for Monitoring Indian Economy. As per this observation, in 2019-2020, women labourers constituted 11 percent of the total workforce in the country. At the beginning of the pandemic 14% women lost their jobs. By November 2020, the figure went up to 50%. Subsequently male labourers got their jobs, but females did not. Hence, they are forced to work as farm labourers and domestic helps. The Centre for Monitoring Indian Economy has indicated that Pandemic has adversely impacted the women workers and further studies needs to be undertaken to get the factual picture.

माननीय अध्यक्ष : यह भारत का लोकतंत्र है, जहाँ पर प्रमिला जी जैसी माननीय सदस्या हैं, मैंने व्यक्तिगत रूप से बुलवा कर उनसे आग्रह किया कि आप सदन में बोलो । उन्होंने कहा कि मैं उड़िया भाषा जानती हूं, उसके अलावा दूसरी भाषा नहीं जानती हूं । मैंने स्टेनो को बुला कर लिखवाया । प्रमिला जी का आग्रह रहता है कि मैं रोज सदन में बोलना चाहती हूं । यह देश का लोकतंत्र है ।

श्रीमती क्वीन ओझा ।

… (व्यवधान)

* English translation of the speech originally delivered in Odiya.

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): सर, उनका प्रसंग यह था - कोविड-19 के बाद बेरोज़गारी । उनका कहना था कि पुरुष लोग तो नौकरी पर लग गए, परंतु महिलाएं, जिनकी नौकर छूट गई, वे घर पर चली गईं, नहीं तो फार्मिंग में रह गईं। यह उनका प्रसंग था।

माननीय अध्यक्ष : प्रमिला जी कितने सेल्फ हैल्प ग्रुप चलाती हैं?

श्री भर्तृहरि महताब : वे तो पूरे गंजाम जिले की मुखिया हैं और सबसे ज्यादा सेल्फ हैल्प ग्रुप ये चला रही हैं।

माननीय अध्यक्ष : यह भी बता दो कि वे पढ़ी-लिखी कितनी हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : सर, वे ज्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हैं।

माननीय अध्यक्ष : लेकिन उस प्रदेश के अंदर कितनी महिलाओं को रोज़गार देती हैं, उस अविकसित के इलाके अंदर, यह उनकी विशेषता है, इसलिए हम उनको धन्यवाद देते हैं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष जी, यह भारत का लोकतंत्र है, लेकिन आपकी पहचान की भी हम दाद देते हैं कि आपने उनकी क्षमता को पहचाना।

माननीय अध्यक्ष: ये बहुत सारी महिलाओं को रोज़गार देती हैं।

श्रीमती क्वीन ओझा जी ।

श्रीमती क्वीन ओझा (गौहाटी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपने मुझे शून्यकाल के अंतर्गत अतिलोक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री और भारत सरकार का ध्यान चांगसारी रेलवे स्टेशन की ओर दिलाना चाहती हूँ। चांगसारी रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण, विस्तार और आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता है । क्योंकि आने वाले समय में गौहाटी अखिल भारतीय आयुष विज्ञान संस्था, एम्स जल्दी ही बन कर तैयार होने वाला है, जिससे असम और

अन्य क्षेत्रों से आने वाले, नॉर्थ-ईस्ट से आने वाले रोगियों का चांगसारी रेलवे स्टेशन से गुवाहटी एम्स जल्दी पहुंच सकते हैं। अत: मेरा सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री, भारत सरकार से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र गुवाहटी के चांगसारी रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण, विस्तार और आधुनिकीकरण शीघ्र ही करने का कष्ट करें, जिससे आने वाले समय में इसका लाभ जनहित में रोगियों को प्राप्त हो सके।

श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंत (कोरबा): अध्यक्ष महोदय, महिलाओं को सदन में संरक्षण देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि हम सांसदों को केंद्रीय विद्यालय में 10 बच्चों को एडमिशन देने का कोटा होता है और हमारा संसदीय क्षेत्र लगभग 8 विधान सभाओं से भी ज्यादा होता है। केंद्रीय मंत्री के माध्यम से भी कुछ बच्चों का एडमिशन करा देते थे, जो इस वर्ष नहीं हुआ है। इस विषय पर मैंने आदरणीय प्रधान मंत्री जी को भी एक पत्र लिखा था। जिसका जवाब उन्होंने दिया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहती हूँ कि या तो मंत्री जी का कोटा पूर्ववत: ही किया जाए, या हम सांसदों का कोटा दस से बढ़ा कर 50 किया जाए ताकि हम बच्चों का भविष्य पढ़ाई के लिए सुरक्षित कर सकें। मेरे इस निवेदन से सारे सांसद सहमत होंगे।

माननीय अध्यक्ष : सुश्री चन्द्राणी मुर्मु । आप इस सदन की सबसे कम आयु की महिला सदस्य हैं।

कुमारी चन्द्राणी मुर्मु (क्योंझर): धन्यवाद सर, बहुत दिनों बाद मुझे बोलने मौका मिला है, इसलिए आपको बहुत-बहुत शुक्रिया। महोदय, मैं ओडिशा के क्योंझर संसदीय क्षेत्र से चुन कर आती हूँ। करंजिया मेरे क्षेत्र का एक बहुत बड़ा इलाका है, जो कि मयुरबन जिले के अंतर्गत आता है। यहां ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं। यहां के लोगों की जरूरतों को मद्देनज़र रखते हुए यहां एक केंद्रीय विद्यालय की अत्यंत आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से मान्यवर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करती हूँ और उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र क्योंझर में एक केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए, इससे हमारे लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। धन्यवाद।

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र का नाम सीधी है। सीधी में एक दूसरा जिला सिंगरौली है, जिसे मध्य प्रदेश की सरकार `आकांक्षी जिला घोषित किया है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्री जी से विशेष आग्रह करती हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र का जो सिंगरौली जिला है, उसमें कई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं। वहाँ पर्याप्त मात्रा में कोयले और बिजली का उत्पादन होने के कारण, ऊर्जा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें एनटीपीसी, हिंडाल्को, रिलायंस, जे.पी. सहित कई कंपनियाँ हैं। वहाँ विभिन्न स्थानों से लोग कार्य करने के लिए आते हैं और निवासरत भी हैं। यहाँ हमें अभी तक एयरपोर्ट की सुविधा प्राप्त नहीं हो पाई है।

महोदय, इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ। हम सभी के आग्रह करने पर, पिछली बार आदरणीय मंत्री जी के माध्यम से हमें हवाई पट्टी की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। मैं आपके माध्यम से पुन: आग्रह करना चाहती हूँ, क्योंकि सिंगरौली जिले में वाणिज्यिक हवाई अड्डे की नितांत आवश्यकता है। इसलिए, मैं आपके माध्यम से नागरिक उड्डयन मंत्री जी के पास विशेष संदेश पहुँचाना चाहती हूँ और आग्रह भी करना चाहती हूँ कि इसकी स्थापना की जाए और हमें हवाईअड्डे की सुविधा प्रदान करें।

श्रीमती वीणा देवी (**वैशाली**): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्य काल में बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक विषय माननीय रेल मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ मौर्या एक्सप्रेस, अमरनाथ एक्सप्रेस और एक साप्ताहिक ट्रेन हैं, जो उत्तर बिहार के प्रमुख स्टेशन जैसे मुज़फ्फरपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर, मोतीपुर और छपरा सहित कई स्टेशंस होते हुए जम्मू स्टेशन तक जाती हैं। इन सभी ट्रेनों के माध्यम से अधिक से अधिक यात्री माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए जाते हैं। कटरा में माता वैष्णो देवी जंक्शन होने के उपरांत भी, इन रेलों का परिचालन केवल जम्मू तक सीमित है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूँ कि इन तीनों ट्रेनों का परिचालन कटरा के माता वैष्णो देवी जंक्शन तक किया जाए, ताकि उत्तर बिहार के विभिन्न जिलों से माता वैष्णो देवी का दर्शन करने के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को समुचित सुविधा उपलब्ध हो सकें। धन्यवाद।

SHRIMATI PRATIMA MONDAL (JAYNAGAR): Thank you, hon. Speaker, Sir, for allowing me to speak during the '*Zero Hour*'.

According to the National Crime Records Bureau (NCRB), crimes against women are on the rise in the country. As per its latest Report, Crime in India 2019, the reported cases of crime against women increased from 3,45,989 in 2017 to 3,91,601 in 2019. Women are suffering in India in every field ranging from education, labour-force, media representation and the list is endless.

The wage-gap between Indian men and women is amongst the worst in the world. The Monster Salary Index says that Indian men earn 25 per cent more than women for the same kind of work done by both men and women. Innumerable reforms are necessary to bring about a change in women's position. Thus, it is necessary for the Parliament to dedicate a day just for discussion on women issues in every Session. This, I say, being inspired and in support of the petition initiated by women empowerment activists through social media platforms.

I hope that you, the custodian of this House, and all the hon. Members will support this innovative plan. Thank you, Sir.

SHRIMATI SARMISTHA SETHI (JAJPUR): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak in this august House.

My Constituency of Jajpur in Odisha has a glorious military tradition. Recently, a brave son of the soil, Jawan Sashank Sekhar Samal, was martyred fighting for the motherland in Ladakh.

At present, there is no Sainik School in Jajpur. As there are only two Kendriya Vidyalayas in the District, children of military personnel are sometimes forced to take admission in private schools. I would request the Government, through you, Sir, that a Sainik School should be setup in Jajpur District, which will be a good platform for the education of children. Thank you, Sir.

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Thank you, Speaker, Sir. With 5.63 lakh power looms, the textile industry of Tamil Nadu is the second-largest source of direct and indirect employment after agriculture. My Constituency Karur, in the State, is popular world-wide for home textiles.

13.00 hrs

The persistent increase in the price of cotton yarn by textile mills owing to cotton price rise is threatening to adversely affect the growth of the entire textile sector. The textile manufacturing and exporting industries in Karur are preparing full swing for the Annual International Textile Expo being organised next year from 11-14 January, 2022 in Germany. Since around 90 per cent of

all the products manufactured in Karur are exported to foreign countries, the trade during the Expo depends essentially on the orders received from foreign countries. As a consequence of COVID-19, trade got severely affected in the last two Expos. Even so, orders worth thousands of crores of rupees are expected to be received this year in Karur. However, the drastic increase in the price of cotton yarn is a matter of great concern for the textile manufacturers and exporters as they might lose the confidence of the international buyers owing to their inability to service orders in the current situation.

So, I request the hon. Minister of Textiles, through you, Sir, that his Ministry must take measures to control the rise of cotton price and fix a higher cost for yarn so that the trade of manufacturers and exporters is not affected.

श्रीमती जसकौर मीना (दौसा): माननीय अध्यक्ष जी, मैं सबका ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ दिलाना चाहती हूं।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण कनैक्टिविटी के लिए वाकई में वरदान साबित हुई, लेकिन अत्यंत चिंता का विषय है कि राजस्थान में स्वीकृत सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। वर्ष 2019-20 में स्वीकृत सड़कें आज तक पूरी नहीं हुई हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में 22 सड़कें मंजूर हुई, लेकिन एक भी सड़क आज तक पूर्ण नहीं हुई है। इनमें गुणवत्ता का भी अभाव है। इनके लिए निर्धारित मापदंडों की अवहेलना की जा रही है।

मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि सड़कों में केंद्र सरकार का 60 प्रतिशत और राज्य सरकारों का 40 प्रतिशत फंड फेज़-3 में दिया गया था, लेकिन इसके आधार पर केवल 60 प्रतिशत में ही इस काम को पूरा किया जा रहा है। इन सड़कों की गुणवत्ता की दृष्टि से बहुत दयनीय स्थिति है।

मैं आपके माध्यम से इस अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान को पूरा करने के लिए सड़क परिवहन मंत्री जी और प्रभारी मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि राजस्थान में किए जा रहे कामों की जांच हो, जांच के बाद अपराधियों को दंड दिया जाए और यह काम भी पूरा किया जाए।

श्रीमती संध्या राय (भिंड): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बच्चों से जुड़े महत्वपूर्ण विषय को उठाने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपकी अत्यंत आभारी हूं।

मेरे लोकसभा क्षेत्र भिंड में दो जिले आते हैं, जिसमें भिंड जिले के केंद्रीय विद्यालय स्कूल को वर्ष 2004 में हार्ड स्टेशन में जोड़ा गया था। भिंड जिले के केंद्रीय विद्यालय में एक हजार से ज्यादा बच्चे हैं। पता नहीं इसे किस कारण से वर्ष 2008 में हार्ड स्टेशन से हटा दिया गया, इसकी वजह से संविदा शिक्षकों के वेतनमान में कमी हुई और उनकी बहुत सी सुविधाओं में कटौती की

गई। यहां के हजारों बच्चों का भविष्य अंधकार में है। यहां शिक्षा की गुणवत्ता में भी कमी आई है। भिंड जिला सुरक्षित क्षेत्र है। जब से देश आजाद हुआ है, तब से यह जिला है, लेकिन इसकी गिनती पिछड़े जिलों में ही होती है।

मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगी कि तत्काल केंद्रीय विद्यालय को हार्ड स्टेशन में जोड़ा जाए।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ रूपी आपदा आती है। हम सब इसमें होने वाले दुष्प्रभाव से भलीभांति परिचित हैं।

मैं सदन का ध्यान नेपाल के तराई क्षेत्र से सटे मेरे संसदीय क्षेत्र शिवहर, सीतामढ़ी और पूर्वी चम्पारण जिले से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक, लालबकेया, मनुषमारा और बागमती नदियों की ओर दिलाना चाहती हूं।

नेपाल के रास्ते बिहार की इन नदियों में अचानक आने वाले पानी के तेज प्रवाह के दबाव को रोकने में इनके तटबंध नाकाफी साबित हो रहे हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में हर साल बाढ़ की समस्या रहती है तथा भारी जानमाल की क्षति होती है। बिहार के पिछड़ेपन के कारणों में बाढ़ सबसे प्रमुख है। बाढ़ के कारण प्रत्येक वर्ष किसानों की लाखों हेक्टेयर भूमि में लगी फसल बर्बाद हो जाती है, जिसका सीधा असर लोगों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इससे हजारों लोग बेघर हो जाते हैं, रोजगार खत्म हो जाते हैं और लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने पर विवश हो जाते हैं। बाढ़ से छोटी-बड़ी सड़कें क्षतिग्रस्त भी हो जाती हैं।

हम समझते हैं कि पड़ोसी देश नेपाल की सरकार से वार्ता करके जल प्रबंधन हेतु ठोस नीति बनाने की आवश्यकता है।

मैं नदी से नदी जोड़ने वाली बात के बारे में बार-बार कह रही हूं कि हमारे पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको पूरा किया था। लेकिन, पता नहीं उसे किस कारण ठंडे बस्ते में बंद कर दिया गया है। हम लोगों की गरीबी अभी दूर नहीं हुई है। हम लोग बहुत गरीब हैं।

अत: सदन के माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस विषय पर गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए बिहार की जनता के व्यापक हित में नेपाल के रास्ते मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली बूढ़ी गंडक, लालबकेया, मनुषमारा एवं बागमती नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष आने वाली बाढ़ के स्थायी निदान के लिए जल प्रबंधन एवं डैम का निर्माण करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती नवनित रवि राणा (अमरावती): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में एक संजय गांधी नगर और लुम्बिनी नगर है, जो फॉरेस्ट के क्षेत्र में आते हैं। वहां पिछले 70-80 सालों से दो से तीन हजार लोगों की बस्ती है। वहां पर सरकार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अल्टरनेट जगह देने को तैयार है। अगर इनिशिएटिव लेकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पर काम करेगी तो जल्द से जल्द उन्हें पीआर कार्ड मिलेगा तथा घरकुल योजना से लेकर प्रधान मंत्री पंत प्रधान आवास योजना जैसी जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन्हें उनकी सुविधाएं मिलेंगी।

सर, मेरा फॉरेस्ट से जुड़ा एक और प्रश्न है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा एशिया का थर्ड सिंगल लार्जेस्ट स्काईवॉक बनाया जा रहा है। चिखलदरा तालुका में उसका लगभग 80 परसेंट काम पूरा हो चुका है। लेकिन, फॉरेस्ट के नोडल ऑफिसर जो नागपुर में बैठते हैं, वे कहते हैं कि ये हमारे फॉरेस्ट से ऊपर जा रहा है। ऊपर जाने की वजह आपको उसकी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। उसमें 70 टक्के काम हो चुका है। उसमें सरकार के पैसे लग चुके हैं और वे कहते हैं कि आप उसके ऊपर से स्काईवॉक लेकर नहीं जा सकते हैं। ऐसे तो जितनी भी फ्लाइट्स छूटती हैं, उन सबको बंद कर देना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से विनती करती हूं कि जल्द से जल्द उसका काम पूरा किया जाए, क्योंकि उसमें सरकार के पैसे लगे हैं। उससे वहां टूरिज्म बढ़ेगा और मेरे क्षेत्र के आदिवासी लोगों को बहुत सारा रोजगार मिलेगा। धन्यवाद।

KUMARI GODDETI MADHAVI (ARAKU): Sir, I would like to the bring to the notice of the hon. Minister of Communications that my Parliamentary constituency of Araku in Andhra Pradesh is a constituency reserved for Scheduled Tribes. Quite a large area is located in hilly and inhospitable terrain. In this regard, internet connectivity is essential, especially for tribal welfare institutions. Due to COVID-19 and the current situation, internet connectivity has now become a basic necessity. In this regard, I would like to request the hon. Minister of Communications to sanction fibernet connectivity for tribal welfare institutions on priority basis in Araku.

श्रीमती रंजीता कोली (**भरतपुर**): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं।

मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र भरतपुर, राजस्थान और राजस्थान के अन्य लोक सभा क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोटरी पब्लिक की लाइसेंस नवीनीकरण की तरफ आकर्षित करना चाहती हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र भरतपुर एवं राजस्थान के अन्य लोक सभा क्षेत्रों में भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोटरी पब्लिक की लाइसेंस नवीनीकरण विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार में करीब 8-9 माह से लंबित है, जिससे समस्त नोटरी पब्लिक परेशान हैं और उनके रोजगार व व्यवसाय पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। नोटरी पब्लिक द्वारा नियत समय में समस्त प्रक्रिया अपनाते हुए मंत्रालय के नोटरी सेल को भेज रखा है।

अत: मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान में भारत सरकार द्वारा नियुक्त सभी नोटरी पब्लिक की लाइसेंस को विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नवीनीकरण करवाने की कृपा करें, जिससे समस्त नोटरी पब्लिक अपने कार्यों को सुचारु रूप से करने में सक्षम हो सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): Sir, the A. P. State Reorganisation Act, 2014 was passed in 2014. In that Act, formation of South Coast Railway Zone was promised. But that provision is not being implemented to form South Coast Railway Zone. The previous hon. Minister mentioned it. This year in the budget of 2021-22, Rs. 40 lakh were allocated in the budget, but there is a lot of ambiguity and confusion among the people of Andhra Pradesh. Is the South Coast Railway Zone going to be formed? I request the hon. Railway Minister, through you, Sir, to announce in this House to honour the promise of formation of South Coast Railway Zone which was promised under the Act. We demand South Coast Railway Zone for the people of Andhra Pradesh.

SHRI K. SUDHAKARAN (KANNUR): Sir, I urge upon the Union Government to abstain from the Silver Line Rail Project proposed by the Government of Kerala. The Chief Minister of Kerala is misleading the people with false promises, wrong cost estimates, unrealistic completion dates, and flawed technical parameters in this K-Rail Project. This project should be vehemently opposed for five reasons: (1) The financial burden for creating 530 km of high-speed rail line is Rs.1,20,000 crore. The cost estimate is highly over projected.

This comes when the State economy is on the verge of collapse. (2) K-Rail project requires Rs.1,400 hectares of land. This includes wetlands, forest areas, backwater regions, residential areas with a high density of population, rice fields, and existing building spaces. The cost of environmental damage, thereby, would be huge. (3) The Silver Line Rail Project is designed on the fallacy of unwarranted assumptions. The alignment chosen is flawed. From Tirur to Kasaragod, it runs parallel to the existing railway line. The Railways had opposed this alignment as it would interfere with the future quadrupling of this stretch. Besides, 140 km of the line passes through paddy fields, which are not stable for high-speed travel. (4) Land acquisition will be a white elephant. At least 67 per cent land for K-Rail falls under the Panchayat area, 15 per cent land in highly urbanised municipal areas, and 18 per cent within the municipal corporation limits. In a densely populated Kerala, this project will uproot the homes of hundreds and thousands of people.

श्री रमेश बिधूड़ी (**दक्षिण दिल्ली**) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष जी, दिल्ली के अंदर कुछ लोग जो दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, वे कोरोना के कारण रोज़गार का काम अपने घरों में ही करते हैं। वे टेलरिंग, कॉज बटन, बुक बाइंडिंग, रफू और प्रेस जैसे छोटे-छोटे काम करते हैं। दिल्ली मास्टर प्लान के अनुसार एक घर में 9 व्यक्ति रहकर कोई काम कर सकते हैं। अगर गरीब लोग किराए के मकानों में रहकर अपना काम करते हैं, तो केजरीवाल सरकार उनसे बिजली का बिल कॉमर्शियल रेट यानी 8 रुपये से ज्यादा प्रति यूनिट के

हिसाब से ले रही है। जबकि वे अपने घरों में छोटे-छोटे काम, जैसे रफ़ू व बटन लगाने का काम करते हैं। ऊपर से उनके बिजली के बिल में डबल हॉर्स पॉवर अधिक चार्जेस लिए जा रहे हैं।

एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री लोगों को यह .... * दे रहे हैं कि मैं लोगों को फ्री बिजली दे रहा हूं। दूसरी तरफ वे दूसरे हाथ से उन गरीब लोगों के रोज़गार को छीन रहे हैं, जिससे उन लोगों की जितनी आमदनी नहीं होती है, उतना उनका बिजली का बिल 5,000 या 7,000 रुपये का बन जाता है। मेरा आपके माध्यम से यह निवेदन है कि दिल्ली सरकार इसमें चेते और उन लोगों को डोमेस्टिक रेट के हिसाब से बिजली दे, ताकि गरीब-नौजवान लोग अपने रोज़गार का काम घरों में कर सकें।

SHRI SU. THIRUNAVUKKARASAR (TIRUCHIRAPPALLI): Sir, thank you very much for giving me this opportunity to raise an important issue connected with my Tiruchirappalli Constituency regarding Railways. Trains going through Keeranur railway station should stop there. Already stoppage is there. Rameswaram and Pallavan, both trains go through the town which is a Taluk headquarters and town Panchayat headquarters also. In and around, so many villages are there. About three lakh people will be benefited. An agitation is going on there. They are requesting me also to come and sit with them to get the trains stopped there. If I do, I might get arrested and you will have to save me from going to jail. So, I request that stoppage of the trains should be allowed there. Secondly, there are two over bridges in Thiruvappur and Karuvappalan area for which the State Government of Tamil Nadu has allotted

---

* Not recorded

50 per cent cost of construction. These two bridges should be constructed in Tiruchirappalli Constituency at the earliest. Thanks.

SHRI KARTI P. CHIDAMBARAM (SIVAGANGA): Sir, one of the most regal, royal, and majestic symbols of India is the elephant. Everybody universally loves it. In our Hindu faith it manifests as Lord Ganesha or Gajanatha. Unfortunately, 186 elephants have died in railway track accidents. So, through you, I urge upon the Ministry of Environment and the Ministry of Railways to immediately set up a task force to ensure that these elephant deaths do not happen on the railway tracks. Even recently, five elephants died on the railway tracks between Tamil Nadu and Kerala. So, they must immediately put together a task force. Even an external expert could be put there, and new technologies like RFID and honeybee buzzer devices must be implemented and we must prevent these deaths. This is the heritage of India, a symbol of India, and we owe it to the elephant that we protect it. We cannot encroach upon their land and their passage through modernisation and kill them. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अगर कोई माननीय सदस्य 30 सेकेंड के अन्दर बोलने का इच्छुक है तो वह हाथ खड़ा कर सकता है।

श्री संगम लाल गुप्ता (**प्रतापगढ़**): माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के भूतल परिवहन मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। मेरे लोक सभा क्षेत्र, प्रतापगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 231 (लखनऊ-वाराणसी) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 330 पर जंक्शन पॉइंट भुपियामऊ बाजार में रेलवे मार्ग के ऊपर लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर आरओबी

बनाया गया, लेकिन जल्दबाजी में आधे-अधूरे ओवरब्रिज का निर्माण कर दिया गया था। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि राष्ट्रीय राजमार्ग 231 और 330 के जंक्शन पॉइंट पर चढ़ने व उतरने के लिए प्रॉपर जंक्शन का निर्माण तत्काल कराए जाने की कृपा करें।

श्री रितेश पाण्डेय (अम्बेडकर नगर): माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे अम्बेड़कर नगर लोक सभा क्षेत्र में जलालपुर में भियांव ब्लॉक के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे जा रहा है। वहां पर एक ग्राम सभा के पास लोगों ने रात को धरना करके वहां पर जो रोड बन रही थी, उस पर एक ब्रिज बनवाने के लिए निवेदन किया था, जिससे वह काम रोक दिया गया था। लेकिन रात के अंधेरे में लोगों के इरादों के विपरीत रातों रात उसे मिट्टी से पाट दिया गया, जिससे दूसरी तरफ स्कूल को एक्सेस करने के लिए कोई जगह नहीं बची। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इन गांवों वासियों के लिए गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के नीचे से एक ब्रिज बनाया जाए, ताकि लोग नीचे की तरफ से दूसरी रोड से सम्पर्क कर सकें।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में किसानों को इस समय खाद की आवश्यकता है। पिछले महीने प्रधान मंत्री जी ने गोरखपुर में फर्टिलाइजर कारखाने का उद्घाटन भी किया, लेकिन किसानों को तात्कालिक रूप से यूरिया और डाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उन्हें इस समय गेहूं, सरसों और तमाम फसलों की बुवाई के लिए इन चीजों की बहुत आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से फर्टिलाइजर मिनिस्टर से यह मांग करता हूँ कि स्पेशियली सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर और आकांक्षा जनपद श्रावस्ती के लिए यूरिया और डाई की रेक भेज दी जाए।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you, Mr. Speaker, Sir. In 13 years as an MP, I have only ever taken the floor to raise issues of national public importance and public policy. But today, I regret very much to bring to your attention a breach of parliamentary procedures and

etiquette by a fellow Member of the House during the course of my remarks on the High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill. I did not hear it at that time but in the recording that is submitted and the transcript given to me, it is clear that this Member said the following: "ऐसे तो इनको बहस में भी पार्ट नहीं लेना चाहिए, इनका भी एक केस पेंडिंग पड़ा हुआ है । **"**I want to say, it is extremely regrettable that this kind of an accusation is made. First of all, the claim itself is false. There is no pending case against me and the accusations being referred to have been dismissed by a court of law. To say what he said constitutes misleading the House and the Chair.

Secondly, even if a case had been pending against me or against any other Member of this House, that does not preclude them from being able to participate in the deliberations of this august body.

Thirdly, if the said Member was still determined to make personal attacks on a fellow Member, he should have filed a notice duly under the Rules. An MP keeps citing the Rules and continues violating them with impunity when it comes to actually repeatedly making unwarranted accusations. … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे नियम-प्रक्रियाओं का ध्यान रखें।

DR. SHASHI THAROOR : Sir, is this what the discourse in this House has come to? I urge the Speaker to please ensure that this issue is condemned, that this kind of a thing is not repeated by any Member against any other

Member of this House. It has been happening too often with this particular individual.

Thank you, Mr. Speaker.

SHRI C.N. ANNADURAI (TIRUVANNAMALAI): Hon. Speaker, Sir, with your permission, I would like to draw the attention of hon. Minister of Railways regarding development of Jolarpettai Junction and Tirupattur Railway Station in my constituency Tiruvannamalai, Tamil Nadu.

Sir, Jolarpettai is a very old and important Railway Junction connecting many important places in South India. It is also near the famous Yelagiri Hill Station. Along with that, construction of new container yard will generate revenue and provide employment to local people.

I would request the hon. Minister, through you, to provide better passenger amenities and stoppage of Blue Mountain Express and Chennai-Mysore Shatabdi Express at Jolarpettai Junction. I would also request the hon. Minister to provide for stoppage of Shabari Express, Chennai-Trivandrum Express and Chennai-Mangalore Express at Tirupattur and extension of Yelagiri Express to Tirupattur, which is a long-standing demand from my constituency.

श्री अर्जुन सिंह (बैरकपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र बैरकपुर की रेल संबंधी एक समस्या के बारे में आपके माध्यम से रेल मंत्रालय का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में कटरापाड़ा से

लेकर बैरकपुर तक रेल स्टेशन्स हैं, जहां पर रेल की जमीन को वहां की सरकार के लोग बेच दे रहे हैं। दस रुपये के स्टैम्प पेपर पर बेच रहे हैं। कुछ असाधु शक्ति वहां हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं बंगाल में करप्शन के बारे में हाई कोर्ट के माध्यम से हर रोज यह बात आ रही है कि बंगाल में करप्शन पर करप्शन हो रहा है, लेकिन रेल मंत्रालय, जो केन्द्र सरकार का एक विभाग है, वहां निचले स्तर पर कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो उनके साथ मिलकर रेल की जमीनें बेच रहे हैं। मैं इस पर सरकार का ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं, ताकि इसको तत्काल रोका जाए, क्योंकि यह देश की सम्पत्ति है और इसे नहीं बेचा जाए।

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान 22/11/2021 को मेरे लोक सभा क्षेत्र की घटना की ओर आकृष्ट कर रहा हूं, जिसमें 15 गरीब-निर्धन लोगों का मुजफ्फपुर आई हॉस्पिटल द्वारा मुफ्त में किए गए मोतियाबिंद ऑपरेशन से 15 व्यक्तियों की आंखें निकालनी पड़ीं। इस घटना की जांच रिपोर्ट से पता चला कि ओ.टी. में संक्रमण होने से ऐसी घटना हुई। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि मुजफ्फपुर आई हॉस्पिटल की स्थापना वर्ष 1973 में हुई और इस संस्था द्वारा अभी तक 3 लाख 67 हजार लोगों का सफल ऑपरेशन किया गया है। यह संस्था हर रविवार को फ्री कैम्प के साथ-साथ रोगियों को मुफ्त भोजन भी कराती है। इसकी ओपीडी में अभी तक लगभग 40 लाख लोगों का इलाज हो चुका है। विदित हो कि मुजफ्फरपुर सरकारी अस्पताल द्वारा वर्ष 2010 के बाद आंखों का किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, जिसके कारण गरीब और निर्धन लोग स्वाभाविक रूप से आंखों के इलाज के लिए मुजफ्फपुर आई हॉस्पिटल का रुख करते हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि सील किए गए मुजफ्फपुर आई हॉस्पिटल को शीघ्र खोला जाए, ताकि वहां दोबारा गरीब लोगों का इलाज शुरू हो सके। साथ ही, मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा कि पीड़ित लोगों को समुचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए। धन्यवाद।

श्री सुरेश पुजारी (बारगढ़): अध्यक्ष महोदय, ओडिशा में आईन व्यवस्था बहुत खराब है। हाल में हुई वहां की चार घटनाएं मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं और आपके माध्यम से भारत सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं।

जो मेरा खुद का गांव है, बरगढ़ जिले का तोरा गांव, वहां पर गोविन्द कुम्हार नाम के एक दलित युवक को 24 सितम्बर को पुलिस हिरासत में मारा गया और अभी तक उसकी एफआईआर भी रजिस्टर नहीं हुई है। दूसरा, ममता मेहेर नाम की एक शिक्षिका का 8 अक्टूबर को अपहरण किया गया, उसको मारा गया, उसके टुकड़े-टुकड़े किए गए और दफनाया गया। वहां लोगों को और उनके परिवार वालों को लगता है कि प्रदेश के जो गृह मंत्री है, प्रदेश के मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम उसके पीछे हैं। तीसरे, नयागढ़ जिले में परी नाम की एक नन्ही-मुन्नी बच्ची का अपहरण हुआ और हत्या हुई। चौथा, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को महांगा मर्डर केस में मारा गया।

मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, भारत सरकार के भी संज्ञान में लाना चाहता हूं और भारत सरकार के गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि कहीं न कहीं इन चारों केसेज की रिपोर्ट मंगवाई जाए। राज्य सरकार इन केसेज को संभाल नहीं पाएगी, इसलिए इन चारों केसेज – गोविन्द कुम्हार केस, ममता मेहेर केस, परी केस और महांगा केस की सीबीआई के माध्यम से – इनवेस्टीगेशन कराई जाए।धन्यवाद ।

*__SHRI DHANUSH M. KUMAR (TENKASI):__ Hon. Speaker Sir, Vanakkam. Pavoorchatram and Sankarankoil in my Tenkasi parliamentary are rapidly growing municipal towns. The population of these municipal towns is also on the rise. Railway bridges are not constructed in any of the Highways which pass through these two towns, as a result the people of this area face so many difficulties. In order to mitigate the sufferings of the people and to improve the

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

basic amenities of this area, I urge upon the Union Government, through you Sir, to take necessary steps for construction of Railway bridges in this area immediately. Thank you.

श्री खलीलुर रहमान (जंगीपुर) : सर, हमारा जंगीपुर लोक सभा एरिया बीड़ी मजदूरों का एरिया है। वहां पर कोई दूसरा काम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट को बीड़ी से जो एक्साइज ड्यूटी मिल रही थी, उसमें लेबर वेलफेयर सेस भी था। बीड़ी मजदूर को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने तारापुर में एक सेंट्रल हॉस्पिटल खोला, जो कि मुर्शिदाबाद, जंगीपुर एरिया में है। वह आठ डॉक्टर्स, एक्स-रे, ईसीजी लैब और साथ में मुफ्त फार्मेसी के साथ हॉस्पिटल चालू हुआ था।

सर, दुख की बात है कि आज के दिन सिर्फ दो डॉक्टर्स हैं और एक्स-रे में टेक्निशियन है, लेकिन रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। वहां ईसीजी खराब है। जो मुफ्त फार्मेसी है, उसमें आधी दवाईयां भी नहीं मिलती हैं। मेरी आपके माध्यम से केंद्र सरकार से मांग है कि उन सभी गरीब बीड़ी मजदूरों के लिए जल्द से जल्द डॉक्टर्स बढ़ाए जाएं और फार्मेसी में सारी दवाइयां मिले तथा लैब टेक्निशियन वाला काम ठीक किया जाए।

श्रीमती लॉकेट चटर्जी (**हुगली**) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। इस संसद में हर एक मुद्दा उठता है और बीत-चीत भी होती है, यह जरूरी भी है। महिलाओं के विषय में काफी कुछ मुद्दे उठने के बाद भी बहुत कुछ छूट जाता है। कुछ-कुछ राज्यों में तो महिलाओं और बच्चों की जो आवाज है, उसको दबा दिया जाता है। हमारी संसद में 81 महिला सांसद हैं। ये बहुत सारी लड़ाई और सेवा करके संसद तक पहुंची हैं। हमारे देश में महिलाओं के साथ बहुत भेदभाव है। उसमें चाहे स्कूल में एडमिशन की बात हो, कॉलेज में भर्ती की बात हो, पढ़ाई की बात हो, नौकरी की बात हो, लेकिन अभी तक 100 परसेंट वूमेन एम्पावरमेंट नहीं हुआ है, इसलिए पिछली सरकार सबसे ज्यादा रिस्पोंसिबल है। वर्ष 2014 से नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने नारियों के अधिकार और रिस्पेक्ट के

लिए बहुत सारी स्कीम्स लागू की हैं, जिनमें बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, शौचालय प्रकल्प, मुद्रा लोन, आयुष्मान भारत इत्यादि हैं।

सर, कार्ड में महिलाओं का नाम होता है और प्रधान मंत्री आवास योजना में भी महिला का नाम होता है। इस तरह से बहुत सारे प्रकल्प हैं। कोरोना के टाइम में 1500 रुपये हर महिला के बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेन्द्र मोदी जी ने किया है। भारत की महिलाओं, बच्चों के मुद्दों तथा उनकी आवाज को और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या सेशन में हम नारी के लिए दो दिन का सत्र नहीं कर सकते हैं? … (व्यवधान)

*SHRI S. GNANATHIRAVIAM (TIRUNELVELI):** Hon. Speaker Sir, Vanakkam. In my Tirunelveli parliamentary constituency, there is a Level Crossing (L .C No 4) along the Tirunelveli-Thiruchendur Railway route, at Kulavanikarpuram. A Railway bridge should be constructed in this place in the Y form, one side connecting a road towards Kanniyakumari and the other connecting Papanasam. This Railway bridge is very necessary as there is heavy traffic in this area during, morning, evening and peak hours. Vehicles queue up for more than ½ a kilometer on both sides of this level crossing and it takes at least half-an-hour to clear the traffic congestion. Keeping in view of the active measures taken by the Tamil Nadu Government the Railway Board should also accord approval for construction of this Railway bridge at Kulavanigarpuram. Similarly the bridge construction work across the Level Crossing No 6 at Thiyagarajanagar along the Tirunelveli-Tiruchendur Railway line, is pending completion by Ministry of Railways for the last 5 years even

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

though the State Government of Tamil Nadu has completed all works that were due from its end. I therefore urge to expedite this bridge work. Thank you.

श्री राहुल रमेश शेवाले (मुम्बई दक्षिण-मध्य) : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । मैं मुंबई के कच्छ प्रवासी संघ की एक महत्वपूर्ण मांग की ओर माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । ट्रेन नंबर 22903 और 22904 एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नाम से मुंबई बांद्रा टर्मिनल से भुज तक चलाई जा रही है । क्षेत्र के निवासियों की मांग है कि इस एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नाम आशापुरा एक्सप्रेस रखा जाए । गुजरात के कच्छ क्षेत्र में देवी मां आशापुरा की पूजा की जाती है । देवी मां आशापुरा गुजरात के लोगों की पूज्यनीय और वंदनीय है । मुंबई से हजारों गुजराती तीर्थ यात्री प्रतिदिन देवी मां आशापुरा के दर्शन के लिए जाते हैं । …**(व्यवधान)** इसके साथ ही कच्छ एक्सप्रेस और एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनों को क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा के लिए गांधीधाम स्टेशन से निकालना चाहिए । मेरी यह मांग है । धन्यवाद ।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले (बारामती) : सर, थैंक्यू । देश में कई महीनों से महंगाई, जिसे प्राइसराइज बोलते हैं, उसमें पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेण्डर पर बहुत महंगाई हो रही है ।

माननीय अध्यक्ष : इस पर चर्चा होगी ।

श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले : सर, कोऑपरेटिव फेडरेलिज्म में हमेशा केन्द्र सरकार बोलती है कि इसमें राज्य को टैक्स कम करना चाहिए और केन्द्र को भी टैक्स कम करना चाहिए । जीएसटी का अभी काफी पैसा केन्द्र सरकार को देना है । मैं केन्द्र सरकार से विनती करती हूं कि प्राइसराइज कुकिंग ऑयल, एलपीजी, पेट्रोल और डीजल में आप इंटरवेंशन करें तथा सारे राज्यों में जो गरीब जनता है, महंगाई में जिनकी कमर टूट गई है, उनकी मदद करें ।

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : स्पीकर महोदय, धन्यवाद । आज इस हाउस में यह चर्चा हो जानी चाहिए, चूंकि मेरे ऊपर काफी पर्सनल एलीगेशन लगाए गए हैं और मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं ।

चर्चा में यह नियम है, आपने बनाया है और इस हाउस ने बनाया है कि जिस बिल पर चर्चा हो रही हो, केवल उसी बिल के बारे में बात करनी है।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऐसा नहीं है। बिल के इतर भी सब बोले हैं।

डॉ. निशिकांत दुबे : सर, मैं वही कह रहा हूं। जब बिल के इतर बोले तो मैंने 352 पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज किया कि जो चीजें ज्यूडिशियल स्क्रूटनी में हैं, कोर्ट में जो केस चल रहा है, उस पर आप हमारे मुख्य मंत्री के ऊपर, आप हमारे गृहमंत्री के ऊपर, जो राज्य सभा के सदस्य हैं, उनके ऊपर, जो चीफ जस्टिस हैं, आप उनके ऊपर क्या एलीगेशन लगाएंगे। …(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही**…**

… (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल कंक्लूड कर लूं। यदि यह एलिगेशन लगेगा, यदि आप किसी की तरफ एक अंगुली उठाएंगे, तो चार अंगुलियां आपकी तरफ भी जाएंगी। …(व्यवधान)

LIST OF MEMBERS WHO ASSOCIATED THEMSELVES WITH THE ISSUES RAISED UNDER MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

सदस्य, जिनके द्वारा अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय उठाये गये।	सदस्य, जिन्होंने उठाए गए विषयों के साथ स्वयं को सम्बद्ध किया।
Shrimati Jaskaur Meena	Dr. Manoj Rajoria Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Jyotsna Charandas Mahant	Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Shrimati Himadri Singh Prof. Rita Bahuguna Joshi Shrimati Sandhya Ray Shri Jagdambika Pal Shri Arjun Singh Shri Ajay Nishad Shrimati Locket Chatterjee Dr. Nishikant Dubey Shrimati Rama Devi Shrimati Navneet Ravi Rana Kumari Goddeti Madhavi Shrimati Ranjeeta Koli Shri Ramesh Bidhuri	Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Kalaben Mohanbhai Delkar	Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Mohammed Faizal P.P.
Shrimati Raksha Nikhil Khadse	Dr. Pritam Gopinathrao Munde Dr. Sujay Vikhe Patil Shri Sudhakar Tukaram Shrangare
Shri P.R. Natarajan	Shri K. Navaskani

Shrimati Kanimozhi Karunanidhi	Shri K. Navaskani Shrimati Supriya Sadanand Sule Shri Dhanush M. Kumar
Dr. Heena Vijaykumar Gavit	Dr. Sujay Vikhe Patil
Dr. Shrikant Eknath Shinde	Shri Rahul Ramesh Shewale Shri Krupal Balaji Tumane
Shri Dharambir Singh Shri Vijay Kumar Dubey Shri Kishan Kapoor Shri Pradeep Kumar Singh	Shri Malook Nagar
Shri Janardan Singh Sigriwal	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Malook Nagar
Shri Virendra Singh	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Malook Nagar
Shri C. N. Annadurai	Shri Dhanush M. Kumar Shri K. Navaskani
Shri Rahul Ramesh Shewale	Dr. Shrikant Eknath Shinde Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shrimati Supriya Sadanand Sule	Dr. Shrikant Eknath Shinde Shri Rahul Ramesh Shewale
Shri Su. Thirunavukkarasar Shri Dhanush M. Kumar	Shri K. Navaskani
Shri S. Gnanathiraviam	Shri K. Navaskani Shri Dhanush M. Kumar
Shri Suresh Pujari	Kunwar Pushpendra Singh Chandel Shri Saptagiri Sankar Ulaka
Shri Karti P. Chidambaram	Shri K. Navaskani Kunwar Pushpendra Singh Chandel
Shri Margani Bharat	Shri Saptagiri Sankar Ulaka

Shri K. Sudhakaran	Shri Kodikunnil Suresh Shri Benny Behanan Shri Rajmohan Unnithan Adv. Adoor Prakash Kumari Ramya Haridas

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

13.31 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

14.32 hrs

The Lok Sabha reassembled at Thirty Two Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

MATTERS UINDER RULE 377*

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन सदस्यों को नियम 377 के अधीन मामलों को आज उठाने की अनुमति दी गई है और जो उन्हें सभा पटल पर रखने के इच्छुक हैं, वे 20 मिनट के भीतर मामले का पाठ व्यक्तिगत रूप से सभा पटल पर भेज दें। केवल उन ही मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाएगा, जिनके लिए मामले का पाठ निर्धारित समय के भीतर सभा पटल पर प्राप्त हो गया है। शेष को व्यपगत माना जाएगा।

… (व्यवधान)

---

* Treated as laid on the Table.

(i) Regarding alleged irregularity in admission in Rural Institute of Ayurveda Research and hospital, Medical college in Madha Parliamentary Constituency

श्री रंजीतसिन्हा हिंदूराव नाईक निम्बालकर (माधा): रूरल इंस्टिट्यूटऑफ़ आयुर्वेद रिसर्च एंड होस्पिटल, मेडिकल कॉलेज माढा लोकसभा स्थित मयानी में है। इस मेडिकल कॉलेज में अवांछित तत्व मेडिकल कालेज में दाखिले करवाने हेतु अवैध रैकट चला रहे हैं जिसमें अधिक अंक दिखाकर झूठे मार्क शीट व सर्टिफिकेट आदि बनाकर दिए जा रहे हैं तथा उनके आधार पर मेडिकल कालेज में दाखिले करवाए जा रहे हैं। इस रेकेट की अवैध गतिविधियों के कारण अनेकों मेधावी छात्रों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, उनके मेडिकल कालेजों में दाखिले नहीं हो पा रहे हैं तथा उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में गहन जांच (सीबीआई जाँच) करवाकर इस रैकेट में लिप्त व्यक्तियों के खिलाफ तुरन्त कानूनी कार्यवाही करवाने का कृपा करें ताकि मेधावी छात्रों को हो रहे नुकसान से बचा जा सके।

(ii) Need to allocate funds for construction of houses in rural areas under Pradhan Mantri Awas Yojana at par with houses constructed in urban areas under the scheme

श्री रामदास तडस (वर्धा): माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान अत्यंत महत्त्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट करते हुए निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिये प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के मुकाबले बहुत कम धन राशि स्वीकृत की जाती हैं जबकि ग्रामीण अंचल में शहरों के मुकाबले ज्यदा जनसंख्या निवास करती हैं। ग्रामीण भाग में आवास निर्माण के लिये लगने वाली निर्माण सामाग्री शहर के मुकाबले दूर से लानी पड़ती हैं। इसके कारण ट्रान्सपोर्ट मूल्य भी बढ जाता हैं। मेरा निवेदन हैं कि, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी के आवास निर्माण की धन राशि समान करने हेतु उचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

(iii) Need to set up a university in Sidhi district headquarters in Madhya Pradesh

श्रीमती रीती पाठक (सीधी): मै माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहती हूँ कि मेरा संसदीय क्षेत्र सीधी शिक्षा,स्वास्थ्य व संचार जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से आज भी वंचित है। मेरे संसदीय क्षेत्र सीधी मे आज दिनांक तक विश्वविद्यालय स्थापित नहीं है जिस कारण बहुतायत बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते है। लंबे समय से क्षेत्र के विद्यार्थियों द्वारा विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु विभिन्न माध्यमों से मांग की जा रही है । मेरा हमारी सरकार व माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से आग्रह है कि सीधी संसदीय क्षेत्र के सीधी जिला मुख्यालय मे विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जिससे निकट भविष्य मे मेरे संसदीय क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने मे किसी भी प्रकार की समस्या न हो !

(iv) Regarding relaxation of norms of Pradhan Mantri Awas Yojana for people in Gadchiroli-Chimur Parliamentary Constituency, Maharashtra

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी आवासविहीन नागरिकों को वर्ष 2022 तक आवास सुलभ कराए जाने हेतु संकल्प लिया है, जो स्वागतयोग्य है और इसके लिए सभी देशवासी केन्द्र सरकार के आभारी हैं।

मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 'अ' तथा 'ब' वर्ग के लाभार्थियों को आवास सुलभ हो चुका है किन्तु जिन ग्रामीणों के नाम 'ड' वर्ग में हैं, उन्हें आवास की मान्यता के लिए रखी गई शर्तो के वजह से आवास का सपना साकार नहीं हो पा रहा है।

इस संबंध में, मैं अपने संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमूर का उदाहरण देना चाहूंगा, जहां के गरीब लोगों ने किश्तों पर टी.वी., मोबाइल, फ्रिज, मोटर साइकिल आदि खरीदी हैं तथा जिनके पास केवल 5 एकड़ भूमि है, वे वर्ग 'ड' में आने की वजह से केन्द्र की आवास की सुविधा से वंचित हो रहे हैं।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह देश के विशेषतः महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरोली-चिमूर संसदीय क्षेत्र के ऐसे लाभार्थी, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत वर्ग 'ड' में आते हैं, उन्हें वर्ग 'ड' में रखी गई कड़ी शर्तों को शिथिल करके आवास सुनिश्चित किए जाने हेतु सकारात्मक कदम उठाए।

(v) Regarding auction of Bharat Pump & Compressors Limited, Prayagraj, Uttar Pradesh

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी (इलाहाबाद): मैं मा0 मंत्री, भारी उधोग मंत्रालय का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि भारत पम्पस् एण्ड कोम्प्रेसेर्स लिमिटेड, (बी पी सी एल) प्रयागराज की स्थापना 1970 में हुई थी तथा लम्बे समय तक यह मिनी नवरत्ना कम्पनी का दर्जा प्राप्त रही। दुर्भाग्य से जुलाई 2020 में मंत्री परिषद, भारत सरकार के निर्णय से बी.पी.सी.एल को बंद कर दिया गया। अब इसकी नीलामी हो रही है।

बी.पी.सी.एल की अचल सम्पत्ति (भूमि) उत्तर प्रदेश सरकार की मिल्कियत है जो कि लीज पर भारत सरकार को दी गयी थी। फैक्ट्री में उपयोग की जा रही टेक्नॉलाजी व भवन केन्द्र सरकार की सम्पत्ति है।

केन्द्र सरकार ने भवन को उत्तर प्रदेश सरकार को स्थानांतरित करने का निर्णय ले लिया है। मान्यवर, बी.पी.सी.एल सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में हैवी मड पम्प व कम्प्रेसर बनाने वाली एक मात्र कम्पनी है। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी की घोषणा है कि ऐसी कंपनियों को बचाया जायेगा।

मेरा निवेदन है कि बी.पी.सी.एल की चल अचल सम्पत्तियों को तथा टेक्नॉलाजी को एक साथ नीलाम किया जाये क्योंकि निजी क्षेत्र की कई कम्पनियों ने बी.पी.सी.एल को खरीदने में रूचि दिखायी है।

(vi) Need to upgrade National Highway 15 into four lane

श्री दिलीप शइकीया (मंगलदोई): मेरा लोकसभा क्षेत्र मंगलदोई (असम) भूटान और अरुणाचल प्रदेश के काफ़ी करीब है जिसके कारण लोकसभा क्षेत्र के राजमार्ग एन एच 15 का सामरिक, व्यवसायिक और सामान्य यातायात के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है । बैहाटा चैराली से जमुगुड़ीहाट तक दो लेन का राजमार्ग माननीय मंत्री जी के प्रयासों से पूर्ण हो चुका है लेकिन आगे जमुगुड़ीहाट से गोहपुर- ईटानगर तक का कार्य अभी लंबित है। यदि बैहाटा चैराली से ईटानगर तक राजमार्ग 15 को 4 लेन में विकसित कर दिया जाए तो सामरिक, रणनीतिक , व्यवसायिक दृष्टिकोण से हमारी पहुंच अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती देशों विशेषकर चीन और म्यनमार तक काफ़ी आसानी से हो जाएगी। चूंकि अरुणाचल प्रदेश देश के सीमावर्ती राज्यों के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने पहले भी माननीय गृहमंत्री जी और माननीय केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी को भी इस संबंध में पत्र लिखा था।

आजादी के इस अमृत महोत्सव में दशकों से लंबित असम और अरुणाचल प्रदेश की जनता की इस मांग को पूर्ण किया जाए। बैहाटा चैराली से जमूगुड़ीहाट - ईटानगर तक इस राजमार्ग 15 को पूरा 4 लेन में विकसित किया जाए इस हेतु 2022 आम बजट में इस राजमार्ग को शामिल कर वर्तमान कार्य प्रगति से मुझे अवगत कराया जाए जिससे कामरुप, दरंग, उदालगुड़ी, विश्वनाथ, सोनितपुर और अरुणाचल प्रदेश की जनता की वर्षों पूरानी मांग पूरी हो सके।

(vii) Need to develop Dhar district in Madhya Pradesh as a Tourist place

श्री छतर सिंह दरबार (धार): मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान तथा 24 अभ्यारण्य हैं। राज्य के नए क्षेत्रों में पर्यटन की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार वन्य प्राणी संरक्षण क्षेत्रों के विकास हेतु सराहनीय कार्य कर रही है। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीणों को उनकी आजीविका के साधन भी उपलब्ध हो रहे हैं। धार संसदीय क्षेत्र के पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के लिए प्रचुर संभावनाएं विद्यमान हैं। इस क्षेत्र में सघन वनों के होने के कारण वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु भी दीर्घकालीन इंतजाम किए जा सकते हैं। ऐसे में सरकार से मेरा आग्रह है कि मध्य प्रदेश में धार जिले के पर्यटन हेतु विकसित करने के लिए यहां ऐतिहासिक तथा पौराणिक क्षेत्रों के विकास हेतु तत्काल ठोस कदम उठाएं।

(viii) Regarding construction of Nisarg Gram Project of National Institute of Naturopathy, Pune

SHRI GIRISH BHALCHANDRA BAPAT (PUNE): Naturopathy is an ancient non-invasive rational system of healing that practices natural elements based on the theory of self-healing capacity of the body, vitality, and toxemia. There is the need of the hour to promote naturopathy for the benefits of common man.

Construction of Nisarg Gram Project of National Institute of Naturopathy, Pune is going on at Yewalewadi, Pune. In India, this will be the first Naturopathy College and IPD Hospital. As “Azadi Ka Amrit Mahotsav" is a series of events being organized by the Ministry of AYUSH to commemorate the 75th Anniversary of India’s Independence, the Government of India should take necessary steps to complete the Nisarg Gram Project within scheduled time. It would be a matter of great pride if this project is inaugurated in the early months of the 75th year of independence. Hence, I would request the hon’ble minister to look into the matter personally.

(ix) Need to sanction and construct Alwar-Dadri railway line

श्री धर्मवीर सिंह (भिवानी-महेन्द्रगढ़): NH-152डी जो कोटपूतली(राजस्थान) से ईस्माईलाबाद(पंजाब) तक वाया नारनौल-दादरी व हरियाणा प्रदेश के अन्य शहरों से गुजरते हुए जायेगा। यह भारतमाला का प्रोजेक्ट है। हाल ही में इस राजमार्ग का राजस्थान के कोटपूतली से अलवर तक विस्तार किया गया है। नांगल चौधरी में दिल्ली-मुम्बई कोरिडॉर का निर्माण किया जारहा है जो अलवर से इस राजमार्ग के द्वारा दिल्ली–मुम्बई को जोडेगा। अलवर से दादरी वाया नारनौल-महेंद्रगढ रेलवे की मेरे संसदीय क्षेत्रवासियों की बहुत पुरानी मांग है। जिस प्रकार के.एम.पी. राजमार्ग के साथ-साथ रेलवे लाईन की मंजूरी की है। मेरा निवेदन है कि अलवर-दादरी रेलवे लाईन को भी NH-152D के साथ–साथ मंजूर करके बनवाया जाए। इस रेलवे लाईन के लिए ज्यादा जमीन की जरुरत नही होगी क्योंकि ज्यादातर जमीन एन.एच.ए.आई. ने अधिकृत की हुई है। अगर यह रेलवे लाईन (पैसेंजर/मालगाडी) बिछवा दी जाए तो पंजाब से मुम्बई तक हरियाणा प्रदेश का जुडाव आसानी से हो जायेगा। और राष्ट्रीय राजमार्ग पर कम दबाव रहेगा।

(x) Regarding setting up of three Kendriya Vidyalayas in Santhal Pargana region

DR. NISHIKANT DUBEY (GODDA): Jharkhand's Santhal Pargana districts - Deoghar, Godda, Jamtara, Pakur, Sahibganj and Dumka count amongst the socially, educationally and economically backward districts of the country. A look at the statistics of health, literacy, education, income, etc, gives an appalling picture of the poor state of the people. We see an urgent need for comprehensive plan of action where special emphasis on good and equal opportunity of employment friendly education is needed to be given utmost importance.

Jharkhand is a rich state of poor people. It possesses 40% of India's mineral resources, but the access to resources has made little difference to the lives of ordinary people. Poverty and ignorance are still causes for low literacy rates, poor school attendance and large-scale drop outs. I humbly request that there is an urgent need to set up three kendriya Vidyalayas. An ideal location would be Jarmundi (Dumka), Deoghar and Mahagama (Godda) in the Sanrhal Pargana region. These locations are ideally suited for this purpose.

(xi) Regarding inclusion of the 'Rajasthan Backward Classes (Reservation of Seats in Educational Institutions in the State and of Appointments and Posts in Services under the State) (Amendment) Act, 2019' in the Ninth Schedule to the Constitution

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): राजस्थान राज्य के अति पिछडा वर्ग (एमबीसी) की जातियां विषेष रूप से गुर्जर, रेबारी/देवासी समाज गत् 15 वर्षों से आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत रही हैं और राजस्थान में कई बडे आन्दोलन आरक्षण को लेकर हुए हैं। राजस्थान सरकार ने वर्ष 2019 में गुर्जर आरक्षण आन्दोलन के उपरांत 13 फरवरी 2019 को राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग द्वारा उप सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार को'राजस्थान पिछडा वर्ग (राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम 2019), के संविधान के अनुच्छेद 31(ख) के अंतर्गत संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कराये जाने बाबत् पत्रावली भेजी है। इसी पत्रावली का राजस्थान सरकार ने 21 अक्टूबर 2020 को पुनः केन्द्र सरकार को प्रेषित किया है। अतः सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान के 5 प्रतिशत एमबीसी आरक्षण को संविधान की 9वी अनुसूची में सम्मिलित करने करें।

(xii) Need to establish an additional branch of public sector bank at Chakur Tehsil in Latur district, Maharashtra

श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरे (लातूर): महाराष्ट्र के लातूर जिले के चाकूर तहसील में बैंकिंग सेवाओं की कमी के कारण आम आदमियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहले इस तहसील में स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा स्टेट बैंक आफ हैदराबाद की एक एक ब्रांच कार्यरत थी । स्टेट बैंक आफ हैदराबाद का विलय स्टेट बैंक आफ इंडिया में हो जाने के कारण यहां इस समय स्टेट बैंक आफ इंडिया की केवल एक ब्रांच ही कार्यरत है। इस ब्रांच में केवल 6 कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं तथा सिर्फ एक काउंटर से ही सभी तरह की बैंकिंग सेवाएं उपलबध कराई जाती हैं। इस कारण यहां के आम आदमियों को बैंक में छोटे छोटे कामों को करवाने के लिए एक से दो घंटों तक का इंतजार करना पड़ता है।

इस स्टेट बैंक की ब्रांच में इस समय 80000 क्रियाशील बैंक खाते हैं । चाकूर तथा इसके आसपास के गांवों की कुल आबादी लगभग 5 लाख है। यही नहीं यह ब्रांच सरकारी योजनाओं के तहत दिए जाने वाले ऋण सेवाओं को 32 गांवों में दिए जाने के लिए प्राधिकृत है। उपरोक्त के मद्देनजर मेरा सरकार से अनुरोध है कि चाकूर में प्राथमिकता के आधार पर सरकारी बैंक की कम से कम एक और ब्रांच तत्काल खोली जाए 1 जब तक नई ब्रांच अपना काम चालू नहीं करती तब तक के लिए स्टेट बैंक की वर्तमान शाखा में कर्मचारियों की संख्या तत्काल बढ़ाई जाए तथा यहां कम से कम चार काउंटरों से बैंकिंग सेवाएं नियमित आधार पर उपलब्ध कराई जाएं। इन काउंटरों पर अलग अलग सेवाएं जैसे धन जमा कराना, धन निकालना, बैंक से संबंधित अन्य कार्य तथा चौथे काउंटर पर ऋण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

(xiii) Need to establish a sports stadium under Khelo India Programme in Shahjahanpur district, Uttar Pradesh

श्री अरूण कुमार सागर (शाहजहाँपुर): मेरा संसदीय क्षेत्र शाहजहांपुर (उ0प्र0) एक अति पिछड़ा हुआ अनुसूचित बाहुल्य क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र में युवाओं की काफी अधिक संख्या है और उनकी खेलकूद में विशेष रूचि है। सरकार ने देश में खेल की स्थिति व स्तर में सुधार करने, खेलों को बढ़ावा देने एवं नई प्रतिभाओं को तलाशने के उद्देश्य से खेलो इंडिया कार्यक्रम योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके माध्यम से व्यक्तिगत विकास, सामुदायिक विकास, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास हेतु आयाम तैयार करना है।

मेरे संसदीय जनपद शाहजहांपुर के ग्राम खजूरी, तहसील कलान में परमवीर चक्र विजेता नायक श्री जदुनाथ सिंह की जन्म स्थली है तथा काकोरी घटना के अमर शहीद श्री राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां भी मेरे संसदीय क्षेत्र से शाहजहांपुर से ही हैं और कारगिल युद्ध के दौरान भी दलित वर्ग का एक युवक रमेश देश के लिए अपनी कुरबानी दे चुका है। मेरे संसदीय क्षेत्र के नौजवान उर्जावान, परिश्रमी, कर्मठ और देशभक्त हैं। यदि इन युवकों को किशोरावस्था से ही खेलकूद का प्रशिक्षण उच्च स्तरीय स्टेडियम में मिल जाए तो शाहजहांपुर संसदीय जनपद की यह धरती, जो देश की आजादी से पहले से ही राष्ट्र की सेवा में समर्पित रही है, खेलकूद में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन करेगी।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह मेरे क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों की युवा प्रतिभा को आगे लाने के लिए शाहजहांपुर जनपद की कटरा विधान सभा की कटरा नगर पंचायत में "खेलो इंडिया कार्यक्रम योजना के अंतर्गत स्टेडियम की स्थापना किए जाने हेतु समुचित कदम उठाएं।

(xiv) Need to construct underpasses and railway over bridges on level crossings between Mandhana and Makanpur in Misrikh Parliamentary Constituency, Uttar Pradesh

श्री अशोक कुमार रावत (मिश्रिख): मेरे संसदीय क्षेत्र मिश्रिख (उ0प्र0) में मन्धना से मकनपुर के बीच मुख्यतः चौबेपुर, शिवराजपुर, बिल्हौर व अरौल रेलवे क्रॉसिंग आती है तथा इस क्षेत्र के किसान, जिनकी कृषि भूमि रेलवे क्रॉसिंग के दूसरी ओर पड़ती है, उन्हें अपनी खेती करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा रेलवे क्रॉसिंग बंद किए जाने के दौरान ग्रामीणों को भी आवागमन में काफी असुविधा होती है।

अतः स्थानीय किसानों एवं ग्रामीणों के हित में मन्धना से अरौल के बीच आने वाले लेबल क्रॉसिंग का सर्वे करवाकर उनके स्थान पर अंडरपास बनवाए जाने और साथ ही चौबेपुर, शिवराजपुर व बिल्हौर, अरौल व मकनपुर रेलवे स्टेशन, जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर स्थित है तथा यातायात के भारी दबाव की वजह से यातायात बुरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। वहां रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण करवाए जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में, मेरे द्वारा 27 अक्टूबर, 2021 में महाप्रबंधक, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर को पत्र लिखकर अनुरोध भी किया गया है।

मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि उपरोक्त संदर्भ में सकारात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु आवश्यक पहल की जाए।

(xv) Regarding water stagnation in railway underpasses in Karur Parliamentary Constituency

SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR): Many parts of the Karur constituency have been facing the chronic problem of water stagnation in the Railway Underpasses. Every year, the inundation of the underpasses renders them unusable for a considerable amount of time. This problem affects the underpasses at the following locations in the constituency:

1. Vellapparai, Gujiliamparai block, Dindigul District

2. Subramaniyapuram, Gujiliamparai block, Dindigul District

3. Puliampatti, Gujiliamparai block, Dindigul district

4. Eriyodu, Vedasanthur block, Dindigul district

5. Laxmanapuram Thadikombu pirivu, Vadamadurai Block, Dindigul district

6. Mayanur Panchayat, Krishnarayapuram block, Karur district

7. Thanthoni Block, Karur District 8. Manapparai Town at Manapparai Trichy Road, Trichy district

8. Puthuvadi Panchayat Kumarampatti road, Vaiyampatti Block, Trichy district.

The issue has not been resolved at all the places, despite the Divisional Railway Manager's visit to some of these sites. No Standard Procedure is being followed in redressal of the issue. Residents in the vicinity of these areas

have to travel long distances to cross the rail tracks, which is unsafe. It must be ensured that a permanent solution is implemented to resolve the issue of stagnation.

(xvi) Regarding opening of a new Kendriya Vidyalaya at North Chennai

DR. KALANIDHI VEERASWAMY (CHENNAI NORTH): Railway land of 5 acres at Ward E-Block No. 5, Saththangadu village, Thiruvottiyur Tehsil, Chennai district has been identified for establishment of Kendriya Vidyalaya at Thiruvottiyur. I have already requested the General Manager, Southern Railway, Ministry of Railways vide my letter dated 25.07.2021 to allot vacant railway land for the public cause, namely imparting education to the students of the area under the Kendriya Vidyalaya Sangathan. In response to my letter dated 25.07.2021, the Ministry of Railways, Southern Railway vide letter dated 26.10.2021 has informed that if such request is initiated from KVS, the same will be considered as per extant rules with the approval of Railway Board provided the land requested is not required for future development works of Railways.

I request to kindly instruct KVS to write to General Manager, Southern Railways to expedite allotment of required land for opening a new Kendriya Vidyalaya at North Chennai.

(xvii) Regarding posting of ex-servicemen

SHRI POCHA BRAHMANANDA REDDY (NANDYAL): In the light of their dedicated service to the nation under harsh condition and inhospitable environment, the relocation and welfare of Ex-Servicemen has been a matter of public importance.

After retirement, they are usually re-employed under Public Sector Undertakings and Nationalized Banks. As per the information provided by the All India Ex-Servicemen Bank Employees Federation, many ex-servicemen bankers are posted in remote places.

Hence, every Ex-serviceman should be posted near his/her hometown or a choice of residence.

I would, therefore, urge the Finance Minister to issue suitable directions to the concerned authorities.

(xviii) Need to include Supaul district of Bihar in Aspirational Districts Programme

दिलेश्वर कामैत (**सुपौल**): मेरा संसदीय क्षेत्र सुपौल(बिहार) बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। बाढ़ के कारण यह अन्य जिलों से विकास के मुकाबले बहुत पिछड़ा हुआ है | 2006 में पंचायती राज मंत्रालय ने सुपौल को देश के सबसे पिछड़े जिले के रूप में नामित किया था, एवं यह जिला पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम (बीआरजीएफ) से धन प्राप्त कर रहा था। केंद्र सरकार द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम को 2018 में शुरू किया गया, इस योजना का मकसद देश के बहुत पिछड़े जिलों के लोगों का जीवन स्तर सुधारने के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित करना है. परन्तु मेरे संसदीय क्षेत्र को इस कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं लिया गया जबकि आसपास के बाढ़ ग्रस्त जिलों को सम्मिलित किया गया है ।

अतः मेरा अनुरोध है कि सुपौल जिले को भी आकांक्षी जिला कार्यक्रम में चयनित किया जाए जिसके माध्यम से योजना अंतर्गत मिलने वाले लाभों से क्षेत्र का विकास किया जा सके ।

(xix) Need to address the issues pertaining to the Medical College at Jaunpur, Uttar Pradesh

SHRI SHYAM SINGH YADAV (JAUNPUR): I draw the kind attention of Union Minister of Health and Family Affairs towards the following issues pertaining to the proposed establishment of Medical College in Jaunpur, Uttar Pradesh :-

(1) The inauguration of Medical College at Jaunpur, Uttar Pradesh had been done by Hon'ble Prime Minister but the building is still incomplete.

(2) A couple of months back, the roof collapsed due to heavy rains. It is evident that the quality of construction is allegedly substandard.

(3) There is no OPD services, no pathology, no X-ray, no Corona related services or other emergency services in the Medical College, Jaunpur.

(4) The construction cost of the building increased manifold due to delay in completion. It is a loss to state exchequer.

(5) It may be clarified whether after inauguration of the Medical College by Hon'ble Prime Minister will the college start the process of admission of students from this year based on NEET 2021 results?

(6) There are no lecture halls, common rooms, administrative buildings, residential facilities for tutors ad hostels for students.

(7) No inspection has been done by the National Medical Commission (NMC).

(8) Alleged Non-payment of wages of construction workers is also a issue due to which the construction work is getting delayed.

I request the Hon'ble Minister to please look into the issues as mentioned above and taken necessary measures at the earliest.

(xx) Regarding condition of undertrials in the country

SHRI E. T. MOHAMMED BASHEER (PONNANI): As per the data available in the public domain, out of the total number of prisoners in the country, approximately 70 percent are undertrials. Further, there are a large number of undertrial prisoners who have spent more time in jail than the actual sentence prescribed under the relevant Sections/Acts in case of conviction. There are a number of prisoners who are unable to arrange bail due to non-furnishing of personal bail bonds/surety.

(xxi) Regarding inclusion of Grapes Research Station Anaimalayapatti as one of the regular centres under ICAR

SHRI P. RAVINDHRANATH (THENI): I would like to urge the Government to include Grapes Research Station, Anaimalayanpatty of Theni District, Tamil Nadu as one of the regular research centres. In Tamil Nadu, grape is cultivated in an area of 2800 hectares out of which, 2184 hectares of land are in Theni District alone. While the grape is cultivated in other districts like Dindigul, Coimbatore, Salem, Krishnagiri, Dharmapuri, Thenkasi, Tiruchirapalli and Madurai, the district of Theni accounts for major share of grape production. To extend the area of cultivation of commercial grapes varieties and to encourage the involvement of farmers in grape cultivation with application of scientific methods as well as to increase research and development prograramms, I request the Government to take appropriate action to include the Grapes Research Station, Anaimalayapatty as one of the regular centres under Indian Council for Agricultural Research - All India Co-ordinated Research Project on Fruits Programme with adequate staff, funds and infrastructure.

____

माननीय सभापति : आइटम नंबर –16, 17, 18 और 19 एक साथ चर्चा के लिए लिए जा रहे हैं। श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी।

<u>14.33 hrs</u>

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF CENTRAL VIGILANCE COMMISSION (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021
AND
CENTRAL VIGILANCE COMMISSION (AMENDMENT) BILL, 2021
AND
STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021
AND
DELHI SPECIAL POLICE ESTABLISHMENT (AMENDMENT) BILL, 2021

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move the following resolution: --

> "That this House disapproves of the Central Vigilance Commission (Amendment) Ordinance, 2021 (9 of 2021) promulgated by the President on 14 November, 2021."

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES, MINISTER OF STATE IN THE PRIME MINISTER'S OFFICE, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS, MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY, AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF SPACE (DR. JITENDRA SINGH): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Central Vigilance Commission Act, 2003 be taken into consideration."

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Sir, I beg to move the following resolution: --

> "That this House disapproves of the Delhi Special Police Establishment (Amendment) Ordinance, 2021 (10 of 2021) promulgated by the President on 14 November, 2021."

DR. JITENDRA SINGH: Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 be taken into consideration."

At the time of introduction इस बात को उस समय भी स्पष्ट किया गया था। Now that is being taken up for consideration मुझे केवल इतना ही कहना है कि इस अमेंडमेंट के माध्यम से जितना बड़ा विवाद हो रहा है, उतना बड़ा विषय नहीं है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा, to respect the spirit of the Order, rather than seeing too much into this. It is because as we know and I would request everybody to go by the intent of this Government. Ever since, Shri Narendra Modi took over as the Prime Minister, one of the very early declarations that he made was that this Government will follow a policy of `Zero Tolerance' towards corruption. He has walked the talk over the years which is evident from the fact that the Prevention of Corruption Act, 1988 30 सालों के बाद पहली बार संशोधित किया गया था।

The bribe giver was also made culpable along with the bribe taker and at the same time, good performing and honest officers were given certain safeguards.

Similarly, even in recruitment to Government jobs, interviews were abolished to provide a level-playing field. I would request that, in the context of all this, in our collective fight against corruption, we have to realise that corruption and crime have achieved multiple dimensions in recent years. Corruption is getting linked; black money is also getting linked to international crime and thereby, as an offshoot ramification, we have drug trafficking, we have terrorism and criminal offences. All these, in collectivity, have led to new methodologies and new technologies.

इसमें यदि किसी संस्था का कोई अधिकारी या मुखिया जांच कर रहा है, तो it requires a certain amount of continuity and at the same time, besides institutional continuity, इंडिविजुअल कंटिन्यूटी का महत्व यह बन जाता है कि बहुत सारी ऐसी जानकारी होती है, जिसे कांफिडेंशियल रखना अनिवार्य होता है। जब इस तरह के केस चल रहे हों तो कई बार किसी अधिकारी का उस पद पर या उस जिम्मेवारी पर कुछ और निर्धारित समय तक रहने के लिए न्याय के हक में एक निर्णय लेना अनिवार्य बन जाता है।

Therefore, to that extent, it is just an enabling provision particularly when the FATF has also suggested to different nations to improve their law enforcement authorities. I would like to quote from one of its Report. It says:

> "The country should have in place a process to ensure that the staff of these authorities maintain professional standards including standards concerning confidentiality and should be of high integrity and appropriately skilled."

From that point of view also, one has to keep in mind that many of the investigating agencies abroad have the term of the Head lasting over several years. FBI has a term of ten years and most of the countries have an average tenure of five or seven years or a flexible term. So, let us look at it as an enabling provision in the interest of justice, in the interest of checking crime and in the interest of checking international ramifications.

Somehow the misgiving has gone in that there is an attempt to extend the term of the Head of the institution which is not so. On the contrary, this is going to ensure that the term is going to get limited to five years. क्योंकि जो पहला एक्ट सीवीसी 2003 में था, if we read it carefully, it says 'tenure not more than two years'. It does not say 'tenure up to two years'. Now we are introducing tenure up to five years. In fact, we are doing precisely what some of the hon. Members of the Opposition want to be done. We are actually restricting the Government not to go beyond five years. … (*Interruptions*)

Let us discuss in that spirit. Thank you, Sir.

HON. CHAIRPERSON: Motions moved:

> "That this House disapproves of the Central Vigilance Commission (Amendment) Ordinance, 2021 (9 of 2021) promulgated by the President on 14 November, 2021."

> "That the Bill further to amend the Central Vigilance Commission Act, 2003, be taken into consideration."

> "That this House disapproves of the Delhi Special Police Establishment (Amendment) Ordinance, 2021 (10 of 2021) promulgated by the President on 14 November, 2021."

> "That the Bill further to amend the Delhi Special Police Establishment Act, 1946, be taken into consideration."

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I thank you very much. It is very interesting to hear the introductory remarks of hon. Minister. Whenever there is a very serious concern and serious matter to be discussed, and if somebody has no logical reply to that issue, the strategy to be followed is to take it in a very lighter vein and thus, by smiling, he is introducing the Bill.

He is substantiating the arguments advanced by the Opposition Members regarding the promulgation of the Ordinance. When he is objecting to the Statutory Resolution, the hon. Minister has said nothing to justify the promulgation of the Ordinance. That means the position

taken by the Opposition has been ratified by the Government also since there is no reply from the part of the hon. Minister, and it cannot be taken in a lighter vein. It is a very serious matter of concern regarding the independence of the Enforcement Directorate as well as the CBI, the premier investigation agencies of the country.

Sir, I am moving the Statutory Resolution to disallow this Ordinance. Why? I have stated so many times in this august House about Article 123. I am not going to repeat it. It is there on record.

Article 123 envisages that an Ordinance can be promulgated by His Excellency, the President of India only in extraordinary circumstances or compelling circumstances. It is a separate legislation; it is an independent legislation by the Executive.

So, in extraordinary circumstances and compelling circumstances when the Session is not there, then only His Excellency, the President is empowered to promulgate an ordinance under Article 123. Sir, whether the Central Vigilance Commission (Amendment) Ordinance No.9 of 2021 will attract Article 123 or not, that is the first point to be agitated and discussed.

Regarding this issue, the hon. Supreme Court in several cases repeatedly said that the Constitution does not permit the President or the Governor as a parallel law-making authority. In this case, the ... (*Expunged as ordered by the Chair*) is becoming a law-making authority. If it is extraordinary circumstances or compelling circumstances and if there is any necessity or

exigency, definitely we will concede and we will accept this because the Constitution empowers the President to promulgate an Ordinance.

I would like to request the hon. Minister, to tell the House what the exigency is, what the urgency is, what extraordinary circumstance is prevailing to promulgate this Ordinance to extend the tenure of a particular individual officer. You please explain this to the House. We will fully support you. There is no logical explanation. That is why, with a beautiful smile and in a very lighter way, our learned friend, hon. Minister … (*Interruptions*)

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, MINISTER OF COAL AND MINISTER OF MINES (SHRI PRALHAD JOSHI): You said several times that he is doing that by smiling. Should he do it by weeping? क्या वह इसे रोते-रोते रखें, उन्होंने गुस्सा भी नहीं किया। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Smiling is always good whether it is from Treasury Benches or Opposition Benches. Smiling is always good.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : This smiling is not seen in his face in other cases. Here, he is smiling only because by doing this, he wants to get it passed. It is very difficult to get it passed.

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): माननीय सदस्य, सबका देखने का अपना-अपना नजरिया होता है। …(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : हमें हंसते-हंसते काम करना है। …(व्यवधान) हम में मतभेद हैं, लेकिन फिर भी हम हंसते-हंसते काम करेंगे। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON :Thank you for commenting on his smiling. Rather, there should be a broad smile.

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन : हंसते-हंसते काम करना बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा हर समय होना चाहिए। वह केवल इसी समय कर रहे हैं। बात यह है कि it is a very serious matter. The Government has no answer. There is no logical explanation regarding the promulgation of this Ordinance. So, my point is, this Ordinance no.9 of 2021 will never attract Article 123. Therefore, this Resolution has to be accepted.

The Central Vigilance Commission (Amendment) Ordinance was promulgated on 14th November, 2021. What is the intent of this Ordinance? The hon. Minister has just now spoken that they are fixing the tenure of five years. Sir, can the Minister say to this House whether this will be applicable to all?

The point of difference is, now you are extending the period from two years to five years. But it is selective because every year after every two years, it will be subject to the whim and fancy of the Government. The entire authority will be cast upon the Government. That means, if you are interested in a particular officer, definitely his tenure can be extended. You are making a wider interpretation.

Now, I am coming to the dates. Sir, 14th November is the date of promulgation of Ordinance to extend the tenure of the Head of the Directorate Enforcement up to a maximum period of five years. That is the whole intent of the Ordinance. The Hon. Minister may not agree with me. What is the urgency

and exigency of promulgating this Ordinance on 14th November? It is because, the present Executive Director, … * was retiring on 19th November, 2021. This has never been seen in the legislative history of Indian Parliament.

The Government has promulgated this Ordinance just three days before the retirement of this particular officer. Let the Government explain the justification for the promulgation of this Ordinance. My point is, the Government is undermining the legislative authority of the Parliament. The Parliament is being taken for granted. The Government can bulldoze, the Government can promulgate any Ordinance at its whim and fancy. But that is not fair on the part of the Government. The legislative supremacy of the Parliament is challenged by the Government just to fulfil its narrow political ends. What is the extraordinary circumstance that was prevailing so as to promulgate this Ordinance? I am putting this question again to the Government. So, this is a clear case of misuse of Article 123 of the Constitution by this Government. That can never be justified.

The Government has already extended the tenure of this officer for a period of one year. Even before the promulgation of the Ordinance. The officer's tenure was extended for one year. The matter went to the Supreme Court. What did the Supreme Court say? The first part of the observation of the Supreme Court is in favour of the Government. I do agree with that. The Supreme Court had declined to interfere with the Government's decision to

---

* Not recorded.

extend the tenure for one more year. So, the Government's position was ratified by the Supreme Court. But subsequently, the Supreme Court Bench comprising of Justice B.R. Gavai and Justice L. Nageswara Rao held:

> "Extension of tenure granted to officers who have attained the age of superannuation should be done only in rare and exceptional cases."

Further, the Supreme Court had observed:

"The tenure of … *shall not be extended."

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा): महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। I want to quote Rule 353. It says:

> "No allegation of a defamatory or incriminatory nature shall be made by a member against any person…"

Shri … * is not here. आप पोस्ट डायरेक्टर को कह सकते हो। ई.डी. डायरेक्टर का नाम, उनका नाम बार-बार लेना कहीं से उचित नहीं है।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I have not made any allegation.

डॉ. निशिकांत दुबे :आप उनका नाम लेकर नहीं कह सकते हो।

माननीय सभापति : ठीक है, मैं देख लूँगा। मैं व्यवस्था दे दूँगा। आप बैठिए।

डॉ. निशिकांत दुबे : उस जजमेंट में कहीं .... * का नाम नहीं है।

---

* Not recorded.

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, कृपया आप नाम का उल्लेख मत कीजिए।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I cannot understand Nishikant Dubey's argument because I have not made any allegation against the concerned officer. If the Chair directs, I will not use the name also, there is no problem. But I have not made any allegation against the particular officer. Unnecessarily Dubey ji is making an allegation against me. So, it should not be counted in my time.

Further, the Supreme Court had said:

> "Any extension of tenure granted to persons holding the post of Enforcement Director after attaining the age of superannuation should be for a short period."

Sir, this is the observation made by the Supreme Court. It has now become clear that the intent of this Ordinance is to invalidate the directive of the Supreme Court, that too for a particular officer. This is a clear case of abuse of the constitutional power envisaged under Article 123 of the Constitution. So, the Government's action to invalidate the directive of the Supreme Court so as to protect the interest of a particular individual can never be justified and for that purpose, the Parliament cannot be taken for granted. Therefore, we strongly oppose the Ordinance route of legislation.

---

* Not recorded

My second point is this. Why did the Government not wait for the Winter Session of Parliament? I would like to point out to the Parliamentary Affairs Minister Shri Pralhad Joshi that I am not making any allegation. Normally, the Winter Session of Parliament is summoned either from the second week of November or in the third week of November. This time, the Parliament has been summoned to meet on 29th of November? What is the significance of 29th of November? The information which we gathered is this.

SHRI PRALHAD JOSHI: Mr. Chairman, Sir, I would like to point out to the hon. Member that many times the Winter Session of Parliament has started from the first week of December also. Since he has raised the issue all of a sudden, I do not have the records with me.

But many a time, in the first of December also, Winter Session has started.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): In my parliamentary experience for 30 years, Winter Session has never started in December.

HON. CHAIRPERSON: Okay.

Premachandran-ji, please continue.

SHRI PRALHAD JOSHI: I am not saying that regularly it has happened. But many a time, it has happened.

In the first week of December, you yourself have done it.

HON. CHAIRPESON: Mr. Pramachandran, please continue.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I am not sure about it. But to my knowledge, the Winter Session of Parliament has never started so late. But it is subject to correction. We will agree if it is not so.

But my point is this. On 17th November, the Ordinance was issued. How can they summon the Parliament on 21st? A specific question will definitely arise because on 17th, they had promulgated the Ordinance. It was for what purpose? It was in order to extend the tenure of a particular officer. It will hold very bad in the public domain. I am not saying that it was delayed for this reason. But as far as people are concerned, the doubt arises.

Regarding this issue also, both CBI and Enforcement Directorate were established on the recommendations of the Santhanam Committee. The CVC also acted on the basis of this Report.

Sir, in 1997, in 'Vineet Narain *versus* Union of India', the Supreme Court directed the Central Vigilance Commission to take the responsibility of exercising superintendence over the functioning of CBI. Subsequent to it, CBI was given the statutory status by the Central Vigilance Commission. There is a Central Vigilance Act, 2003. As per that Act, the CVC, which is a Constitutional body, is to conduct inquiries into the offences to have been committed under Prevention of Corruption Act, 1988 by certain categories of public servants and officers who are coming under the Central Government or by corporations or

cooperative societies or trusts which are owned and controlled by the Government of India, that is, the Central Government.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude now.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, the mover of the Resolution is entitled to have 15 minutes according to the Rule 178.

HON. CHAIRPERSON: You have already spoken for 15 minutes.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Moreover, two Bills are being taken up together. So, we are discussing four items together.

HON. CHAIRPERSON: Okay. Please be brief and conclude.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Right, Sir.

Sir, by virtue of the Ordinance, Section 25 of the CVC is amended that 'the Director of the Enforcement shall continue to hold office for a period of five years including the initial appointment in public interest on the recommendations of the Committee chaired by the CVC.' This is the new amendment in the Ordinance.

My point is: what is public interest? 'Public interest' has a wider meaning, and it can be interpreted in any way so as to give an extension.

Therefore, my second submission is that the term 'public interest' has to be amended. It should be re-drafted.

Sir, thirdly, I have read the 'Statement of Objects and Reasons of the Bill'. I have made this observation at the time of opposing the introduction of the Bill. The hon. Minister has also spoken about the UN Convention and Inter-Governmental Organisations and all that. But the 'Statement of Objects and Reasons of the Bill' does not correlate with the contents of the Bill. That is a technical objection, which I am raising.

Fourthly, I do agree that there is no problem in prescribing five years tenure for Enforcement Directorate and CBI. If it is done in such a way, it would be applicable to all. Mr. Minister, you are arguing that it is limited to five years. Formally, it was not less than two years, and it can be extended, extended and extended. But now, you are limiting it to five years. You may make the tenure from two years to five years; make it a fixed tenure. So, this way, all the officers would be getting five years of tenure.

But as per the new amendment, only those officers, or in which you are interested in, will be getting extension. That is my point. Arbitrarily and without having any guidelines, you are extending it. There is a Committee set-up. Who are the Members of that Committee?

I have no time to explain all these things. But it is absolutely bureaucratic Executive Committee acting on the whims and fancies of the political executive of the Government. Definitely the Political Executive will decide, who shall be given extension, and who shall not be given extension.

Sir, by virtue of this amendment, extension, after two years term, will be done according to the whims and fancies of the political executive of the Government. That means, political class, that too, selectively, will make this amendment. But this against the directive of the Supreme Court. It is challenging the extension of the concerned officials.

Now, I would come to my last point. The National Police Commission is there. The National Police Commission also has laid down the guidelines and principles in which, it has specifically stated that 'the tenure of the highest officers in hierarchy of these investigating agencies shall not be extended. It should be confined to two years.'

That has been upheld by the Supreme Court also. Since there no time, I am not going to read all the recommendations of the National Police Commission. But again, it is also being violated. In these recommendations also, the Government cannot justify the extension of the tenure.

Therefore, I strongly oppose this Ordinance no. 9-91 and also fixing of the tenure – two years may be amended to five years. That may be made applicable to all. Then, definitely, we will also be supportive because the discretionary powers of the Government will be lost if it is being given to all the officers. That is not being done.

On the basis of all these reasons, once again, I would like to say that by virtue of Article 123, this type of Ordinance cannot be promulgated. This is taking away the right of the Parliament's supremacy in the legislative domain.

That cannot be accepted. Hence, I strongly oppose the Ordinance as well as both the Bills and move a Statutory Resolution.

With these words, I conclude. Thank you very much, Sir.

SHRI MANISH TEWARI : Mr. Chairperson, Sir, I move the Statutory Resolution for disapproval of the Ordinance which was promulgated to amend both the Central Vigilance Commission Act as well as the Delhi Police Special Establishment Act. I also rise to oppose both the Bills which have been moved by the hon. Minister in order to replace these Ordinances.

The reason why I am opposing these two Bills is primarily because these Bills are arbitrary; they are capricious; and they are a colourable exercise of power. I will demonstrate that not only these Bills or when they are enacted into law fall foul of the Supreme Court's Judgment in the Jain Hawala Case but there are larger issues also with regard to the very legality of the Central Bureau of Investigation as also the Delhi Police Special Establishment which investigates or which has the anti-corruption remit.

Mr. Chairperson, Sir, any democracy is as strong or as weak as the institutions which support it. I say this with regret and a great sense of responsibility that unfortunately over the past seven-and-a-half years, this Government has made every attempt to dismantle the system of checks and balances which are intrinsic to our Constitutional scheme. The Bills which have

been moved by the Minister on the Floor of the House today are yet another milestone in that direction.

The reason why I say that these Bills fall foul of the Supreme Court's Judgement in the Jain Hawala case is primarily because of a judgment. I would like to read just two paragraphs from that Judgment. Para 16 of this judgment explains as to why the tenue of two years was fixed by the Supreme Court and why this entire intent to increase it year by year for five years is completely an arbitrary exercise of this power. What did the Supreme Court say in the Jain Hawala Case?

15.00 hrs

It says:

> "No doubt, the overall control of the agencies and responsibility of their functioning has to be with the Executive, but then a scheme, giving the needed insulation from extraneous influences even of the controlling Executive, is imperative."

Therefore, the entire intention of the Jain Hawala judgment was to insulate the Central Bureau of Investigation and also the Enforcement Directorate from the influence of the controlling Executive, which is the Government. But these Bills seek to do precisely the opposite. They seek to subordinate what the Supreme Court had contemplated to be independent

organisations, autonomous organisations as being completely and absolutely subservient to the Government.

Let me also read another paragraph, that is para 48, from that judgment. It says:

> " In view of the common perception shared by everyone including the Government of India and the Independent Review Committee of the need for insulation of the CBI from extraneous influence of any kind, it is imperative that some action is urgently taken to prevent the continuance of this situation with a view to ensure proper implementation of the rule of law. This is the need of equality guaranteed in the Constitution. The right to equality in a situation like this is that of the Indian polity and not merely of a few individuals. The powers conferred on this Court by the Constitution are ample to remedy this defect and to ensure enforcement of the concept of equality."

Then, the Supreme Court went on to give directions that the Director of the CBI will have a fixed tenure of minimum of two years, and similarly, the Director of the Enforcement Directorate will also have a fixed tenure of minimum of two years.

Mr. Chairperson Sir, now, the question is, why it is two years. The reason why they specified a fixed tenure of two years was to ensure that the Heads of these two organisations are insulated from any kind of Governmental

interference, and moreover, the hierarchy of these organisations do not get disturbed. Also, it was to ensure that the people, who are eminently qualified to hold these positions also get a chance to hold these positions by increasing the tenure from two to five years, and that too, drip by drip, that is, one year at a time. You are basically dangling a carrot before those officers.

आप उनको यह कह रहे हैं कि हम जो करवाना चाहते हैं, वह आप करते रहो और एक्स्टेंशन लेते रहो। यह जो धारणा है कि चाहे सी.बी.आई. हो, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, चाहे आयकर विभाग हो, विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए, ये इस सरकार के अग्रिम संगठन हैं। यह विधेयक, जो आज इस सदन के समक्ष आया है, उस धारणा को और मजबूत करता है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहूँगा कि इस धारणा को आप और सुदृढ़ मत बनाइए। इन संगठनों का जो दुरुपयोग है, उसके ऊपर आज अमलीजामा पहनाया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय का मेनडेट था कि दो साल का एक फिक्स्ड टेन्योर होना चाहिए, उसको आप बरकरार रखिए।

चेयरपर्सन सर, इसके साथ-साथ मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ। There is a larger issue with regard to the very legality of the Central Bureau of Investigation. It is because when this House sat as a Constituent Assembly, it never contemplated that there should be or there would be a Central Police Force. Let me read out what Dr. Baba Saheb Ambedkar, the Founder of the Indian Constitution, the Head of the Drafting Committee, had to say about a Central Police Organisation. He was replying in the Constituent Assembly to the apprehension expressed by a Member with regard to the fact that whether the scheme of the Constitution contemplated a Central Police Force. He was

talking about Entry 8, List I of the Constitution of India which talks about the Central Bureau of Intelligence and Investigation. This is what he said:

> "The point of the matter is, the word 'investigation' here does not permit and will not permit the making of an investigation into a crime because that matter under the Criminal Procedure Code is left exclusively to a Police Officer. Police is exclusively a State subject; it has no place in the Union List. The word 'investigation', therefore, is intended to cover general enquiry for the purpose of finding out what is going on. This investigation is not an investigation preparatory to the filing of a charge against an offender which only a Police Officer under the Criminal Procedure Code can do."

इसका तात्पर्य यह है कि जब भारतीय संविधान की संरचना हुई तो संविधा के निर्माता इस बात पर बिल्कुल स्पष्ट थे कि जिस संविधान की संरचना कर रहे हैं उसमें सैंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन या सैंट्रल पुलिस फोर्स का कोई वर्चस्व नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है। Therefore, at some point in time, Mr. Minister, Sir, even the *vires* of the National Investigation Agency will come into question because the Constitution makers never ever contemplated a Central investigating agency.

I would also like to draw the attention of the Minister to the fact that this Central Bureau of Investigation has a very chequered history. It started as the Special Police Establishment in the Department of War in 1941. Subsequently, it was made independent through an Ordinance and it came to be known as

the Special Police Establishment War Department. In 1946, another Ordinance was brought where the Special Police Establishment War Department was turned into Delhi Police Special Establishment War Department. In November, 1946, the Delhi Police Special Establishment Act was enacted.

Now, under the Delhi Police Special Establishment Act, a Delhi Police Special Establishment was to be constituted, which was never done. Therefore, there is a very fatal flaw in the very existence of the Delhi Police Establishment which is the premier remit that the CBI uses to investigate its anti-corruption cases. I had pointed this out to the House. In this House in July, 2009, I had pointed it out that one day the CBI's existence would be struck down and that subsequently happened in 2013.

Then, on the 1st of April, 1963, the Government decided to pick up the Delhi Police Special Establishment and make it a part of the CBI through an Executive Resolution and that Executive Resolution was never approved by the President of India. Subsequently, a Bench of the Guwahati High Court had, on the 6th of November, 2013, actually struck down the existence of the CBI. Let me point out that judgment. It is *Ravinder Kumar vs. Union of India*. That Division Bench judgment, Mr. Chairperson, Sir, starts with a very beautiful line. It says: -

> "When the people fear the Government, there is tyranny. When the Government fears the people, it is liberty."

That is what this judgement stresses. I think there cannot be a more poignant commentary on what has happened in this country in the last seven-and-a-half years.

Let me read out that part of the judgment which held the CBI to be an illegal organisation. On page 88, the Division Bench said: -

> "We hereby set aside the impugned judgment order, dated 30.11.2007 passed in Writ Petition" –so and so. "While we decline to hold and declare that Delhi Police Special Establishment Act, 1946 is not a valid piece of legislation, we do hold that the CBI is neither an organ nor a part of the Delhi Police Special Establishment and the CBI cannot be treated as a police force constituted under the DPSE Act."

It further goes on to say: -

> "We hereby also set aside and quash the impugned Resolution dated the 1st of April, 1963 whereby the CBI was constituted."

Subsequently, this judgement was stayed by the Supreme Court. Our Government, the UPA Government had moved to the Supreme Court and the judgement was stayed in November of 2013. But it is regrettable and on the other day we had a discussion in the House on the judiciary. For the past eight years, the Supreme Court has not found the time to actually adjudicate on the legality of the Central Bureau of Investigation. I am surprised that this

Government came into office in 2014 and for the last seven and a half years they have never gone and told the Supreme Court that this is an important issue which needs to be adjudicated.

Mr. Chairperson, Sir, I pointed this out in this House in 2009 also. Presume if the Supreme Court was to agree with the Guwahati High Court judgement, what would be the implication? Every conviction done by the CBI from the 1st of April, 1963 will be set aside. Look at the kind of compensation claims that will come on the Government and no subsequent legislation with retrospective effect would actually by able to save the Government. I am not talking about your Government *per se*, I am talking about the Government in general. I would like to urge you that given the sheer import of what we are confronting, I think it would be in the interest of the Government to approach the Supreme Court and ensure that the legality of the CBI is adjudicated.

Now, let me come to the Central Vigilance Commission (Amendment) Resolution. The Central Vigilance Commission also got statutory status as a consequence of the Jain Hawala Judgement. The procedure for appointing the Director and the officials of the Enforcement Directorate find mention in Section 25 of the Central Vigilance Commission Act. In fact, in the Foreign Exchange Management Act, there is but a one Section reference, which is Section 36, that there will be an Enforcement Directorate headed by an Enforcement Director.

Now, the Enforcement Directorate administers the Foreign Exchange Management Act. It administers the Prevention of Money Laundering Act. But it does not have a legal architecture at all. Therefore, every day their allegations galore and, as lawyers, we hear them all the time how the officers of the Enforcement Directorate misuse and abuse the lack of checks and counter-checks because there is nothing in the manner of a legislation. Now, if the Government is going to bring this particular amendment, whereby you are going to put the Director of the Central Bureau of Investigation and the Director of the Enforcement Directorate on a drip, you are not only undermining the insulation which the Jain Hawala Judgement provided, but down the line there will be implications. If you have a pliant Director at the helm of affairs in hierarchical organisations, there will be a ripple effect down the line. Therefore, the ends of justice will be undermined and there will be subversion.

Mr. Chairperson, Sir, what we are dealing with here is not an ordinary amendment which the hon. Minister tried to pass off by saying that we are giving a fixed tenure of five years. First of all, it is not a fixed tenure of five years; it is a drip tenure on extension. Secondly, the ripple effect of such a move down the line is going to completely and absolutely undermine the autonomy and the independence of these institutions. Therefore, in conclusion, I would like to request the Government, I would like to request the hon. Minister to please take these two Bills back. Please restore the position to *status quo ante*. Let the Director of CBI and the Director of Enforcement Directorate have a fixed tenure. You want to have a tenure of five years, there

is no difficulty with that. You want to have a fixed tenure of three years, there is absolutely no difficulty with that.

At the same time, I would request the hon. Minister to have a fixed tenure so that he is insulated, he is autonomous and he is not at the beck and call of the Government, which is the problem with these two Bills.

Lastly, Mr. Chairperson, Sir, I would like to request the Minister that there are larger issues about the legality of the CBI. One day, it will come back to haunt us collectively. Please file an application in the Supreme Court and please ask them to once for all determine whether the CBI is a legal organisation or the CBI is an illegal organisation.

Thank you very much.

कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर (जयपुर ग्रामीण) : सभापति महोदय, आपने मुझे केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

अभी मैं विपक्ष की बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। स्टेटस क्वो मेन्टेन करने की बात हो रही थी। स्टेटस क्वो मेन्टेन करना तो बहुत आसान बात है, लेकिन मोदी सरकार स्टेटस क्वो मेन्टेन करने के लिए नहीं आई है, बल्कि वह इस देश में एक बदलाव लाने के लिए आई है। ये पलक झपकते चले जाना, ये हम ह्यूमन्स के लिए है। हम पलक झपकते ही जा सकते हैं, लेकिन इस सदन के अंदर जो कानून बनेंगे, वे सदियों तक रहेंगे, वर्षों तक रहेंगे और वे देश का वर्तमान और देश का भविष्य संवारने की ताकत रखते हैं। इस सदन के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वे इस देश की आवाज हैं, वे देश के लोगों के जनप्रतिनिधि हैं। My request to the Opposition is do not look for just one or two years, for the blink of an eye. My request to them is to see the long-term benefits for the whole country.

अभी मनीष जी ने जिस तरह से बोला कि ये तो अब आपकी सरकार के नुमाइंदे हो जाएंगे। मुझे तो लगता है कि इन्होंने यह मान लिया है कि इनकी सरकार कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि हम जो कानून बना रहे हैं, वे कानून लंबे समय के लिए हैं। हो सकता है कि बाद में कोई दूसरी सरकार आए, तो उसके लिए भी ये कानून होंगे। ये कानून किसलिए बनाए जा रहे हैं? ये किसी सरकार के हित के लिए नहीं बन रहे हैं, बल्कि ये देश की जनता के हित के लिए बनाए जा रहे हैं।

कुछ अपराध व्यक्तियों के खिलाफ होते हैं, लेकिन कुछ अपराध पूरे देश के खिलाफ होते हैं। जो अपराध पूरे देश के खिलाफ हों, उनके लिए कौन लड़ेगा? उनके लिए जनता की चुनी हुई सरकार लड़ेगी। इसीलिए इस सिस्टम को एफिशियंट और इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। इसीलिए स्टेटस क्वो नहीं हो सकता है। बैंकों से हजारों-करोड़ रुपये चोरी हो जाएं, तो वे कहीं न कहीं जनता की जेब से गए हैं। उसके लिए कौन लड़ेगा? कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर चोरी हो, तो

पूरी दुनिया में देश की बदनामी होगी। उसमें क्रिमिनल्स कौन ढूंढ़ेगा? इन्फ्रास्ट्रक्चर का पैसा, रोड, बिजली, इन सबकी चोरी हो, पुलवामा जैसा हमला हो, यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, बल्कि यह पूरे देश के खिलाफ एक क्राइम है। इस देश की जनता का पैसा और उसकी आवाज को दबाया नहीं जा सकता है, लेकिन कानूनों में उलझाया जा सकता है।

अभी विपक्ष कानून की बात कर रहा था। उन्होंने अपनी पूरी बात रखने के बाद मंत्री जी से कहा कि यह आपके लिए हिदायत है, ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये व्हाइट कॉलर क्राइम है, ये छोटी-मोटी चोरी नहीं है। व्हाइट कॉलर क्राइम से डरिए, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े लोग लड़ने के लिए आएंगे, क्योंकि अभी कई लोग घबरा रहे हैं। इस सिस्टम को एफिशियंट बनाया जा रहा है, इससे बहुत से लोग पकड़े जाएंगे, जो अभी तक खुले आम घूमते हैं।

मैं भी ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021, मैं इन दोनों बिलों के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इन कानूनों को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? फाइनेंशियल और लीगल सिस्टम को जो लोग सब्वर्ट करते हैं, वे इस क्राइम में शामिल होते हैं। ये ऐसे लोग नहीं हैं, जिनको कानून की समझ नहीं है। ये ऐसे लोग हैं, जिनको समझ से ज्यादा समझ है और जिन लोगों को समझ से ज्यादा समझ है, उनके लिए सिस्टम को भी स्मार्ट होना पड़ेगा। ये जेब कतरे वाली छोटी चोरियां नहीं हैं। हजारों-करोड़ रुपये की जो चोरी होती है, उसको देश के अंदर बिजनेस बोला जाता है। ये बिजनेस है। तेज दिमाग है, इसलिए बिजनेस है।

इस कानून को बनाते वक्त काफी अड़चनें आएंगी, जो जाहिर है, दिखाई दे रही हैं। ड्रग्स, टेरेरिज्म, मानव तस्करी, ऑर्गेनाइज राइट्स, गन रनिंग, इन्साइडर ट्रेडिंग, पौंजी स्कीम्स, फ्रॉड्स, बेटिंग सिंडिकेट, इन सबके अंदर कहीं न कहीं मनी लॉन्ड्रिंग शामिल होती है। अगर जड़ को पकड़ लिया जाए तो संभव है कि ये जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स हैं, जो दुनिया भर में होते हैं, वे कम हो जाएंगे। ये ऐसे क्राइम्स हैं, जो किसी देश की बाउंड्री की अहमियत को नहीं समझते, बल्कि

उस बाउंड्री का इस्तेमाल करते हैं। वह देश जो कमजोर कड़ी होता है, उस देश के अन्दर घुसकर फायदा उठाते हैं। कानून सीमित हो जाता है, लेकिन ये जो क्रिमिनल्स हैं, इनकी कोई सीमा नहीं होती है। इनको पकड़ने के लिए सिस्टम को एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। इन सबके इंटरनेशनल रेमिफिकेशन्स हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बोला, हमने बोला और मिलकर कोई एक छोटा सा कानून बना लिया, जिससे आप भी खुश और हम भी खुश। यह ऐसे नहीं चल सकता है। आज दुनिया के अन्दर जो क्राइम्स हो रहे हैं, वे एक-दूसरे देश से कनेक्टेड हैं।

जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि वे किसी देश की बाउंड्री को अहमियत नहीं देते इसलिए जरूरी है कि हम ऐसे कानून बनाएं, जो दुनिया के दूसरे देश भी समझे और हमारे कानूनों को इज्जत दें। हमें उस क्वालिटी का कानून बनाना है, हमें अपना ऐसा स्टैण्डर्ड रेज़ करना है कि हम उनको इंफॉर्मेशन दे सकें और वे हमें इंफॉर्मेशन दे सकें। हम पूरी दुनिया के अन्दर एक हिस्सा हैं और जिस तरह से हम कम्युनिटी के अन्दर रहते हैं, हमें उस कम्युनिटी का हिस्सा बनकर रहना है। हमें कमजोर कड़ी नहीं बनना है। इंटरनेशनल गुडविल या इलविल हमारे ऊपर निर्भर है। अगर हम क्राइम सिंडिकेट्स को अपने देश के अन्दर पनपने देंगे तो हम कमजोर कानूनों से प्रॉसिक्यूशन नहीं कर पाएंगे, फिर हम कमजोर कड़ी बन जाएंगे और यह दूसरे देशों में हमारे देश के लिए इलविल होगी। इन सब चीजों के लिए क्या करना चाहिए? जो व्यक्ति उस एस्टैब्लिशमेंट को लीड कर रहा हो, उसके अंदर डिप्लोमेसी होनी चाहिए, उसका रेपो होना चाहिए। जब वह दूसरे देश में जाए तो वहां बात कर सके, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सके। उसमें एक्सपीरियंस और नॉलेज की जरूरत है। दुनिया के अन्दर इस क्राइम को लड़ने के लिए एक इंटरनेशनल एक्शन टास्क फोर्स बनाई गई है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स बनाई गई है। इस इंटरनेशनल एक्शन टास्क फोर्स में अलग-अलग रिकमेंडेशन्स हैं, स्टैण्डर्ड दिए हुए हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग टेरर क्राइम को किस तरह से काबू किया जाए। इसके अन्दर 200 देश मैम्बर्स हैं। भारत भी उसका एक सदस्य है।

इस टास्क फोर्स का काम हमें अलग-अलग एनालिसिस करके देना है, जैसे सिस्टम का एनालिसिस है, टेक्निकल कंप्लायंसेज हैं। 10 साल बाद वर्ष 2022-23 में भारत का इवैल्यूएशन होगा । इसमें जरूरी है कि भारत अपनी टेक्निकल कंप्लायंस का स्टैण्डर्ड और सिस्टम के एनालिसिस को बेहतर करे ताकि हमारी कैपेसिटी और हमारे रिसोर्सेज़ फाइनेंशियल क्राइम की इंवेस्टिगेशन के लिए बेहतर हो सकें। हमें यह तय करना है कि क्या हम अपने सिस्टम को बेहतर बनाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? It is very simple. Do we want to fight white-collar crime or do we not want to fight white-collar crime? अभी थोड़ी देर पहले विपक्ष ने कहा कि साहब पांच साल के लिए पर्मानेंट कर दीजिए। क्या विपक्ष को कोटा सिस्टम की आदत है? क्या परफॉर्मेंस की कोई मैरिट नहीं है? I am not surprised. They have no merit for performance. It is not a post that is available to everyone in the cadre. There is a criteria for selection to this post, and therefore, performance is extremely important. उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंस नहीं है। इसका पूरा सिस्टम है कि किस तरह से सलेक्शन होना है। दो साल के लिए जो सलेक्शन हो रहा है, वह इंडिपेंडेंट है और जैसे ही दो साल के बाद तीन महीने या छ: महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है तो वही कमेटी अब डिपेंडेंट हो जाती है। यह कौन सा तर्क हुआ? पहले दो साल इंडिपेंडेंट और उसके बाद अगर 6 महीने का एक्सटेंशन हो तो डिपेंडेंट हो जाती है। सिस्टम को एफिशिएंट बनाने के लिए नॉलेज और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। इस सदन में कितना एक्सपीरियंस है? आप बार-बार चुनाव लड़ते हैं। यहां पर अधीर रंजन जी हैं, प्रेमचन्द्रन जी हैं और मनीष जी बैठे हैं तो आपका कितना एक्सपीरियंस है? मनीष जी, शायद आपका एक्सपीरियंस 10 साल का है। यहां मुलायम सिंह जी बैठे हैं, उनको 35 साल का एक्सपीरियंस है।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : We are elected, they are selected.

COL. (RETD.) RAJYAVARDHAN RATHORE : I will come to that. Premachandran Ji, the point I am making is about collective wisdom. Here, we exchange our wisdom to arrive at something that is common to us all, and that is what I am talking about. I am not talking about selection or election. I am talking about collective wisdom.

सर, इस सदन के अंदर, मैंने लिस्ट देखी है, 65 लोगों तक जाते-जाते एक हजार साल का विजडम हो गया। अगर सदन के सारे एक्सपीरियंस को देखा जाए तो इस सदन को 8 हजार साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन आप डबल स्टैंडर्ड देखिए। … (व्यवधान)

माननीय सभापति: सौगत बाबू, बैठिए। इन हजार वर्षों में आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है।

… (व्यवधान)

कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर: प्रो. सौगत राय जी का इस सदन में चौथा टर्म है, इसलिए यहां पर आपका 20 साल का एक्सपीरियंस है। मैं यही कह रहा हूं कि कलेक्टिव एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। … (व्यवधान). He is part of the collective experience.

डॉ. निशिकांत दुबे: वे वर्ष 1977 में लोक सभा में चुनकर आए थे। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है।

कर्नल (सेवानिवृत) राज्यवर्धन राठौर: सभापति जी, मैं जो प्वाइंट कह रहा हूं, यहां कलेक्टिव विजडम का सभी स्वागत करते हैं, लेकिन यही कलेक्टिव विजडम अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट में देखा जाए तो 30 साल से कम का एक्सपीरियंस है। Now you want the Enforcement Directorate to fight all the white collar crimes, and not allowing them for a

better collective wisdom is double standards of this House. Therefore, I stand here to say that this Bill brings in that requisite strength to our Departments to fight all the crimes that are there in the country to make the country strong.

With these words, I conclude my speech.

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, thank you for giving me this opportunity. I have heard the arguments from both the sides, and a very brief introduction by the hon. Minister, my friend. He used only two sentences – 'in the interest of the justice we are bringing this Bill', and 'not enhancing the tenure of the CBI Director and ED, instead we are reducing it, a very beautiful argument!

I recall my memories. I was interviewed by a High Court Judge for my admission for post-Graduation in Law College. He asked me one question, "Mr. Raja, you completed your law, I want to ask you a very basic question. You know in the Constitution, separation of power is there. But one person is exercising all the powers sometimes, that is Executive, Legislature and Judiciary." I was little shaky for one minute, then I immediately told him that it is the President of India. The reason is, he is having power to promulgate Ordinances in the capacity of legislature, he has the power of judiciary to pardon the people who are convicted or he can even reduce the sentence though he is executive head. So, such a powerful office is the office of the President of India. But the Constitution makers never believed that the BJP Government will misuse even that office. … (*Interruptions*). I got surprised as a student of law that this Bill is brought to undermine even the President's office ignoring all constitutional values.

Mr. Premachandran was very clear and categorical. I do not want to repeat it. In the case of Common Cause and Vineet Narain, the apex court settled a very clear legal position that the extension should not be done

permanently. Even if it is necessary, it should be done for a short while. For extraneous consideration, it cannot be done. The warnings were given by the Supreme Court to the Government to not do the extension. Now, it is being done by the Government through illegal means. You are defaming the Supreme Court. The judgements pronounced by the Supreme Court is the law of the land, not only for this Parliament. This Parliament gave such ample powers to the Supreme Court. If anything is ruled by the Supreme Court, it becomes the law, even though it is not legislated here. That is the constitutional position. But the constitutional position which was envisaged in this House was brutally destroyed by this Government and the hon. Minister.

My dear friend, Hon'ble Minister this is not fair on your part. You may not be here and I may not be here after 50-100 years, but the record will speak that my friend, the Minister for Personnel Dr. Jitendra, has done injustice not only to the common people, but to the Supreme Court of India.

Having said this, I oppose the Bill on four grounds. The first ground is that this Amendment is an absolute contrast to the judicial precedents, which were widely expressed by Shri Premachandran and my dear senior colleague, Shri Manish. The second ground is that it destroys the institutional integrity. The third ground is that legal and administrative arrangements under which the CBI is functioning is going to meet complete anomaly. The fourth ground is that I may be permitted to give a few instances where the independence of CBI and ED were in question at present.

In the Vinit Narayan case, relying on the recommendation of the Expert Committee, initially it was decided that the CBI Chief can be selected by the CVC, Home Secretary and the Secretary (Personnel). Thereafter, the Lokpal came into existence. As per the Lokpal, after due deliberation in the Parliament, the density of the Selection Committee was tightend. It was not only a little bit enlarged, but it was almost completely reconstituted where the Chief Justice of India was there with the Leader of Opposition and it was headed by the Prime Minister. What type of importance and significance was attached to the Committee when the Leader of Opposition and the Chief Justice of India are in the Committee?

Now, there is a Committee and they are going to select a person. On the other hand, bypassing the Committee you are keeping somebody in your mind and for that person’s sake you are amending this law by ignoring your own Prime Minister, ignoring the LoP, and ignoring the Chief Justice of India. So, this is not only a little bit legal and technical mistake and it is also complete abuse of power, and a total mockery of our administrative, political and parliamentary system.

By virtue of the Lokpal Act, 2014 and the consequent Amendment to the Delhi Special Police Establishment Act, the institutional and administrative mechanism between the CVC and CBI were made absolutely dependent and coexisting to ensure the independence of these two agencies, namely, ED and CBI. As a result of the Lokpal, CVC and Delhi Special Police Act came not only

nearer, but it is dependent on each other to give fair criminal investigation and justice. Has this happened because of this Amendment?

I want to submit that I wish to elaborate the four points on which I oppose the Bills. First of all, the Ordinance falls foul of the judgement passed by the apex court in the matter of common cause and Vinit Narayan where the Supreme Court directed that the tenure of the incumbent Director of ED cannot be extended further. I need not quote the judgement, which I have with me as my two learned friends have already quoted the judgement.

Knowing full well that such a categorical observation was made by the Supreme Court, the Government wants to have a third chamber of the Supreme Court through the President route. You cannot exercise the judicial power, but you want to do it. How will it sustain before the court?

In another judgement, it is observed by the Supreme Court that minimum period of service ensures security of tenure and would reduce the chances of external influences and extraneous pressures. The words used by the Supreme Court are ‘external influences and extraneous pressures’. I think that in order to defeat it the judgement was given. Now, you are under ‘external influences and extraneous pressures’, and you want to do it.

The second point is institutional integrity, which is the keystone and must be considered seriously while we are taking such decisions. Repeated extensions or enhancing the tenure will not only be irrational, but also open the

possibilities of political interferences and even material considerations, which cannot be ignored.

We cannot forget the ugly incidence -- even I can say the diabolical drama -- which happened in the great institution of CBI where the Supreme Court had intervened. In 2019, the then Director of CBI -- I do not want to name him -- was forcibly and physically removed from his office at midnight. …(*Interruptions*) I have not heard about such an incident in the entire world.

We are following the Anglo-Saxon jurisprudence. Therefore, the Supreme Court intervened, and he was permitted at least two days to retire by reinstatement - when the Director of the CBI was forcibly and physically thrown out by the Government. Now, the Government is bringing a law. And now, the Government wanted to have a fair investigation; the Government wanted to have a fair man. Who will believe? Then, why the order was passed by the Supreme Court. When we have such a bad experience in the country, who would believe the amendment, which provides five-year tenure to the Directors of CBI and ED, is brought to enhance the performance of the agencies. The concept of extension of tenure has not been deliberated anywhere within the Government or in the Selection Committee.

In the absence of such deliberations, am I not entitled to say that the Government want to keep the incumbent Directors of ED and CBI on probation with a tight leash for a hidden *quid pro quo?* I repeat – I want to say that the

Government want to keep the incumbent Directors of ED and CBI on probation with a tight leash for a hidden *quid pro quo.*

We cannot ignore one more legal angle. You are keeping a person on pigeonhole theory. A hole is there, you want to put a pigeon inside. In law, it is called a pigeonhole theory. The Government is planning to appoint a person for the post of Director of CBI or ED; and the Government is giving him five-year tenure. Had it not been five years, another man having a seniority is entitled for the post within two years or one year or six months, after superannuation, would have a chance of becoming Director? Now, his name is cut? This violates Article 14 which is equality before law. My learned friend, hon. Minister is saying that no, we are cutting the tenure of Director of the CBI. With folded hands, I would like to ask, in the past history, how many Directors of CBI and ED completed a total of five-year period without any interruption or superannuation? Can the Minister give one instance? No. When such an incident is not at all in existence, the Government wanted to provide an interpretation. Even the Supreme Court would not do like this. A senior lawyer can't do like this. This is why, I say that you have a hidden agenda in mind. … (*Interruptions*)

Sir, there are three Acts governing the functioning of the CBI – the CVC Act, 2003, the Delhi Special Police Establishment Act, 1946, the Lokpal Act, 2013. These three Acts simultaneously have superintendence over the CBI. These Acts have two sets of independent Selection Committees for the ED

and the CBI. Even for superintendence over the ED and the CBI, as per the Delhi Special Police Establishment Act, the CVC is supposed to have superintendence over the powers of the CBI. At the same time, the Lokpal too has a similar power. The only thing is, these two organisations are having the superintendence powers over the CBI and the ED, when the matter is referred to them. Unless and until the matter is not referred to them, the entire power is vested with the Government. Ultimately, who is running the CBI? Who is running the ED? Selection is over. Who is having the superintendence power, with limited purpose, on reference, over other institutions, the CVC and the Lokpal? In the absence of this specific reference, every advice is given by the Government to these institutions to superintendent and maintain. Who is really behind the CBI and ED? **…** (*Interruptions*) It is the Government. By law, it is still a riddle. Unless and until, the riddle is removed, the CBI will be continuing as a … (*Interruptions*) ... *of the Government. Sir, this should be removed.

Now, I come to the instances where the independence of the CBI and the ED is in question. This is my fifth term. Even earlier, I was part of student politics in DK, the mother of the DMK. But I have not come across an incident where the ED, Income-Tax and CBI officers, even before the retirement and after the retirement, joining the ruling party. Now, they are welcomed with celebrations.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

This is one side. On the other side, there are instances where the ED and CBI raids were conducted at the time of elections. I am expressing my own pain. Just five days before the assembly elections, which were to be done in a single phase, the Income Tax raid was conducted at the residence of my beloved leader, the current Chief Minister, Shri M. K. Stalin’s daughter. What kind of message does the Government want to convey? Sir, one former Chief Minister of Maharashtra, I do not want to take his name, was involved in land-grabbing case. ED and CBI both were investigating. He joined the BJP, then not only the case was out of the investigation, but he was also rewarded with a Rajya Sabha seat. Names of Deputy Chief Minister of Maharashtra and the learned leader, Shri Sharad Pawar are also there. I can give a long list of names.

For all these reasons, I am saying the amendment is motivated. In conclusion, a deliberate attempt has been made by the Government by way of these amendments to keep the Opposition under pressure through the incumbent directors who will give loyal returns to meet the political goals.

SHRI KALYAN BANERJEE (SREERAMPUR): Sir, I oppose the Central Vigilance Commission (Amendment) Bill, 2021 and the Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2021.

One of the reasons stated by the hon. Minister is that, for this post, a tenure of five years is required. In our entire country, wherever an investigating agency is there, wherever top police officers are there and top income tax officers are there, their tenure in a sensitive post should not be more than two to three years. It is an established principle in this country and in the service jurisprudence also. How can we extend it then? In a sensitive post, it should not be done so that influence is not there. I am not only talking about the political influence, but also about otherwise influence. It should not be done about a sensitive post. He should be transferred from that place. That is a concept which is established.

Mr. Raja has already spoken on this point but I would like to say that, at the time, when the names came before the Committee, consisting of the hon. Prime Minister, the hon. Chief Justice of India and the Leader of the Opposition, for consideration, for what duration were they considered? Only for two years. Had it been five years, they could have considered other names. In fact, the hon. CJI rejected one name. However, he has been posted as Commissioner of Police, Delhi. This is a by-passing way. Extension, over and over again, is an abuse of the process of power. It remains within discretion

and a discretion cannot be exercised in such a fashion and in such a manner. That is why I am opposing the Bill.

Very recently, in August, 2021, a Division Bench of Madras High Court, in the case of Ramanathapuram District vs. State of Tamil Nadu so and so, in paragraph 10, stated: “Taking into consideration the Vineet Narain vs. Union of India case, the Hawala case, the hon. Supreme Court observed that CBI is a caged parrot speaking in the master’s voice.

The said observation of hon. Supreme Court was fortified by the statement made by the CBI Director before the hon. Supreme Court in coal allocation case that a former Law Minister meddled with the statement of the CBI filed before the hon. Supreme Court. Sir, I am quoting just two relevant parts of that judgment. I must say that the Madras High Court had really risen to the occasion. Nobody has ever said this and I salute them. Actually, it was the voice of the people, the voice of the Opposition that was given a stamp of approval by the Madras High Court.

Sir, paragraph 18(ii) of that judgment says that CBI shall be made more independent like the Election Commission of India and the Comptroller and Auditor General of India. The Central Government shall make CBI independent with functional autonomy and without administrative control of the Government. This was the direction given by the Madras High Court. This had not been challenged before the Supreme Court. So, this is the law of the land now and CBI cannot remain under the administrative control of the Central Government.

Sir, cases after cases have established how CBI has misused and abused its powers. Which are the cases which have seen abuse of power mostly? Power has been abused in cases where political leaders belonging to Opposition parties are named. CBI is running after them, of course under the directions of its master.

Sir, governments will come and governments will go. One ruling party will come and the other ruling party will go. But CBI has to remain autonomous. It should be controlled neither by the Prime Minister nor by the Home Minister. This has been the voice of the people for long and now it has been supported by the hon. Madras High Court itself, and it has to be implemented.

Sir, CBI is acting in pursuance of the directions of the Minister who belongs to a political party. There are a number of cases of which reference has been given by Mr. Raja and I will give some references too. It does not matter who has committed an offence. He should face the consequences. Law must take its own course. But by misusing power, by abusing power, do not curb the voice of the Opposition! Do not pick them up in the middle of the night just before elections! Sir, the Central Government's CBI and the Central Government's ED become more effective at the time of general elections. That is because the party in power at the Central wants to win them over to its side, not arrest them.

Sir, without making any preliminary inquiry, in terms of the Constitution Bench judgment on Namita Devi case, political leaders are harassed and arrested by CBI throughout the country. This statement belongs to the Opposition parties. I will not take the name of any political party. Leaders of almost every Opposition party who speak against the Ruling Party are arrested. They are victimised. Political personalities are taken in for interrogation by CBI and ED.

For how many hours they are taken in for interrogation? They are taken in for interrogation for nine to eleven hours, day in, day out, every day. Can you imagine it? Do you think that CBI persons require, to interrogate persons, for nine to ten hours, day in, day out? What about the efficiency of the CBI officers? Are they godsend? No. They belong to all State Cadres. From there, they are taken. Under whose directions they are taken? Time has even come now that when a lawyer fights a case against CBI, he is also made a party in the proceedings. What is this? What is CBI doing? Where are you taking this country? Why is the Opposition being harassed in this way? Why is a lawyer's voice also gagged? Why? It is because he is speaking against you. He is making an argument against you. You have to go against them also. You have to run against them. Every telephone is tapped. There is not a single lawyer, who is dealing with criminal cases against CBI, whose telephone is not tapped. See, everything is tapped.

Powers are being abused. Political cases are pending for years together. I do not mind to say that so many criticisms have been made regarding Saradha, Rose Valley, etc., etc. When was this case instituted? This case was instituted in terms of the order of the Supreme Court in the year 2013. Eight years have gone by; only charge-sheet has been filed. Trial has not been commenced. Is this CBI? Our leaders have been arrested. My leader has been arrested and kept in the judicial custody for eight months. He was ill. Bail was not granted because CBI had opposed it. He has got bail from the Orissa High Court. I do not mind. Why have you not concluded the trial. The question is whether a sword of Damocles will be hung upon the person year after year, decade after decade and he will be going with the allegation that he has committed a crime. You cannot prove it. Is it not injustice? Is it not a violation of Article 21 of the Constitution of India? If I have committed a crime, arrest me; file a charge-sheet; conclude the trial within a reasonable period of time. CBI has failed to do it.

I would like to tell you about two cases based on my experience. I did one case, namely Rizwanur murder case. CBI was directed to conclude the investigation by the High Court which was affirmed by the Supreme Court. Persons were arrested. I was appearing for the victim. How many years have gone by from 2007 to 2021? Sir, 14 years have gone by. CBI could not start commencement of the trial. In another case, the matter has been taken up before the Supreme Court. When I was the Chairman of the Standing Committee on Coal and Steel, all the Members except one person – now the

person is a Minister – had given consent to Section 3 that all coal blocks right from 1994 which have been illegally allotted should be scrapped. The country has not earned any revenue. Therefore, it should be put in auction. Thirdly, there should be CBI investigation.

The then Government did not accept the Report. It is up to the Government to accept the Report or not. Ultimately, after one year the Supreme Court spoke on the same line. What has happened to that trial? Nothing has been done in that case. The CBI has not done anything.

I would like to tell the House the number of cases pending with the CBI. The Central Vigilance Commission has claimed that the Central Bureau of Investigation has been slow in investigating certain cases due to several reasons. According to CVC's Annual Report, 2020, at the end of December 2019, investigation was pending in 744 CBI cases for more than a year, out of which 678 cases were related to the Prevention of Corruption Act. It was found that about 25 corruption investigation cases are pending in CBI for more than five years. Overall, 1,239 investigations and inquiries were pending in CBI till December 2019.

The CVC says and I quote:

> "The Commission is concerned about the slow progress of disposal of the large number of cases pending trials in different courts for long periods, at times for over twenty years. Such inordinate delays in investigation defeats the very purpose of

efficient vigilance administration, and are impediment to the fight against corruption."

After the Supreme Court asked them to bring on record its success rate, they brought certain cases on record.

Another worrying trend for the CBI, as shown in the CVC Annual Report, pertains to pendency of its cases in courts. As of December 2019, 6,226 Prevention of Corruption Act cases probed by the CBI were pending trial in various courts across the country. Some more cases were pending for more than 20 years. When it comes to appeals and revisions filed by the agencies and accused persons in various courts, Supreme Court and Additional Sessions Courts, a staggering 11,380 appeals/revisions are pending in courts.

Sir, according to official statistics, the CBI has a conviction rate of around 70 per cent.

<u>15.58 hrs</u> (Shrimati Rama Devi *in the Chair*)

मैडम, हमें बोलने के लिए थोड़ा टाइम दे दीजिएगा।

The Government data presented in Parliament in 2018 claimed that its conviction rate dipped to 66.8 per cent in 2017 from 70.8 per cent in 2010.

While, in 2012, the then Vigilance Commissioner – I am not taking the name – pointed out that an internal study by the CBI had shown that its conviction rate was a shocking 3.96 per cent. He told a gathering of Lokayuktas that the CBI has analysed 264 corruption cases over five years concerning 698 accused, of whom 486 were Central and State officials, while 212 were private persons.

Madam, I know, there are other speakers. I will not take much time and will conclude by saying that under the Act, the power of investigating the cases is divided between the CBI and the States. Now, the CBI is also entering into the cases where the consent under the Delhi Special Police Establishment Act has not been given by the State. Even in the category of cases where the power has been withdrawn by the State, the CBI is making an investigation. I am not making reference to a very important case since it is pending in the court. It is *sub judice.* I hope it will be decided by the Supreme Court very shortly. I may tell you that the CBI is abusing its power.

Madam, I am just concluding. If a person at the top position, left with two or three years of service, cannot discharge his duty, cannot finish the trial in time, always abuses the power, and acts only in terms of the 'Master's' voice – which has been quoted by the Madras High Court – his tenure should not be extended by five years.

I will request the hon. Minister to implement the judgment of the hon. Madras High Court which had been delivered in the month of August, 2021.

Madam Chairperson, I am grateful to you for giving me the opportunity to speak.

16.00 hrs

डॉ. निशिकांत दुबे : मैडम, केवल एक मिनट दे दीजिए। श्री ए राजा ने कहा है कि कोई उदाहरण दे दीजिए, जिसमें डायरेक्टर, सीबीआई और सीवीसी को चार या पाँच साल का टेन्योर मिला हो। मैं इस हाउस की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि विनीत नारायण जजमेंट के बाद श्री कर्नेल सिंह लगभग चार साल तक डायरेक्टर, ईडी रहे, राजन कटोच साढ़े तीन साल रहे और पीसी शर्मा भी लगभग साढ़े तीन साल तक बिना नियम कानून के डायरेक्टर, सीबीआई रहे। यह मैं केवल हाउस की जानकारी में लाना चाहता हूं।

माननीय सभापति : बहुत अच्छा बोलें।

श्री तालारी रंगैय्या।

SHRI TALARI RANGAIAH (ANANTAPUR): Hon. Chairperson, Madam, thank you very much for giving me this opportunity to speak on the Central Vigilance Commission (Amendment) Bill, 2021.

On behalf of YSRCP, I would like to say that I support the Bill.

I start with a famous quote from Kautilya's Arthashastra:

> "Just as it is impossible to know when a swimming fish is drinking water, so it is impossible to find out when a government servant is stealing public money."

Kautilya foresaw this a thousand year back. Kautilya was one of the greatest political thinkers India has ever produced. After liberalisation, globalisation, and privatisation, corruption has become rampant in India. The nexus of corruption and crime, benami properties, black money, white-collar crimes, extortions, international financial frauds, human trafficking, drugs, smuggling, financial terrorism, etc., pose a serious threat not only to common people's lives and livelihoods, but also, to the internal national security.

The single most important role of any modern State is to avoid '*Matsya Nyaya'*, where the big fish consumes the smaller one. In our country, day-by-day, the rich are becoming richer and poor are becoming poorer. Wealth is being amassed through money laundering, hawala rackets, extortion, crime, and corruption, which are unchecked and unregulated. Today, many political thinkers and social scientists take the view that poverty and inequality will lead

to social disorder in the near future. Every complication breeds corruption and because of unchecked corruption, economic crimes lead to violation of social and economic rights of the people.

The Indian Constitution guarantees social and economic rights of the people. Dr. B.R. Ambedkar wrote, ‘one man, one vote, one value’ -- we are politically equal but we are unequal, socially and economically, even today. Policymakers and regulating and executive agencies of this country have to work together to reduce inequality. India is the fastest growing economy when it comes to a few people entering the list of richest in the world.

The Bill extends the tenure of Director of the Enforcement Directorate. It has become eminent due to the nature of cases that the ED is dealing with. Thus, the extension of the tenure has become necessary, in the present scenario, where the Enforcement Directorate has been handling such sensitive cases. The cases are at such crucial stages that not extending the tenure would neither have been in national interest nor in the interest of administering justice. Personal integrity, individual knowledge, experience, information, public relations, and diplomacy are more important than institutional knowledge and information.

The Government has taken some strong steps to deal with economic offences and in plugging the legal loopholes.

Both the present Amendment and the 2019 PMLA Amendments are steps in the same direction. The 2019 Amendment expanded the scope of proceeds of crime under Section 2 to empower the agency to act against even those properties which may directly or indirectly be derived or obtained as a result of any criminal activity relatable to the scheduled offence.

The Amendment further made PMLA offences cognisable and non-bailable. ED officers are now empowered to arrest an accused without warrant, subject to certain conditions. Therefore, this Bill is another step to improve and streamline the functioning of the Enforcement Directorate which is currently dealing with some of the most high profile and sensitive cases.

With this, I support the Bill.

Thank you, Madam.

श्री विनायक भाउराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग): सभापति महोदया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिल और दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेबलिशमेंट बिल, इन दोनों बिलों का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। वैसे तो राज्यवर्धन सिंह जी के विचार सुनने के बाद ऐसा लग रहा था कि कितने प्रभावी विचार उन्होंने रखे हैं। लेकिन आज की राजनीति में असलियत में क्या हो रहा है?

सभापति महोदया, केंद्रीय सतर्कता आयोग, यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का निर्माण जब किया गया, तब उसका उद्देश्य यह था कि Central Vigilance Commission is considered as apex vigilance institution which is free of control from any executive. ऐसा उसके निर्माण के वक्त लिखा गया था। लेकिन आज सीबीआई हो, एनसीबी हो, ईडी हो, राजनीति करने वाले लोग इन तीनों एजेंसियों का जितना दुरुपयोग करते हैं, उतना दुरुपयोग स्वतंत्र भारत में पहले कभी नहीं हुआ था।

सभापति महोदया, वैसे तो अभी महाराष्ट्र के सारे लोगों को अच्छी तरह से इनकी पहचान हो चुकी है। सीबीआई, एनसीबी, ईडी, इन तीनों एजेंसियों का पिछले छह महीनों से मुकाम मुंबई है और मिला तो थोड़ा महाराष्ट्र है। तीनों एजेंसियों के लोग मुंबई में आ कर बैठे हैं। पूरे परिवार के साथ इंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली छोड़ दी है, यहां का पॉल्यूशन उनको सूट नहीं हो रहा है, इसलिए अच्छी हवा खाने के लिए वहां आ कर बैठे हैं।

सभापति महोदया, उनका क्या तरीका चल रहा है? बिहार का चुनाव था। एक सुशांत सिंह नाम का अच्छा अभिनेता था। उसने कई कारणों से खुदखुशी की थी। उनके पिता जी की मांग पर महाराष्ट्र सरकार ने उनकी खुदखुशी के बारे में जांच बिठाई, एसआईटी का निर्माण किया। लेकिन दिल्ली वालों ने सोचा कि नहीं, महाराष्ट्र की जो सीआईडी और एसआईटी है, उनकी तरफ से इंक्वायरी होने वाली नहीं है। उन्होंने तुरंत ही वहां पर सीबीआई को भेज दिया। महाराष्ट्र की पुलिस सक्षम होने के बावजूद भी दिल्ली की सीबीआई वहां गई। ठीक है, इंक्वायरी शुरू की, परंतु आखिर निकला क्या? एक वर्ष हो गया, लेकिन खोदा पहाड़ और निकला चूहा, मतलब कुछ भी

नहीं निकला। सुशांत सिंह की खुदखुशी का एक कारण बना कर बिहार के चुनाव का मकसद हासिल करने का काम इस राजनीति में जब हुआ, तब ऐसी एजेंसी को इंक्वायरी की फ्रीडम मिलनी चाहिए, उनके कतर्व्य का पालन करने के लिए। लेकिन आज की स्थिति में ऐसा नहीं हो रहा है।

सभापति महोदया, आज की परिस्थिति ऐसी है कि महाविकास अघाड़ी सरकार के कई मंत्रियों के पास ईडी हर दिन जाती है। ईडी के जाने के बाद, सीबीआई वाले जाते हैं। सीबीआई के जाने के बाद एनसीबी जाती है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री …* के खिलाफ इल्ज़ाम एक पुलिस कमिश्नर ने लगाया। वे मुंबई से दिल्ली आए, दिल्ली से मुंबई गए और लिखित में इल्ज़ाम दिया कि … * साहब ने हमें इतना-इतना पैसा इक्ट्ठा करने के लिए बोला था। उसके बाद तुरंत ईडी अनिल देशमुख साहब के पास पहुंची। सारी खोजबीन की, खेती में गए, घर में गए, परिवारों के घर में गए, परंतु पाया कुछ नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से …. * जैसे पूर्व होम मिनिस्टर आज छह मास हो गए हैं, ईडी की कोर्ट में उनको बिठा कर रखा गया है। … (व्यवधान) एक बात ऐसी है कि …* के ऊपर जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया, आरोप लगाया, उनको सुप्रीम कोर्ट ने फरार घोषित कर दिया, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया। …. * को अरेस्ट करके रखा। …(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: भारत के सुप्रीम कोर्ट ने उनको संरक्षण दिया। …(व्यवधान)

श्री विनायक भाउराव राऊत : मुम्बई का पुलिस कमिश्नर …(व्यवधान) उन्होंने कोर्ट में बताया कि अभी हमारे पास कोई सबूत नहीं है। हमारे पास प्रूफ नहीं है, ऐसा उन्होंने कोर्ट में बताया और ई.डी. के पास लिखित में दिया। …(व्यवधान) … * ने लिखित में दिया कि हमारे पास अभी कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। उन्होंने कोर्ट में कहा। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : विनायक जी, आप चेयर को संबोधित करके बोलिए।

---

* Not recorded.

श्री विनायक भाउराव राऊत: सभापति महोदया, जो गड़बड़ी करते हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है । …(व्यवधान) जिन्होंने लोगों को लूट कर संपत्ति पाई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है और यह करनी भी चाहिए । जैसा कि अभी हमारे साथियों ने बताया कि कल तक जिनके ऊपर इल्जाम लगता रहता था, एक दिन भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के बाद वे साधू बन जाते हैं । आज भी दुर्भाग्य से इस केन्द्रीय मंत्रिमंडल में, कल का जो आरोपी था, वह आज यहाँ साधू बनकर बैठा है । …(व्यवधान)

सभापति महोदय, हमारे महाराष्ट्र के एक राजनीतिक नेता, विपक्षी दल के एक नेता ने 22 हजार करोड़ रुपये की चोरी की थी । …(व्यवधान) उसके पीछे सारी एजेंसीज़ लगीं । उन्होंने सोचा कि दिल्ली में चला जाए । आज वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया और संत बन गया, साधू बन गया । कल का चोर आज साधू बन गया, 22 हजार करोड़ रुपये की चोरी करने वाला । …(व्यवधान)

अगर आप बोलेंगे तो मैं नाम पढ़ूँगा । …(व्यवधान) जो चोरी करने वाले लोग थे । एक दर्जन करप्ट प्रैक्टिस करने वाले लोग थे, वे भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के बाद साधू-संत बन गए । …(व्यवधान) महा विकास आघाडी के जो प्रमाणिकता और ईमानदारी से काम करने वाले लोग हैं, हर दिन हर एक के पास ई.डी. की इन्क्वायरी होती है । …(व्यवधान) इसे हम समझ सकते हैं । अगर ई.डी. तथा विजिलेंस विभाग खुद उनके पास इन्क्वायरी करने के लिए जाता हैं तो हम उसे समझ सकते हैं । …(व्यवधान) लेकिन, मुम्बई में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता बोल देते हैं कि परसों इनके पास ई.डी. की रेड हो जाएगी, परसों ई.डी. वहाँ जाती है । वह बोल देते हैं कि अभी यह छह महीने तक बाहर नहीं आने वाले हैं और उनको छह महीने तक बेल नहीं मिलती है । …(व्यवधान) क्या मुम्बई में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के कहने पर ई.डी. का कार्यकाल चल रहा है, सी.बी.आई. उनके माध्यम से काम कर रही है? अभी परसों भी एक मंत्री को आठ-आठ घंटे तक बैठाकर उनकी इन्क्वायरी की गई । …(व्यवधान) दुर्भाग्य से कोरोना के कार्यकाल में इस देश

को लूटने वाले कितने लोग परदेश में गए। देश को लूटने वाले जो एक दर्जन बड़े चोर थे, वे देश छोड़कर परदेश में जा चुके हैं। उनके पास ई.डी. नहीं गई। उनके पास सी.बी.आई. नहीं गई। अभी नारकोटिक्स आ गया। अभी वहाँ एक जोनल ऑफिसर काम कर रहा है। वह जोनल डायरेक्टर है। मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ। वह एक दिन वहाँ गए। …(व्यवधान) …* का बेटा, जो * … है। …(व्यवधान) मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। …(व्यवधान) अच्छा, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। एक अभिनेता का जो बेटा है, जब उसके क्रूज के ऊपर रेड की गई। वहाँ कुछ मिला या नहीं मिला, हमें नहीं मालूम, लेकिन एक बात है कि जब * … केस में 25 करोड़ रुपये की माँग की गई। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। उस केस में एन.सी.बी. के जो आई विटनेस रखे गए थे, उन्होंने कहा कि …* को छोड़ने के लिए 25 करोड़ रुपये की माँग एन.सी.बी. के जोनल डायरेक्टर ने की। उसके आगे जाकर उन्होंने बताया कि एक * … नाम का आई विटनेस ने यह कहा। …(व्यवधान) वह आई विटनेस है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति: उनका नाम निकाल दीजिए।

… (<u>व्यवधान</u>)

श्री विनायक भाउराव राऊत : ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। …(व्यवधान) दो-तीन आई विटनैस ने कहा कि हमारे पास 25 ब्लैंक पेपर पर एनसीबी के जोनल अफसर ने जबरदस्ती सिग्नेचर लिए कि अगर सिग्नेचर नहीं करेंगे तो आपको जेल में भेजेंगे। यह कहां का तरीका है?

महाराष्ट्र कोआपरेटिव सैक्टर का एक राज्य है। आदरणीय स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी के कार्यकाल में शुगर फैक्ट्री को कोआपरेटिव सैक्टर में अच्छा बढ़ावा मिला। आदरणीय शरद पवार साहब ने अपना पूरा जीवन इस कोआपरेटिव सैक्टर को बढ़ावा देने के लिए अर्पित किया। क्या केंद्र सरकार ने ये सारे कोऑपरेटिव सैक्टर जैसे शुगर इंडस्ट्रीज़ आदि को बर्बाद करने का ठेका

---

* Not recorded.

सीबीआई और ईडी के माध्यम से लिया है? कितनी शुगर फैक्ट्रियां बर्बाद करेंगे? कितने कोऑपरेटिव सैक्टर बर्बाद करेंगे? नारकोटिक्स की बात करते हैं। गुजरात में अडानी पोर्ट में 21,000 करोड़ रुपये के ड्रग्स मिले, उसकी जांच नहीं हुई, सीबीआई नहीं गई, एनसीबी को वहां रास्ता नहीं मिला। …(व्यवधान)

गुजरात में ईडी के अफसर कैसे काम करते हैं? आप देखिए। गुजरात में ड्रग्स मिलते हैं, चाहे अडानी पोर्ट हो या अन्य जगह हो, द्वारका में 380 करोड़ रुपये के ड्रग्स मिले हैं। वहां के लोगों को छोड़ने के लिए ईडी अफसर ने पांच लाख रुपये की मांग की। ये ईडी के अधिकारी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी एपाइंटमेंट की, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आप उनके ऊपर विश्वास रखकर महाराष्ट्र के महा विकास आघाडी सरकार को परेशान कर रहे हैं। ईडी के अधिकारी गुजरात में जाकर लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं, इसलिए गुजरात में पिछले दो वर्षों में हजारों लोगों ने परदेस में जाकर व्यवसाय करना पसंद किया।

एनसीबी का मुम्बई और महाराष्ट्र में जो आचार चल रहा है, उनके ऊपर कोई कंट्रोल है या नहीं, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वे केंद्र सरकार का नाम बदनाम कर रहे हैं। अमित शाह जी का नाम बदनाम कर रहे हैं। उनके नाम पर पैसा कमाने का धंधा करने के लिए ईडी के लोग हैं, एनसीबी के लोग हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुर्ला के एक साधारण आदमी के घर में ईडी ने रेड की, जो कुछ था, जब्त कर लिया। वह आदमी हमारे यहां के मिनिस्टर का रिलेटिव था, उसे ईडी कोर्ट में हाजिर करना था। वहां कुछ भी न मिलने के बाद भी उन्होंने अपने असिस्टेंट अफसर को बाहर भेजा, वहां से दो डिब्बे लेकर आया और घर में रखा और बोला कि यह नारकोटिक्स आपके पास है। उनकी बहू ने वीडियो शूटिंग की और बताया कि यह आपके लोग लेकर आ रहे हैं, हमारे घर का नहीं है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी। अगर कुछ भी न मिले तो भी ईडी कोर्ट में एक बार आना पड़ता है। महाराष्ट्र में ईडी, एनसीबी और सीबीआई लोगों को बिठाकर परेशान करती है,

कोऑपरेटिव सैक्टर को परेशान करती है, शुगर इंडस्ट्री को परेशान करती है, महा विकास आघाडी के शासनकर्ताओं को परेशान करती है, इसे रोकने का काम करें।

नौकरशाही का जो मकसद है, वह सही तरीके से अमल में आना चाहिए। लोकशाही में राज करना सबका अधिकार है और इस हिसाब से महाराष्ट्र में महा विकास आघाडी सरकार काम कर रही है। अगर कुछ गलत हो तो जरूर सज़ा दीजिए, लेकिन अननैसेसरी निरपराध लोगों को फंसाने का काम न करें, यही मेरी मांग है। धन्यवाद।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'(मुंगेर): सभापति महोदया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बिल और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैबलिशमेंट एक्ट बिल, इन दोनों अमेंडमेंट पर एक साथ विचार हो रहा है। मैंने कई लोगों की बात सुनी और मुझे ऐसा लगता है कि इस बिल पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। क्योंकि, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विनीत नारायण के मामले में दो साल का कार्यकाल दोनों का तय कर दिया। उसके साथ-साथ इनकी जांच में चाहे वह सीबीआई हो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो या ईडी हो, ईडी का तो बिल ही नहीं है, लेकिन लोग ईडी पर भी चर्चा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सब के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है और वह बहुत विस्तृत जजमेंट है। विनीत नारायण केस में माननीय चीफ जस्टिस जे.एस.वर्मा साहब का जजमेंट है। अब इस विषय पर कि दो साल हो या पांच साल हो, क्या बहस हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने दो साल कहा है और सरकार ने कहा कि चूंकि आपकी इंडिपेंडेंस को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, इसलिए हम दो साल की जगह पांच साल करते हैं। इसमें बहस की कहां गुंजाइश है? असल में जब इंडिपेंडेंट जांच होती है, जब निष्पक्ष जांच होती है तो जो भी पकड़े जाते हैं, वे कहते हैं कि वे प्रभावित हैं। हमारे यहां बिहार में भी ऐसा हुआ है, यहां राज कुमार बाबू बैठे हुए हैं। ये वहां के गृह सचिव हुआ करते थे। एक आदमी पकड़े गए थे, अभी कल्याण बनर्जी जी चर्चा कर रहे थे कि कनविक्शन रेट 3.69 है। हमारे यहां जो सीबीआई की जांच हुई थी, चारा घोटला जो बहुत ही चर्चित घोटाला रहा, उसका कनविक्शन रेट 99.9 परसेंट है। …(व्यवधान) ये जांच की बात नहीं है, केस में कोई भी रहे। उस समय एक अक्यूज्ड थे, वे जब जेल चले गए तो उन्होंने गेस्ट हाउस को ही अपना जेल बना लिया। अपना जेल खुद ही डिसाइड कर लिया। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 12 घंटे के अंदर जेल जाइए, तो उस समय राज कुमार बाबू गृह सचिव थे, उनको 8 घंटे में ही शिफ्ट कर दिया। इसलिए, इस बात पर चर्चा बेकार है। इस बिल पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। लोग बिना मतलब हाय तौबा मचा रहे हैं। अगर इंडिपेंडेंट जांच में कहीं कोई प्रभावित होता है, अगर कोई किसी को जबरदस्ती फंसाता है तो उसके लिए न्यायालय उपलब्ध है। आप लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए। सब लोग न्यायालय में जाते रहते हैं। यदि आपके पास साक्ष्य है, क्योंकि

बिना साक्ष्य के कोई किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है, सीबीआई और ईडी तो बिना साक्ष्य के गिरफ्तार नहीं करती है। वह विस्तृत जांच करती है। लोगों की बात सुनने के बाद मुझे लगा कि लोग अपनी-अपनी पीड़ा को इस अमेंडमेंट में उजागर कर रहे हैं। इसलिए, मैंने सोचा कि दो-तीन मिनट में अपनी बात कहूं। मेरे एक अन्य साथी को भी बोलना है। वे विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन, मुझे ऐसा लगता है कि इस बिल में कुछ नहीं है। इस बिल में सुप्रीम कोर्ट ने दो साल का कार्यकाल तय किया, सरकार ने उसको बढ़ाकर पांच साल कर दिया। सरकार ने यह नहीं कहा आप सीधे पांच साल के लिए चले आइए। सरकार ने यह कहा है कि हर एक साल बाद आपके काम की समीक्षा होगी। यदि आप सही ढंग से काम कर रहे हैं तो हर एक साल के बाद अगले एक साल के लिए आपको बढ़ोतरी मिलेगी। मुझे लगता है कि इस बिल में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं उनके इंडिपेंडेंस के लिए दोनों बिल का भरपूर समर्थन करता हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (**कटक**): धन्यवाद सभापति महोदया, स्टेटचुरी रिजॉल्यूशन में मैंने नोटिस दिया था। एक इम्प्रेशन शायद किसी के मन में होगा कि मैं इसके विरोध में, जो प्रेमचन्द्रन जी और बाकी लोगों ने कहा है, उसको रिपीट करूं, लेकिन मेरा इरादा ऐसा नहीं है। सरकार जो ऑर्डिनेंस का रूट ले रही है, मैं उसके खिलाफ थोड़ी बात कहूंगा। उसके बाद हमारे सामने जो दो बिल्स लाए गए हैं, मैं उनके ऊपर अपना वक्तव्य रखूंगा।

The Central Vigilance Commission (Amendment) Ordinance, 2021 was promulgated on 14th November to extend the tenure of Director of Enforcement Directorate up to a period of five years from the present two years. The Bill was introduced in Lok Sabha on 3rd of this month. What was the tearing hurry to bring an Ordinance for this purpose? What was the hurry when the Parliament was to meet in the last week of November, within two weeks' time? The extraordinary provision that is provided in our Constitution for promulgation of Ordinances was supposed to be used in an extraordinary situation. What was the extraordinary circumstances that compelled this Government which could not wait for two, if not three, weeks?

Madam, on the recommendation of Santhanam Committee, the CBI was established in 1964. The Committee had recommended for the establishment of Central Vigilance Commission to advise the Union Government in the domain of vigilance, Subsequently, the Supreme Court, in the judgement of Vineet Narayan and Others *versus* the Union of India in 1997 directed the Government to give the responsibility of exercising superintendence over the CBI's functioning to the CVC. In 1998, Union Government conferred statutory

status to the CVC and also to exercise power over the superintendence of CBI. The CVC Act came into being in 2003. A JPC was formed in between. I happened to be a Member of that Joint Committee and had participated in its deliberations. For academic purpose, I may say that I had a Note of Dissent on one count; one can see the record.

The Bill has two provisions. The first one says that the period be extended up to one year at a time and the second one is that no such extension shall be granted after the completion of a period of five years in total, including the period mentioned in the initial appointment. Of course, extension of service can be done on the recommendation of the Committee and reasons are to be recorded in writing. What could be the reason? It is said, 'in public interest'. Is not it too wide? The Minister can reply how it can be explained other than in 'public interest'. Yes, we know that the incumbent was due to retire on November 17th, if not 18th, and he got an extension, and after the promulgation of the Ordinance, he has been granted a year's extension also. The matter covering the Director of Enforcement Directorate is a bit tricky. Since the ED comes under the Finance Ministry and the Director reports directly to the Finance Secretary, an anomaly will arise when the Finance Secretary is appointed for two years and the ED Director can work up to five years.

Madam, before that, I would like to say something about Article 123 of the Constitution relating to the promulgation of the Ordinance. Article 123 of the Constitution allows the Centre and State Governments to frame laws through Ordinances. But the Constitution makers envisaged a much-restrained use of this practice. The Supreme Court has repeatedly affirmed the constitutional principles that the primary power to frame law rests with Parliament and not with the Executive. In the D.C. Wadhwa case in 1986, the Court clarified that the power to promulgate an Ordinance is essentially a power to be used to meet an extraordinary situation and it cannot be perverted to serve political ends. However, in past years, the Centre as well as several State Governments have increasingly been succumbing to the temptation of bypassing the Parliamentary route to make law.

The first NDA Government averaged 9.6 Ordinances a year, and in its 10 years of office, UPA promulgated over seven Ordinances per year. In comparison, in its seventh year, the current Government averages close to 11 Ordinances a year.

Madam, I would come to the issue that I am raising here for the attention of the hon. Minister. Many Members before me, who have spoken, have said that 'two years, and why staggered another one-one year'? The Common Cause which had gone to the Supreme Court, had categorically mentioned about this. Most of us, who have participated in this deliberation, have only quoted what the Common Cause petition had stated. Even in the Bill, the hon.

Minister has categorically stated what is there in the law. The law says: "A Director of Enforcement shall continue to hold office for a period of not less than two years." But 'not less than two years' does not mean, it has to be two years alone from the date on which he assumes office. What did the Supreme say? The Supreme Court said:

> "Prescription of a minimum period of two years is to ensure that the Director of Enforcement is not transferred or shifted from the said post during the course of investigation of serious offenses. There is no ambiguity in Section 25(d) of the CVC Act and the words 'not less than two years' simply mean a minimum of two years. There is no scope for reading the words to mean not more than two years."

Despite this pronouncement by the Supreme Court, Madam, why are we bringing this Bill? In a way, we are confirming, yes, it is two years and one-one year each. If I understand Mr. Rajyavardhan Singh Rathore's intervention, that means, the Government is going to review the work of ED after two years and then only, wants to give extension. If that is so, it will lead to a number of other issues.

How come this fixed term of two years came into being? We know the case handled by ED has stood the scrutiny of courts. Enforcement Directorate had sprung into action in sensitive and high profile cases. Be it the case in Maharashtra or in Kerala gold smuggling case or even be it the Augusta

Westland Deal, ED has been a step ahead of CBI or NIA. About fugitives like Vijay Mallya or Nirav Modi, cases are also being pursued. There is justification, no doubt. But why is this leash there? Does it not affect the independence of CVC that was contemplated in 1997 Judgment of the Supreme Court in the Vineet Narain & Others *versus* Union of India case?

Madam, I have to speak on the other Bill also. I would just take another two to three minutes. Please allow me.

The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2021 provides for amendment to Section 4B so as to insert two provisions. The first provision enables the Government to recommend the extension of tenure of the Director, CBI for one year at a time and for a maximum period of five years, and secondly such extensions may be granted in public interest with reasons recorded, in writing on recommendations of the Committee as constituted under the Act.

The Government may explain the reason to bring an Ordinance. But would it not have been ideal to have approached the Supreme Court before doing so and hold a discussion on the floor of the Parliament?

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, आपको बोलते हुए 10 मिनट हो गए हैं। प्लीज, समाप्त कीजिए।

श्री भर्तृहरि महताब: मैडम, मुझे दो-तीन मिनट और दे दीजिए। I would complete it. I have something important to say relating to the CBI. The CBI and even the ED are sensitive organisations. Giving the Director peaceful extension a year at a time, may hamper the independence of the agency.

FBI Director has a 10-year tenure. Why can't the tenure here be four years if not five years in one go? At least, the Director will have the opportunity to pursue cases longer and take them to the logical conclusion. I do not buy the theory that by splitting the extended tenure in three parts will compromise the autonomy of the agency. As far as the question of the agency being compromised is concerned, it will depend upon the person who is heading. A lot of things have been said about political vindictiveness.

Mr. R.K. Raghavan, former CBI Director and a distinguished police officer has recently said, " केवल पांच या दस प्रतिशत केस पोलिटिकल केसेज होते हैं, बाकी सारे केसेज दूसरे करप्शन के केसेज होते हैं।" He said and I quote: "Prior to my appointment, the Government was arbitrary and capricious in choosing the Director. It was not rare to see temporary appointments given to favour some individuals. Seniority was often ignored in appointments and Directors were removed frequently."… (*Interruptions*)

मैडम, मैं लॉजिकली बिल के ऊपर बोल रहा हूं।

माननीय सभापति : श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले जी ।

श्री भर्तृहरि महताब : मैडम, मुझे कम्प्लीट करने दीजिए। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : हो गया।

श्री भर्तृहरि महताब : मैडम, हुआ नहीं है।

माननीय सभापति : बहुत जानकारी हो गई।

… (व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Henceforth, if I am disturbed like this, I cannot complete. I am speaking on certain things. … (*Interruptions*) मैडम, मुझे कम्पलीट कर लेने दीजिए।… **(**व्यवधान**)**

माननीय सभापति : आपको बोलते हुए 12 मिनट हो गए हैं। आपकी स्पीड तेज नहीं थी।

श्री भर्तृहरि महताब : मैडम, क्या आप कह रही हैं कि मैं और पार्टिसिपेट न करूं**?**

माननीय सभापति : नहीं, आप बैठिए। अब दूसरा कोई पार्टिसिपेट करे।

श्री भर्तृहरि महताब: मैं बिल्कुल पार्टिसिपेट न करूं?

माननीय सभापति : करिए, लेकिन टाइम का भी ध्यान रखिए।

श्री भर्तृहरि महताब: मैडम, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं भी चेयर पर बैठता हूं और मुझे मालूम है कि किस तरह टाइम एलॉट होता है। **…** (व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है, आपके 12 मिनट हो गए हैं।

आपको और कितना टाइम चाहिए?

श्री भर्तृहरि महताब : मैडम, मुझे दो मिनट और चाहिए।

माननीय सभापति : ठीक है, आप बोलिए।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: He said: "Seniority was often ignored in appointments and Directors were removed frequently. In 1987, C.M. Radhakrishnan Nair was appointed as the Director. This decision was rescinded within days to give an extension to the man holding the post, Mohan Katre. Could there be anything more demoralising to the officer concerned and to the elite organisation?"

I am of the opinion that a two-year tenure for a CBI head is too short for any officer to make an impact on the organisation. It is preposterous to probe the intentions of this major move to give a five-year tenure to the head of CBI. Why do we have to suspect the bona fides of the Government until we have evidence to prove that the decision was motivated by dishonest intentions? No Government is a saint, but to question the intentions behind an administrative decision right after it is made seems unfair. We will have to wait for a few years to gauge the impact of the change in tenure rules. Any blatantly dishonest interference in the working of the organisation is bound to raise the heckles of those who believe in and carry out straightforward investigations.

With these words, I conclude.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Madam, I stand to speak on the Central Vigilance Commission Bill and the Delhi Special Police Establishment Bill. I stand here, really, to oppose this Bill.

I was listening to the hon. Minister's opening speech. The Statement and the objectives of the speech, which the hon. Minister delivered, were maintaining people's faith in the institution, promoting good-governance, rule of law, transparency and accountability. He talked about FATS and said that standard, integrity and skill were the intentions. Now, my humble question to the Minister is this. Just by changing one tenure, how are you going to address all these issues? I request you to kindly clarify it. As far as this whole Bill is concerned, everybody is saying that it is only about a small thing; it is a small Bill; and what is there to discuss. If there is nothing to discuss, then, why are we discussing this Bill? How is it going to happen that so many things will be done just by one tenure? I mean, it is just like a magic pill. What is so great about this magic pill?

Like everybody says, if the intention is so clear, then what is the hurry? You could have waited for the Parliament to begin. So, I would like to say that this desperate hurry smacks of something really fishy. I see no reason for this Ordinance in the way it was brought up.

My second question to the hon. Minister is this. According to Para 6 of the Statement of Objectives, India's position requires significant enhancement of capacity and resources. So, I would like to know, by this one change of

position, how your capacity and resources are going to be changed. Beyond what you are talking, there is something called crypto, darknet, etc. Who is going to talk about that? The hon. Minister has not talked about anything except increasing the number of years. I really do not know where this Bill is going.

Then, there is another mention which even Rajyavardhan*ji* talked about. In Para 7, it is said:

> "Investigation of such crimes requires two investigation agencies with robust processes."

Where is the robust process in this? Actually, what you are saying is that you have to talk about this Bill with a smile. It is with a smile because the argument that the hon. Treasury Members are making is really funny.

I have another question to ask you. Enabling provisions ensure continuity of tenure. Our learned hon. Member, Nishikant Dubey*ji* said that there were three people, तीन साल से ज्यादा एक्सटेंशन मिले। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन सही न हो तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं कि तीनों ही नॉन कांग्रेसी सरकारों में हुई थीं। So, we have always followed the two-years formula which was given. We have not changed any rules; we have followed the rules. I see no reason why this two plus one plus one has been done. On what merit will this extension behave in? Will it be subject to the case? As we all know, as far as CBI and ED are concerned, the logical end is in only one per cent cases. एक परसेंट से कम ही लोगों

की सक्सेस रेट है। आप दो साल के बाद ऐसा क्या क्राइटेरिया लगाएंगे कि उस हिसाब से उसको एक साल, दो साल, तीन साल मिलेंगे?

The hon. learned Minister said that अमेरिका और बड़े-बड़े देशों में ऐसा होता है कि बड़े टेन्योर लगते हैं। But let me correct, अगर पांच साल का हो तो एक बार ही पांच साल में देते हैं। टू प्लस वन प्लस वन, ये बहुत सारा कन्फ्यूजिंग है। So, I want a specific answer to what the criteria will be for plus one year extensions.

The other question which I want to ask the hon. Minister is this. I would actually like to take that point from Raut*ji.* राउत जी …* जी के बारे में बोल रहे थे। उन्होंने ऐसा कहा कि उनके यहां ईडी, सीबीआई वाले सारे लोग चले गए। वह एक चीज़ भूल गए थे, उसे हमारे यहां विक्रम बोलते हैं। It is almost like a record. His house and his family were raided, not once, twice or thrice but seven times in a year. …(*Interruptions*) Imagine, you raid one family seven times. So, what did you miss in the first, second, third, fourth, fifth and sixth raids that you had to go there a seventh time? It is like giving an exam seven times and still failing. It is because all the allegations were made against … * and his family. Not only have they spared the person concerned but they are even attacking families now. Even talking about … *, whose daughter-in-law happens to be a part of this House, his son-in-law is in jail. It is fine; I understand that there is an inquiry. But why is his daughter being called, his wife, who is a senior citizen being called? My humble question is, what is CBI and ED doing? What have women got to do with this? If you want to make a political attack, आप सामने से

---

* Not recorded

कीजिए, फैमिलीज के पीछे क्यों पड़े हैं? It is really shameful to see how families are attacked, and purely for political reasons. I thank Mr. Raut to stand up for what it is. But apart from Anil Deshmukh's case and Khadse's case, there are many other cases that I can sound to you. … (*Interruptions*) What he talked about the Cabinet Ministers in the Centre today is this – *(उनके पास जादू की पुड़िया है ।) हमारे साथ महाविकास आघाड़ी का होगा, आप कौन सा जादू करते हैं, पता नहीं है, लेकिन उनके सारे केसेज़ डायल्यूट हो जाते हैं। So, I really do not know what magic pill you have. It really worries me that this extension is connected to some magic pill. That is why, one will get one year extension. I do not know; I really expect you to give me a very honest reply.

I have one more humble question. This is on record, and I will place it on the Table. There are two Members of Parliament from the BJP from Maharashtra – one is from Sangli and the other is from Phaltan. The third one is our colleague, Mr. Harshvardhan Patil, who unfortunately lost this time, and I did not want to quote him as he is not the Member of this House. मैडम, हमारे पास उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो मीडिया में भी चली है कि** This is what your Member of Parliament is saying. This is just shocking. For all the great work that you did, you praise the hon. Prime Minister which is complimentary. He is not only your Prime Minister, he is India's Prime Minister.

---

* (…) Hindi translation of the speech originally delivered in Marathi.
** Not recorded as ordered by the Chair.

If India goes up in ease of doing business, we are all proud because the investments come to all our States. It is for the betterment of our people. But then, are the ED and the CBI only used against the Opposition-ruled States or the people who fight against you? You think about it logically. Your own MPs are saying like this about the ED and CBI, and that is the case. If all of us, who are in the Opposition, get these love letters from the ED and CBI and whoever is on your side, the magic Bill just dilutes those love letters and they just disappear, then, where is the honesty? If you are really taking the high moral ground, the least you can do is, make sure it is a robust system. Your Member of Parliament was saying about the global practice. What did he say? He was saying that there was something called, Action Task Force which needs a tenure. What Action Task Force intervention is there in this Bill, besides the tenure? He was asking for collective wisdom. We are giving you collective wisdom. We are all telling you, do not do it. That is the collective wisdom. You are counting year after year from this side. We are saying there is so much collective wisdom. Please take it. Take this feedback because this is not going to end here.

I have no reason why this Ordinance has come. What other interventions are you making? The whole Bill is so confusing. It is going to be completely one-sided. It is not making you look transparent. As a matter of fact, it is making you look vindictive as a Government and I would not blame any Secretary for that. What can he do? It is his job. He is the most vulnerable person, if you ask me. You are setting a bad precedent that unless you are

loyal to the king, you are not going to get a promotion. So, how do you make this an independent institution?

I grew up in India not knowing who were the Heads of the ED and CBI. मुझे पता नहीं था कि ईडी कौन है, क्या है, लेकिन आज इनके चर्चे रोज होते हैं। क्योंकि ये किसी के घर में चले जाते हैं, किसी के बीवी, बच्चों को ले कर पता नहीं कहां-कहां जाते हैं? देश में यह नया कल्चर आया है। I think we really need to introspect.

I would like to ask you that in all these several interventions what rule you have followed. You have not followed any rule and you are doing everything just to hurt a cross-section. I appreciate what Mr. Mahtab said. Maybe, it is a small number of people who are politicians and rest are not. But the cases of politicians are so high profile that they are flashing on every channel. I want to know one thing. You claim that the ED and CBI are the top-most authorities in this country. How does then everything get leaked to the media? They seem to know more about it than everybody else in the audience. We hear about the ED and CBI and all the raids.

There is one more thing. I do not want to name them. Some are even sitting here. Some of them were your allies. All your former allies have cases. When they were your allies, there were no cases against them. But the minute they left you, all the cases have started. They have had raids. Their colleagues have had raids. I just urge you, please stop this vindictive business. If you really want the collective wisdom of this House, let us put a robust system. We will walk the talk. We will support you to have a clean India, which is very

efficient, which has zero corruption to do ease of business. We appreciate your intervention but not at the cost of any political bullying. We will stand up for it. *Maha Vikas Aghadi* has stood for it. You never thought we would complete months. We have completed two years under the leadership of Uddhav Thackeray. We will not only complete five years but we will complete 25 years and show that Maharashtra will be one of the top performing States in this country, which will provide good governance and there will be no corruption. Thank you.

श्री अधीर रंजन चौधरी (बहरामपुर): मैडम, मुझे मालूम है कि आज समय का बड़ा अभाव है। मैं भी अपना वक्तव्य ज्यादा देर तक नहीं दूंगा।

You see, the fact is that already Mr. Minister, I understand your stomach is now brimming with the legal interpretation of the concerned legislation. I do not want to burden you with more sumptuous doses that have already been offered by my esteemed colleagues to you.

I have got some sort of outlandish points but bereft of any lucid arguments from your end, which is really perturbing myself. You have cited during your initiation that the practices of FATF and other European Union countries should be adopted.

मुझे लगता है कि जब मोदी जी आपसे के बारे में कहते हैं 'वोकल फॉर लोकल', तब आपके बदलते रवैये को देखते हुए मुझे लगता है कि आप कहते हैं 'लोकल फॉर ग्लोबल' ।यह हमारे देश का इंस्टिट्यूशन है। The premier investigative institution, which is named after CBI by your persistent endeavour, has been turning into a retaliatory investigative institution. There lies the intent of this legislation. You have said, "Just see our intent." I resolutely say that certainly your intent is ominous. Ominous in the sense that you are worshiping through this Bill the culture of subserviency. Instead of efficiency and competency, through this legislation you are giving precedent to the culture of subserviency. When subserviency prevails, certainly the competency and efficiency will be undermined. If it is so, then the entire edifice of premier investigative agency will be affected. There is no denying of it.

You have been bolstered by your colleague, who is my colleague also, Mr. Rajyavardhan Rathore ji. To make it more convenient for him and the Government, I would refer to one quotation from Shri Yashovardhan Azad. Instead of Rajyavardhan, I am quoting Yashovardhan Azad, who is currently the Central Information Commissioner and has been an IPS officer for 40 years. I quote,

> "This move will render the chiefs of the important investigative agencies to the status of daily wage earners. It will demoralize younger talent and undermine the autonomy and independence of the agencies. That the Ordinances were brought just before a Parliament Session means, they were not meant to be a move to reform and streamline the functioning of the agencies but designed for particular individuals. I am most disappointed."

यह मैं नहीं कहता हूं, यह एक आईपीएस ऑफिसर, जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जैसे ऊंचे पद पर हैं, वे ऑफिसर यह बता रहे हैं। That is why I am saying that you are worshiping the culture of subserviency. The person, who will be capitulating pusillanimously to the dictates of the Government, will be rewarded and who, by the sweat of the brow, has achieved some sorts of competency, will be punished. This should not be so is my argument.

Again, I would quote, Shri Neeraj Kumar, the former Commissioner of Delhi Police. He said:

"I am surprised. I hope this does not lead to other agency Heads seeking similar extensions. Should that happen, it would not be in the best interest of the human resource management down the line."

Everybody knows that the person who is being revered by you is overseeing multiple cases of alleged money laundering against Opposition leaders. Already our colleagues have referred to it.

You are resorting to such Ordinances that have been opposed overwhelmingly by all the Opposition party leaders in the House. During introduction, I have also taken strong exception to this kind of legislative document because it is violative of Article 123 of our Constitution. Certainly, it is our duty to oppose this kind of retrogressive legislation being initiated from your end.

You are talking about public interest.

जितेन्द्र जी, आपकी हंसी गायब हो गई? … (व्यवधान) क्या आपकी हंसी बंद हो गई? … (व्यवधान) आप उस समय हंस रहे थे, अब हंसी गायब हो गई? … (व्यवधान)

The Union Government has hastily passed an Ordinance in the name of public interest. But if it truly wanted to amend the CVC Act, 2003 in the public interest, it should have framed measures to address the CVC malfunctioning.

The current Bill does nothing to improve or strengthen it. Thus, the problem will persist and possibly worsen. For instance, in the year 2021, only

two monthly performance reports for January and February have been published. There are long-pending vacancies also. Furthermore, the post of Central Vigilance Commissioner was vacant from June to September, 2021. Even between 2019 and 2021, the Commission was without a Central Vigilance Commissioner for nearly a year and then an *impromptu* arrangement of appointing an actual Central Vigilance Commissioner was adopted.

Both the posts of Vigilance Commissioner are currently still vacant. One of these posts has been vacant since October, 2020. A group of former judges, ex-bureaucrats and activists demanded that the vacant post should be filled immediately, stating that the Union Government had effectively paralysed the Central Vigilance Commission. Moreover, apart from the circular of May, 2021 that requested applications for the position of Central Vigilance Commissioner, no other details were made available in the public domain. The names of the members of the search committee as well as the specifics of the applications submitted in response to this circular were kept under wraps. If appointments are not made in a timely way, ensuring transparency, the objective of establishing an autonomous organisation like the Central Vigilance Commission is defeated.

I would like to again flag your attention to what an IPS officer – I do not want to name him – said. He said that 'the Government can tell the ED Chief that today you have done good work, let us see if you can keep this up tomorrow'. A senior civil servant pointed out that this is not the first instance of

the Government's pick and choose policy. The policy is basically contingent upon pick and choose according to the whims and fancies of the Government.

Regarding heads of the investigating agencies, when the issue of appointing the Commissioner of Delhi Police came up, the Government gave an affidavit in the court saying that the current crop of officers in the Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram Union Territory Cadre, from where the Commissioner of Delhi Police is usually picked, had no suitable person, which is why they had been compelled to bring an officer from outside the Cadre for the job. I would like to know from the hon. Minister whether it is true, whether it is substantiated by him and whether it is vindicated by his argument. Does the hon. Minister think that this is the righteous way to induct this kind of officers into the high offices?

I would also like to know from the hon. Minister the present status of the success rate of the cases being investigated by the CBI – number of cases, success rate of investigative agency, rate of conviction in such cases. If the hon. Minister has at his disposal this information, I would request him to share it with us.

Like the other day when this legislation was being introduced, again, I am raising the same issue that the Ordinance was issued on November 14, 2021, merely three days prior to the date of expiry of tenure of the Director of Enforcement, Mr. Mishra. I would like to flag his attention to another aspect.

The Union Government amended the Fundamental Rule 56 which states that 'No government employee above the age of 60 can continue to work unless he is a specialist in medical or scientific field, an eminent scientist of international stature, the Defence Secretary, the Home Secretary or the Director of the Intelligence Bureau'. The Director of the CBI and the Director of the ED were granted these exceptions.

Not only this issue, I would like to flag the attention of the entire House to yet another move where the Central Government issued a gazette notification concerning extension of the tenure of the Defence Secretary, Home Secretary, Director of Intelligence Bureau and Secretary of Research and Analysis Wing for two years.

17.00 hrs

It did this through a Gazette notification, amending Fundamental Rules, 1922, rule 56, in clause (d), for 5th proviso allowing for the extension of service of the Defence Secretary, Home Secretary, Director of IB, Secretary of Research and Analysis Wing, and the Directors of Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate, if the Government considers the extension to be in public interest for such periods as it may deem proper on a case-to-case basis.

These are the most salient features which need to be elaborated by the hon. Minister. According to the Fundamental Rules, Government can give extension to chiefs of central agencies for a period it may deem fit. The total

extension will be for a period of two years. New rules allow officers to serve till 64 years of age against 62 years. It will be on a case-to-case basis, and will not apply uniformly. क्या आपको यह नहीं लगता कि इसमें हमारे काबिल ऑफिसर्स वंचित होते जा रहे हैं, इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि आप दोबारा इस विषय पर सोचें, क्योंकि यह हमारी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है।

माननीय सभापति : माननीय सदस्य, अगर आपकी स्पीच का मैटर ज्यादा लंबा है, तो आप उसे सभा पटल पर रख दीजिए।

श्री अधीर रंजन चौधरी : मैंडम**,** मेरी बात बस खत्म होने वाली है।

Over the years, the Central Bureau of Investigation has emerged as a premier investigation agency. In the last 75 years, the organisation has evolved from an anti-corruption agency to multi-faceted, multi-disciplinary central police law enforcement agency with capability, credibility and legal mandate to investigate and prosecute offences anywhere in India. As on date, offences under 69 existing central and 80 State Acts and 231 offences under the Indian Penal Code have been notified by the Central Government under section 3 of the DSPE Act.

अंत में, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि you should not tinker with this premier investigative agency only to serve the narrow and parochial interest of this present dispensation. With this suggestion, I am opposing vehemently the twin Bills which have been brought together for passing and also suggest you to think over it twice because if you think twice, it will ultimately be beneficial for the country.Thank you.

डॉ. सत्यपाल सिंह (बागपत): आदरणीय महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं इन दोनों बिलों – `दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमंट बिल-2021`, जो सीबीआई से संबंधित है और के समर्थन में 'सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंट बिल' बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।मेरा यह सौभाग्य है कि मैंने सीबीआई में वर्षों तक काम किया है। चूंकि सीबीआई में मैंने पिछले बहुत वर्षों तक काम किया था, इसलिए मैं सीबीआई के अधिकारियों और डायरेक्टर को बधाई देना चाहता हूं। हमारे कुछ मित्रों ने सीबीआई के काम के बारे में और उनके कन्विक्शन रेट के बारे में अभी बोला। मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं। सीबीआई का जो कन्विक्शन रेट है, वह लगभग 60 से 70 परसेंट के आसपास है, जबकि दूसरी पुलिस सर्विसेज का कन्विक्शन रेट 26 से 30 परसेंट के आसपास रहता है।

महोदया, यही कारण है कि हम सीबीआई के लिए कहते हैं कि वह देश की प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। इसी वजह से मैं उनका अभिनन्दन करता हूं। वर्ष-2013 में जब मैं मुंबई का पुलिस कमिश्नर था, तब मुझे भारत सरकार के एक डेलीगेशन में अमेरिका जाने का मौका मिला। वहां हम लोग एफबीआई के डायरेक्टर से मिले और मुझे याद है कि एफबीआई के डायरेक्टर का नाम मिस्टर रॉबर्ट मुलर था। बातचीत करने से मालूम चला कि वह पिछले 12 वर्षों से एफबीआई के डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि हमारे यहां सीबीआई या ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल दो वर्ष है।

हमारे कई मित्रों ने उसके बारे में बोला है। आज इस देश के सामने या दुनिया के सामने जो चैलेंजेज हैं, देश के सामने चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो, आतंकवाद हो, मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा हो या जितने भी क्राइम्स हैं, सब अल्टीमेटली मनी लॉन्ड्रिंग पर जाकर खत्म हो जाते हैं। इन सब चैलेंजेज का ठीक से मुकाबला करने के लिए मैं भारत सरकार विशेष रूप से मोदी सरकार का इसलिए अभिनन्दन करना चाहता हूँ कि पिछले 7 वर्षों में उन्होंने जिस प्रकार के कानून बनाए, चाहे काले धन की बात हो, उससे संबंधित वर्ष 2015 में कानून बना। उसके बाद बेनामी लेनदेन से

संबंधित कानून लगभग 30 वर्षों के बाद, जो यूपीए सरकार में पहले कभी बना ही नहीं, बनकर वह कभी भी नोटिफाई नहीं हुआ, वर्ष 2016 में वह मोदी सरकार ने बनाया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वर्ष 2018 में बना। मैं मोदी सरकार का इसलिए अभिनन्दन करना चाहता हूँ कि यह एक ऐसी सरकार है, जिसके प्रधान मंत्री के ऊपर, जिसके किसी भी मंत्री के ऊपर पिछले 7 वर्षों में कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाये। ऐसी सरकार के ऊपर, उसकी इंटेंशन के ऊपर शक करना, मुझे लगता है कि यह अपने आपको धोखा देना है। सब लोगों को यह बात मालूम है कि पिछले 7 वर्षों के अंदर जिस प्रकार से बिचौलिये और दलाल खत्म किए गए हैं, 134 सर्विसेज को डीबीटी में परिवर्तित किया गया, इस देश का सवा लाख करोड़ रुपया बचाया गया। इस सरकार के आने के पहले जो घोटाले होते थे, जो सिंडिकेट चलते थे, वे धीरे-धीरे बंद हो गए और इसीलिए मुझे लगता है कि आज माननीय मंत्री जी जो यह बिल लेकर आए हैं, यह बहुत अच्छा है। बिल के ऊपर जैसे कई लोगों ने बताया कि बात केवल टेन्योर की है। चाहे हमारे इंटरनेशनल कमिटमेंट हों, चाहे यूनाइटेड नेशंस का भ्रष्टाचार के खिलाफ कन्वेंशन की बात हो या एफएटीएफ, जिसे फाइनेन्शियल एक्शन टास्क फोर्स कहते हैं, केवल बात इतनी नहीं है कि हम केवल विदेशी लोगों के कहने से काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार खत्म करना हमारा, मोदी सरकार का कोई नारा नहीं है, यह इस देश का एक संकल्प है कि इस देश से हमें भ्रष्टाचार को खत्म करना है, काले धन को खत्म करना है।

महोदया, मोदी सरकार में सत्ता का कोई लोभ नहीं है। यहाँ तो सेवा का बोध है। सेवा के बोध से यह सरकार काम कर रही है। यहाँ लोगों के दिमागों को जाति और मजहब में बाँटकर, उलझाकर चुनाव जीतना नहीं है। यहाँ लोगों की समस्याओं को सुलझाकर उनके दिलों को जीतना है। उनके जीवन को सुगम बनाना है, जिसे हम कहते हैं और उसके हिसाब से 'ईज ऑफ लिविंग' काम कर रहे हैं हम।यहाँ परिवार के लिए देश को कोई गिरवी नहीं रखना है ।यहाँ तो देश का गौरव बढ़ाने के लिए काम हो रहा है।जितने भी कानून बन रहे हैं , वे देश का गौरव बढ़ाने के लिए और इस देश से भ्रष्टाचार और काले धन को खत्म करने के लिए बनाए जा रहे हैं। हमारी पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हों या हमारी सरकार के मंत्री हों, सब एक संकल्प वयं राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता':' लेते हैं।

हम तो जागने वाले लोग हैं, इस देश को जगाने वाले लोग हैं, पूरे जग को संदेश देने वाले लोग हैं कि हमारे लिए राष्ट्र पहले है, पार्टी हमारी बाद में हैं और हम उसके भी बाद में हैं। हम इस बात को लेकर चलते हैं। इन बिलों का जो लक्ष्य है, भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जो लड़ाई, मुहिम जारी है, उसको गति देना है। अच्छे अधिकारियों को सर्विस में, जो टेन्योर की बात है, जो हम पदावधि की बात करते हैं, उनको कुछ स्थायित्व देना है ताकि हम कुछ लाँग टर्म नीति बना सकें। अगर लोगों को यह लगे कि हम दो साल रहेंगे, पाँच साल रहेंगे तो वे कोई अच्छी लाँग टर्म नीति बना सकते हैं।

महोदया, मैं अपने अनुभव से कुछ टेन्योर की बातें बताना चाहता हूँ। कई लोगों ने बताया। विनीत नारायण ने कहा कि दो साल का टेन्योर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि दो साल से कम नहीं होना चाहिए। टेन्योर दो साल से कम नहीं होना चाहिए, दो साल से ऊपर टेन्योर हो सकता है।

यह कहीं नहीं लिखा। वर्ष 2006 में प्रकाश सिंह के केस में**,** जो पुलिस रिफॉर्म के बारे में है**,** उसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन हुई। उसके अंदर यह हुआ कि नॉट लेस देन टू ईयर्स। कम से कम दो साल का टेन्योर तो देना ही चाहिए। उसके ऊपर हो सकता है। यह लिमिट या सीमा कहीं थी नहीं। …**(**व्यवधान**)** मैडम**,** ऐसे भी उदाहरण हैं**,** मुझे याद आ रहा है कि यूपीए के जमाने में**,** कांग्रेस के जमाने में ऐसा हुआ कि सीबीआई के एक डायरेक्टर को पसंद नहीं किया। एक प्रधान मंत्री बने और उन्होंने दस दिन के अंदर उनको ट्रांसफर का ऑर्डर दे दिया और उनको ऑफिस में आने नहीं दिया। वह बिहार में कहीं टूर पर थे। वह बिहार में या जहां पर भी टूर पर थे**,** उनको ऑर्डर जाकर दे दीजिए कि आपका ट्रांसफर हो गया और आज से आप डायरेक्टर नहीं रहे हो। ऐसे बहुत केस हैं। …(व्यवधान) नाम तो मुझे मालूम है कि आरडी सिंह थे। नाम लेने की जरूरत नहीं है। उन्हीं के जमाने में पाँच साल का टेन्योर दिया गया। मेरे पास सारे नाम हैं। नाम देने की जरूरत नहीं है। किसी को 6 साल का टेन्योर दिया गया, किसी को पाँच वर्ष का और किसी को

चार साल का, इस प्रकार अलग-अलग टेन्योर दिया गया। जिस सरकार की सबका विकास करने की बात हो, संकल्प हो, सब को साथ लेने की बात हो, वहां इस बात की जरूरत है कि हमारे देश के अधिकारी कैसे हों? आज कई लोग कह रहे हैं कि यह दो का तीन और एक-एक साल क्यों बना रहे हैं? देखिए, हम लोग भारतीय संस्कृति में विश्वास करते हैं। भारतीय संस्कृति यह कहती है, मैं तो भारतीय संस्कृति का पुजारी हूं, मैं वेदों का पुजारी हूं। हमारे यहां वैदिक पर आधारित राष्ट्रीय प्रार्थना है, जहां कहा जाता है कि अपने देश को गौरव के "आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतम्" स्थान पर पहुंचाना हो, उसके सारे अधिकारी, उसके सारे बुद्धिजीवी ऊँचे और उदात्त चरित्र के होने चाहिए। वे योग्यता के धनी होने चाहिए। यह हमारी प्रार्थना है, यह हमारी वैदिक राष्ट्रीय प्रार्थना है। जरूरत इस बात है कि सीबीआई और ईडी के जो प्रमुख, डायरेक्टर हैं, वह किस तरह से सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकते हैं, कैसे साहसी हो सकें और कैसे कम्पीटेंट हो सकें। देखिए, हमारी सरकार कोई एग्जिक्यूटिव ऑर्डर लेकर नहीं आई है। हमारी सरकार इस संसद के सामने आई है। कॉन्स्टीट्यूशन का आर्टिकल 309 यह कहता है कि हमारी पार्लियामेंट किसी भी सर्विस के बारे में बिल पास कर सकती है, कानून बना सकती है। हम इसको संसद में लेकर आए हैं। जैसे मैं कह रहा था और कई लोगों ने इस बात को कहा, ऐसे भी कुछ उदाहरण हैं, रवनीत जी को शायद याद होगा, उनकी सरकार के जमाने में सीबीआई में एक स्पेशल डायरेक्टर थे, उनका ऑर्डर इश्यू हो गया। राइटिंग में ऑर्डर इश्यू हुआ। कैबिनेट सेक्रेटरी ने उनको फोन पर बधाई दे दी। अगले दिन उनका दावत का समारोह हुआ। लेकिन अगले दिन सवेरे ऑर्डर किसी दूसरे का था और ऑर्डर किसका था- जिसने परिवार के एक व्यक्ति के लिए हिमाचल प्रदेश में एक अच्छा मकान बनवाया था। मेरे पास नाम भी है। बाहर से लेकर आ गए, स्पेशल डायरेक्टर का ऑर्डर इश्यू हुआ ...(व्यवधान) मैडम, अभी तो टाइम बाकी है। मैडम, मैं नाम कहां बोल रहा हूं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ऐसे अधिकारी सीबीआई के डायरेक्टर बना दिए जाएं, जिनके खिलाफ बाद में सीबीआई जाँच करने लगे। यह भी कांग्रेस के जमाने में हुआ है। ...(व्यवधान) मेरे पास नाम भी है, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं। मेरे पुराने कुलीग रहे हैं। इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। हमें ऐसे

अधिकारी नहीं चाहिए। …(व्यवधान) कल्याण जी, आपका नम्बर आ चुका है। आप पहले बोल चुके हो। अब मुझे बोलने दीजिए प्लीज। …(व्यवधान) कल्याण जी, आप मेरा समय ले रहे हो। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : मैं आपको एक मिनट का और टाइम दे रही हूं।

डॉ. सत्यपाल सिंह : मैडम, एक मिनट से बात नहीं बनेगी। हमें ऐसे अधिकारी भी नहीं चाहिए कि बोफोर्स केस के इनवेस्टिगेशन में, मैं उस समय सीबीआई में था और मुझे डिटेल भी मालूम है कि बोफोर्स केस के इनवेस्टिगेशन को करने नहीं दिया गया। उस समय की सरकार ने क्यों नहीं करने दिया, सबको यह बात मालूम है। भोपाल ट्रैजडी में यूनियन कार्बाइड के सीईओ, वारन एंडरसन को भागने में किसने मदद की थी? क्योंकि उस सरकार ने इस प्रकार के अधिकारी यहां पर रखे हुए थे। ऐसे भी अधिकारी थे, इस देश के माननीय पूर्व प्रधान मंत्री श्री वी.पी. सिंह के बेटे के खिलाफ केस किया, उनका अकाउंट टैक्स हैवन में है, यह भी काम किया गया था। हमको ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए। इसलिए यह जो सिलेक्शन हो रहा है, सीबीआई के डायरेक्टर का सिलेक्शन कौन करता है? इस देश के प्रधान मंत्री, ऐसा प्रधान मंत्री जिसके लिए लोग कहते हैं कि वे दुनिया का महानतम नेता है। ऐसा नेता, जिसने भ्रष्टाचार न करने का संकल्प लिया है। ऐसे नेता के ऊपर शक करना कि उनकी अध्यक्षता में जो कमिटी बनेगी, वह गलत आदमी का सिलेक्शन करेगी। …(व्यवधान) मैं आपको यील्ड नहीं रहा हूँ। …(व्यवधान) मैं यह कह रहा हूँ कि वे इस देश से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए कमिटिड हैं। …(व्यवधान) मैडम, बस दो मिनट और लूंगा। हमारे प्रधान मंत्री के ऊपर शक करना ऐसा ही है, जैसे गंगाजल को खारा बोल देना। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस कमिटी के सदस्य हैं। चीफ जस्टिस के ऊपर डाउट करना तो ज्यूडिशरी का अपमान है। उसको कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट भी माना जा सकता है। …(व्यवधान) हमारे अपोज़िशन के लीडर उस कमिटी में रहते हैं। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आपका समय पूरा हो गया है। आप एक लाइन बोल कर अपनी बात समाप्त कीजिए।

… (व्यवधान)

डॉ. सत्यपाल सिंह: मैडम, एक लाइन में नहीं होगा। आपकी परमिशन से मैं यह कह रहा हूँ कि हमारे यहां हज़ारों वर्षों की परंपरा है और उस परंपरा में सब लोगों ने कौटिल्य का नाम सुना है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है। कौटिल्य ने लिखा है कि जो लोग सरकार के पैसे से संबंधित हैं या पैसे का व्यवहार आता है, अगर किसी की जीभ पर शहद रखा जाए, मधु रखा जाए या विष रखा जाए तो जीभ तो उसको चखेगी ही। इसी तरह से जैसे पानी में रहने वाली मछली कब पानी पीती है, कितना पानी पीती है, इसका पता कर पाना बड़ा कठिन है। इसी तरह से अधिकारी ऐसे हों कि जो भ्रष्टाचार से रहित रहें, भ्रष्टाचार को खत्म करें, इसका पता लगाना बड़ा कठिन काम है। इसलिए ऐसे अधिकारियों का अगर हमको सिलेक्शन करना है तो चार टेस्ट्स उन्होंने बताए हैं। यह सबके लिए जानने की बात है कि कैसे-कैसे टेस्ट्स किए जाएं। एक धर्मोपदा टेस्ट है कि आदमी कितना पवित्र है। टेस्ट ऑफ पॉयसनेस, जिसको हम फाइनेंशियल इंटीग्रिटी बोलते हैं, उसकी ईमानदारी का टेस्ट। टेस्ट ऑफ फीयर वह काम करने में डरेगा तो नहीं –, जिसको भयोपदा कहते हैं। और चौथा टेस्ट है कामोपदा टेस्ट, यानी लस्ट, ऐसा तो नहीं है कि किसी दूसरे के चक्कर में ही पड़ जाए। इन सब बातों को कहें कि उसकी जाति, उसका कुल, उसका स्थान, उसका व्यय, कहां शादी की है, कैसे उसके संबंध है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी है, उसका चरित्र कैसा है, इन सब बातों पर उसका टेस्ट होना चाहिए। राऊत जी कह रहे थे, सुप्रिया सूले मैडम भी बोल रहीं थीं कि आरोप हमारे अधिकारियों पर न लग सकें, न ईडी डायरेक्टर पर लग सकें, न सीबीआई डायरेक्टर पर लग सकें, इसलिए ऐसे अधिकारियों का बनना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब आपका समय पूरा हो गया है। दूसरे सदस्य को भी समय देना है।

डॉ. सत्यपाल सिंह : मैडम, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। दूसरा कोई वह बात बोलेगा ही नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ। मैं रिपीट करता ही नहीं हूँ।

मैडम, उन्होंने यह कहा था, यह बड़े सुनने की बात है।

नरपति-हित-कर्ता द्वेष्यतां याति लोके,
जनपद-हितकर्ता त्यज्यते पार्थिवेन्द्रै।
इति महति विरोधे विर्तमाने समाने,
नृपति-जन:पदानां दुर्लभ: कार्य अधिकारी।

जो केवल मात्र पोलिटिकल मास्टर के लिए काम करता हो, उसको पब्लिक भी पसंद नहीं करती। जो केवल पब्लिक के लिए काम करता हो, उसको पोलिटिकल मास्टर पसंद नहीं करते। हमें इन दोनों का बैलेंस बनाने वाला अधिकारी चाहिए, जो दोनों के लिए बैलेंस बनाकर काम करें। जिसके लिए लोक हित और राष्ट्र हित सर्वोपरि हो, ऐसे हमें अधिकारी चाहिए।

महोदया, हमारा विश्वास है कि यह जो बिल है, मुझे नहीं लगता है कि इस पर किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए। इसे हमें सर्वसम्मति से पास करना चाहिए, ताकि हमारी ई.डी. एवं सी.बी.आई. इतनी अच्छी बन सकें कि हम भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर सकें। हम आतंकवाद का मुकाबला कर सकें और इस देश तथा समाज का हित कर सकें।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): I rise to oppose the Central Vigilance Commission (Amendment) Bill, 2021 and the Delhi Special Police (Amendment) Bill, 2021. These two Bills are against the concept of central vigilance, the principle of Lokayukta and various Supreme Court judgments that have already been quoted by the senior hon. Members like Shri N. K. Premachandran, Shri Manish Tewari and others.

The court had already directed not to extend the tenure of ED Director, especially, of … * . It is a violation of the order of the Supreme Court. There are many petitions before the hon. Supreme Court challenging the ordinance and demanding judicial scrutiny. There is no defensible reason to promulgate the Ordinance. Moreover, the Ordinance was promulgated merely fifteen days before the Parliament Session was started.

Today is a very memorable day. 9th December, 1946 was the day when the Constituent Assembly met for the first time. The Constituent Assembly had discussed the power of the President to promulgate the Ordinance at length on 23rd May, 1949, and doyens like Shri H. V. Kamath, Pandit H. N. Kunzru and Prof. K. T. Shah enlightened this discussion.

Our country is passing through nothing but a period of 'Ordinance Raj' with important legislations brought in using the extraordinary powers of the executive to bypass the legislature.

---

* Not recorded

Even while recognising it as a negation of rule of law, our founding fathers reached a consensus on promulgation of Ordinance under extraordinary circumstances, wherein, a law needs to be promulgated when both the Houses are not in session.

In the last seven years, after coming to power in 2014, the BJP Government has brought in eighty Ordinances bypassing Parliament. No other Government has such a dubious record.

Coming to the Bill, the Bill is for extending the tenure of the Directors of ED and CBI respectively. ED has got an election duty. Whenever there is an election announcement in the States, it has nothing to do but to tarnish the image of the State Governments and the political leaders of the Opposition parties by hook or by crook. If there is an allegation against a political leader except a leader of BJP, ED appears and tells him that there are so many allegations against him and he has two choices. The first choice is that if the case is registered against him, he will be punished and his wealth will be ceased, he will have to go to jail for the rest of his life. The second choice they give is that, if he joins BJP, he can save his assets and he can enjoy the rest of his life. That is why ED is called the agency on election duty. That is why several political leaders have turned to BJP.

In our State, that was clearly seen before the last assembly elections in Kerala where ED would appear before the media on a daily basis to enlighten the public and make new and false revelations against the Government.

In addition to ED, there are four Central agencies also which have played to the tune of the Central Government. They are: Customs, CBI, C&AG and NIA. What was the end result? The people of the State of Kerala could not be deceived by the ED. The people of Kerala elected the incumbent LDF government with an overwhelming majority revising the political history of the State.

Madam, the proposal for amendment falls foul of the judgment passed by the hon. Supreme Court in the matter of Common Cause Vs. Union of India in Writ Petition No.1374 of 2020 in which it had specifically directed that the tenure of the incumbent Director, ED, …[*] which was set to expire in November 2021, cannot be extended further. The Supreme Court judgment in the said case was clear and absolute insofar as that an extension could be granted was upheld but an embargo was placed on further extension. This conclusion was based on a public interest understanding of the fact that frequent extensions created a perception, whether right or wrong, that the civil servant concerned is under pressure from the Government to secure their extension, to be precise the Government adopts a carrot and stick policy towards its civil servants stating that the reward of carrots will be given for playing to the tunes of the Government.

[*] Not recorded

Sir, a healthy revolving of officers is critical to the exercise of powers and dispensation of functions conferred upon such officers. There should be no apprehension that extension of tenure of key appointments are dependent on the will, whims and fancies of the Government, as the same is also violative of Articles 14 and 21 of the Constitution of India insofar as other offices, similarly ranked, do not have this privilege and process of criminal investigation by these two agencies is feared to be less independent and more open to political pressure on account of these changes.

Therefore, I vehemently oppose these two Bills which are against the conscience of democratically and constitutionally conscious people of this country. Thank you.

श्री रितेश पाण्डेय : माननीय सभापति जी, आपने मुझे बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी के वक्तव्य को यहां रखने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। आपने मुझे केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूं।

इन दोनों ऑर्डिनेंसिज़ में डायरेक्टर ऑफ एन्फोर्समेंट के टेन्योर को बढ़ाने, सीबीआई डायरेक्टर के टेन्योर को दो साल से बढ़ाकर पांच साल करने की लिमिट दी गई है और दो साल बाद प्रति वर्ष बढ़ाने का कारण देना होगा और तीन साल एड करके पांच साल किया जा सकता है।

अब मैं इनके उद्देश्यों को पढ़ना चाहता हूं। इसमें उद्देश्य और कारण का कथन साफ लिखा हुआ है - भ्रष्टाचार, कालाधन और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराधों का खतरा, आतंकवाद से पेचीदा संबध और अन्य दंडनीय अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे देश की वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को गंभीर संकट उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार में प्राय: ऐसे लोगों के आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के उल्लंघन के रूप में परिणाम होना स्वाभाविक है, जिनके अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है।

हमारे देश में नोटबंदी लागू हो तो भ्रष्टाचार और काले धन का सहारा लिया जाता है। हमारे देश में यूएपीए लाया गया हो, तो देशद्रोह, कालाधन और भ्रष्टाचार का सहारा लिया जाता है। सरकारी कर्मचारियों के सामने उनको प्रलोभन देने के लिए हमारे देश में अब ये दो बिल लाए जा रहे हैं, ताकि वे अपने गुरु के अंगूठे के नीचे रहने का काम करें। इसके लिए ये दो बिल लाने का काम किया जा रहा है। यह अत्यंत दु:खद है। इससे सीधे संस्थानों की स्वायत्तता का जो सवाल है, वह भी पूरी तरह से खत्म होने का काम होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने जैन हवाला केस में इस चीज को पूरी तरह से संबोधित करने का काम किया था। उन्होंने अपने ऑर्डर में सीबीआई और ईडी का टेन्योर मैक्सिमम दो साल तक सुनिश्चित करने का काम किया था ताकि उनको बीच में किसी जगह से बदलने का काम न किया जाए। बाद में, सरकार ने एक केस में इसको बढ़ाने का काम किया है,

मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन यह सीधे-सीधे हमारे देश के संस्थानों की स्वायत्तता को खत्म करने का काम करता है, जो लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। जब हम अपनी स्वतंत्र संस्थाओं को पूरी तरह से सरकार की गिरफ्त में देने का काम करते हैं, तो उससे धीरे-धीरे लोकतंत्र मरने का काम होता है, जो आज हमें हर जगह देखने का मिल रहा है। यह पूरी तरह से एक व्यापक बीमारी की तरह फैलता चला जा रहा है। यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए, इसको एक लार्जर डिबेट पर ले जाने की जरूरत है। आखिर, हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जा रहे हैं? उनके सामने कौन-सी मिसाल रखने का काम कर रहे हैं कि सारी की सारी चीजें, सारी की सारी पॉवर्स एक जगह पर केंद्रित होने का काम करेंगी? चाहे वह सुप्रीम कोर्ट हो, न्यायालय हो या कार्यपालिका हो, क्या सभी को पूरी तरह से एक ही संस्थान के अंतर्गत पूरी तरह से सीमित कर दिया जाएगा? क्या यही हम अपने देश को सौंपना चाहते हैं? मेरा मानना है कि एक जानकार और उसके साथ-साथ जिम्मेदार विपक्ष के होते हुए हमें इसका विरोध करना चाहिए। मैं यहां पर आदरणीय राहत इंदौरी जी का एक शेर पढ़ना चाहूंगा-

इस बार ज़मीन में धुंआ बोया है,
फल नहीं आएंगे अब,
शाखों पर बम बनेंगे।

इस तरह से इन कानूनों को लाकर हम फल की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। हम लोग यहां पर बम डालने का काम कर रहे हैं। आगे जाकर हमारा लोकतंत्र पूरी तरह से विस्फोटक हो जाएगा।

माननीय सभापति : अब आपका समय पूरा हो गया है।

श्री रितेश पाण्डेय : मैडम, मैं खत्म करने वाला हूं। मुझे दो मिनट का और समय दिया जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी पार्टी से अभी एक और व्यक्ति बोलेंगे। …(व्यवधान) इसी के साथ-साथ, अभी …* जी का जो अपाइंटमेंट हुआ था, मैं यहां पर … * जी का नाम ले रहा हूं, उसमें भी अगर हम देखेंगे तो ये जो ऑर्डिनेंस आया है, यह उसी समय लाया गया, जब उनके अपाइंटमेंट को बढ़ाने की जरूरत पड़ी । ऑर्डिनेंस आने के मात्र दो दिन बाद उनके अपाइंटमेंट को कानूनी व्यवस्थाओं को दबाते हुए बदला गया। यह पूरी तरह से एक इल्लीगल कार्य है। अंत में, मैं यही कहना चाहूंगा कि पिछले 7 सालों में देश में जो संस्थाएं और कार्यालय हैं, वे पूरी तरह से अपने कर्तव्यों का निर्वहन इसलिए नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनके ऊपर पूरी तरह से सत्ता का दबाव है । हमें इसका पुरजोर विरोध करके यह सुनिश्चित करना है कि हमारे संस्थान पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हों, पूरी तरह से स्वतंत्र हों ताकि हमारा देश एक अच्छी डेमोक्रेटिक वैल्यूज के साथ आगे बढ़ सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

---

* Not recorded

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Thank you, Madam. I oppose the two Bills, namely the Central Vigilance Commission (Amendment) Bill, 2021 and the Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2021.

The Government has the version that the Bills are a major step to strengthen the top leadership of CBI and ED by fixing their tenures. The apprehension arises that the Government wants to have its own favoured officials to be there to execute their political agenda smoothly. The fact that this very Government had to remove a previous CBI Director overnight since they feared an adverse report on a Defence deal in front of the Supreme Court makes this movement suspicious.

Corruption has been increasing by leaps and bounds in the country. On top of it, the use of black money and unabated increase in financial crimes have also been increasingly posing a great threat to the stability and the financial system of the country. In order to realise the economic and the social rights of the people and also to maintain their faith in the institution of the Government, it is of paramount importance that corruption and financial crimes are effectively tackled in a time-bound manner. It was to tackle the twin menace of corruption and black money in the country that the investigation agencies such as the CBI and the Enforcement Directorate were created in the country. While the CBI was created with the sole motive to deal with the issue of corruption in the country, the ED has the sole jurisdiction of investigating into the offences of money laundering in the country.

Of late, persons and groups are involved in money laundering and corruption. Exposing the unholy nexus of crime and corruption through the investigative activities of the ED and CBI, has become all the more complex. Moreover, it is of paramount importance that the heads of these two agencies and the senior officers of the above-mentioned two investigating agencies, are provided with functional freedom and autonomy to work with the sole motive of rooting out corruption and black money in the country. If this objective has to be achieved, the heads of the two agencies should be absolutely insulated from political interference exerted by the political executive. Tinkering with the tenures of the heads of the two investigating agencies, appointing officers who dance to the tune of the political masters at the whims and fancies of the political executive will only result in a situation wherein the core issue of fight against corruption and black money becomes a mere illusion and on the other hand, the investigating agencies become a tool in the hands of the political masters in settling political scores.

It is by keeping in mind this possibility that the hon. Supreme Court in the landmark Vineet Narain Case in 1998 clearly pronounced that the investigating agency needs paramount insulation against extraneous influence. In the famous case, which came to be known as the Jain Hawala Case, the hon. Supreme Court stated that the tenure of the Directors of the CBI and ED should be fixed as two years so that the agencies are totally insulated from political interference. The extension of the tenure of Director of the ED should

be given only in rare and exceptional cases and that too, only for a short period.

The two Bills presented in the parliament, which allow the extension of the tenure of the Chiefs of the CBI and ED from the existing two years to five years thereby enabling the Government to extend the tenure of the heads of these investigating agencies thrice for a period of one year, totally violates, in letter and spirit, the abovementioned judgment of the hon. Supreme Court which ensured fixed tenure for the heads of the CBI and ED, mainly aimed at insulating them from undue political interference.

To strengthen the institutional bodies like CBI and ED, it must augment their credibility and standing before the people and the courts, which adjudicate the cases which are brought by these agencies. But in some cases, the CBI had made mistakes. For example, appeals filed by the CBI, which are pending before the hon. Supreme Court, have been adjourned more than 24 times during the last three years. It may be recalled that the appeals against acquitting Shri Pinarayi Vijayan, now the hon. Chief Minister, have been adjourned by the hon. Supreme Court.

It is noted that the CBI is inordinately delaying to bring the case before the hon. Supreme Court. To prove the credibility of the CBI, the CBI should take measures to pressurise their advocates or their counsels to present the case before the hon. Supreme Court and take a decision on that.

In this context, to fix tenure of the head of the investigative agencies such as ED and CBI, I raise my strong dissent against fixing their tenure in a piecemeal manner, which would ultimately result in these agencies transforming themselves into mere political tools for settling scores against the Leaders of Opposition.

In this way, the very agencies like CBI and ED are used politically to silence upon and get people on board with the ruling political party for their sake. So, the content of the Bill is to extend the tenure but in practice, this Bill is going to be used by the Ruling Party to suppress the Opposition and their voices.

Again, I oppose the Bill.

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): *Pranam* Madam, with all the force at my command, I oppose these two Ordinances – The Central Vigilance Commission (Amendment) Ordinance, 2021 and the Delhi Special Police Establishment (Amendment) Ordinance, 2021. They are amending Section 25 of the Central Vigilance Commission Act and Section 4B of the Delhi Special Police Establishment Act. The Government of today has always been following the Ordinance route from the first day. When Shri Narendra Modi became Prime Minister, he brought an Ordinance so that Shri Nripendra Misra, former Chairman of TRAI could be appointed as his private secretary. He has followed this Ordinance route since 2014 and he has taken the step now again and he has taken the step to favour his favourite officers. It is sad that ED and CBI are two arms of the Prime Minister or of the present Government. What was so important about *…*[*] ? He was to retire on 17th November, 2021. Three days before his retirement, one Ordinance was brought which said that the Government had the power to extend the tenure of the ED chief to five years and the CBI chief to five years. This was done in a manner which is like dangling a carrot before a *…* * that you will get two years now. If you work for me, I will give you another year. If you still work for me, I will give you another year. If you still work for me, I will give you another year. I have never seen such a malafide legislation in my life, dangling carrots before the *…* * who heads the CBI and the ED. This is utterly violative of all principles of the Constitution and as you know Madam, the Supreme Court Bench headed by

---

[*] Not recorded

Justice L N Rao passed an Order underlining the extension of tenure should be done only in rare and exceptional cases. He said that you just cannot go on giving extensions. The Government has brought this Ordinance to circumvent the Supreme Court Judgement. Is this the way our democracy will function? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा और उसको बायपास करने के लिए कानून लाया जाएगा। ये बोलते हैं कि हमारी 303 सीट्स है तो हम कुछ भी करेंगे। मैडम, यह 303 की संख्या उल्टी भी हो सकती है। This is an example of the dictatorial attitude of the Government. If I may say so that while calling this law very bad, I want to bring certain points to your notice.

` One is that the CBI and ED have both been accused of catering to the political interests of the ruling party. Not one Opposition party has been left out of their grip -- the Congress party, TMC, NCP, Shiv Sena, National Conference, DMK, Socialist Party. Cases have been lodged against members of these Parties. The moment somebody joins the BJP, all his/her cases are forgotten … (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे: श्री ए. राजा के ऊपर किसने केस किया था?… (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : अगर श्री ए. राजा के ऊपर गलती से केस किया गया। …(व्यवधान) सुनिए, श्री ए. राजा के ऊपर अगर किसी ने केस किया तो गलती की। यह बात मैं इस हाउस में बोल रहा हूं। …(व्यवधान)

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE : Two wrongs do not make a right

प्रो. सौगत राय : मैं जानता हूं। …(व्यवधान)

Madam, he is a great votary of Shri …* Director, CBI and …* Director, ED. He is maintaining close relations with them. It does not matter. This House is not for making personal relations. Hon. Member, Shri A. Raja showed the courage. He did not apply for bail till all other people in his case were released. He is a top lawyer. After all other people were released, he applied and got bail. Shri Raja said that he had given licences on `first-come-first-serve' basis to help the poor people. I think, Shri A. Raja vindicated himself and ultimately, he was acquitted. श्री ए. राजा के बारे में किसी ने कोई गलती की तो वह पावर के बाहर है, आप अभी गलती कर रहे हैं, आप भी पावर के बाहर चले जाएंगे। …(व्यवधान) मुझे यही कहना है।

माननीय सभापति : सौगत दादा, इधर एड्रेस करके बोलिए। जितना बोलना है, चेयर को एड्रेस करके बोलए, उधर मत बोलिए।

प्रो. सौगत राय : मैडम, फिर भी मैं बोलूंगा कि यह जो हुआ है, वह खराब हुआ है। ये दोनों संगठन टोटली स्पॉइल किए गए हैं। ईडी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉंड्रिंग एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट देखना है, लेकिन वह उस काम को नहीं करता, सरकार के निर्देश पर लोगों के पीछे पड़ जाता है। पश्चिम बंगाल में कितने लोगों के खिलाफ सीबीआई और ईडी ने केस किया, लेकिन क्या आप लोग जीत पाए? हारकर भूत हो गए। आपके होम मिनिस्टर ने वहां जाकर बोला – अगली बार दो सौ पार। बीजेपी के सब …* लोग कूदकर पश्चिम बंगाल पहुंच गए, लेकिन क्या हुआ? आप हार गए। …(व्यवधान) आपको 100 सीट्स भी नहीं मिलीं। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : दादा, इधर एड्रेस करके बोलिए।

---

* Not recorded

प्रो. सौगत राय : यही हमेशा आपका होने वाला है। सुशील बाबू, आप भी आए थे पश्चिम बंगाल में, क्या हुआ आप लोगों का? हारकर भूत हो गए। …(व्यवधान) आप ज्यादा मत बोलिए। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आपको जो बोलना है**,** सब्जेक्ट पर बोलिए।

प्रो. सौगत राय : श्री ए. राजा जेल गए। क्या हुआ? श्री ए. राजा की पार्टी तमिलनाडु में जीत गई, डीएमके विक्टोरियस हुआ, बीजेपी और उसका एलाई एआईडीएमके हार गए। इस तरह से चलता नहीं है। …(व्यवधान)

मैडम, मैं दुखी हूं इसलिए कि डॉ**.** जितेन्द्र सिंह जी अच्छे आदमी हैं**,** लेकिन आज अच्छा आदमी खराब कानून ला रहा है। मेरा दुख इस बात को लेकर है कि एक अच्छे आदमी को इस्तेमाल करते हैं। मोदी जी क्यों नहीं आते हैं**?** ये उनके दफ्तर के हैं**,** डीओपीटी के हैं**,** लेकिन मोदी जी पार्लियामेंट में एक बार मुंह भी नहीं दिखाते हैं। उनको हम साल में एक बार देखते हैं**,** क्यों? He should have faced Parliament. वे पार्लियामेंट को फेस करने से डरते हैं। मोदी जी क्यों नहीं आते हैं**?** क्या यह बिल पास कराना मिनिस्टर ऑफ स्टेट का काम है? …(व्यवधान)

मैडम, मैं शॉर्ट में बोलूंगा। मेरा उद्देश्य केवल पोलिटिकल अटैक करना था, कानून के बारे में श्री कल्याण बनर्जी ने बताया है। मेरा कहना है कि यह हथियार से चलेगा नहीं, हमने दिखा दिया। बोलते हैं कि इंटरनेशनल कारण के लिए इनको रखना है। आजकल क्राइम इंटरनेशनल है। …* और *… के नहीं रहने से इंटरनेशनल रिलेशनशिप नहीं चलेगी। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : किसी का नाम मत लीजिए।

… (व्यवधान) … *

---

* Not recorded

प्रो. सौगत राय : मैं दस बार बोलूंगा। …(व्यवधान) दस बार बोलूंगा। …(व्यवधान) किस कानून में आप बोलेंगे कि नाम नहीं बोल सकते हैं? … (व्यवधान) उनका नाम है ऑर्डर में, मैंने दस बार पढ़ा है - 353, … * और…* को एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए। यह मैं कहना चाहता हूं।

माननीय सभापति : इसमें से नाम निकाल दीजिए।

… (व्यवधान) *

प्रो. सौगत राय : मैडम, आप तो बोल रही हैं कि नाम निकाल दीजिए। यह भी * … है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप यह प्रूफ कीजिएगा।

… (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैडम, … *… (व्यवधान) हां, मैंने बोला है।

माननीय सभापति : यह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

… (व्यवधान) *

प्रो. सौगत राय : मैडम, यह …* है। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सब्जेक्ट पर आइए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : वह रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ऐसे नहीं होता है।

… (व्यवधान) *

---

* Not recorded

माननीय सभापति : उसे रिकॉर्ड से निकाल दिया गया है।

… (व्यवधान) *

प्रो. सौगत राय : मैडम, *…* * मेरा अभी दस मिनट का समय नहीं हुआ है। * … … (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : सभापति महोदया, इन्होंने प्रधान मंत्री जी के बारे में कहा है कि साल में एक बार चेहरा दिखाते हैं। पहले दिन जब पार्लियामेंट शुरू हुई थी, उस दिन भी आए थे। कोई भी ऐसा बुधवार नहीं है, जिस दिन क्वेश्चन डे हो, उस दिन प्रधान मंत्री जी सदन में उपस्थित नहीं रहे हैं। इनके प्रधान मंत्री भले ही नजर नहीं आते थे, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री जी हमेशा समय पर आते हैं। …**(**व्यवधान**)** जहां तक एक्सटेंशन का सवाल है तो …* को कैबिनेट सेक्रेटरी के नाते इन्होंने दो साल के टेन्योर के बाद भी बिना नियम-कानून के चार साल तक नौकरी दी। यह इस तरह की पार्टी के लोग हैं। इन्होंने चेयर के ऊपर टिप्पणी की है। इनको माफी मांगनी चाहिए। …(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : मैं इस कानून के खिलाफ हूं।

---
* Not recorded

श्री बृजेन्द्र सिंह (हिसार) : सभापति महोदया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने मुझे इन दो अमेंडमेंट्स बिल्स पर बोलने का मौका दिया है। बैकबेंचर को थोड़ा ही टाइम मिलता है और जब तक उसका नंबर आता है, तब तक जो भी कहा जाना चाहिए होता है, सब कुछ कहा जा चुका होता है। मुझे जो समय मिला है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी बात आप सबके समक्ष रख सकूं।

मैडम, सीधी सी बात यह है कि आज हम इन अमेंडमेंट बिल्स पर डिस्कस कर रहे हैं, यहां हम कैसे पहुंचे? एक सीरिज है, बंच ऑफ जजमेंट्स है, चाहे वह विनीत नारायण केस हो या प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इण्डिया के दो केसेज़ हों और एक केस और था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही आदेश में थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन दी। इसमें चाहे सुब्रह्मण्यम केस हो और उसके बाद वर्ष 2019 का आलोक वर्मा का भी केस है। …(व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी (श्रीरामपुर) : मैडम, निशिकांत दुबे जी इधर आकर क्यों बैठते हैं, उनकी सीट उधर है। जब हम लोग बोलते हैं तो निशिकांत दुबे जी इधर आकर बैठ जाते हैं। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप बैठ जाइए। अब वे दादा के बगल में बैठ गए हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : निशिकांत जी, आप अपनी जगह पर जाइए।

श्री बृजेन्द्र सिंह : मैडम, एक कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इण्डिया का केस था, उसका जजमेंट सितंबर, 2021 में आया। मैं इस चीज़ को दुर्भाग्य मानता हूं कि किस संस्था के प्रमुखों की क्या ड्यूरेशन होनी चाहिए, उनका कितना टेन्योर होना चाहिए, इसकी डायरेक्शंस ज्यूडिशियरी से आए, बजाय इसके कि उसकी इनिशिएशन और उसके ऊपर संसद फैसला ले। यह एक तरह का फैशन बन गया है कि किसी भी तरह से एक्जिक्यूटिव की जो शक्तियां है, एक्जिक्यूटिव का जो रोल है, उसको शनै: शनै: कम किया जा सके। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम यह नहीं देख पा रहे हैं कि

इससे सबसे ज्यादा हनन डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट की सुप्रिमेसी का है । मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करना चाहूंगा । वह अमेरिका की एफबीई एजेंसी के डायरेक्टर का है । ऐडगर हूवर 48 साल तक एफबीआई के डायरेक्टर रहे ।

वहां यह स्थिति थी कि उससे राष्ट्रपति डरते थे ।...(व्यवधान) मैं जिस बात पर आ रहा हूं, आप उसे सुन लीजिए । मैं यह कहना चाह रहा हूं कि उसके बाद घटा कर उनकी मियाद 10 साल निर्धारित की गई, लेकिन हमारे यहां खुला खेल था । उसके लिए कोई टेन्योर नहीं था, सरकार के ऊपर निर्भर करता था कि जिसको जितने समय के लिए एक्सटेंशन देनी है, दे दीजिए । उसके लिए कोई नियम-कानून नहीं था । माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत जजमेंट्स आए हैं । कम से कम दो साल के टेन्योर के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक डायरैक्शन है, उसको आगे बढ़ाया जा रहा है । उस टेन्योर को बढ़ा कर पांच साल किया जा रहा है, up to one year at a time. इसमें भी मीन-मेख निकाले जा रहे हैं । इसमें सरकार की नीयत या बदनीयति कहें, उसके बारे में चर्चा की जा रही है । यहां कहा गया है कि यह आर्बिट्रेरी है, institutional integrity compromise हो रही है, इसमें political interference है । मेरा सीधा-सा सवाल है कि एक वह स्थिति थी, जब कोई टेन्योर ही नहीं होता था, तब तो डेमोक्रेसी खतरे में कभी नहीं थी, लेकिन अब जब टेन्योर्स हैं, तो डेमोक्रेसी खतरे में हो गई और डेमोक्रेसी किन लोगों से खतरे में हो गई, जिनको प्रोफेसर साहब ... * कह रहे थे । मैं भी उसी जमात से आता हूं । यदि आपको अपने अधिकारियों और अपनी राजनीतिक व्यवस्था पर इतना ही विश्वास है, तो उसके बारे में आदमी आगे और क्या बहस कर सकता है?

यह कहा गया कि इसमें आर्बिट्रेरीनेस है । जो कमेटी ओरिजनल अप्वाइंटमेंट करवाती है, रेकमेंड करती है, उसी कमेटी के द्वारा एक्सटेंशन करने का प्रावधान भी इसमें किया गया है । उसमें राइटिंग में रीजन्स देने का प्रावधान किया गया है और उसको पब्लिक इंट्रेस्ट में किया गया है ।

* Not recorded

उसके बावजूद भी यह सोच है कि यह सरकार अपने मन-मुताबिक कर लेगी। क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सरकार के मन-मुताबिक चलते हैं, क्या Leader of the Opposition या leader of the single largest opposition party सरकार के हिसाब से चलते हैं। सभी इसके सदस्य हैं। आप सवालिया निशान सरकार के ऊपर नहीं लगा रहे हैं बल्कि इस इंस्टीट्यूशन पर लगा रहे हैं। जो कमेटी स्थापित की गई है, वह इसके ऊपर क्या जाएगी? जिनको सेलेक्ट करेंगे, क्या वह उन इंसानों को चांद से लेकर आएगी? पूरी दुनिया में एग्जेक्यूटिव का काम किया जाता है, लेकिन यहां पर इसमें judiciary and Leader of the Opposition को इंवॉल्व किया गया है, इससे आगे और कहां जाएंगे?

यदि आप Directorate of Enforcement की भी बात करेंगे तो उसमें भी Central Vigilance Commission कमेटी मेम्बर हैं। सरकार के तीन-तीन सीनियर मोस्ट सेक्रेट्रीज, होम सेक्रेट्री, रेवेन्यू सेक्रेट्री और सेक्रेट्री, डीओपीटी उसके सदस्य हैं। ऐसा नही है कि piecemeal extension सरकार करेगी। यह काम कमेटी को करना है, वही कमेटी जिसने उस व्यक्ति को उपयुक्त पाया था और उस पद को ग्रहण करने के लिए रेकमेंड किया था। ऐसा क्या है कि अगर उसकी टर्म दो सालों तक है, तो वह ठीक है, लेकिन अगर वही कमेटी उसको एक्सेटेंशन देती है, तो वह डाउटफुल इश्यू हो गया। ऐसे कुछ विषयों पर हमें ध्यान देना चाहिए। इस मुद्दे में बार-बार यह चीज निकल कर आई है कि यह निजी कारणों से किया जा रहा है। किसी एक विशेष अधिकारी को एक सीट पर रखने के लिए किया जा रहा है। यह मुद्दा इंस्टीट्यूशनल है। वह व्यक्ति आज है, कल नहीं होगा, दो साल बाद नहीं होगा, लेकिन इंस्टीट्यूशन तो हमेशा के लिए है। निशिकांत दुबे जी ने अभी जिक्र किया है कि एक महीना रिटायरमेंट से पहले कैबिनेट सेक्रेट्री अप्वाइंट हुए और उसके बाद वह तीन सालों तक कैबिनेट सेक्रेट्री रहे। यहां पर यह भी कहा गया कि इसका ripple down effect नीचे वालों पर होता है। जिनका नम्बर इस पोस्ट के लिए लग सकता था, उनका हक मारा जाएगा।…(व्यवधान)

एक ऐसे आदमी जिनकी एक माह की सर्विस बची थी, उनको कैबिनेट सेक्रेट्री जैसे पोस्ट पर नियुक्त के लिए बाकियों के राइट्स की तिलांजलि दी जा सकती है, लेकिन यहां पर इनको याद आ रहा है कि नीचे के चार-पांच बैंचों का नुकसान हो जाएगा, पर किसी का नुकसान नहीं होगा। कर्नल राठौड़ ने अपने वक्तव्य में कहा था कि ये selection posts हैं, promotional posts नहीं हैं कि आप उस स्तर पर पहुंच जाएंगे, तो आपका यह बनना निश्चित है। जब मैं एकेडमी में था, तो किसी भले अफसर ने हमें समझाया था कि बेटा, तीन चीजें हैं, जो अंत में डिसाइड करेंगी कि तुम्हें टॉप पोजिशन मिलेगी या नहीं।

18.00 hrs

पहली चीज़ `लक` है, दूसरी `कॉम्पिटेन्स` है और तीसरी `आपकी डेट ऑफ बर्थ` है द्य यह मौके की बात है कि किसका नंबर लगे या न लगे । अंत में यह इश्यू आया था कि इसे ऑर्डिनेंस के माध्यम से क्यों लाया जाए? मैं इसे आदरणीय मंत्री जी के लिए छोड़ दूंगा । मुझे विश्वास है कि वे इसका भरपूर जवाब देंगे। …(व्यवधान)

माननीय सभापति : आप सबकी राय हो तो सभा का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाए?

… (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : जी हां। …(व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह : मैडम, मेरी बात खत्म हो गई है, सिर्फ 15 सेकेंड्स दे दीजिए। …(व्यवधान) मैं इस संबंध में बेंजामिन फ्रैंकलिन को क्वोट करूंगा।

I quote:

> "Remember not only to say the right thing in the right place, but far more difficult still to leave unsaid the wrong thing on the tempting moment."

Madam, for quite some time, it has become fashionable in our country to belittle and diminish the Executive. I am all for legislative oversight and legal scrutiny on actions of the Executive. But it pains when other institutions try to encroach upon or usurp the role and authority of the Executive and even the Legislature. This is a Bill in the right direction. It does not whittle down the autonomy of these institutions in any way; rather it seeks to strengthen the institutional stability and continuity.

With these words, I support these two Bills.

SHRI KURUVA GORANTLA MADHAV (HINDUPUR): Madam Chairperson, being the premier investigating agency of India, the Central Bureau of Investigation was originally set up to investigate bribery and governmental corruption. With the ever-increasing nature of serious crimes, CBI has expanded its jurisdiction to investigate breaches of Central laws, multi-State organized crime, multi-agency or international cases with emphasis on economic crimes, and also special crimes and cases of corruption.

18.02 hrs (Shri N. K. Premachandran *in the Chair*)

I would like to highlight the positive aspects of the Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2021. This Bill forms a crucial step in the right direction which would ensure the provision of a stable tenure to the Director of CBI as well as it will give a further push towards operational autonomy within the governmental system. The extension of tenure of the Director could be a welcome step to enhance the recruitment policies of the organisation to ensure an unbiased and unfavoured work force. Further, the provision of a statutory status to the agency, similar to that of the Comptroller and Auditor General and the Election Commission, will help maintain the independence of the institution. The Parliamentary Standing Committee recommendations made in 2007 on the promulgation of a separate Act is in tune with the requirement of the time to ensure credibility and impartiality. Long

duration of tenure to the Director discourages corrupt people in indulging in anti-social and anti-national activities. It will reduce abuse or misuse or evasive use of authority of wrong doers and make them accountable for their acts and deeds if done unlawfully. It will reduce scope for tampering in the documentary and circumstantial evidence. It will help in developing appropriate and sequential strategies in office and field works.

The disadvantages in this regard are that if too much power is given to the Director without any checks and balances, it will lead to arbitrary acts and illegal self-enrichment.

With these words, I thank you.

SHRI ASADUDDIN OWAISI (HYDERABAD): Mr. Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity.

Sir, I stand to oppose both these Ordinances and I must say that, in my short political career, I have not seen such an audacious attempt to undermine a judgement of the Supreme Court. These two Ordinances are in contravention of the judgement of the Supreme Court.

This Government is utterly in contempt of court. That is para 23 of the Common Cause Judgment, which has been mentioned by you, Mr. Chairman, and also other hon. Members.

Sir, this is also an issue of independence of investigative authorities. Fixed tenure cannot be on the basis of whims and desires of the present Prime Minister. The extension can only be given if the behaviour is good. Now, this Ordinance creates an in-built mechanism of control in it so that both the Directors must subordinate themselves to the present Government.

Thirdly, Sir, the CBI was called as 'caged parrot' by an observation of the hon. Supreme Court. But this Ordinance wants to take away even the vocal cord of the CBI. This will take away the vocal cord of the CBI, and the extension of tenure will be given as a ... * That is what this Ordinance wants to do.

---

* Expunged as ordered by the Chair.

In a Constitutional democracy, Sir, post cannot be treated as a patronage. They are creating a system where they have encouraged patronage. In 2013, the then CM, Mr. Modi had called the CBI as 'the Congress Bureau of Investigation'. Can the Government say what reforms they have brought in the CBI?

Sir, instead of reforms, they have brought an Ordinance to increase the CBI and ED dependence on the Government. How many cases were filed by the CBI against their own officials? There were corruption charges against them. In the last 10 years, 60 cases were filed against seven IPS officers who were deputed. Only four of its officials were convicted in 60 cases. Out of these 10 years, seven years are of this Government. This really shows what steps they have taken. If an investigation is done on the basis of the political masters, then the independence goes away.

Sir, you know for a fact that every constitutional power is coupled with duty. Now, that is an accepted principle of administrative and constitutional law. But the reality is that the power to investigate has become the power to harass. The 'duty to victims' has been replaced with the 'duty to please their political bosses'.

I can give an example, Sir. The CBI was investigating the criminal case on demolition of Babri Masjid. The court exonerated all the accused. Why did they not file an appeal? They did not file an appeal because the CBI officers

owe their existence to their ideological political masters. But they will file an appeal against Shri Raja. Why? It is because he is a *dalit*.

I will give you another example, Sir. In the then Andhra Pradesh, the then DGP wrote one letter against a Congress leader, that was signed by a Congress MLA, and posted it to the High Court, and the CBI investigated it. Now, that person is on a constitutional post.

I can give you another example. An MP of Rampur is in jail. Why? It is because when he was a Minister and he did appointments. But what about his Chief Minister? They do not want to go against the ex-Chief Minister, but they want to go against the MP of Rampur!

Sir, if they are really interested in the independence of the CBI, they should remove Section 6A of the DSP Act and Section 26 of the CVC Act. But they do not want to do it.

Sir, I would give you another example showing how the Government is controlling the CBI. I would quote about the appointment letter of the present CBI Director and the appointment letter of the then CBI Director in 2019. Please give me one minute. I want to quote it.

In the May 2021appointment of the present Director, it says: "…for a period of two years from the date of assumption of assumption of charge of the office or until further order, whichever is earlier." The notification says that the ACC approval is based on panel recommended by the Committee.

Now, in 2019, I will read what it says. It says: "The Appointments Committee of the Cabinet has, based on the panel recommended by the Committee, constituted as per Section 4 of the DSP Act, approved the appointment of so and so as Director CBI for a period of two years from the date of assumption of the charge of the office."

But this is not mentioned in the present appointment of May 2021. Why? It is again because they want to keep that person on their discretion. If he does not act, remove him.

Sir, I would conclude by asking the Government that these Ordinances will be stuck down -- this is my opinion -- in NJAC. They are not reading the writing on the wall. They passed two farm laws. People have not accepted them, and they have withdrawn them. What are they doing? They came to power because of the Lokpal movement. What has been the development on Lokpal? This Government is not reading the writing on the wall.

I will oppose this Bill. They are getting carried away in power. Power is not eternal. Today, they are in power; tomorrow they will not be there.

You are making five years. Tomorrow, if Congress or any other party comes into power, you should not shout or complain because you have created a double-edged sword which will also hit you badly. You are not going to be there forever. Very soon you will be coming here insha' Allah. But you are creating such a system of control where every political party uses it.

That is why, Sir, I oppose these two Ordinances. I hope, wisdom will dawn on the Government. After withdrawing the farm laws, I was expecting that a saner position would be taken by the Prime Minister but this Government is drunk on power and arrogance. They will face the wrath of the people. Thank you.

श्री हनुमान बेनीवाल (नागौर): सभापति महोदय, मैं सदन में आज केन्द्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021 पर हो रही चर्चा में भाग लेने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। लोकहित में ईडी और सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने के उद्देश्य को लोकहित में बताया गया है। मेरे से पूर्व के विद्वान वक्ताओं, जो विपक्ष में थे, उन्होंने सत्ता-पक्ष पर आरोप लगाए और जो सत्ता-पक्ष में थे, उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाए। यह सही है कि सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन कहीं न कहीं स्वतंत्र एजेंसियों के ऊपर भी किसी की कमान होनी चाहिए। जब स्टेट गवर्नमेंट की बात होती है, तो मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मेरे साथ एक केंद्रीय मंत्री थे। हमारे ऊपर हमला हुआ। उस मामले की आज तक एफआईआर लॉज नहीं हो सकी है। अगर दिल्ली में कोई आदमी अपील नहीं करेगा, कहीं नहीं जाएगा तो स्टेट गवर्नमेंट जिसके खिलाफ होगी, उस आदमी को वह रगड़कर रख देगी। अत: सीबीआई को भी बिल्कुल स्वतंत्र नहीं होना चाहिए और इस पर केन्द्र का नियंत्रण रहना चाहिए।

महोदय, मैंने तो यह भी कहा था कि कॉलेजियम में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के मनोनयन में भी सरकारी हस्तक्षेप होना चाहिए॥ हमारे यहां लोकतंत्र है और सबसे बड़ी विधायिका है। हम लोग यहां बैठे हैं, इसलिए विधायिका सबसे बड़ी है, यह मैसेज पूरे देश में जाना चाहिए। मैं सरकार से एक बात पूछना चाहूंगा कि 3 दिन पहले आप ईडी के डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने का अध्यादेश लेकर आ रहे हैं। इसमें कौन-से लोग हैं, मंत्री जी जब जवाब दें तो इसके बारे में जरूर बताएं। मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दुर्लभ मामलों में ही कार्यकाल बढ़ाया जाए, ऐसे में ऐसी कौन-सी स्थिति बन गई और इसे लाना क्यों आवश्यक हुआ, यह माननीय मंत्री जी कृपया बताने का कष्ट करें। विपक्ष के माननीय सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट की भावना का उल्लेख करते हुए इन बिलों का विरोध किया। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वर्ष-2013 में जब यूपीए की सरकार थी, तब कोल फील्ड आवंटन के मामलों की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उस समय सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता बताया था। वे सभी माननीय

सदस्य तो अपना भाषण देकर चले गए, अब मैं यह बात किसको सुनाऊं? ओवैसी साहब तो थर्ड फ्रंट में आते हैं।

महोदय, इस बात को याद रखना चाहिए । माननीय मंत्री जी ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021 के बारे में कहा, इस बारे में मैं विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि कई माननीय सदस्यों ने इस बारे में अपनी बात पहले ही कह दी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि लोगों का विश्वास सीबीआई जैसी संस्था पर बहुत अधिक है। आज भी स्टेट में जब कोई आंदोलन होता है और हम वहां पहुंचते हैं, तो लोगों की सबसे पहली डिमांड यही होती है कि सीबीआई जांच कराई जाए। यह सही है कि सीबीआई में इतने ज्यादा मामले हो गए हैं, जिस कारण सीबीआई समय पर उन मामलों का खुलासा नहीं कर पा रही है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त स्टाफ और तंत्र नहीं होगा, लेकिन आज भी इस देश के आम नागरिक को सीबीआई पर भरोसा है। सीबीआई जांच ही उनका सबसे बड़ा भरोसा है।

महोदय, न्याय समय पर न मिलना भी अन्याय ही है। सीबीआई के पास लंबित मामलों की संख्या ज्यादा है, इसलिए उनका निस्तारण जल्द से जल्द कैसे हो, उस पर ध्यान दिया जाए। अगर संसाधनों और स्टाफ की कमी है, तो सरकार उनको पूरा करे। 1 दिसम्बर, 2021 को मेरे सवाल के जवाब में दिए गए सीबीआई के लंबित मामलों की तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें आपने बताया कि 25 नवम्बर, 2021 तक सीबीआई के पास राजस्थान से जुड़े 25 मामलों और अन्य राज्यों से जुड़े 1256 मामलों की जांच लंबित है। मैं इस संदर्भ में मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बाड़मेर जिले में कमलेश प्रजापत नामक व्यक्ति का फर्जी एनकाउंटर हुआ, जिसमें राजस्थान सरकार के एक पूर्व मंत्री और उनके परिजनों का नाम आया। इसकी जांच सीबीआई कर रही है। उसी पूर्व मंत्री के इशारे पर इससे पहले मेरे तथा कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस

सदन में किया था। कमलेश प्रजापत फर्जी एनकाउंटर की जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए, ताकि आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जाएं।

महोदय, इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान के पाली जिले के फालना में 23 नवम्बर, 2016 को मनोहर राजपुरोहित नामक छात्र का अपहरण हुआ था। राजस्थान सरकार की जांच एजेंसियां अभी तक उस बालक को ढूंढ पाने में नाकाम रही है। उनके परिजनों की मांग और जनता के दबाव पर राजस्थान सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा भेजी, लेकिन आज तक सीबीआई ने इस मामले में जांच शुरू नहीं की है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस मामले को लेकर सीबीआई से जवाब तलब किया है। अत: मेरा अनुरोध है कि ऐसे संवेदनशील मामले की जांच त्वरित प्रभाव से शुरू की जाए।

महोदय, इसी प्रकार 21-06-2009 को राजस्थान के चक राजासर (नोहर) में एक हत्याकांड हुआ, जिसमें तीन लालचन्द सुथार, उसकी पत्नी सरोज व सिमरन तथा नीथा (उसकी बेटी) की हत्या हुई। 28-09-2016 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, लेकिन आज तक कोई नतीजा नहीं निकला मतलब 6 साल हो गए हैं। मैं सरकार से माँग करूँगा कि इसके अंदर सीबीआई जल्दी से जल्दी नतीजा निकाले।

महोदय, मेरा एक निवेदन और है कि हाल ही में जोधपुर में वाल्मीकि समाज के एक युवक लवली कंडारा को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया गया, जो मुख्यमंत्री के इलाके के अंदर आता है। वहाँ बड़ा आन्दोलन हुआ, मैं खुद वहाँ गया और वहाँ सीबीआई जाँच की माँग की गई, क्योंकि उसको 7 या 8 गोली मारी गयी थीं। गाड़ी के अंदर नजदीक से गोली मारी गयी थी।

महोदय, मुझे एक मिनट का समय दीजिए। आप भी सिंगल मेंबर पार्टी हैं। हम भी ऐसे ही हैं।

माननीय सभापति : आपने 5 मिनट माँगे, लेकिन आपको बोलते हुए 7 मिनट हो गए हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल : आप इतना ध्यान रखिए। मुझे मात्र एक मिनट दीजिए।

लवली कंडारा हत्याकांड की सीबीआई जाँच हो । मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब बोफोर्स घोटाला हुआ था, तब हम स्कूल, कॉलेज में पढ़ा करते थे । हाई कोर्ट ने सीबीआई को टेक्निकल ग्राउंड पर उस केस को क्लोज करने की बात कही थी, लेकिन सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाना चाहती थी।

माननीय सभापति : ओके।

श्री हनुमान बेनीवाल : सरकार ने सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोका ताकि क्वात्रोची का जो पैसा फ्रीज किया, वह पैसा बाहर निकल जाए और उसका अरबों-खरबों रुपया बाहर निकल गया, जो इनका रिश्तेदार था।, वह पूरी दुनिया जानती है। उस समय पूरे वर्ल्ड के अंदर बोफोर्स घोटाले की गूँज थी। उससे सरकार चली गई, कई मंत्री चले गए।

माननीय सभापति : धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल: इन्होंने भी सीबीआई का बहुत दुरुपयोग किया। जिसका मौका लगा, उसने मौके पर चौका लगाया। धन्यवाद।

माननीय सभापति : बेनीवाल जी**,** आप सपोर्ट करते हैं या अपोज करते हैं**?**

श्री हनुमान बेनीवाल: मैं बिल का समर्थन करता हूँ।

माननीय सभापति : ओके।

*__DR. D. RAVIKUMAR (VILUPPURAM):__ Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I oppose these two Amendment Bills.

The hon. Guwahati High Court had pronounced in its verdict that CBI was an illegally formed institution. After that, immediately a stay was obtained from the hon. Supreme Court in this regard. That is the reason why CBI continues to exist in this country. After being termed as an illegal institution by a High Court and thereafter an order of the hon. Supreme Court against that verdict, this Bill, which aims to extend the tenure of the Director of CBI, is being brought here in this august House.

The hon Supreme Court itself, in a case, termed CBI as a 'caged bird'. Many hon. MPs made a mention about this in this august House. In Tamil Nadu, parrots are used for fortune telling, which is called as parrot astrology. Parrots will be picking up the fortune cards. Similarly, CBI been made to do the work assigned by the Government.

In 2021 August, the High Court bench headed by Justice Kirubakaran and Justice Pugalendhi, in a verdict said that CBI should be allowed to function independently by the Union Government. Only when CBI functions independently, it can investigate the cases and can prevent crimes.

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

The Reports of National Crimes Records Bureau say that every year the atrocities against the SCs and STs are on the rise. CBI also investigates certain cases related to atrocities against SCs and STs. If we see whether CBI has investigated such cases very seriously or ensured that the culprits are punished, the answer remains a big ‘No’. Therefore, the stark reality is that CBI has become an organization used by the ruling dispensation for carrying out their political agenda.

As per a verdict of the Madras High Court, the CBI should be allowed to function independently. We have several autonomous institutions in India like the Election Commission of India. Similarly, CBI should be made an autonomous Body.

If the Government takes steps in this regard making CBI an independent institution, we will definitely support those initiatives. But this Amendment Bill is aimed to keep CBI under the political control of the Union Government. That is the reason for which we are opposing this Bill. I therefore urge that CBI should be made to function independently and it should be given an autonomous status. Thank you for this opportunity.

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी (**कटिहार**): माननीय सभापति महोदय, आज मैं महत्वपूर्ण बिल पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये बिल हैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग –(संशोधन) बिल, 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021. महोदय, आखिर इन बिलों को क्यों लाना पड़ा? भारत सरकार इन बिलों को क्यों ला रही है? इन पर लम्बा विचार-विमर्श और बहस हुई है। आज इनकी उपयोगिता को पूरा देश भी महसूस करता है और हम लोग यहां सदन में भी महसूस करते हैं। सरकार जिस पारदर्शिता के साथ इन बिल्स को लाई है, उसको हम सब महसूस कर रहे हैं।

केंद्र सरकार पिछले महीने 14 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए एक अध्यादेश लाई थी। उस अध्यादेश में राष्ट्रपति महोदय की सहमति भी हो गई, मंजूरी हो गई। अब उस अध्यादेश को इस विधेयक के माध्यम से संसद में पेश किया गया है, जिसका मैं और मेरी पार्टी समर्थन करती है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) बिल के जरिए ईडी प्रमुख का कार्यकाल पाँच साल का होगा। अभी तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख का कार्यकाल दो साल का होता था, लेकिन बिल के पास होने पर प्रमुख का कार्यकाल पांच साल होगा। इस कानून के बनने के बाद दो साल के बाद एक-एक साल का एक्सटेंशन दिया जाएगा। इसमें कौन सी परेशानी है, कौन सी बड़ी बात है? ईडी प्रमुख को चुनने का काम कौन करते हैं? इसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? इस पर भी गौर करने की जरूरत है। इस विधेयक में केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 25 में एक क्लॉज़ जोड़कर अब पहले के दो साल के कार्यकाल को पांच साल की अवधि तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

सभापति महोदय, वर्ष 2006 में ऐसा कुछ नियम भी आया है। प्रकाश सिंह, पूर्व डीजीपी, उत्तर प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में पुलिस सुधारों को, जो राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशें थीं, को लागू करने के लिये एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। उसके निस्तारण में सुप्रीम कोर्ट ने

यह कहा था कि पुलिस महानिदेशक का कार्यकाल तय होना चाहिए। यदि वे अपनी अधिवर्षता यानी 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तब भी उन्हें कम से कम दो साल का कार्यकाल मिलना चाहिए। उसी के बाद केंद्रीय पुलिस बलों में जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ और शीर्ष जांच एजेंसियांसीबीआई –, एनआईए के प्रमुखों पर भी यह आदेश लागू होगा। ईडी के निदेशक की नियुक्ति डीजीपी के समकक्ष होने के कारण इनको दो वर्ष की अवधि का विस्तार दिया गया था।

सभापति महोदय, सीबीआई निदेशक की नियुक्ति कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है कि प्रधान मंत्री जी ने उनका मनोनयन कर दिया और आसानी से हो गया। उनकी नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज, लोक सभा के प्रतिपक्ष के नेता की एक कमेटी होती है और कमेटी के माध्यम से योग्य व्यक्ति की नियुक्ति होती है तो उनको एक्सटेंशन देने में कहीं कोई बात नहीं है। डीपीजी और संवेदनशील जाँच एजेंसियों के प्रमुखों के तयशुदा कार्यकाल रखने के पीछे सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा रही है।

सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी कि एक तयशुदा कार्यकाल इनको मिलना चाहिए। …(व्यवधान) थोड़ा सा समय और दीजिए। …(व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON : Please conclude. One Member from your party has already spoken.

… (व्यवधान)

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी : महोदय, पहले हमारी पार्टी से केवल एक सदस्य ने ही बोला है, अभी छह मिनट का समय पार्टी का बचा है। सुप्रीम कोर्ट की मंशा थी कि एक तयशुदा कार्यकाल इनको मिलना चाहिए। इसमें भारत सरकार की कोई मंशा खराब नहीं है। अगर यह कानून बनने जा रहा है और भारत सरकार अवधि विस्तार कर कर रही है तो यह देश के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था हो रही है। इसका प्रयोग आने वाले दिनों में भी निरंतर होता रहेगा। इसके कंटेंट पर भी लोगों ने,

चाहे विनीत नारायण केस हो, प्रकाश सिंह केस हो, इसके बारे में भी कई माननीय सदस्य ने कहा है।

माननीय सभापति : अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

… (व्यवधान)

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने की ओर हूँ। सभापति महोदय, सरकार की मंशा साफ है और आप बार-बार कह रहे हैं कि समय भी बहुत हो गया है, इसीलिए इस बिल के लागू होने से भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, काला कानून …(व्यवधान)

माननीय सभापति : धन्यवाद। अब आप कनक्लूड कीजिए।

सु**श्री** सुनीता दुग्गल जी।

श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी : महोदय, इसके साथ-साथ मैं दोनों बिलों का समर्थन करता हूँ और सरकार को धन्यवाद देता हूँ।

सुश्री सुनीता दुग्गल (**सिरसा**): सभापति महोदय, मैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन अमेंडमेंड बिल, 2021 और दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेबलिशमेंट अमेंडमेंट बिल, 2021 के समर्थन में बोलने के लिए यहां पर उपस्थित हुई हूँ। सर, आपने ही इस बिल की चर्चा पर बोलने की शुरूआत की थी। तब आप हमारे आदरणीय मंत्री जी से कह रहे थे कि वे इस बिल को देख कर स्माइल कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद ही अधीर रंजन जी कह रहे थे कि मंत्री जी अब आप स्माइल नहीं कर रहे हैं। मैं तो सोच रही थी कि यह कितना मुश्किल काम है कि एक कह रहे हैं कि आप स्माइल कर रहे हैं, दूसरे कह रहे हैं कि आप स्माइल नहीं कर रहे हैं तो वे स्माइल करें कि नहीं करें।

महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि इस बिल में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसको हम समर्थन न करें। हालांकि मैं हैरान हो रही थी कि हमारे मनीष तिवारी जी ने जिस तरह से सीबीआई ऑर्गन के ऊपर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उन्होंने कहा कि सीबीआई की ज़रूरत ही क्या है। यह तो बहुत टाइम से सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि सीबीआई को खत्म ही करना चाहिए। हमारे हनुमान जी भी ठीक बात कह रहे थे कि आप कहीं पर भी देखिए, कहीं कोई भी बात राज्य में होती है और वहां सैटिसफेक्शन अगर उनको नहीं होती है। …(व्यवधान) अब यह इनसे पूछिए न कि एक कह रहे हैं कि मंत्री जी स्माइल कीजिए, दूसरे कह रहे हैं कि मंत्री जी आप स्माइल क्यों कर रहे हैं। वे मंत्री जी बेचारे इतनी दिक्कत में आ गए कि हम स्माइल करें कि नहीं करें। …(व्यवधान) तो मैं बता रही थी कि जैसा कि हनुमान जी ने बताया कि जहां कहीं पर भी किसी को थोड़ी सी भी डिससैटिस्फैक्शन होती है तो उनको यह लगता है कि राज्य सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है तो हमें सीबीआई से उसकी जांच करवानी चाहिए। सीबीआई की जो ऑथेंटिसिटी है, उसके ऊपर जो ट्रस्ट है, उस पर हम बिल्कुल क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते हैं।

आदरणीय सभापति महोदय, अगर हम पिछला रिकॉर्ड निकाल कर देखें तो मैं बिना नाम लिए आपके बताऊंगी कि सबसे पहले 19.08.1957 से लेकर 17.01.1965 तक एक ही डायरेक्टर रहे। उसके बाद दूसरे नंबर पर 24.08.2005 से 18.08.2008 तक एक डायरेक्टर

रहे। 18.08.2008 से ले कर 29.02.2012 तक एक डायरेक्टर रहे। इन पांच डायरेक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, जिनका टेन्योर 7-8 सालों तक भी रहा है। इनके अलावा 23.03.2012 से ले कर 20.08.2015 और 20.08.2015 से ले कर 27.10.2018 तक भी डायरेक्टर रहे। एक अधिकारी तो ऐसे हैं, ED में स्पेशल डायरेक्टर की कोई पोस्ट नहीं होती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उनको स्पेशल डायरेक्टर की पोस्ट दी। उन्हीं अधिकारी को ही हमारी सरकार ने बाद में अंतरिम डायरेक्टर बनाया। उसके बाद उनको फुल फ्लेज्ड डायरेक्टर बना दिया। आपने नोटिस किया होगा कि कांग्रेस ने इतने सालों तक राज किया, जो भी अधिकारी उस समय थे, किसी को भी तब्दील नहीं किया। उन्हीं अधिकारियों से किस तरह से काम लेना है, यह माननीय प्रधान मंत्री जी ने हम सबको कर के दिखाया और प्रधान मंत्री जी बिल्कुल साफ सुथरी बात कहते हैं कि अधिकारी वही हैं, हमें काम कैसे लेना है यह देखना है और अधिकारी भी बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। मैं खुद भी एक अधिकारी रही हूँ। हमारे माननीय सदस्य ब्रिजेन्द्र सिंह जी भी अधिकारी रहे हैं । मुझे एक बात बहुत ही बुरी लगी। इसका मैं ऑब्जेक्शन करना चाहती हूँ। अभी सौगत राय जी ने क्या कहा? ऑफिसर्स के लिए उन्होंने …*शब्द का इस्तेमाल किया। मुझे लगता है कि हम सभी को उनकी इस बात के लिए ऑब्जेक्शन करना चाहिए। क्योंकि, बहुत मेहनत करने के बाद हमारे ऑफिसर्स का सेलेक्शन होता है और उसके बाद वे देश के लिए काम करते हैं। पुलिस फोर्स भी इसी तरह से काम करती है। उन्होंने हमारे ऊपर व्यंग्य भी किया । वह कह रहे थे कि बी.जे.पी. के जो 303 सदस्य हैं, यह अब उल्टा होने वाला है। अगर 303 उल्टे भी हो जाएंगे तो हम 303 ही रहने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया होगा।

महोदय, मैं यह कहना चाह रही हूँ कि हमें इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो दो साल का टेन्योर था, उसको बढ़ाया जाना है । हमारे एक ऑनरेबल एम.पी. साहब ऑब्जेक्शन

---

* Not recorded

कर रहे थे जैसे कि अकेले प्रधानमंत्री जी इसके अंदर सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है बल्कि पूरी कमेटी है। चाहे हम सी.बी.आई. की बात करें, चाहे सी.वी.सी. की बात करें, दोनों के अंदर बकायदा कमेटी है। सी.वी.सी. के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स हैं। सी.बी.आई. के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी है और चीफ जस्टिस है, इसके साथ ही अभी विपक्ष के लीडर भी इसके अंदर है। इसके बावजूद भी इनको दिक्कत है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इससे ज्यादा क्लियर चीज क्या हो सकती है। …(व्यवधान)

महोदय, मैं अपनी बात कंक्लूड कर रही हूँ। हमारे आदरणीय सत्यपाल जी ने बताया कि एफ.बी.आई. के एक अधिकारी व डायरेक्टर 48 साल तक रहे। एक अधिकारी रॉबर्ट जी 12 साल तक रहे, जिनका इन्होंने जिक्र किया।

महोदय, अभी हमारे रितेश जी एक बड़ा अच्छा शेर सुना रहे थे, मैं भी उसका जवाब देकर अपनी बात कंक्लूड करना चाहूँगी। उन्होंने कहा कि

इस बार ज़मीन में धुंआ बोया है,
फल नहीं शाखों पर बम लगेंगे।

जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई है, हम सब लोगों की सरकार आई है, बी.जे.पी. की सरकार आई है, तब से आपने देखा होगा कि अब भारत के लोग बम नहीं देख रहे हैं। वह एक समय था, जब जगह-जगह विस्फोट हुआ करते थे। चाहे इंटरनेशनल टेररिज़्म का मामला हो, ये सब के सब मामले कैसे हुए? ये सभी मामले ई.डी. और सी.बी.आई. से ही खत्म होंगे। …(व्यवधान)

महोदय, लास्ट में, मैं एक शेर सुनाकर अपनी बात खत्म करना चाहूँगी।

सुना है समुद्र को बड़ा गुमान आया है,
वहीं पर ले चलो कश्ती, जहाँ तुफान आया है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

*SUSHRI S. JOTHIMANI (KARUR):** Hon. Chairman Sir, Vanakkam. I oppose the Central Vigilance Commission Amendment Bill. This dangerous Bill has been brought before this august House by the hon. Minister with a smile on his face.

Shri Modi led BJP Government came to power after giving false promises to the people during the poll campaign in the year 2014 that they will be eradicating corruption and black money in the country besides providing a clean governance. Have you fulfilled those promises? No.

You gave assurances that all the black money stashed away in Swiss Banks will be brought back to India and you will be depositing Rs. 15 lakh in each of the bank accounts of Indian citizens. Have you eradicated corruption? Have you deposited the money in the accounts of Indian citizens after bringing back that black money from Switzerland? No.

What are you doing now? You are just bringing changes or removing all the laws brought by the Congress Government which were aimed to eradicate corruption. From Panama Papers to the recently leaked Pandora Papers, all are aimed to save the money of your corporate friends. Can you deny this with evidence? Definitely not.

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

The UPA Government provided a clean governance for the welfare of the poor, downtrodden, farmers, and others, making the country the third largest economy of the world. The UPA Government was led by two honest leaders, the then Prime Minister Dr. Manmohan Singh under the guidance of hon. Sonia Gandhi. But you shielded Anna Hazare in the forefront and claimed the then Congress Government to be a corrupt Government. But if that is true, what was the legal action taken against us in the last 7 years? Nothing.

The then Congress Government was untainted and it was the one which actually executed the war against corruption in a full-fledged manner. We brought several legislations to check corruption, bring transparency in governance, and to empower the people like the Right to Information Act. Central Vigilance Commission Act. What is the status of these laws? … (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON : Madam Jothimani, Please control your speed. It is not only that I am not able to follow what you are saying; it is also very difficult to translate for them.

… (*Interruptions*)

SUSHRI S. JOTHIMANI : Yes Sir. What happened to these laws during “Ache Din” days of the rule of hon. Narendra Modi? These laws are lying at your feet on the verge of death. Hon. Narendra Modi has not only made these laws ineffective, but has taken life away from them.

During the first five-year term of its rule, the Modi Government, by using their absolute majority in Parliament ensured that the functioning of all the institutions which were considered as giving head ache to them got paralysed. The most important among them is the Right to Information Act.

In the year 2004, the Congress Government gave this RTI as a powerful tool in the hands of the people to fight against corruption. But after Shri Narendra Modi came to power, he made RTI Act worthless. The Central Information Commissioner played a major role in eradicating corruption. But this post was lying vacant during the first 10 months of BJP Government in 2014. After bringing amendments to the RTI Act, the powers of the Central Information Commissioner were also snatched away. The CIC was having powers equivalent to that of the Chief Election Commissioner and Central Vigilance Commissioner. Moreover, the tenure of the CIC was also brought down from 5 years to 3 years. Now the Union Government is trying to extend the tenure of CVC to five years. Why has it brought down the tenure of the CIC from 5 years to 3 years? The hon. Minister should clarify this.

It is evident that the tenure of the Director is extended just to keep CVC under its control. If this Government is really against corruption, why is it afraid of a law being used by the people to check corruption? Why is the Government bringing amendments after amendments? You should clarify. Not only that, you have used electoral bonds for *…* *. During 2018, the percentage of

---

* Not recorded.

electoral bonds sold by BJP was 75. During 2019-20 it went up to 79%. I wish to state that BJP got approximately Rs. 4500 Crore through electoral bonds.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SUSHRI S. JOTHIMANI : Congress and its allies have won in the recent bye-elections. BJP has lost almost everywhere. It shows that BJP has lost its credibility. That is why you want to dilute the laws like RTI Act and CVC Act. You want to bring them under your control. Your action is not in the interest of our nation or the people. I therefore oppose this Amendment Bill.

Thank you.

कुंवर दानिश अली (**अमरोहा**): माननीय सभापति जी, आपने मुझे केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 और दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) विधेयक, 2021 पर बोलने का अवसर दिया है, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूं।

महोदय, बुलेट ट्रेन तो हिन्दुस्तान में चली नहीं, लेकिन आज हमने सदन में देखा कि हमारी एक महिला साथी ने दिखा दिया कि बुलेट ट्रेन की स्पीड से अगर आप समय कम करने की घंटी भी बजाएं तो भी अपनी पूरी बात बहुत कम समय में कही जा सकती है । I compliment Jothimani Ji.

मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि यह सरकार, ऑर्डिनेंस की सरकार, पहले दिन से है। वर्ष 2014 में माननीय मोदी जी ने शपथ ग्रहण की तो सबसे पहला काम अगर इनकी कैबिनेट ने किया तो वह ऑर्डिनेंस लाने का किया। आपको कोई अफसर प्रिंसिपल सैक्रेट्री बनाने के लिए रूल चेंज करने के लिए ऑर्डिनेंस लाना पड़ा।

आज दो अमेंडमेंट बिल आए हैं, क्या जरूरत है? कोर्ट ने कहा कि दो साल का फिक्स टेन्योर होगा। आप वर्ष 2019 में राइट टू इन्फार्मेशन एक्ट में अमेंडमेंट लाए और इन्फार्मेशन कमिश्नर के पांच साल के टेन्योर को घटाकर तीन साल किया। डायरेक्टर सीबीआई, डायरेक्टर ईडी, मैं यहां किसी अफसर का नाम नहीं लेना चाहता हूं। मैं जानता हूं, हमारे एग्जीक्यूटिव सिस्टम में, जिसकी सरकार होती है, जो ऊपर बैठा होता है, उसकी बात सुननी पड़ती है। मैं यह नहीं कह सकता - जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं इतना ही कह रहा हूं क्या जरूरत थी? क्या आपको और अफसरों पर भरोसा नहीं है? क्या कुछ स्पेशिएलिटी है कि यही दो अफसर, एक्स या वाई होंगे? आप देश को कहां ले जा रहे हैं?

इस बिल की संरचना है - हम भ्रष्टाचार , कालाधन और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराधों का खतरा, आतंकवाद से पेचीदा संबध और अन्य दंडनीय अपराध राष्ट्रीय सुरक्षा और हमारे देश की

वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को गंभीर संकट उत्पन्न करते हैं। दुनिया ने देखा कि कैसे नोटबंदी में आपने भ्रष्टाचार किया।

कितना कैश था? आप रोज प्रेस कांफ्रेंस करते थे कि साहब कैश खत्म करना है, लेकिन आज दुगुना कैश है …(व्यवधान) सभापति महोदय, मुझे आपका संरक्षण चाहिए।

HON. CHAIRPERSON : If you are speaking on the Bill, time will be permitted. There is no time.

… (*Interruptions*)

कुंवर दानिश अली : मैं उसी पर बोल रहा हूं। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जब आपने ऐलान किया कि नोटबंदी करनी है, किसलिए? आपने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म करना है, कालाधन खत्म करना है और आपने कहा था कि आतंकवाद खत्म करना है। मैं पूछना चाहता हूं कि कितना विदेशी बैंकों से कालाधन वापस आया? मैं पूछना चाहता हूं कि कितना आतंकवाद खत्म हुआ? आपने कहा था कि कैशलेश इकोनॉमी होगी। कैशलेश इकोनॉमी कहां हुई? … (व्यवधान) आज मार्केट में दुगुना कैश फ्लो हो रहा है। आप जो यहां बताते हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं।

<u>18.41 hrs</u> (Hon. Speaker *in the Chair*)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका सरंक्षण चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष : आपका समय हो गया। अब कम्प्लीट कीजिए।

कुंवर दानिश अली : कम से कम आप तो मुझे संरक्षित कीजिए। …(व्यवधान) मैं इन दोनों बिलों का विरोध करता हूं। ये बिल वापस होने चाहिए।

کنور دانش علی (امروہہ):جناب، چیرمین صاحب، آپ نے مجھے سینٹرل وِجیلینس کمیشن امینڈمینٹ بِل اور دہلی اسپیشل پولس اسٹیبلِشمینٹ امینڈمینٹ بِل پر بولنے کا موقع دیا اس کے لئے میں آپ کا شکرگزار ہوں۔

جناب، بُلٹ ٹرین تو ہندوستان میں چلی نہیں، لیکن آج ہم نے ایوان میں دیکھا کہ ہماری ایک خاتون ساتھی نے دکھا دیا کہ بُلٹ ٹرین کی اسپیڈ سے اگر آپ وقت کم کرنے کی گھنٹی بھی بجائیں تو بھی اپنی پوری بات بہت کم وقت میں کہی جا سکتی ہے - Compliment Jothimani ji

میں آپ کے ذریعہ سے اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سرکار آرڈینینس کی سرکار، پہلے دن سے ہے۔ سال 2014 میں محترم مودی جی نے شپتھ لی تو سب سے پہلا کام اگر ان کی کیبینیٹ نے لیا تو وہ آرڈینینس لانے کا کیا ۔ آپ کو کوئی افسر پرنسپل سیکریٹری بنانے کے لئے رول چینج کرنے کے لئے آرڈینینس لانا پڑا۔

آج دو امینڈمینٹ بِل آئے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ کورٹ نے کہا کہ دو سال کا فِکس ٹینیور ہوگا۔ آپ سال 2019 میں رائٹ ٹو انفورمیشن ایکٹ میں امینڈمینٹ لائے اور انفورمیشن کمِشنر کے پانچ سال کے ٹینیورکو گھٹا کر تین سال کیا۔ ڈائریکٹر سی۔بی۔آئی۔، ڈائریکٹر ای۔ڈی۔ میں یہاں کسی افسر کا نام لینا نہیں چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ہمارے ایکزیکیٹیو سسٹم میں جس کی سرکار ہوتی ہے، جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے، اس کی بات سُننی پڑتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا، جس کی لاٹھی اسی کی بھینس۔ میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ کو اور افسروں پر بھروسہ نہیں ہے؟ کیا کچھ اسپیشیلیٹی ہے کہ یہی دو افسر ایکس یا وائی ہوں گے؟ آپ ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں؟

اس بِل کی سنرچنا ہے، ہم بد عنوانی، کالا دھن، بین الاقوامی مالیاتی جرائم کا خطرہ، آتنک واد سے پیچیدہ تعلق اور دوسرے دنڈنیئے جرائم قومی سلامتی اور (p. 417B)

ہمارے ملک کے مالیاتی نظام کی استھِرتا کو سنگین مسائل پیدا کرتے ہیں۔ دنیا نےدیکھا کہ کیسے نوٹ بندی میں آپ نے بھرشٹاچار کیا۔

کتنا کیش تھا؟ آپ روز پریس کانفرنس کرتے تھے کہ صاحب کیش ختم کرنا ہے، لیکن آج دوگُنا کیش ہے (مداخلت)۔ چیرمین صاحب، مجھے آپ کا پروٹیکشن چاہئیے۔

میں اسی پر بول رہا ہوں۔ میں آپ کے ذریعہ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے اعلان کیا کہ نوٹ بندی کرنی ہے، کس لئے ؟ آپ نے کہا تھا کہ کرپشن ختم کرنا ہے، کالا دھن ختم کرنا ہے اور آپ نے کہا تھا کہ آتنکواد ختم کرنا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنا غیر ملکی بینکوں سے کالا دھن واپس آیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنا آتنکواد ختم ہوا؟ آپ نےکہا تھا کہ کیشلیس ایکونومی ہوگی۔ کیشلیس ایکونومی کہاں ہوئی؟ (مداخلت)۔۔ آج مارکیٹ میں دوگُنا کیش فلو ہو رہا ہے۔ آپ جو یہاں بتاتے ہیں، اس کو آپ امپلیمینٹ نہیں کرتے ہیں

کم سے کم آپ تو مجھے پروٹیکشن کیجئیے (مداخلت)۔ میں ان دونوں بِلوں کی مخالفت کرتا ہوں یہ بِل واپس ہونے چاہئیے۔۔

(ختم شد)

SHRI THOMAS CHAZHIKADAN (KOTTAYAM): Sir, thank you for giving me an opportunity to participate in the discussion on The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2021 and The Central Vigilance Commission (Amendment) Bill, 2021. I oppose these two Bills.

These Bills aim at extending the tenure of the of Directors of Central Bureau of Investigation and Enforcement Directorate on the recommendations of the respective Committees up to a period of one year at a time and for a maximum period of five years. However, I endorse the views of the hon. Members who spoke earlier at the stage of introduction of the Bills and during this discussion on these Bills as these Bills are unconstitutional, manifestly arbitrary and ultra vires to the Constitution.

The Supreme Court, by its verdict in 2018, had quashed a plea challenging retrospective changes in the appointment order of *…*[*] *..* as Director of ED stating that a reasonable period of extension can be granted to facilitate completion of ongoing investigations only. However, the Court also made it clear that extension of tenure of officers who have attained the age of superannuation should be done in rare and exceptional cases only. It had also made it clear that no further extension can be given to *…* *.. as Director, ED.

The Ordinances are not only illegal, but also it contradicts the Supreme Court's 1998 Jain Hawala verdict. It creates an opportunity to corrupt the Directorates of law enforcement agencies by offering them an extension of

---

[*] Not recorded.

tenure. They work according to the political will of the Government. It is done for creating an opposition against the Opposition.

With these words, I oppose these Bills.

HON. SPEAKER: Hon. Member, you have only two minutes to speak.

***DR. THOL THIRUMAAVALAVAN (CHIDAMBARAM):** Hon. Speaker Sir, I rise to oppose these two Bills, The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2021 and The Central Vigilance Commission (Amendment) Bill, 2021. I wish to oppose these two Amendment Bills brought before this august House.

I want to ask that what was the urgent need and necessity for the Government to bring ordinances with regard to these two Amendment Bills just a few days before the start of the Winter Session. The people of the country are raising this question.

It is highly shameful to see that a powerful Government is making all efforts to ensure that an individual gets extension of his tenure. The Government is mending its ways and means just to benefit a single person.

Giving extension for a five-year term is not a problem area. But why are you insisting that this extension should be given to a particular person? Your favouritism is very much evident.

By extending the tenure of persons close to you, on these top posts, it is clearly evident that the rulers want to have the complete control of CBI and Enforcement Directorate and want them to act as per their whims and desires. I strongly oppose this urgency shown by them.

---

* English translation of the speech originally delivered in Tamil.

I oppose both these amendment Bills. People throughout the country, when they lose hope on the State Government or the State Police demand an investigation by CBI. That was the credibility that CBI had in the past.

People believed in the credibility of CBI in honestly investigating the cases to find the real culprits and bringing them to book. It was a thing of the past.

At present, the credibility of CBI and ED is coming down gradually day by day. There are political interventions to that extent.

People of this country know very well that the political masters are intervening in the functioning of CBI and ED. I, on behalf of Viduthalai Siruthaigal Party, therefore oppose the way the ordinances are brought in an urgency, in order favour or facilitate a person or persons, close to the ruling dispensation, by extending their tenure.

I oppose both the amendment Bills.

Thank you.

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपके माध्यम से उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है - श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, श्री मनीष तिवारी जी, कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी, श्री ए. राजा जी, श्री कल्याण बनर्जी जी, श्री तालारी रंगैय्या जी, श्री विनायक भाउराव राऊत जी, श्री राजीव रंजन सिंह जी 'ललन', श्री भर्तृहरि महताब जी, श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले जी, श्री अधीर रंजन चौधरी जी, डॉ. सत्यपाल सिंह जी, एडवोकेट ए. एम. आरिफ जी, श्री रितेश पाण्डेय जी, श्री बैन्नी बेहनन जी, प्रो. सौगत राय जी, श्री बृजेन्द्र सिंह जी, कुमारी गोड्डेति माधवी जी, श्री असादुद्दीन ओवैसी जी, श्री हनुमान बेनीवाल जी, श्री डी. रविकुमार जी, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, सुश्री एस. जोतिमणि जी, कुंवर दानिश अली जी और डॉ. थोल तिरुमावलवन जी।

महोदय, जब मैं शुरू में इस बिल को कंसीडरेशन के लिए लेकर लाया था, तब सभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप इसको मुस्कुराकर क्यों ला रहे हैं। So, I am proud to share that I started with a smile and I will also conclude with a smile, and when I near the conclusion of this debate, there is an added reason for me to smile. इसका कारण यह है कि चर्चा बड़ी व्यापक और लंबी हुई है। विषय को लेकर किसने कितनी बात कही, वह इतना दिलचस्प पहलू नहीं था, लेकिन सबको अपने-अपने दिल की व्यथा निकालने का मौका मिला, इसकी मुझे तसल्ली हुई।…(व्यवधान) हर पार्टी और हर प्रदेश के सदस्यों ने अपनी-अपनी बात बताई कि किस-किसके घर पर रेड पड़ी। हमें जो नहीं पता था, सदन को वह भी पता चल गया। उसके मेरिट्स में तो जाना नहीं है, क्योंकि वह मेरा विषय नहीं है।

हमारे मित्र रितेश पाण्डेय जी ने इंदौरी साहब का शेर बोला, बाद में श्रीमती सुनीता दुग्गल जी ने उसका जवाब भी दिया। मैं आम तौर से शायरी को अवाइड करता हूं, लेकिन ये मुझे कभी-कभी उलझा देते हैं, तो फिर यह भड़क उठता है। मुझे पूरी चर्चा को सुनते हुए साहिर साहब का एक शेर याद आ गया -

'कौन रोता है किसी और की ख़ातिर ऐ दोस्त,

सब को अपनी ही किसी बात पे रोना आया '

इस चर्चा का इतना तो सुखद परिणाम निकला । Now, having said that, let me reiterate to this august House that Prime Minister Modi holds CBI, CVC and all these institutions in a very high esteem.

Independence of these institutions is the Government's top priority. Facilitating and enabling an independent functioning of these institutions is our top responsibility. So, the entire exercise is actually inspired by this. Therefore, I will make a humble appeal that considering the sanctity of these supreme institutions, we could try to rise above the political considerations and help each other in order to strengthen the independent and enabling functioning of these institutions… (*Interruptions*) मैं उस पर भी आ रहा हूँ। इस चर्चा में कई बार बहुत सी ऐसी बातें भी कही गईं कि the subject and fact became a casualty. यह बार-बार कहा गया कि यह ऑर्डिनेंस की सरकार है, पहले दिन से ऑर्डिनेंस ला रही है । यह किसी ने नहीं कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में जो निर्णय हुआ था, वह ब्लैक मनी पर एसआईटी लगाने का हुआ था। अगर इस पर भी माननीय सदस्य कुछ कहते तो अच्छा होता। …(व्यवधान) जो दस साल में रह गया था । …(व्यवधान) वह भी आ जाएगा । …(व्यवधान) उसके बाद और शायरी होंगी । …(व्यवधान) आपने जो दस साल में किया था, उसके लिए थोड़ा समय दीजिए, लेकिन पहला निर्णय वही था । That was the declaration of the intent of this Government and its crusade against corruption. आठ वर्ष गुजर चुके हैं । मोदी सरकार के किसी मंत्री पर भी भष्ट्राचार या घोटाले का आरोप नहीं है, लेकिन पिछली सरकार के मंत्रियों पर अब भी आरोप निकल रहे हैं । Is that not a contradiction? Usually, corruption charges are faced

by the incumbents in power because they have the prerogative and privilege to exercise and to misuse power. So, what must be the scale of indulgence at that time? फिर बार-बार यह सोचा जाता है कि public memory is short and memory of hon. Members may also be short. `Parrot in cage' उस दिन भी कहा और आज भी कहा गया । यह तो यूपीए सरकार को कहा गया था । Whom are you pointing out a finger?… (*Interruptions*) वह वहीं से चल रहा है। Prof. Sougata *da* is a very literate and a very wise person. If these states had conviction, then, they also shouldn't refer cases to the CBI or otherwise. आप सभी राज्यों में से एक ऐसे राज्य हैं, जिन्होंने सीबीआई के जनरल कन्सेंट का जो प्रेरोगेटिव होता है, उसे विथ्ड्रा कर लिया । इससे सीबीआई अपने स्तर पर किसी केस को इनिशिएट नहीं कर सकती है। But if you have to fix somebody, you have the privilege to refer it to the CBI, as a State Government. That is not the law. That is the selective use of law for your convenience, and that is against the law of propriety. On the one hand, you don't trust the CBI; on the other hand, to fix your opponent, you trust the CBI. Why should you withdraw the general consent? The logic is, you don't have the faith. यह सरकार की सीबीआई है। यह मोदी जी की सीबीआई है, लेकिन जब आपके द्वारा किसी को फिक्स करना होता है तो आपको उसके ऊपर विश्वास आ जाता है। I think, we have to rise above not only to show conviction but also to show the courage of conviction. इन्होंने कहा है कि डिस्पोजल में डिले हो रहा है। हाँ, हो रहा है। That is the legacy of the past. But if you go through the figures of the recent years, it has been overcome. The present legislation also is aimed in that direction. जैसा मैंने शुरू में अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा है कि कंटिन्यूटी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। Certain information which is confidential with the head of the investigating agency, will remain with him till

the conclusion of the cases. Therefore, this also, to an extent, is going to address that issue.

Raja ji said that the Government is not meant to make people fear. Certainly, no Government is meant to make people fear. We should also not be afraid of each other. But the Government is meant to make the criminals fear. When we say something like this, somewhere we are exposing our own guilt. Why should we fear? Sougata *da* said it and Raja ji has come out vindicated. There is nothing to fear. But the Government should make the criminals fear. जिसको हमारे सेंट्रल इंडिया में कहते हैं कि यह सरकार का इकबाल है, यह तो बरकरार रहना चाहिए। The deterrent effect of the Government is equally effective as the prosecution. अब यह कहा गया कि एक्सटेंशन आर्बिट्रेरी है। या तो बिल का अध्ययन नहीं किया जा रहा है या फिर इसको अपनी कन्विनिएंस से मोड़ा जा रहा है। The extension is again going to be by the same process by which the appointment has been made. Who is there in the Selection Committee? For CBI, the Selection Committee consists of the hon. Prime Minister, the hon. Leader of Opposition in the Lok Sabha, and the Chief Justice of Supreme Court. Premachandran ji is the best law-knowing person. I will try to bring this to his notice also. He also referred to it. Should we not be congratulated for having walked an extra mile? There was no Leader of Opposition in the 16th and 17th Lok Sabhas because अध्यक्ष महोदय भलीभांति जानते हैं कि नेता, विपक्ष का दर्जा हासिल करने के लिए एक निर्धारित न्यूनतम संख्या चाहिए। वह संख्या नहीं थी। हम प्रावधान लेकर आए। … **(व्यवधान)**

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): उस प्रावधान को हम लाए हैं। …(व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: हम प्रावधान लेकर आए कि let us have the Leader of the Opposition…. (*Interruptions*) It was not a binding on us. We actually wanted it. The hon. Prime Minister demonstrated absolute democratic mindset in it. He said that we would have the Leader of the largest Opposition Party which was incidentally the Congress. चालीस-पैंतालिस मेम्बर्स की पार्टी के नेता को हमने नेता, विपक्ष मानकर अपने सिर पर बैठाया और फिर भी कहा जा रहा है कि सेलेक्शन कौन कर रहा है। …(व्यवधान) नहीं किया। इसीलिए नहीं किया कि we did not want to be dictatorial as you are alleging. अब कहा गया कि सरकार इसको पार्लियामेंट में ला सकती थी, सत्र प्रारम्भ होने में थोड़े ही दिन बचे थे। इसका उत्तर मैंने पिछली बार भी दिया। Going by the experience of the last session, पूरा का पूरा सेशन वाश-आउट हो गया। यहां तो भरोसा ही नहीं है कि सत्र चलेगा या नहीं चलेगा। मैं धन्यवाद देता हूं और बधाई के पात्र हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने अपनी सूझ-बूझ से इस बार सदन चलाया है। क्या सरकारें काम करना बन्द कर देंगी? अगर एक वर्ष में तीन-तीन सत्र नहीं चलेंगे तो क्या सरकारें हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएगी? तब सरकार पर भी आरोप आएगा। … (व्यवधान) किसानों की बात किसानों के समय करेंगे, अभी वह बात कर रहे हैं, जो आपने छेड़ी है। … (व्यवधान) अब फिर से कहा गया कि साहब, यह दो साल का समय था। बार-बार कहा जा रहा है कि इसे बढ़ाया गया। मैं बार-बार यह समझा रहा हूं कि इसे बढ़ाया नहीं गया है, बल्कि हमने इसकी सीमा तय कर दी – मैक्सिमम पांच साल। पहले सीमा थी ही नहीं। …(व्यवधान) इसका मतलब है कि आपने एक्ट नहीं पढ़ा है। एक्ट पढ़ लीजिए, तब आपको समझ आएगा, फिर अपनी ही बात पर हंसी आएगी। …(व्यवधान) उसमें लिखा है – ”Tenure not less than two years”. In the interest of stability यह कहा गया कि ”Not less than two years. हमने उसी स्टेबिल्टी को और ज्यादा पुख्ता बनाने के लिए उसको पांच साल तक की हद

दे दी और साथ ही साथ यह सीमा भी तय कर दी कि इसको मिसयूज न किया जाए। Rather we have institutionalised that clause for which we should be complimented.

<u>19.00 hrs</u>

नहीं तो आप वह उनको देते रहते । It was said that this will reduce the independence. अब independence कैसे reduce हो गया, यह हमें समझ में नहीं आया । Rather, by fixing it at five years, we have ensured that there is no more alibi left to be distributed. यू.पी.ए. की सरकार में भी टेन्योर तीन से ज्यादा हो गए। अब ये कहेंगे कि उस वक्त ये हुए तो रिटायरमेंट से पहले हुए, लेकिन इस क्लॉज के तहत आज से रिटायरमेंट के पहले भी नहीं होंगे। आप टेक्निकल बात को समझिए। मान लीजिए कि पहले 54 साल की उम्र में किसी को आपने सीबीआई डायरेक्टर बना दिया । उसका कार्यकाल दो वर्ष के बाद समाप्त हो गया। फिर आपने उसके कार्यकाल को बढ़ा दिया, क्योंकि आप वह 60 साल तक कर सकते थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। So, we have actually tried to impose certain embargos which will introduce more of transparency.

अब यह कहा गया कि इसमें पब्लिक इंट्रेस्ट क्या है? यह लाना ही पब्लिक इंट्रेस्ट है । What is the definition of public interest? When you appoint somebody, it is in public interest. When you ask somebody to go on retirement, you have side reasons. And if you do not trust a Selection Committee constituting the Prime Minister of India, the Leader of Opposition in the Lok Sabha, and Chief Justice of India, to have the wisdom and prudence to decide what is in public interest, then who will decide? …(*Interruptions*) No, let me complete.

If extension has to be given to someone in public interest, this highest Selection Committee possible of governance is determining this. … (*Interruptions*)

KUNWAR DANISH ALI : What about ED? … (*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: For ED, Chief Vigilance Commissioner, Vigilance Commissioner and three Secretaries are connected. … (*Interruptions*) They do not have Shri Danish Ali. They do not include Shri Danish Ali. They will not.

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जो माननीय सदस्य बैठे-बैठे प्रश्न पूछ रहे हैं, आप उनका जवाब नहीं दीजिए।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अगर आप कहेंगे कि यह मेरी मर्जी से नहीं हुआ तो पब्लिक इंट्रेस्ट में नहीं है, तो यह बात नहीं चलेगी। You are asking, 'What about CVC, etc?" ये प्रावधान आपकी सरकारों से चले आ रहे हैं और हमें ये विरासत में मिले हैं। आज आपको समझ में आया है कि सीबीआई की सेलेक्शन कमेटी गलत है। हम वर्ष 2014 से सत्ता में आए हैं। उससे पहले आपने जो राम राज दिया था, यह उसी की विरासत है। ये सारी सेलेक्शन कमेटियां पहले की बनी हुई हैं।

फिर यह कहा गया कि बाकी देशों में यह होता है, तो इसमें ऐसा क्या है? मैंने यह लिस्ट निकाली है। एफबीआई का टेन्योर 10 साल है। दो साल का टेन्योर किसी भी देश का नहीं है। I will come to the reasons for that in a few seconds. The United Kingdom's Director General of Internal Counterintelligence and Security Agency has no fixed term at all. हमने पांच साल फिक्स कर दी है। मैंने एवरेज निकाली है। I could not have done it as it may not be very suitable for me. But I took out the average

and it is again five to seven years. For Federal Criminal Police Office of Germany, the average is six to ten years since 1981. There is no fixed term.

माननीय अध्यक्ष : सदन का समय इस विधेयक पर चर्चा और प्रस्तावों के पारित होने तक बढ़ाया जाता है।

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद । For Australian Federal Police, very interesting, tenure is of seven years with a clause for extension. अब क्या कहेंगे कि वह सात साल अपने मास्टरों को खुश रखेगा, ताकि उसे अगले सात साल का टेन्योर मिले, तब तो दुनिया का निज़ाम नहीं चलेगा। हम यहां यह आरोप लगा रहे हैं।

We are making an allegation against a duly-elected body, a duly elected Leader of Opposition.

अब रॉयल केनेडियन माउंटेड पुलिस का उदाहरण है। There is no fixed term. The average is four to ten years. ये चंद उदाहरण हैं of some of the leading democracies in the world. हम क्या उदाहरण अपने लिए स्थापित करना चाह रहे हैं unless we have something to hide? Let me tell you, each time, when we say that there is some *mala fide* in this, we forget that we might be inviting the accusation of hiding something within ourselves. We have nothing to hide. There is no reason to fear.

I am glad that Supriya Sule *ji* suggested how changing one clause would address so many issues. I agree with her. But we have to start somewhere. So, she must welcome it. We have taken one small step to address all these issues. We will be taking more and we will be expecting your support. She

raised certain other issues which I am not taking much cognizance of because more than addressing the Bill, they were addressing the agenda of the Maharashtra Government. So, I leave it to that.

अधीर रंजन दा चले गए हैं। I had said that there are added reasons now to smile. उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कही थी। The exact phrase he used which he had written down and which was very beautifully coined is: 'culture of subversion is being introduced by the Modi Government'. This is coming from a Party which has gone down in the history of subverting the democracy of the country. Having imposed Emergency, they subverted not only democracy, but also subverted the Constitution of India. अब बताएं कि हंसी नहीं आएगी, तो क्या आएगा? We live in a world of evidence.

Owaisi *sahib* is a law-knowing person. वे ऊंची आवाज़ में बात करते हैं, वे उर्दू भी उतनी ही खूबसूरत बोलते हैं, जितनी अंग्रेज़ी बोलते हैं। कुछ लोग इसी में बह जाते हैं। वे इंटिग्रिटी ऑफ दि कांस्टिट्यूशन के बारे में कह रहे थे। उन्होंने एक केस का हवाला दिया। He said, it is a contempt of court. But is this not contempt of the Constitution to question a constitutionally constituted body which exists in a selection process, which has come down the years, down the decades, not invented, not constituted after 2014?

श्री कल्याण बनर्जी : कन्टेम्प्ट कोर्ट का होता है। … (व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह : वह तो जज बोलते हैं न, मैं कह रहा हूं कि कांस्टिट्यूशन का कन्टेम्प्ट उससे भी घोर पाप है। **Co**ntempt of Constitution and contempt of democracy is even graver sin.

SHRI KALYAN BANERJEE : There is violation of the Constitution, not contempt of the Constitution.… (*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: That is in the court's language. I am not talking in a legal sense.

SHRI KALYAN BANERJEE : You are Minister of State in the Prime Minister's Office. … (*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: So, do you mean to say that you are at liberty to sin against the Constitution, sin against democracy?

श्री कल्याण बनर्जी : कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, कन्टेम्प्ट ऑफ हाउस होता है। … (व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यही कह रहा हूं कि बार-बार कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा गया और उसके बहाने कांस्टिट्यूशनली कांस्टिट्यूटिड बॉडीज़ पर भी सवालिया निशान, सलेक्शन प्रोसेस पर भी सवालिया निशान लगाए गए। … (व्यवधान)

श्री कल्याण बनर्जी : ऐसा होता है। … (व्यवधान)

डॉ. जितेन्द्र सिंह : होता होगा, लेकिन क्या यह चिंतन का विषय नहीं है कि we can raise a question mark on the Constitution, on the democracy? If it was a contempt of court, the court would have stepped in. It was not your prerogative. … (*Interruptions*)

Now, I will just share with Manish *ji*. He made a factual point on which I will just update you. The Guwahati High Court had come out with a judgement about which he is right, since he is an advocate.

But after that, an SLP was filed and that judgment has been stayed. As long as it is stayed, we need not get into that. It is *sub judice*.

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): It is in everybody's interest that the legality of the CBI should be adjudicated.

DR. JITENDRA SINGH: No, it is not directly related to this *per se*. So, let that pass. एक बात बार-बार आई कि, why raise the international angle? There is a huge international ramification of the kind of methodology which is evolving everyday and you are seeing so many cases. और यह फॉरेन लांड्रिंग के केसेज इन्हीं के हिस्से में आते हैं । As I have already said, we cannot depend only on institutional intelligence, information, and confidentiality and also, on the individual who is at the head of it. Moreover, जो हमारी एफएटीएफ है, उसने यह सुझाव भी दिया है that some of the countries will have to look into how to upgrade their capabilities, and I quote:

> "Law enforcement authorities and countries should have in place processes to ensure that the staff of these authorities maintain high professional standards, including standards concerning confidentiality and should be of high integrity and be appropriately skilled."

Now, they are expecting us to rise to the same level as some of the other countries, जिनका मैंने आपको ब्यौरा दिया। कहीं-कहीं इनका टेन्योर दस-दस साल है और कहीं-कहीं इनडेफिनेट है और अगले साल इसका रिव्यू भी होने वाला है। So, if we have to meet the global standards and reach the global pedestal, which India is

already at the threshold, I think, we should be more progressive and forward-looking.

I am not going to get into the details of this because hon. Members have borne with all of us for a very long time. So, I would say that if we do not extend this or bring in this provision, which is not an extension actually, a restrictive approach may be counter-productive to the interest of justice and fair delivery of interrogation and investigation results.

From that point of view, मैं एक बार फिर से अध्यक्ष जी के माध्यम से निवेदन करूंगा that in good faith and in an atmosphere of trust, हम इस विधेयक को स्वीकार करें और यह कामना करें कि आने वाले समय में भारत विश्व पटल पर भ्रष्टाचार मुक्त और क्राइम मुक्त देश के रूप में अपना एक स्थान बना सके।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Thank you, hon. Speaker, Sir.

I would like to reply to the hon. Minister with regard to the Statutory Resolution with a smile.

Sir, the point which I would like to make is regarding the urgency and exigency or the extraordinary situation prevailing in the country so as to promulgate this Ordinance. This was the fulcrum of my entire argument. The hon. Minister has not spoken anything about the situation arising for promulgating an Ordinance. That means the argument advanced on the part of the Opposition that this is the misuse of the Article 123, is well ratified.

Sir, I will conclude within two minutes.

Another issue is … (*Interruptions*)

डॉ. जितेन्द्र सिंह : महोदय, मैंने बार-बार कहा है और बिल के इंट्रोडक्शन में भी कहा कि इस बार अध्यक्ष महोदय जी की सूझबूझ का नतीजा है, क्योंकि पिछला सदन तो वॉशआउट हो गया था। ऐसे तो कोई भी कानून या लेजिस्लेशन नहीं बनेगा। … (*Interruptions*) We had to move on and we could not wait for the protest to settle down because this is a provision which is going to reflect India's image at the international forum.

So, that is the urgency for the country.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Sir, the last Session was washed out and this House has passed 21 legislations.

DR. JITENDRA SINGH: You must compliment the hon. Speaker for that.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : If you can pass very controversial legislations during the wash out Session, this could also have been passed.

DR. JITENDRA SINGH: In that case, you would say it was passed in din. आप कभी इधर से पकड़ते हैं और कभी उधर से पकड़ते हैं। Now, you are also smiling. I think you mean that it should go in that direction.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : You are changing the goalpost. I am really sorry. You could have passed 21 legislations in the last Session and you are saying that the whole Session was a wash-out.

The second point which I would like to respond is this. I would like to admit and appreciate the hon. Minister for 'selective use of CBI'. You are absolutely correct. I can cite one example from my State itself. Now, our State Government is fighting against CBI by spending crores and crores of rupees.

DR. JITENDRA SINGH: Now, he is saying that I have changed the goalpost. I said, 'selective use of the consent to CBI' in the context of what Saugata *Da* was saying. जनरल कन्सेंट ले लिया । So, it is like that. Now, we are equal.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: I actually mean it. See, the State Government is fighting against coming of CBI into the State of Kerala and at the same time, in those cases in which they are interested in order to have the political vengeance. It is not only about consent. They are requesting the CBI to investigate the case. I am not citing an example. So, that is there. The point which we are raising is that the State Government is giving consent. The Central Government is using its force. So, it is better to have independent status for the Central Bureau of Investigation and Enforcement Directorate. Let it be above the administrative control of the Prime Minister and the Government so that independence can be maintained. That is the best thing which the Government can do.

The third point which I would like to make is regarding the selection committee. You are always talking about the selection committee. The Prime Minister and the Leader of the Opposition and the Chief Justice of India are there in the Selection Committee. That is only in respect of CBI. As far as the

Enforcement Directorate is concerned, it is an absolutely bureaucratic committee.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य**,** आप रेजोल्यूशन मूव करना चाहते हैं या नहीं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN: Regarding the selection of CBI Chief, this Prime Minister comes in and Opposition leader comes in the Selection Committee. As far as the Enforcement Directorate is concerned, it is absolutely the whims and fancies of the Government.

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन के प्रेमचन्द्रन जी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 14 नवम्बर, 2021 को प्रख्यापित केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 9) का निरनुमोदन करती है।"

<u>प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

माननीय अध्यक्ष : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

… (व्यवधान)

खंड 2

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको थर्ड रीडिंग में बोलने का अवसर दूंगा।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री सौगत राय जी।

SEVERAL HON. MEMBERS: Sir, not present. … (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री मनीष तिवारी जी, क्या आप संशोधन संख्या-12 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

SHRI MANISH TEWARI (ANANDPUR SAHIB): Sir, I beg to move:

"Page 1 and 2, *for* lines 8 to 11 on page 1 and lines 1 and 2 on page 2, -

substitute "Provided that if the Director completes the age of sixty years during the period of two years referred to in this sub-section, his tenure as such Director shall stand completed immediately on attaining the age of sixty years and he shall not be

eligible for any extension or reappointment after he has ceased to hold office either on attaining the age of sixty years or on completion of two years, as the case may be”.” (12)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री मनीष तिवारी द्वारा खण्ड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 12 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन के प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या-**2** प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

“Page 1, line 9, -

for “in public interest ”

substitute “in case of non-availability of suitable officers”.” (2)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री एन के प्रेमचन्द्रन द्वारा खण्ड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री एन के प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या-4 और 10 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : Sir, I am not moving Amendment numbers 4 and 10.

माननीय अध्यक्ष : श्री बेनी बेहनन जी**,** क्या आप संशोधन संख्या-6 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I am not moving.

माननीय अध्यक्ष : श्री विनायक भाऊराव राऊत जी**,** क्या आप संशोधन संख्या-3 प्रस्तुत करना चाहते हैं**?**

SHRI VINAYAK BHAURAO RAUT (RATNAGIRI-SINDHUDURG): Sir, I beg to move:

"Page 1 and 2, *for* line 11 on page 1 and lines 1 and 2 on page 2,-

s*ubstitute* "up to a maximum period of six months

only"." (3)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 3 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी, क्या आप संशोधन संख्या 5 और 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Sir, I beg to move:

Page1, line 11,-

For “up to one year at a time”

Substitute “once up to one year only”. (5)

Page 2, *omit* lines 1 and 2. (9)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 5 और 9 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

HON. SPEAKER: Shri Adhir Ranjan Chowdhury -- Not present

Shri M. K. Raghavan -- Not present

एडवोकेट डीन कुरियाकोस, क्या आप संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move:

Page 1, *after* line 11,-

Insert "Provided further that while extending the term of Director beyond two years, the Committee under clause (a) shall consider the names of at least five other officers having similar experience and qualifications as recommended by the Union Public Service Commission". (13)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष :प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

DR. JITENDRA SINGH: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ**:**

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

SHRI A. RAJA (NILGIRIS): Sir, from the reply given by the hon. Minister it seems that he wants to impress upon this House and through this House to the people at large that the selection is constituted by virtue of the Lokpal Bill and the members are the Prime Minister, the Leader of the Opposition, and the Chief Justice of India. What the hon. Minister claims is that these three persons occupy constitutional positions and so their integrity is beyond doubt. With due respect to every Prime Minister, whether it is Dr. Manmohan Singh or Shri Modi or somebody else who may occupy the position tomorrow, I am emphasising on the position of the Prime Minister and every one of them will be motivated by political thinking. That cannot be ignored. It is the opinion of a well-known legal expert, namely, Justice Krishna Iyer, observed in his book that `judgement given by judges are final but that does not mean we are infallible'. That means Chief Justice is fallible and also the Prime Minister is also motivated politically. Then spontaneously and naturally the opinion of the Leader of the Opposition will become insignificant. In such a case, the decision will be taken by the Prime Minister which will be motivated by political thinking

and the CJI. So, where is the transparency? … (*Interruptions*) The argument advanced by the hon. Minister cannot be accepted and so we are walking out.

<u>19.24 hrs</u>

At this stage, Shri A. Raja and some other hon. Members left the House.

DR. JITENDRA SINGH: What are you trying to suggest? Do you want to throw the baby with the bathtub --कि कांस्टीट्यूशन ही डिमोलिश कर दो । You are questioning the institutions … (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष :आप जवाब मत दीजिए। आपको जवाब नहीं देना है।

SHRI KALYAN BANERJEE : Sir, in 1959, when the late Pandit Jawaharlal Nehru was the Prime Minister, a notification was issued. It categorically identified that these are the categories of cases and provisions of the statutes and sought for general consent from different States. The late Dr. Bidhan Chandra Roy was the then Chief Minister of West Bengal and he gave consent to that. Thereafter, you may kindly check it up, I have read it and made research on that, in 1961, 59 notifications had been rescinded and thereafter again it had been sent for consent from the State Governments, but incidentally after 1961 no consent has been given by the State of West Bengal. I am saying this and you can check it up. … (*Interruptions*)

SHRI KODIKUNNIL SURESH : Hon. Speaker, we are not convinced with the reply of the hon. Minister. His reply is not satisfactory. So, we are walking out.

<u>19.25 hrs</u>

At this stage, Shri Kodikunnil Suresh and some other hon. Members left the House.

माननीय अध्यक्ष :प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

<u>प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।</u>

… (<u>व्यवधान</u>)

-

माननीय अध्यक्ष :श्री मनीष तिवारी**,** क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

SHRI MANISH TEWARI : Sir, I just have three or four very short points to make. The Central Bureau of Investigation and the Enforcement Directorate have not covered themselves with any great glory primarily because judgement after judgement has deprecated the investigation over the years. The carrot of extension which you dangled before the Director of the CBI and the Director of the Enforcement Directorate is too tempting a carrot. Therefore, the possibility of these organisations getting subverted and as a consequence the hierarchy getting subverted is immense. That is why, we have opposed these Bills, and Mr. Speaker Sir, I move the Statutory Resolution.

माननीय अध्यक्ष :क्या आप सांविधिक संकल्प वापस ले रहे हैं या मूव कर रहे हैं?

श्री मनीष तिवारी :सर**,** मैंने मूव कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष :अब मैं श्री मनीष तिवारी द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है**:**

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 14 नवंबर, 2021 को प्रख्यापित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का संख्यांक 10) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष :प्रश्न यह है**:**

"कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष :अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

खंड 2

माननीय अध्यक्ष :प्रो. सौगत राय जी, क्या आप संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I beg to move:

"Page 2, *for* lines 3 to 8,-

substitute "Provided that if the Director complete the age of sixty years during the period of two years referred to in this sub-section, his tenure as such Director shall stand completed immediately on attaining the age of sixty years and he shall not be eligible for any extension or reappointment after he has ceased to hold office either on attaining the age of sixty years or on completion of two years, as the case may be.".

(1)

सर, हमें तो पढ़ने दीजिए, कम से कम मूव करने दीजिए। इतना समय तो देना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष :अब मैं प्रो. सौगत राय द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 1 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष :श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 2 और 9 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I beg to move:

"Page 2, line 4,-

for "in public interest"

substitute "in case of non-availability of suitable officers". (2)

Sir, in public interest, in case of non-availability of suitable officers, this can be done. This is subject to condition. Kindly accept it.

Sir, I am moving only Amendment No. 2. I am not moving other amendments.

माननीय अध्यक्ष :क्या आप संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं?

SHRI N. K. PREMACHANDRAN : No Sir, I am not moving Amendment No. 9.

माननीय अध्यक्ष :अब मैं श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 2 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष :श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BENNY BEHANAN (CHALAKUDY): Sir, I beg to move:

“Page 2, line 8,-

f*or* “five years”

substitute “two years and three months”. (10)

माननीय अध्यक्ष :अब मैं श्री बैन्नी बेहनन द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 10 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष :श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI N.K. PREMACHANDRAN : Sir, I am not moving Amendment No. 4 to clause 2.

माननीय अध्यक्ष :श्री बैन्नी बेहनन जी, क्या आप संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI BENNY BEHANAN : Sir, I am not moving Amendment No. 4 to clause 2.

माननीय अध्यक्ष :श्री अधीर रंजन चौधरी – उपस्थित नहीं।

श्री एम. के. राघवन – उपस्थित नहीं।

श्री विनायक भाऊराव राऊत – उपस्थित नहीं।

माननीय अध्यक्ष :श्री कोडिकुन्नील सुरेश जी, क्या आप संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

SHRI SURESH KODIKUNNIL (MAVELIKKARA): Sir, I beg to move:

"Page 2, *for* lines 6 to 8,-

substitute "once up to one year only". (8)

माननीय अध्यक्ष :अब मैं श्री कोडिकुन्नील सुरेश द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 8 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : एडवोकेट डीन कुरियाकोस जी, क्या आप संशोधन संख्या 13 प्रस्तुत करना चाहते हैं?

ADV. DEAN KURIAKOSE (IDUKKI): Sir, I beg to move:

Page 2, *after* line 6,-

Insert "Provided further that while extending the term of Director beyond two years, the Committee under sub section *(1)* of section 4A shall consider the names of at least five such officers with similar experience and qualification as recommended by the Union Public Service Commission". (13)

माननीय अध्यक्ष : अब मैं एडवोकेट डीन कुरियाकोस द्वारा खंड 2 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 13 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

DR. JITENDRA SINGH: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 10 दिसम्बर, 2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

19.31 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 10, 2021/Agrahayana 19, 1943 (Saka)

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in

http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Sansad T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Sixteenth Edition)